(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 18

शुक्रवार,
31 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग

कार्य सलाहकार समिति के आधार पर सदन के कार्य का विन्यास

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर के एडिशनल एस. पी. के बारे में.....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि 4 तारीख तक हाउस चलेगा और यह भी तय हुआ था कि रोजाना दो-दो बिल लेकर के बिल पास करेंगे। लेकिन आज की कार्य सूची में पांच बिल एक साथ रखे गए हैं। इससे पहली बात तो यह जाहिर होती है कि सरकार आज ही पलायन करना चाहती है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आज शुक्रवार था, हमने इनसे इसीलिये एडजस्ट किया था कि आज नॉन आफिशियल डे होगा आधा दिन। फिर भी हमने यह एडजस्ट इसलिये किया कि इन्होंने कहा कि 4 तारीख तक हाउस चलेगा जिसमें फेमिन पर डिबेट भी हो जाएगी, उसके बारे में वक्तव्य भी आ जाएगा और उसमें आपके विचार जाने जाएंगे। वह भी कुछ पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। लेकिन इनके हाव-भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने आज का बिजनस रखा है कि ये आगे हाउस चलाना नहीं चाहते।

मेरा एक निवेदन और है, आज आपने यह कहा कि इस मोटर व्हीकल एक्ट वाले में 4 बजे तक अमेंडमेंट दे सकते हैं। चार बजे तक अगर हम देते हैं तो आप देखिये कि साइक्लोस्टाइल होकर वापस हाउस में पेश होने में 9-10 बजेंगे। फिर यह हाउस क्या आप 12 बजे तक चलाना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गयी है कि आप आज ही ये सारे बिल पास कराके रात को साढ़े बारह बजे यहां से भागना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि आप तीन तारीख को और रख लीजिए। हमने हमेशा को-आपरेट किया है तो आप तीन और चार तारीख को रख लीजिए। क्वेश्चंस हमारे पास पहुंच गए हैं, बिजनस आपके पास है, ऐसी बात नहीं है कि बिजनस नहीं हो और आज शुक्रवार है, माननीय सदस्य

(2)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अपने-अपने क्षेत्रों में भी जाना चाहेंगे। इसलिये मेहरबानी करके आज दो बिल रख लीजिए, 3 तारीख को दो बिल रख लीजिए और 4 तारीख को यह मोटर वाला रख लीजिए अगर वह दूसरा आप नहीं लाना चाहते हो तो, नहीं तो वह भी आप बिल ले आइए और इस प्रकार से 4 तारीख तक आप हाउस को चलाइए। इसके अलावा अकाल पर चर्चा भी रखने के लिये आप इनको निर्देश दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : राज है आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राज तो आपका है, मेरा राज नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, राज तो इनका है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की परम्परा रही है कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय हो चुके हैं उनको हम हमेशा से मानते आए हैं। आज ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं जिससे बिजनस एडवाइजरी कमेटी में जो काम तय हो गए उनको आज ही किया जाए। इसलिये बिजनस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय हुआ था उसी की अनुपालना में यह सदन चले, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। प्रश्नकाल। श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था पर माननीय गृह मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। (व्यवधान) एक हत्या का मामला है। (व्यवधान) बहुत गम्भीर मामला है, गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : सी. बी. आई. से किया है.....(व्यवधान)

श्री खेत सिंह राठौड़ : उसके बारे में सरकार का जवाब आया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सरकार सोयी तो नहीं है। एक एडिशनल एस. पी. की हत्या.....(व्यवधान) हत्या का भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेत सिंह राठौड़ : जवाब दीजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : प्रतिपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया है, मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिए। आप बिराजिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने जो अभी सवाल उठाया है यह अनुमान के आधार पर है। ये हाव-भाव और इनका सब का अनुमान लगा रहे हैं। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में जितने एक्ट तय हुये थे हमने वे ही रखे हैं। एक एण्ट्री टैक्स नहीं रखा और वह इसलिये नहीं रखा कि कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। सरकार का

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इंटेंशन कभी नहीं था कि कोई हम जल्दबाजी से इन एक्ट्स को पास कराएं या हम टैक्स लगाएं। अब चूंकि कल माननीय प्रतिपक्ष के बहुत से विधायकों ने कहा कि इसमें बहुत गम्भीर अध्ययन की जरूरत है, प्रजातंत्र पद्धति में यह अधिकार है माननीय विधायकों का कि वे गम्भीर अध्ययन करें, इसलिये गंभीर अध्ययन के लिये हमने छोड़ा है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है और न हम कोई टैक्स लगाना चाहते। यह बात जरूर है कि सरकार द्वारा टैक्स लगाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाना राज्य के हित में नहीं होता है। लेकिन यदि प्रतिपक्ष के महोदय चाहते हैं कि उसको पूरा पढ़ कर लें तो फिर तो हमने उन्हीं की बात मानी है। इसलिये हमने इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं किया। बाकी आज का बिजनस आपके सामने हैं, जब हाउस एडजोर्न होगा तो मालूम पड़ जाएगा। बिजनस रहेगा तो हाउस फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज हाउस कितने बजे तक चलाना चाहते हो, यह तो बताइए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। सरकार का मन्तव्य आपके सामने आ गया। प्रश्नकाल। श्री ओमप्रकाश शर्मा। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अकाल पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वह बाद में देख लेंगे कभी भी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार भी गोलमाल है, जवाब भी गोलामल है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था.....

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, यह प्रश्नकाल है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बूंदी के ग्रामों हेतु पेयजल योजना

409. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गांवों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने की नीति बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या बूंदी जिले की तालेड़ा पंचायत समिति के ग्राम बुधपुरा, सूथड़ा, लाम्बाखोह, राजपुरा, धनेश्वर, लक्ष्मीपुर एवं लाडपुर उक्त नीति के अन्तर्गत आते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि बूंदी जिले के उक्त गांवों के लिये उक्त नीति के आधार पर कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या यह सही है कि सूतड़ा, बुधपुरा, गोरधनपुरा, बडफू, लाम्बाखोह, राजपुरा में पीने के पानी की टंकियां बनाने की योजना काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त गांवों में इन टंकियों का कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री राजेन्द्र गहलोत) : (1) जी हां। विभागीय मापदण्डों के अनुसार 1500 से अधिक लेकिन 4000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों को पी. एण्ड टी. योजना द्वारा एवं 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को पाइप योजना द्वारा लाभान्वित करने की नीति है तथा उल्लेखित ग्राम उपरोक्त नीति के अन्तर्गत आते हैं।

(2) जी हां। ग्राम बुधपुरा पाइप्ड योजना जिसकी अनुमानित लागत 54 लाख रुपये है तथा ग्राम सूथड़ा की पम्प एवं टैंक योजना जिसकी अनुमानित लागत 12.85 लाख रुपये है, की योजनाएं बनायी जाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 22-7-98 को दी जा चुकी है। शेष ग्रामों की योजनाएं चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्धता एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार स्वीकृत की जानी संभव होंगी।

(3) ग्राम बुधपुरा की पाइप्ड जलप्रदाय योजना एवं ग्राम सूथड़ा, गोरधनपुरा एवं बडफू की पम्प एवं टैंक योजना दिनांक 22-7-98 को स्वीकृत की जा चुकी है। इन योजनाओं का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

ग्राम लाम्बाखोह एवं राजपुरा की जलप्रदाय योजना बनाने की प्रक्रिया में है जिनकी स्वीकृति तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धता अनुसार ही सम्भव होगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि लाम्बाखोह जिसकी आबादी 1991 के आधार पर 4887 है एवं राजपुरा जिसकी आबादी 1991 के आधार पर 3255 है, तो राजपुरा को पी. एण्ड टी. योजना में और लाम्बाखोह को पाइप्ड योजना में क्यों नहीं लिया गया?

आप खण्ड तीन में जवाब दे रहे हैं कि जलप्रदाय योजना बनाने की प्रक्रिया में है जिसकी स्वीकृति तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धता पर निर्भर करती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये गांव माडा योजना के हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं और जो आबादी फुलफिल करते हैं, तो फिर इन गांवों को क्यों नहीं लिया जा रहा है?

अभी जो चार गांव लिये, बुधपुरा, सूथड़ा, बड़फू और गोरधनपुर, ये चारों गांव भी माडा के थे जहां आदिवासी रहते हैं, उसके लिये तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। लेकिन राजपुरा और लाम्बाखोह में 70 प्रतिशत आदिवासी हैं, तो क्या उन लोगों को पानी देने की आपकी कोई योजना बनी हुई है? आपकी नीति में आते हैं तो उनको स्वीकृति देने में क्या तकलीफ हो रही है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाम्बाखोह और राजपुरा, दोनों गांव विभाग की नीति अनुसार योजना में आते हैं। जनसंख्या का आधार भी है और आदिवासी क्षेत्र भी है। इसका सर्वे भी है। तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति के लिये विभाग के पास प्रस्ताव है अतिशीघ्र स्वीकृत कर योजना का कार्य चालू किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आज कर दो ना, क्या दिक्कत है? आज स्वीकृत करने में क्या दिक्कत है? मंत्री महोदय, जब विचाराधीन है और आपके मापदण्ड पूरे करती है यह योजना तो ये गांव तो स्वीकृत कर दीजिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : धन्यवाद साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये + + + मंत्री हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अतिशीघ्र कर दिये जाएंगे। नीति में आ रहा है इसलिये अतिशीघ्र 15 अगस्त से पहले पहले स्वीकृत कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : कर दिये जाएंगे ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आज ही कर दो। थैंक्यू साहब। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-410

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा का आयोजन

411. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षाएं सिविल सेवा परीक्षाओं की भांति नियमित रूप से हों, इस संबंध में सरकार क्या कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार उक्त परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं होने के कारण इनमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा में और मिलने वाले अवसरों में छूट देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कार्मिक (श्री राजपाल सिंह शेखावत) : (1) जी नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं बहुधा नियमित रूप से ही आयोजित की जाती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी वर्ष विशेष में परीक्षा आयोजन से मुक्ति का प्रावधान भी नियमों में विद्यमान है।

(2) आयोग द्वारा परीक्षाएं समय पर ही करवाने के कार्यक्रम बनाये जाते हैं, परन्तु कभी कोई अपरिहार्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो परीक्षा स्थगित करनी पड़ जाती है। यदि किसी वर्ष आयोग द्वारा कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तो उन अभ्यर्थियों को जो उक्त परीक्षा में प्रवेश की पात्रता रखते थे, आगामी परीक्षा में, यदि अन्यथा पात्र हों तो, आयु सीमा में ही माना जाने का नियमों में प्रावधान विहित है। अभ्यर्थियों को मिलने वाले अवसरों में छूट का प्रश्न, अर्थात् निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन अवसर सीमा को समाप्त किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, गत 8 वर्षों से परीक्षा परिणामों की संदिग्धता के कारण योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया है और इस कारण वे लोग

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आयु सीमा पार कर गये। संदिग्धता का मेरा अर्थ यह है कि कभी तो परीक्षाएं स्थगित, कभी परीक्षा परिणाम स्थगित, कभी प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता भंग, कभी प्रश्नपत्र आउट और आउट भी क्यों नहीं होंगे? अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति को प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया गया जिसके पास खुद की प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। 1993 में और 1995 में जब इस प्रकार के अवसर आये तो आयु सीमा में तो छूट नहीं दी गई लेकिन विशेष अवसर उनको प्रदान किये गये। ठीक इसी तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1990 और 1992 में जब इस तरीके के अवसर मिले उनको, तो वहां आयु सीमा में छूट दी गई तो आपके माध्यम से मेरा पहला प्रश्न यही है, क्या सरकार जब भी परीक्षा एवं साक्षात्कार का समय तय करे तो इस सब बातों को देखते हुये समय तय किया जाएगा कि आइंदा इस तरीके से परीक्षा स्थगित करने या प्रश्न पत्रों के आउट होने की बात नहीं हो, और अगर किसी कारण से परीक्षा स्थगित होती है तो क्या सरकार आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है? नम्बर दो, क्या सरकार प्रारम्भिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक की तिथियां पूर्व में ही निर्धारित कर उनको घोषित करने का विचार कर रही है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा की कि नियमों के अन्दर आयु में रिलेक्सेशन नहीं दिया गया और सिर्फ अटैम्प्ट्स दिये गये। मेरे ख्याल से आज तक जब भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, इसमें नियम आलरेडी है। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती नियम, 1962 के अन्दर रूल 11 (बी) (9) स्पष्ट तौर पर कहता है—

"If a candidate would have been entitled in respect of his age to appear at examination in any year in which no such examination was held, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear in the next following examination."

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा अर्ज करना यह है कि.....

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैं पूरा अर्ज कर दूं। इस तरह के दो मामले इन्होंने बताये हैं। दोनों मामलों के अन्दर हमने एज में रिलेक्सेशन दिया है। एक नोटिफिकेशन जो हमने 15-5-93 को जारी किया, वह कहता है—

"Provided that a candidate who has already availed four chances before the change in the syllabus of scheme for examination (Notification no..................dated 3rd February, 1993) and who is otherwise eligible, shall be permitted one more chance at any of the examination to be held after the above-mentioned Notification."

एज के बारे में रिलेक्सेशन के लिये जैसे चर्चा पहले के कानून की, की है। रूल्स के अन्दर पहले से ही रिलेक्सेशन है उस एक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

साल का, अटैम्प्ट के अन्दर रिलेक्सेशन है। हमने न केवल आयु में रिलेक्सेशन दिया है बल्कि हमने अटैम्प्ट्स में भी रिलेक्सेशन दिया है। यह दोनों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 1987 से पहले आर. ए. एस. एग्जामिनेशन करने का पैटर्न डिफरेंट था, 1987 के बाद में हमने आई. सी. एस. के पैटर्न पर प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन करना शुरू किया। अगर हम 1987 से लेकर आज तक पर नजर डालें तो निश्चित रूप से यह कहेंगे कि प्रारम्भिक परीक्षा जिस साल में हुई है, जिस साल में होगी, निश्चित रूप से उसके नैचुरल कंसिक्वेंस में मेन एग्जाम भी होगा, नैचुरल कंसिक्वेंस में उसका इंटरव्यू भी होगा और रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी होगा। 1987 से लेकर इस स्कीम को बदलने के बाद 1987 में परीक्षा ड्यू टाइम में हुई, 1988 में ड्यू टाइम में हुई, 1989 में ड्यू टाइम में हुई, 1990 में ड्यू टाइम में हुई, 1991 में नहीं हुई। 1992 में हुई, 1993 में हुई, 1994 में नहीं हुई, 1995 में हुई, 1996 में हुई, 1997 में नहीं हुई, 1998 में अभी समय है। इस प्रकार से इस स्कीम के आने के बाद केवल तीन ऐसे अवसर हैं, जिन अवसरों पर हमने परीक्षाएं उस साल स्थगित कर दी हैं या उस साल हम परीक्षा नहीं करा पाये। उसके विभिन्न कारण रहे हैं। उन कारणों के भी रीजन रहे हैं, जैसा कि मैं बताऊं कि 1991 में एग्जाम इसलिये नहीं हो पाया, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि 1991 के अन्दर एक मांग उठी कि हमें एज में रिलेक्सेशन दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले केवल 31 साल अपर एज लिमिट हुआ करती थी, जिसके कारण लगातार यह मांग उठी और अपर एज लिमिट के अन्दर बदलाव करने का सरकार ने निर्णय लिया। उस निर्णय में देरी हुई। इस निर्णय में देरी के साथ साथ डी. ओ. पी. के अन्दर जितनी वेकेंसीज वेरियस डिपार्टमैंट से आती हैं, वह डी. ओ. पी. पहुंचने में कई बार देर होती है। डी. ओ. पी. उस रिक्विजिशन को आर. पी. एस. सी. को भेजता है। डी. ओ. पी. की रिक्विजिशन आर. पी. एस. सी. में जाने के बाद पोस्ट एडवरटाइज होती है और एडवरटाइज होने के बाद फार्म भरे जाते हैं। उसके बाद में एग्जाम प्रिलिमिनरी कंडक्ट किया जाता है। हमने रिक्विजिशन किया 1-10-91 को इन कारणों से, इसलिये 1991 में हम एक्जाम कंडक्ट नहीं कर पाये। 1994 में यही स्थिति हुई। 1993 में हमने फिर सिलेबस में बदलाव किया, सिलेबस में तब्दीली की। पैटर्न में तब्दीली की और स्कीम में परिवर्तन किया। लोगों ने कहा कि स्कीम नई बनाई है। अगर यह स्कीम पहले हुई होती तो हमारा भी चांस हुआ होता। यह डिस्पेरिटी पैदा हुई। यह डिस्पेरिटी पैदा हुई तो हमने उन लोगों को भी चांस दिया, जो यह मांग कर रहे थे और इस डिस्पेरिटी को हमने खतम करने की कोशिश की। हमने उन लोगों को एज में रिलेक्सेशन दिया, हमने उन्हें अटैम्प्ट में रिलेक्सेशन दिया। इस पूरी प्रक्रिया के अन्दर निर्णय सरकार ने किया 15-3-93 को। 15-3-93 को निर्णय हुआ और निर्णय के बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई। नई रिक्विजिशन आई डी. ओ. पी. के अन्दर और वह रिक्विजिशन डिले होती हुई हमारे यहां

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

20-10-94 को पहुंची, इसलिये 1994 में एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए।

इस प्रकार की स्थिति 1997 में पैदा हुई। 1997 के बारे में आपने अभी चर्चा की कि प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। इस स्कीम के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न पत्र आउट हुआ है, एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है।

मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि एक ही प्रेस थी या दो प्रेस थीं, यह मेरा काम भी नहीं। इसमें क्रिमिनल केस दर्जा हुआ है, चालान पेश हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, पर इतना ही बताना चाहता हूं कि 1997 के अन्दर प्रारम्भिक परीक्षा जो 1996 में उन्होंने ली थी, उसका शिड्यूल हमारे पास था। 27-7-97 को हमारा मेन एग्जामिनेशन होने वाला था। 28 तारीख को सुबह अखबारों में आया कि पेपर लीक हो गया और हमने परीक्षा स्थगित कर दी। स्थगित करने के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि हम 29-12-97 को ही यह परीक्षा आयोजित कर लें। फिर यह मांग उठी कि आई. सी. एस. का एग्जाम क्लैश करता है, आई. सी. एस. का मेन एग्जाम हो रहा था। आई. सी. एस. का मेन एग्जामिनेशन क्लैश नहीं होना चाहिए, राजस्थान के एप्लीकेंट्स को, राजस्थान के अभ्यर्थियों को आई. सी. एस. के अन्दर एग्जाम देने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए इसलिये इसका हमने एग्जाम (व्यवधान) आई. ए. एस. बोल लो। यह कभी आप आई. सी. एस. करते रहे, और कभी आई. ए. एस. करते रहे तो (व्यवधान) आजाद हिन्दुस्तान में भी आपने आई. सी. एस. किया है। (व्यवधान) लिहाजा जो परीक्षाएं 27-10-96 को हुई उसकी मेन परीक्षाएं 29-12-97 को होने वाली थीं। 1996 के अन्दर होने वाली परीक्षा का मेन एग्जामिनेशन 29-12-97 को हुआ। 29-12-97 को मेन एग्जामिनेशन हुआ 96 की प्रिलिमिनरी परीक्षा का, लेकिन निश्चित रूप से 1997 में हम एग्जाम नहीं करा पाये। साथ में जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि हमने उस स्कीम में परिवर्तन किया था, वहां मोडरेशन टैक्नीक को लेकर, स्केलिंग टैक्नीक को लेकर और नार्मेलाइजेशन टैक्नीक को लेकर लोग 1995 की परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट में गये हुए थे। जब तक हमारी मोडर्नाइजेशन टैक्नीक के बारे में, हमारी स्केलिंग टैक्नीक के बारे में, हमारी नार्मेलाइजेशन टैक्नीक के बारे में कोर्ट में निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोई भी नया एग्जाम कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं थी, कोई प्रोप्राइटी नहीं थी इसलिये 1997 में एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाये।

तीसरी बात, 1998 में एग्जाम हो गया है लेकिन यह सही है कि जिस प्रकार आई. ए. एस. एग्जामिनेशन हर साल शिड्यूल्ड होते हैं, तिथियां तय होती हैं, महीना तय होता है, उसी प्रकार आर. ए. एस. एग्जामिनेशन भी निश्चित रूप से हर साल में होना चाहिए। डी. ओ. पी. को इंस्ट्रक्शन दिये गये हैं, आर. पी. एस. सी. से भी कहा गया है कि अपना कलैण्डर बना लें। (व्यवधान) पूरी बात सुन लें, जवाब सुन लें आप। आपको जवाब मिलेगा। आपने कलैण्डर की बात कही है।

श्री अध्यक्ष : यह आपके मतलब की बात नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मांग की कि क्या सरकार इस प्रकार की नीयत रखती है कि आर. ए. एस. का एग्जाम शिड्यूल्ड टाइम में हो जाए। मेरी यह मान्यता है कि आर. पी. एस. सी. का न केवल आर. ए. एस. का एग्जामिनेशन बल्कि जितने भी प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं, उसका हर साल एग्जाम हो, उसका एक शिड्यूल्ड कलैण्डर हो, कलैण्डर जनता के सामने हो। इसलिये आर. पी. एस. सी. से भी कहा गया कि वह कलैण्डर बनाएं और मुझे खुशी है कि आर. पी. एस. सी. ने ऐसा कलैण्डर बनाया है। हमने यह भी व्यवस्था करने की कोशिश की कि डी. ओ. पी. और आर. पी. एस. सी. दोनों में इस प्रकार की कोर्डिनेशन हो कि यह जो कलैण्डर हमने बनाया है, यह कलैण्डर निश्चित रूप से हम आने वाले टाइम में इसको एप्लाई कर पाएं, इसको एग्जीक्यूट कर पाएं। 1999 से यह एप्लीकेबल हो पाएगा। 1998 के एग्जाम तो होने वाले हैं, 1998 के मेन एग्जामिनेशन दिसम्बर में ड्यू हैं, दिसम्बर में होने वाले हैं, कलैण्डर हमने बनाया है। राजस्थान स्टेट सबआर्डिनेट सर्विसेज कम्बाइन्ड काम्पीटिशन एक्जामिनेशन के लिये हम चाहते हैं कि अप्रैल के महीने तक डी. ओ. पी. जितनी भी वेकेन्सीज, जितनी भी रिक्वायरमैंट है हमारी, वह रिक्विजिशन भेज दे आर. पी. एस. सी. को। मई के महीने में.....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह सवाल नहीं है साहब.....(व्यवधान) मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आप बोलें, मैं जवाब दूंगा। आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। आपके प्रश्न के जवाब के बाद कोई और पूरक प्रश्न होगा, उसका जवाब देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब आप शांत रहें। शांत रहें, शांत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि आर. ए. एस. के एग्जामिनेशन प्रति वर्ष नियमित रूप से कण्डक्ट किये जाएं। इसके लिये अप्रैल के माह तक डी. ओ. पी., आर. पी. एस. सी. को अपनी रिक्विजिशन इनवेरियेबली भिजवा दे। अप्रैल के माह तक डी. ओ. पी. के अन्दर वेरियस डिपार्टमैंट रिक्विजिशन नहीं भेजते हैं तो उस साल के एग्जामिनेशन में वह इनकोरपोरेट नहीं करेंगे, उसको अगले साल में इनकोरपोरेट करेंगे। अप्रैल के महीने के अन्दर डी. ओ. पी. अपनी रिक्विजिशनं को आर. पी. एस. सी. भेज दे, मई के महीने में आर. पी. एस. सी. उसको नोटिफाई करे, एडवर्टाइज कर दे, सितम्बर के महीने के अन्दर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम कर लें और जनवरी के महीने, अगले साल के जनवरी महीने के अन्दर हम मेन एग्जामिनेशन भी कर दें, इस प्रकार की व्यवस्था न केवल आर. ए. एस. के लिये करने का प्रयास किया गया है बल्कि इस प्रकार की व्यवस्था सभी उन एग्जामिनेशंस में जो रेगुलरली आर. पी. एस. सी. कण्डक्ट करती है, उन सबका कलैण्डर हमने बनाया है। डी. ओ. पी. को उसके लिये ताकीद कर दिया गया है कि डी. ओ. पी. यह रिक्विजिशन प्रेस्क्राइब्ड कलैण्डर के साथ में भेज दे। आर. पी. एस. सी. और डी. ओ. पी. के बीच में कोआर्डिनेशन बेहतर बनाया जाए, इसकी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लगातार व्यवस्था करने की चिंता सरकार ने करने की कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा शुरू में ही बड़ा पाइंटेड सवाल था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1990 में और 1992 में जब भी इस तरीके के अवसर आये, आयु सीमा में छूट दी, नम्बर एक। क्या सरकार उस बात को फॉलो करते हुये इस प्रकार के अवसर जब भी आते हैं उनमें आयु सीमा में छूट देने को तैयार है? और नम्बर दो, मेरा बहुत पाइंटेड सवाल है.....

श्री अध्यक्ष : नम्बर दो फिर पूछ लेना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने इतना लम्बा-चौड़ा इतिहास बता दिया, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था आपसे कि प्रारम्भिक..... (व्यवधान) किशनारामजी, बैठ जाओ, आपके बस की बात नहीं है, पढ़ाई-लिखाई की बात है।

दूसरा सवाल मेरा बहुत पाइंटेड है, आपने कहा कि कलैण्डर बना दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, सिर्फ इतना-सा बताने का कष्ट करें कि प्रारम्भिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक का समय आप पहले निर्धारित कर देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो ये दो सवाल हैं मेरे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं बताया है, साहब, प्रारम्भिक परीक्षा वाला नहीं बताया है। प्रारम्भिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक का समय, यह नहीं बताया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़। बोलिये न, आप बोलिये। उनको बुलवाऊंगा, मैं बुलवाऊंगा। पहले आप बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा किया कि आपने एक कलैण्डर बनाया। कलैण्डर बनाने से क्या है कि जो भी पार्टिसिपेट एग्जाम में करना चाहते हैं उनको पता लग जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : वैसे उत्तर बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट उत्तर है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जामिनेशन कण्डक्ट करती है, आपका कलैण्डर उनसे क्लैश नहीं करे? पिछले कई वर्षों में ऐसी स्थिति आई है कि लड़का वहां के भी एग्जाम देना चाहता है, यहां का भी देना चाहता है। तो, मान्यवर, अपना कलैण्डर बनाते समय क्या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनकी भी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि उनमें कोई टकराव नहीं आएं?

श्री अध्यक्ष : कह दिया। (व्यवधान) एक और सुन लें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष : हां, लक्ष्मण सिंहजी को पुकारा है। कृपया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 1997 जुलाई में एक ही पर्चा आउट हुआ था, दो पर्चे हिन्दी और अंग्रेजी के आउट हुये थे। मैं यह स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं कि जो पिछले वर्षों के अन्दर आर. पी. एस. सी. की प्रतिष्ठा गिर रही है और जो पूरा कलैण्डर डिस्टर्ब हो गया है, आपने जो पर्चे आउट हुये, उसके पश्चात् क्या-क्या त्वरित कार्यवाही की गयी, क्या ठोस कदम उठाये गये? क्या अकाउंटेबिलिटी आपने फिक्स की है किसी की?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अभी गवर्नमैंट सर्वेन्ट्स की 58 साल से 60 साल उम्र कर दी गई है और अब तक चालीस साल का गवर्नमैंट सर्वेन्ट आर. ए. एस. के एग्जामिनेशन में बैठ सकता था, क्या माननीय मंत्रीजी उनके भी दो साल बढ़ा कर के 42 साल तक बैठने की इजाजत देंगे? यह जानना चाहता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : श्री मदान। श्री अर्जुनदास मदान। बिराजें, बैठें।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरां आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक छोटा-सा सवाल है कि जब भी वैकेंसीज का निर्धारण होता है, 1996 के बाद से आज तक, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वे व्यक्ति जो क्रमोन्नत होकर आज आई. ए. एस. में आ चुके हैं उनकी डी. पी. सी. पिछले दो वर्षों में हुई नहीं, तो निर्धारण कैसे कर पायेंगे आप? 1996 से लेकर 1998 तक 29 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी क्रमोन्नति होकर पदोन्नति हो जानी चाहिए थी, उनकी पदोन्नति नहीं हुई और जब उसका पूरा आकलन ही नहीं कर पाएंगें तो उसका निर्धारण कैसे होगा, इसका मुझे उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। मंत्री महोदय।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आर. पी. एस. सी. के द्वारा जो आर. ज़े. एस. की परीक्षा कण्डक्ट की जाती है उसके अन्दर बहुत लम्बे अरसे से एस. टी., एस. सी. के लोगों का आपने बैकलॉग पूरा नहीं किया है। आप हमेशा यही कर कर उस बैकलॉग को बढ़ाते जाते हो कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं और न ही आपने कैरी फारवर्ड का रूल इसमें लागू किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि जो ईमानदार लोग हैं, आर. पी. एस. के अन्दर जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है.....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(12)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ईमानदार लोग तो आते नहीं है और पैसे खा-खा कर उनको आप ले लेते हैं, यह घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है आपका इसमें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर. जे. एस. के अन्दर एस. टी., एस. सी. के लोगों का कैरी फारवर्ड के द्वारा भी.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, यह सवाल अलग से है। माननीय सदस्य, बिराजें। बिराज जायें। मंत्री महोदय।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक.....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने मंत्री महोदय को पुकार लिया। अब आप बिराजें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आयु सीमा की चर्चा की। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब भी परीक्षाएं किसी भी कारण से किसी पर्टीकुलर ईयर में कण्डक्ट नहीं होती हैं तो रूल में बहुत स्ट्रेट प्रोवीजन्स हैं कि उस साल के अन्दर या जब नेक्स्ट एग्जामिनेशन हम कण्डक्ट कराएंगे उस नेक्स्ट एग्जामिनेशन के अन्दर बैठने वाले परीक्षार्थी की उम्र के अन्दर एक वर्ष का रिलेक्सेशन मिल जाएगा। यह पहले से प्रोवीजन है, नये प्रोवीजन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जहां तक आयु सीमा में और वृद्धि का प्रश्न है, दो साल बढ़ाने पर की गई है, यह सरकार के विचाराधीन है। निश्चित रूप से उस पूरे मामले को एग्जामिन करके जिस प्रकार की जरूरत महसूस होगी, उस चीज का भी ख्याल रखेंगे। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आई. सी. एस. एग्जामिनेशन या नेशनल लेबल के ऊपर कोई मेजर एग्जामिनेशंस जो होते हैं उन एग्जामिनेशंस की डेट्स में क्लेश नहीं हो। इसको देख कर कलैण्डर बनाया गया है, इसीलिये स्पेसिफिक डेट की बात कर रहा था। मैंने कहा यदि प्रारम्भिक परीक्षा किसी की एक साल में हो जाती है तो कलैण्डर इज मेन्टेन्ड। मेन एग्जामिनेशन, उसका इन्टरव्यू, इन्टरव्यू के बाद उसके रिजल्ट का आना, उसके बाद अपाइंटमैंट का मिलना, यह नेचुरल बाई प्रोडक्ट है। बेसिकली यह स्टिक करना पड़ेगा। हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जहां से एग्जामिनेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं वह कलैण्डर हम स्टिक करें, इसीलिये हमने अप्रैल का महीना तय किया है, जब आई. ए. एस. के एग्जामिनेशन उससे क्लेश नहीं करें और मेजर जितने भी सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट के एग्जामिनेशंस हैं वे भी। इसीलिये पूरा ध्यान में रख कर बनाया गया है कलैण्डर, कि हमारे राज्य के अभ्यर्थियों को पूरे देश के अन्दर मिलने वाले चांसेज को अवेल करने में कोई तकलीफ न हो। बिना तकलीफ के साथ में सारा कलैण्डर बनाने की व्यवस्था करने की कोशिश की गई है।

जहां तक बैकलॉग का सवाल आपने कहा है, उस बैकलॉग का आर. पी. एस. सी. से कोई ताल्लुक नहीं है। (व्यवधान) आर. पी. एस. सी. से कोई ताल्लुकात नहीं है। कई मामलों में हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से आपकी राय से मेरी राय मिलती हो। वह राय मिल सकती है लेकिन आर. पी. एस. सी. का तो काम इतना सा है कि जो रिक्विजिशन पोस्ट की हम भेजते हैं उसमें कौन-कौन से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लोग क्वालिफाई करते हैं, कौन कॉम्पीट करके उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, वहीं तक इसकी व्यवस्था है।

जहां तक आपने कहा, पेपर लीक एक नहीं, दो हुये थे या तीन हुये थे या प्रिंटिंग प्रेस बदली या नहीं बदली, तो इसमें पेपर लीक होने के भी क्रिमिनल केस हुये हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स किस लेवल पर हुई, इसके ऊपर इन्क्वायरी कमेटी बना दी। उसकी जो रिकमण्डेशंस आई, उन रिकमण्डेशंस के हिसाब से उसमें जितने अमैण्डमैंट करने चाहिए थे वह अमैण्टमैंट हमने किये हैं। जो बदलाव करना चाहिए, तब्दीली करनी चाहिए, कि किस प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था होनी चाहिए, कौन-सी प्रिंटिंग प्रेस वाला होना चाहिए, एक होना चाहिए या दो होने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसीलिये 1998 में पेपर लीक नहीं हुए। माकूल व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस एग्जामिनेशन की एक सैंक्टिटी है। यह न केवल एम्प्लायमैंट देने का जरिया है बल्कि इन परीक्षाओं की अपनी एक सैंक्टिटी है। सैंक्टिटी मेन्टेन करने के लिये आर. पी. एस. और सरकार के लेवल पर जितनी भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने की पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है, उसकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। (व्यवधान)

आपने यह भी कहा है कि इसमें क्या हुआ। मैंने बताया कि यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। 14 आदमी इसमें गिरफ्तार हुये, दो आर. पी. एस. सी. के कर्मचारी भी गिरफ्तार हुये, चालान पेश हो गया है। कानून अपना काम कर रहा है। इसके अन्दर आर. पी. एस. सी. हालांकि कुछ आगे नहीं कर सकती, क्रिमिनल केस के बाद आर. पी. एस. सी. कुछ कर सकती है। पूरी व्यवस्थाओं को देख कर के मुख्य प्रश्न यही है कि किस प्रकार से आर. ए. एस. के एग्जाम्स की सैंक्टिटी को प्रिजर्व किया जाए। मुख्य प्रश्न यही है कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को हर साल इस चयन की सुविधा मिले। परीक्षाएं हर साल हो जाएं, परीक्षाएं हर साल होने के बाद बिलकुल एक शिड्यूल सा उसके सामने मिले, एक क्रिस्टल क्लीयर प्रफोर्मा उसकी आंखों के सामने होना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से हम इस काम में सफल होंगे, अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर ये व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और कर देगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री परसादी लाल।

जिला दौसा में सुनिश्चित रोजगार योजना पर व्यय

412. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना की वाटर शैड की राशि का अब तक सदुपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो कितनी राशि का? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(14)

(श्री परसादी लाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार द्वारा वाटर शेड कार्यक्रम को लागू करने के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार वाटर शेड का कार्यक्रम लागू किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 3.9 के अनुसार दौसा जिले में 40 प्रतिशत राशि जल एवं भू-संरक्षण, वृक्षारोपण, कृषि उद्यान एवं चरागाह प्रवृत्ति के कार्यों पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान दौसा जिले में इस योजना के अधीन ब्लॉकवार स्वीकृतियों/व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। स्पष्टतया इस वर्ष में वाटरशेड कार्यक्रमों पर व्यय योजना के उद्देश्यों के अनुरूप होने की स्थिति बन गई है।

(2) जी, हां। भारत सरकार द्वारा वाटरशेड कार्यक्रम लागू करने के लिये जारी दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, हां।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(दिशा निर्देश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, जो धनराशि दौसा जिले में विभिन्न पंचायत समितियों, उप समितियों को पिछले चार साल में आबंटन हुई उसमें दौसा में 153.98 लाख में से केवल 5.36 लाख खर्च की गई है, लालसोट में 120 लाख में से 5.36 लाख खर्च की गई है, बांदीकुई में 40 लाख में से 17 लाख खर्च की गई है और सिकराय में भी यह पोजीशन है, 118 लाख में से 21.51 लाख खर्च की गई है। तो, माननीय मंत्री जी, जिन पंचायत समितियों में धनराशि खर्च नहीं की गई है, जैसे कि दौसा और लालसोट में 1998-99 में धनराशि नहीं दी गई। चार साल से यह वाटरशेड की योजना चालू है, आपके अधिकारी, आपका विभाग अभी इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि चार साल से इस धनराशि का जो भारत सरकार के डी. आर. डी. ए. में जमा है, विभिन्न पंचायत समितियों के कोटे का उपयोग नहीं होने के क्या कारण हैं? आपने कौन-कौन सी परियोजनाएं पिछले चार साल में बनाई? बनाई या नहीं बनाई? जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमने लालसोट, दौसा में 5 बनाई, 6 बनाई, इस तरह जो योजनाएं बनाई और पैसा खर्च नहीं हुआ इसके क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि आपकी जो मार्गदर्शिका है उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पानी के संग्रहण को दी गई है? पीने का पानी जहां पर नहीं हो, क्या आप खेत में डोल बांध कर पीने का पानी उपलब्ध करा देंगे? बंजर भूमि विकास के लिये भी आपको अधिकृत किया गया है लेकिन आप सिर्फ खेत के डोले

(श्री परसादी लाल मीणा)

जो बन रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं। इससे जल ग्रहण विकास में भारत सरकार जो पैसा दे रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें अपने डी. आर. डी. ए. के अधिकारियों को बुला कर उनको कहें कि बंजर में, चरागाह में, सिवायचक में जो नालें, नदियां हैं उनको छोटे-छोटे एनीकट बनाकर जल ग्रहण करें जिससे पानी का वाटर लेवल बढ़े.....

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण न दें, माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल मीणा : पीने का पानी मिले तथा यह राशि खर्च क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : भाषण न दें, भाषण।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि राशि खर्च क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, भाषण को मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं कि धनराशि खर्च क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से कोई सवाल उत्पन्न हुआ हो, तो आप पूछ लीजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं यह पूछ रहा हूं कि यह धनराशि खर्च क्यों नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में भाषण नहीं दिया जाता।

श्री परसादी लाल मीणा : प्रश्न ही पूछ रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष : हां, प्रश्न पूछिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : यह धनराशि खर्च नहीं होने के क्या कारण हैं ? और आगे इस धनराशि को खर्च करने के लिये आप अधिकारियों को क्या निर्देश देने जा रहे हैं ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत 50% राशि वाटरशेड कार्यक्रमों के अन्दर खर्च की जाती है उसमें उन्होंने कुछ दूसरे काम भी प्रेस्क्राइब्ड कर रखे हैं। उस एरिये के अन्दर छोटे स्कूल के भवन का निर्माण.....

श्री परसादी लाल मीणा : आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा जोर से बोलें, मंत्री महोदय।

श्री अनंग कुमार जैन : छोटे स्कूल के भवनों का निर्माण, 50% राशि उसके अंदर खर्च की जाती है। यह सही है, जैसा माननीय सदस्य का कहना है, कि अधिकांश क्षेत्रों के अंदर इस योजना के प्रति आम जनता में, जन प्रतिनिधियों में कोई रुचि दिखाई नहीं दी। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से लगातार प्रयास किये कि राजस्थान प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये और यहां की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता को देखते हुये इसके अंदर हमको रिलेक्सेशन दिया जाए। जो पैसा इसमें काम आ सके उसके अलावा दूसरी जो आवश्यकताएं पूरी करनी हैं जैसे गांवों को सड़कों से जोड़ना जो यहां की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है उनके अंदर भी इस पैसे को डाइवर्ट करने के लिये दिया जाए। लेकिन

(श्री अनंग कुमार जैन)

भारत सरकार ने लगातार प्रयास के बावजूद भी सिर्फ एक वर्ष के लिये इस पैसे में से डाइवर्शन करने का अधिकार हमको दो साल पहले दिया था। उस वर्ष काफी बड़ी मात्रा में पैसा सड़कों के निर्माण में लगा। उसके बाद भारत सरकार द्वारा इस मार्गदर्शिका के सिद्धान्त हैं उनसे हटने के लिये स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, आम जनता की भी रुचि इसमें बहुत कम है और हमारे चुने हुये जनप्रतिनिधि भी इस योजना को बहुत अधिक क्रियान्वित करने में रुचि नहीं रखते हैं इसलिये राज्य सरकार ने इस बात के प्रयास किये, जगह-जगह पर इस बात की ट्रेनिंग देने की कोशिश की, इसके महत्व को समझाने की कोशिश की और उस महत्व के आधार पर धीरे-धीरे लोगों का मानस बनाया कि इस योजना के जो फायदे हैं, उन फायदों के आधार पर इस योजना को प्राथमिकता से लिया जाए। जल ग्रहण विकास के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में निहित औपचारिकताओं यथा परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन, उपभोक्ता समूह, स्वयं सहायता, समूह वाटरशेड रजिस्ट्रेशन, वाटरशेड समिति का गठन, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण तथा सामुदायिक संगठन इत्यादि के कार्यों को पूर्ण करने में पर्याप्त समय लगा। परिणामस्वरूप वाटरशेड कार्य हेतु स्वीकृत राशि का अन्य कार्यों हेतु यथा जल संरक्षण, प्राथमिक शाला भवन निर्माण इत्यादि पर व्यय किया गया। यह मैंने मूल रूप से कारण बताया। अब हमने इसके जो अधिकार राजस्थान सरकार की परिसीमा में आते थे उसके आधार पर इसको पंचायतों को भी बनाने के लिये अधिकृत किया है। छोटे-छोटे ब्लॉक्स बना कर, ढाई सौ बीघा, पांच सौ बीघा के ब्लॉक बना कर उसके अंदर इसको डवलप करने के लिये अधिकार दिये। ये सब अधिकार इसलिये दिये, क्योंकि लोगों की रुचि नहीं थी और इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं हो रहा था। इसकी मार्गदर्शिका के जो नीति निर्देशक सिद्धान्तों और भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन हो जाए और उस पैसे का सदुपयोग भी हो जाए इसलिये इस योजना को और अधिक तेजी से गति में लाने के लिये और कार्य रूप में परिणत करने के लिये यह किया है। अब वातावरण राजस्थान प्रदेश के अंदर धीरे-धीरे लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर और जन प्रतिनिधियों के अंदर यह बना है। कुछ-कुछ जगह जहां यह योजना लागू है वहां बहुत अच्छा काम हुआ और उस काम के आधार पर वहां के लोगों ने यह महसूस किया कि इसका फायदा मिलता है, तो अब इसके बारे में मन में भी इसके प्रति वातावरण बन रहा है कि इसके ऊपर प्रयास किये जाएं और इस योजना में जो पैसा खर्च हुआ है, और अधिक पैसा खर्च किया जाए। यह जरूर राजस्थान सरकार ने नहीं किया कि इस पैसे को किसी भी प्रकार से लगाना है चाहे उसका उपयोग हो या अनुपयोग हो। इस बात का जरूर राजस्थान सरकार ने ध्यान रखा कि जो पैसा लगे उसका वास्तविक फायदा ग्रामीण जनता को मिले और योजना के उद्देश्य की भी पूर्ति हो। माननीय सदस्य से यह.....

श्री हरिसिंह (महुआ) : इनका हमारे प्रश्न से कोई रिलेवेंस नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके क्षेत्र में कोई इस प्रकार की योजना हो जो आपने भेजी हो और जो लम्बित हो, समय से उसमें स्वीकृति जारी नहीं की गई हो तो मैं व्यक्तिगत रुचि लेकर उसको स्वीकृत भी करवाऊंगा और मान लीजिये, किसी अधिकारी स्तर पर या कहीं सरकारी स्तर पर उसमें लैप्स हुआ है तो उसके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मंत्रीजी, दौसा जिले में आश्वासित रोजगार योजना का 40% पैसा वाटरशेड स्कीम के लिये खर्च करने का प्रावधान था। अब वाटरशेड स्कीम में चार प्रवृत्तियां हैं, ये 40% जो पैसा आपको मिला उसको चार प्रवृत्तियों पर आपको खर्च करना था वाटरशेड मतलब भू-संरक्षण, वृक्षारोपण, फलोद्यान और चरागाह बंधों पर। यह जो आपने यहां जवाब दिया है, जो खर्चा दिखाया है दौसा में 5 लाख 36 हजार, लालसोट में 5 लाख 36 हजार, बांदीकुई में 17 लाख, सिकराय में 21.51 लाख, महुआ में 15.36 लाख, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि इन चारों प्रवृत्तियों में से आपने यह पैसा किन-किन प्रवृत्तियों पर खर्च किया है। नम्बर एक, एक तो यह स्पष्ट आप बता दें।

दूसरा यह है कि आपकी वाटरशेड की जो स्कीम है उसका लक्ष्य तो यह है कि खेत का खेत में, खूंड का पानी खूंड में और गांव का पानी गांव में, क्या इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये विभाग कुछ कार्यवाही कर रहा है या करने जा रहा है? या किस प्रकार की योजनाएं बना रहा है?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से अभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया और वही बात माननीय फरमा रहे हैं कि क्या योजना है और क्या उद्देश्य है। वास्तव में.....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने यह पूछा है कि फलोद्यान पर कितना खर्च हुआ, वृक्षारोपण पर कितना खर्च हुआ और भू-संरक्षण पर कितना खर्च हुआ, यही मेरे को बता दें। हमको यह स्पष्ट नहीं है। आपने लम्पसम में पैसा दे दिया और चार प्रवृत्तियां चल रही हैं, अब चार प्रवृत्तियों में से किस प्रवृत्ति में कितना पैसा किस पंचायत समिति में खर्च किया गया है, यह जवाब दे दें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि अव्वल तो पैसा ही बहुत कम खर्च हुआ है। जो पैसा खर्च हुआ है वह भी जल रक्षण ढांचों के निर्माण, शाला भवन निर्माण इत्यादि में लगाया है। हम सारा ही पैसा खाली उसमें ही नहीं लगाते, इसमें से भी उस एरिया में यदि कोई शाला भवन होता है, कोई छोटा-मोटा रोड़ होता है जो उस वाटरशेड तक जाने के लिये जरूरी होता है तो उसमें भी पैसा हम खर्च करते हैं। मैंने स्वयं ने निवेदन किया, माननीय सदस्य मुझे एक भी ऐसी योजना नहीं बता सके पूरे जिले में। यह दौसा जिले में ही

(श्री अनंग कुमार जैन)

नहीं है पूरे राजस्थान में हर जिले में 40 से 50 प्रतिशत पैसा इस योजना में हमको खर्च करना पड़ता है, भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। यह दौसा जिले का ही सवाल नहीं है, राजस्थान के अधिकांश जिलों में इस पैसे का बहुत अधिक उपयोग नहीं हो पाया है। मैं तो आज भी माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि आपने कोई दो योजनाएं भी पंचायत समिति के माध्यम से भिजवाई हों, आपने डी. आर. डी. ए. को दी हों, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, दूसरी बार चुनकर आये हैं, तीसरी बार चुनकर आये हैं, पिछले 8 सालों में आपने कोई योजना दी हो, 6 साल में कोई योजना दी हो, एक योजना तो आप ही बता दो मुझे कि यह योजना हमारी मंजूर नहीं हुई। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं.....

श्री अध्यक्ष : आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस योजना को सफल बनाने के लिये जिम्मेदारी निभाएं, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक भी योजना की कार्यान्विति नहीं हुई और जो भी पैसा आया है वह दूसरी मद में खर्च कर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पैसा खर्च नहीं किया। मंत्री महोदय की निष्क्रियता से यह विभाग भी निष्क्रिय हो रहा है। मंत्री महोदय स्वयं निष्क्रिय है तो विभाग को भी निष्क्रिय कर रखा है, मैं आरोप लगाता हूं, मंत्री महोदय, आपके ऊपर।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। माननीय अधयक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने एक बात अभी कही कि इस योजना के अंदर जनप्रतिनिधि और गांव के लोग सहयोग नहीं कर रहे, रुचि नहीं ले रहे, यह बात सही नहीं है। हमारे निवाई में जो योजनाएं इन्होंने दी हैं उनको हम लोगों ने मौके पर जाकर जगह-जगह गांव में और उन ट्रेन्चेज में जाकर देखा है, बहुत अच्छी योजना है। हमने उसमें कुछ सुझाव दिये हैं। एक योजना अभी हमारी चयनपुरा की मंजूर हुई है। उसमें मेरा निवेदन करना यह है कि हमारे निवाई में रेता बहुत है और बरसात ज्यादा हो जाए तो पानी का बहाव बहुत हो जाता है और बहुत ज्यादा हो जाने पर फिर दगरे पड़ जाते हैं। एक गांव में मैंने मौके पर अफसर को ले जाकर दिखाया कि ये दगरे पड़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उन्होंने वहां पर डोलियां लगवाई लेकिन उससे दगरा वहां तो मिटा नहीं दूसरी जगह और हो गया तो उसमें पुख्ता इंतजाम कराने की बात करें। दूसरा, जो मैंने सुझाव दिया था कि निवाई की पहाड़ के पीछे ऐसी स्थिति है कि..... (व्यवधान) दूसरे काम के होने की योजना बहुत आवश्यक है, कोई योजना बनकर नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए कृपया। श्री बैरवा साहब, जो आपने कहा है, मेरी समझ में नहीं आया उनकी समझ में कैसे आएगा? इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मुझे तो आप टोकने में लगे रहे बराबर, आपके समझ में क्या आएगा, मंत्री जी को समझना है वह तो। आप तो निवाई के पीछे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अधयक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, मंत्री जी कृपया ध्यान देवें। इस योजना की एक प्रवृत्ति में फलोद्यान है। अध्यक्ष महोदय, तहसील लालसोट आम की फसल के लिये पिछले बहुत लंबे समय से प्रसिद्ध है। तहसील सिकराय में सिकराय और भांडारेज के आस-पास का जो एरिया है वह फलोद्यान के लिये प्रसिद्ध है। तहसील महुआ फलोद्यान के लिये बहुत फर्टिलिटी में है। आज आंवले की विश्वव्यापी मांग हो गई, आज आम की विश्वव्यापी मांग हो गई। क्या वहां के किसानों को लाभान्वित करने के लिये इस फलोद्यान योजना के तहत आपने इस प्रवृत्ति को लागू करने के लिये कोई प्रयास किया है?

श्री रामस्वरूप मीणा : आम की फसल हमारे टोडाभीम में भी बहुत होती है, बहुत अच्छा अचार बनता है। सब जगह प्रसिद्ध है, सारे राजस्थान में और इण्डिया में। क्या आप वहां भी व्यवस्था कर रहे हैं इसके बारे में कुछ?

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने निवेदन किया था आपके माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष : बिराजें। नैक्स्ट। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : प्रश्न संख्या 413.

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री जी के पास जवाब नहीं है? यह तो कह दीजिए, जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दे दिया, जवाब आ गया।

श्री परसादी लाल मीणा : जवाब कोई है इसको खर्च करने का, अध्यक्ष महोदय? मैंने पूछा है, इसको खर्च करने के लिये भारत सरकार से हमको जो मिलने वाली धनराशि है वह लैप्स नहीं हो, इस साल लैप्स हो गई। लालसोट और दौसा का.....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ रहा है, माननीय सदस्य को चुप कर दें।

श्री परसादी लाल मीणा : आप खर्च नहीं कर रहे हैं पैसा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : जिले से संबंधित मामला है।

श्री परसादी लाल मीणा : उसके खर्च करने के लिये आप क्या योजना बना रहे हैं?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मंत्री महोदय का स्पष्ट जवाब नहीं आया, कृपया जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाएं। नहीं, खर्च करने का क्या प्लान है?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि पंचायत समिति में यह पैसा जाता है.....

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, पंचायत समिति में नहीं जाता है, डी. आर. डी. ए. में जाता है।

श्री अध्यक्ष : डी. आर. डी. ए. से जाता है। डी. आर. डी. ए. एग्जीक्यूट करती है

(श्री अध्यक्ष)

इसको। उसमें आप लोग रुचि लें, आप मैम्बर हैं इसके, उस योजना को सफल बनाएं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : हम तो रुचि लेते हैं, यह विभाग ही निष्क्रिय पड़ा है। हम तो बहुत रुचि लेते हैं। मंत्री जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि रुचि नहीं ले रहे हैं, हम तो बहुत रुचि लेते हैं। हम तो चाहते हैं यह पैसा और मद में खर्च न हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। (व्यवधान) इनका यह विभाग बिलकुल निष्क्रिय पड़ा है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो रुचि ले रहे हैं जो हमारी योजनाएं बनाई वे क्यों नहीं भेज रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, आज तक एक पैसा खर्च नहीं हुआ है इस मद में, घोटाले हो रहे हैं। कोई एक पैसा खर्च नहीं हुआ है इस मद में। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, रुचि तो बहुत लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। विभाग के अधिकारी बराबर सूचनाएं नहीं देते हैं और गांव से जाकर कमेटियां बनाते हैं, वह कमेटियां गलत ढंग से गठित कर लेते हैं जाकर चुपचाप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाएं। इस सवाल को आगे चलाना चाहते हैं, तो आप बिराज जाएं। एक मिनट, बिराजें। श्री हरजीराम बुरड़क, पाइंटेड।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस योजना में लोगों की रुचि नहीं है, इसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आपने अभी स्वीकार किया है कि भारत सरकार को मैंने बार-बार लिखा है कि इस योजना को बदला जाए। क्या उसके साथ आपकी जो प्रोग्रेस है वह भेजी है? दूसरा सवाल मेरा यह है, मैंने पहले भी यह बात कही थी, उस दिन मंत्री महोदय इनकार कर रहे थे, कि जितने पैसे आपके पास पड़े रहे दूसरी किश्त में भारत सरकार ने वह पैसे काट लिये। तीसरा सवाल मेरा यह है कि आप इस पैसे को खर्च नहीं कर ब्याज कमा रहे हैं और उस ब्याज वाली राशि को मनचाहे खर्चों में खर्च कर रहे हैं जैसे डी. आर. डी. ए. में तरह-तरह के फर्नीचर हैं, कूलर हैं, टी. वी. हैं और हैं। सारे पैसे को आप जानबूझकर यहां रखना चाहते हैं और उसके ब्याज से आप मनचाहे खर्चा कर रहे हैं। जवाब दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कतई भी इस पैसे को यहां नहीं रखना चाहती। मैंने स्वयं ने प्रत्येक माननीय सदस्य को जो मार्गदर्शिका लैटर तैयार किये हैं, उसकी कापी भिजवाई है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, मैं उन पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा लेकिन यदि उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ने से माननीय सदस्यों को योजना तैयार करवाने में काफी सहूलियत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि डी. आर. डी. ए. स्वयं कोई योजना एग्जीक्यूट नहीं करती। जैसा अभी आपने फरमाया कि डी. आर. डी. ए. करती है, यह कार्य या तो भू-जल ग्रहण विभाग के माध्यम से करवाया जाता है या फिर इसी वर्ष लेटेस्ट

(श्री अनंग कुमार जैन)

पंचायतों को इसका अधिकार दिया है, क्योंकि हम स्वयं इस नतीजे पर पहुंचे कि इस पैसे का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। क्या यह ज्यादा अच्छा होता कि मैं इस हैड में किसी भी प्रकार से पैसा खर्च करके यहां आंकड़ों में पेश कर देता कि 180 लाख में 3 लाख रुपये बचे और 177 लाख खर्च हो गये?। वह ठीक था? उससे कुछ लोगों का हित साधन हो सकता था लेकिन यह राज्य सरकार जो गरीबों के विकास के लिये बनी हुई है, यह कभी इस बात को प्रोत्साहित नहीं करेगी और कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि राज्य सरकार का करोड़ों रुपयों चाहे वह भारत सरकार से आता हो, कुछ लोगों के साधन के लिये उसको खर्च कर दिया जाए और उसका फायदा वास्तविक व्यक्ति को नहीं मिले। राज्य सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि जो वास्तविक लोग हैं, जिनके विकास के लिये योजनाएं बनी हैं, उनके विकास के लिये ही इस योजना का पैसा खर्च हो और यदि नहीं खर्च होता है तो वह पैसा यहां हैं। मैं आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तत्काल योजनाएं बनाकर भेजें, मैं 15 दिन में अपने स्तर पर उसको स्वीकृत करा कर कार्य प्रारम्भ करा दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह कोई बात है क्या? एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शुरू से लेकर आज तक, मंत्री महोदय, हम पूछते क्या हैं, इनका उत्तर एक ही होता है कि वह मार्गदर्शिका पढ़ लो, यह पढ़ लो। हम कोई क्लास में नहीं आये हैं जो आप मार्गदर्शिका हमको पढ़ाना चाहते हो। आपसे ज्यादा पढ़ी है मार्गदर्शिका, आपको कोई ध्यान तो है नहीं। हमने पूछा क्या और आपने उत्तर क्या दिया?

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, गलत बातों पर हां भर लूं? आप जो भी गलत सवाल पूछो उसकी हां भर लूं, जब तो मुझे सब ध्यान है और यदि मैं सही जवाब देता हूं तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। अगर मैं सही हां भरता हूं, सही जवाब देता हूं तब तो मुझे ध्यान है। माननीय सदस्य जो पूछें उसकी हां भर लूं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : हम तो बता ही सकते हैं न, योजना बनाकर तो इनके अधिकारी भेजेंगे मंजूर कराने के लिये। हम तो उसका विरोध नहीं करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : हम पूछते क्या हैं और आप बोलते क्या हो? एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया।

श्री अनंग कुमार जैन : मेरा ध्यान इस बात पर आधारित रहेगा कि माननीय सदस्य जो बात पूछे उसकी हां भर लूं। जैसे माननीय सदस्य से पिछली बार पूछा था, अनुसूचित जाति के पीछे हाथ धोकर पड़ गये भवन के लिये। अब मैं हां भर लेता उसमें, जब तो मैं बहुत ज्ञानवान आदमी हो जाता। लेकिन चूंकि मैंने जो सही बात थी वह सदन के पटल पर रखी और आपकी गलत बात की हां नहीं भरी तो मेरे में ज्ञान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई मापदण्ड नहीं है ज्ञान का। ज्ञान का मापदण्ड तो यह है कि विभाग की योजनाएं ठीक तरह से कार्यान्वित हों, विभाग का पैसा वास्तविक रूप से जो गरीब

(22)

(श्री अनंग कुमार जैन)

व्यक्ति है, वास्तविक रूप से जो उसका अधिकारी है उसके विकास के लिये खर्च हो यह मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिये मैं राजस्थान सरकार के अन्दर बैठा हूं। जनता के पैसे के हम ट्रस्टी हैं, वास्तविक व्यक्ति के उपयोग के लिये, उसके फायदे के लिये वह खर्च किया जाएगा। माननीय सदस्यों की इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा कि कुछ व्यक्तिगत लोगों के हित साधन के लिये उस पैसे को खर्च किया जाए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बात करते हैं क्या मंत्रीजी हैं?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, इनके पौने पांच साल के अन्दर एक भी योजना पूरी नहीं हुई।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हनुमंतथैया कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एन. जी. ओज. का इसमें इन्वाल्वमैंट होना चाहिए। दौसा में 4-5 एन. जी. ओज. ने वाटरशेड का प्रोग्राम लेने के लिये एप्लाई किया, उन एन. जी. ओज. को आपने क्यों नहीं वाटरशेड का प्रोग्राम दिया? आप अपने भू-संरक्षण विभाग के भरोसे बैठे हैं, भू-संरक्षण डिपार्टमैंट कोई काम नहीं करता। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले के अन्दर गत पौने पांच साल में एक भी योजना पूरी नहीं की, अब ये दो महीने के अन्दर क्या योजना पूरी करेंगे? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह गरीबों की योजना है, गरीबों के पैसे का.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया भाषण नहीं। श्रीमती इन्दिरा मायाराम। आपने सुना नहीं, मैंने किसका नाम पुकारा?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा भाषण दे रहे थे, हम यह कभी नहीं होने देंगे कि जो उन लोगों का पैसा है वह कुछ लोग इस्तेमाल कर लें। हम उनको यह बताना चाहते हैं कि हमारा भी यह इरादा नहीं है, हम लोग भी यह नहीं चाहते कि पैसा जिन गरीबों के लिये आया है उसका यूज न हो। लेकिन उसके साथ साथ जब आप पैसे D. R. D. A. को अलॉट करते हैं तो यह जो D. R. D. A. में एडिशनल कलक्टर या इन्चार्ज हैं उनकी ड्यूटी नहीं है कि पंचायत समिति से योजना बनाकर मंगाएं, उनको कहें कि इस पैसे का उपयोग किया जाए, यह क्यों नहीं किया गया, इसको क्यों नहीं हुआ? आप पैसा वापस हो जाए, खत्म हो जाए, यह चाहते हैं? किसी के काम नहीं आए। गरीब के भी काम नहीं आए?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, भाषण नहीं। यह प्रश्नकाल है, भाषण नहीं होगा, बिराजें। नैक्स्ट, श्री चुन्नीलाल गरासिया। कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। जोशी जी, बिराजें, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया। बैठें आप। श्री गरासिया।

सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति प्रकरण

413. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997 में उक्त विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत) के कितने पद

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

रिक्त थे, इनमें से कितने रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया? क्या इनमें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण रखा गया? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कितने कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नत किया गया? और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या आरक्षण के उक्त पद भर दिये गये या रिक्त हैं?

(3) अनुसूचित जाति के जो पद पूर्व में नहीं भरे गये थे, कितने पद रिक्त हैं, तथा अब कब तक भरे जा रहे हैं? क्या इनमें आरक्षण रखा जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) वर्ष 1997 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत) के कुल 15 पद रिक्त थे। ये पद वर्ष 1996-97 में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पदों को सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद में क्रमोन्नत करने के फलस्वरूप उपलब्ध हुये थे। इन 15 पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाना था।

इन 15 पदों में से 9 पद कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिप्लोमाधारी) एवं 6 पद कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्रीधारी) में से भरने थे। वर्ष 1996-97 में उपलब्ध इन पदों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10-1-97 को आयोजित की गयी।

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) से सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1 (189) सानि/96 दिनांक 22-5-97 द्वारा पदोन्नति आदेश प्रसारित किये गये जिनमें से सामान्य जाति के 8 एवं अनुसूचित जनजाति के एक कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) को पदोन्नति प्रदान की गयी।

कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) के उपलब्ध 6 पदों में से मात्र एक कनिष्ठ अभियन्ता सामान्य जाति के अभ्यर्थी को ही पदोन्नति प्रदान की गयी है क्योंकि कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) के अन्य अभ्यर्थी पदोन्नति के लिये पात्रता नहीं रखते थे।

अनुसूचित जाति के लिये 15 पदों का आरक्षण निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :—

कुल संख्या	9 कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा)	6 कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी)
अनुसूचित जाति	2	1
बैकलॉग	1 (1995)	1 (1994)

अनुसूचित जाति के कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी है क्योंकि कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिग्री एवं (डिप्लोमा) पदोन्नति के लिये वांछित अनुभव नहीं रखते हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) आरक्षण के उक्त में से कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) के लिये आरक्षित पद सामान्य अभ्यर्थियों में से भर दिये गये हैं।

दो कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) के लिये आरक्षित पद अभी भी रिक्त रखे गये हैं क्योंकि वांछित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं।

(3) पूर्व में नहीं भरे गये अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

	कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी)	कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा)
बैकलॉग वर्ष 1996-97	1	2
बैकलॉग वर्ष 1995	–	1
बैकलॉग वर्ष 1994	1	–

भविष्य में उपलब्ध होने वाले सहायक अभियन्ता (विद्युत) के रिक्त पदों को भरते समय अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों को भी पद भरते समय ध्यान रखा जाएगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर पर्याप्त है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मेरा अधिकार है सवाल पूछने का, मंत्री जी जवाब दे देंगे। *(व्यवधान)* आप बिराजें, मेरा अधिकार है पूछने का, आप बैठें।

श्री अध्यक्ष : क्या रह गया। इसमें ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि नैक्स्ट डी. पी. सी. की मीटिंग कब है और जो पात्रता रखते हैं उनको क्या आप पदोन्नति निर्धारित समय में देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, डी. पी. सी. एक वर्ग में एक बार होती है, मार्च के बाद तुरन्त अप्रैल में ही डी. पी. सी. नई करवाएंगे।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अब हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

जिला जयपुर की सम्बल योजना में चयनित ग्राम

414. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में सम्बल योजना के अन्तर्गत कितने ग्राम चयनित किये गये हैं ? उक्त ग्रामों में कहां-कहां क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं तथा क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर ग्रामीण के कोल्याना (तहसील जमवारामगढ़), विजयपुरा, बल्लुपुरा, मालपुरा, डूंगर (तहसील जयपुर) ग्राम जो कि पूर्व में भी सम्बल योजना में चयनित थे, में क्या-क्या विकास कार्य कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जयपुर जिले में सम्बल योजनान्तर्गत वर्ष 1981 व 1991 की जनगणनानुसार 116 गांव चिन्हित किये गये हैं। उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न सम्बल ग्रामों में सम्पादित/स्वीकृत किये गये कार्यों/सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम कोल्याना में सम्बल योजनान्तर्गत 2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं एवं तहसील जयपुर के ग्राम विजयपुरा, बल्लुपुरा एवं मालपुरा डूंगर में सम्बल योजनान्तर्गत कार्य नहीं करवाया गया है, किन्तु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इन तीनों ग्रामों में हैण्डपम्प लगवाया गया है तथा विजयपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, जो बल्लुपुरा और विजयपुरा में हैण्डपम्प द्वारा जल सप्लाई किया जाता है, इस गांव के अन्दर जल स्तर बहुत कम है और यहां पर पेयजल के लिये टंकी बनाने के लिये योजना बनायी गयी थी। उसका निर्माण नहीं हुआ उसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप बताएं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का काम है कि पानी उपलब्ध कराएं, परन्तु दो तीन वर्ष पूर्व 1994-95 में केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिली थी उसके अन्तर्गत कुछ काम हमने प्रारम्भ किया था। साथ में केन्द्र सरकार ने हमें रियायतें दी थीं कि केन्द्रीय सहायता को आप इस प्रकार के कामों में उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने उस पर रोक लगा दी इस कारण से वह काम नहीं हो पाया।

श्री गोपीराम जाट : कब तक करा देंगे इसको? यह रोक हटवाने के लिये कोई तय हुआ है?

श्री मदन दिलावर : मैं माननीय सदस्य की तरफ से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्या सम्बल योजना बन्द कर दी गयी है?

(12.00 बजे)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट, इस दसवीं विधान सभा के आखिरी सत्र का आखिरी दिन है आज। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के एक माननीय सदस्य, सीकर से आने वाले, उन्होंने जनहित के लिये सरकार का ध्यान आकर्षण किया था। उस स्थान से पुलिया नहीं होने से लोगों को बहुत दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल से सम्बन्ध रखता है? कौनसा सवाल है?

श्री शिवनाथ सिंह : एक सैकण्ड, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन आपसे है। सवाल कुछ नहीं है, सवाल कुछ नहीं है। मैं सदन और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि इन्होने अन्न त्याग की अपनी बात कही है। आज के बाद

(श्री शिवनाथ सिंह)

हम फिर मिलने वाले नहीं हैं। इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि उस पुलिया के निर्माण के लिये कार्यवाही सरकार करे और केन्द्र सरकार से उसके लिये निवेदन करे, इसलिये, माननीय अध्यक्षजी, इस मामले को गम्भीरता से लेकर मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ कहें और मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी, लेकिन सरकार इतनी हठधर्मिता करती है तो अन्न त्याग का मामला आपको वापस ले लेना चाहिए। सरकार यदि सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कहे तो वह कह दे, वरना फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी अन्न त्याग की बात समाप्त कर दें। यह आखिरी सत्र का आखिरी दिन है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य पारीकजी ने 21-7-98 को.....(व्यवधान) एक मिनट.....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : जो चयनित हुये हैं उनके भी प्रोग्राम नहीं हैं। मंत्री महोदय, जो अभी का सवाल था उसी के बारे में कह रही हूं। (व्यवधान) जयपुर के दूसरे गांवों में.....(व्यवधान) यह क्या, पहले प्रश्न चल रहा है उसके बारे में तो बोल लें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पारीक साहब ने 21-7-98 को अन्न छोड़ा है, उनकी तरफ आप ध्यान दें और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर से जवाब दिलाएं कि कम से कम वे पुलिया का निर्माण करवा दें जिससे हमारे सदस्य अन्न ग्रहण कर सकें। अन्यथा आप उनकी हालत देख रहे हैं कि वे दिन-प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, अस्वस्थ होते लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सदस्य का 20 किलो वजन घट गया, 20 किलो वजन घट गया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार अगर तुरन्त कुछ नहीं कर सकती है तो आश्वासन तो दे। (व्यवधान).....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : घोषणा कर दें। आप अपने हाथ से खाना खिला दें, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सरकार अगर तुरन्त कुछ नहीं कर सकती है तो आश्वासन ही दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, कृपया बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : घोषणा करके इनको खिला दें। मंत्री महोदय, आज ऐसी घोषणा कर दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही आज सुबह मैं विधान सभा के मुख्य द्वार पर पहुंचा, पारीक साहब मेरे साथ आ रहे थे, चलते-चलते वे एकदम फेंट हो गये। फेंट होने पर मैंने बड़ी मुश्किल से इनको दो आदमियों की मदद से वापस उठाया। साढ़े तीन किलो वजन इनका कम हो चुका है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

रेल मंत्री का यह पत्र है जिसमें वे आधा पैसा इस पुलिया पर खर्च करने के लिये तैयार हैं। कृपा करके ऐसा मत कीजिये, ये बहुमूल्य सदस्य हैं, इन पर ध्यान दीजिये, कुल मिलाकर 8 रोज में 3 किलो वजन लूट लिया, बजाय इन पर था 3 किलो।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस पर ध्यान दीजिएगा। यह बड़ी गम्भीरता का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिए, स्वास्थ्य मंत्रीजी कुछ फरमा रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया। (व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी। बिराजिए, बिराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शशी दत्ताजी ने जब आत्मदाह के लिये कहा था तब तो आपने इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिये और इस मामले पर आप नहीं बोल रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बोलिये कि आश्वासन दें। सरकार कुछ आश्वासन दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस प्रकार यह इतना गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठेंगे, तब ही मैं उठूंगा। बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अन्न त्याग किया हुआ है और यह शोध की बात है। जब से इन्होंने अन्न छोड़ा है, इनके चेहरे की ललाई देख लो। इनका वजन निरन्तर बढ़ता जा रहा है, चेहरे पर ललाई आती जा रही है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : यह क्या, क्या यह स्वास्थ्य मंत्रीजी का जवाब है? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, डाक्टर नहीं हैं। आप अपने डाक्टरों को बुलवाकर दिखवा लीजिए कि इन्होंने कितना वजन लूज किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इनसे पूछूंगा कि यह मंत्री हमें भी बता दें। यह नुस्खा हमें भी बता दें ताकि हम भी इस नुस्खे के अनुसार अपने चेहरे पर ललाई ला सकें।

श्री मोहनलाल मोदी : यह कोई जवाब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 8 दिन से अन्न त्याग रखा है और चेहरा देखो, अध्यक्ष महोदय, चमचम कर रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : आप भी छोड़ दीजिये, अन्न ग्रहण, यदि इसी से बढ़ता है तो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, शांति धारीवालजी की सिफारिश को तो आप को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है, लेकिन आपको पूरे हाउस की ओर से भी ऐसे मामले पर बहुत गम्भीरता करनी चाहिए।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(व्यवधान) ब्रह्म हत्या का जब आप पर आरोप लगेगा। (व्यवधान).....

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : सरकार कम से कम पुलिया के निर्माण करवाने का आश्वासन तो दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं। (व्यवधान) कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। कृपया बिराजें, मेरी भी तो सुनें आप। बिराज जाएं।

माननीय सदस्य श्री पारीक साहब वैसे तो पहले से ज्यादा हंसमुख हैं, पहले से ज्यादा हंसमुख इनका चेहरा नजर आता है। पहले जितना गुस्सा नहीं करते हैं अब। पहले बहुत गुस्सा करते थे। योग-संयोग, जो कुछ भी ये कर रहे हैं उससे इनका स्वास्थ्य गिरे नहीं, खराब नहीं हो, मैं माननीय सदस्य श्री पारीक साहब को और माननीय मंत्रीजी को मेरे चैम्बर में बुलाकर बातचीत करूंगा और इस पर कोई व्यवस्था हो सकती है तो वह करूंगा। बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चैम्बर में आइए, वहां करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1990 में जब मैं इस विधान सभा का सदस्य बना, तब मंत्री महोदय सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। 1990 से लेकर 98 तक मैं लगातार मंत्री महोदय से करीब सौ बार तो व्यक्तिश: मिला हूं, इतने ही मैंने इनको पत्र लिखे हैं और मंत्रीजी के.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे चैम्बर में मिलने का तो पहला ही संयोग होगा। पहला ही है, कृपया बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : रेल मंत्रालय, भारत सरकार का.....(व्यवधान) आधा पैसा रेल मंत्रालय, भारत सरकार देने को तैयार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें आप, बैठ जाएं। मैंने कुछ आपसे निवेदन किया है, कुछ व्यवस्था दी है, बिराजें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मृतक कर्मचारी के आश्रित को राजकीय सेवा में नियुक्ति

410. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय परबतसर, जिला नागौर में एस. एस. के पद पर कार्यरत रहते एक कर्मी की मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि मृतक के आश्रित ने कनिष्ठ लिपिक पद की नियुक्ति बाबत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम)

(3) क्या यह सही है कि मृतक का आश्रित उक्त पद के लिये योग्यता रखता है : क्या योग्यता होने पर भी उसे अभी तक नौकरी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियमानुसार कितनी अवधि में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है ?

(5) क्या सरकार अब उक्त मृतक के आश्रित को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री पूसा राम डूडी की सैक्टर सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत रहते हुये दिनांक 18-8-97 को मृत्यु हुई।

(2) जी, हां। दि. 30-8-97 को मृतक आश्रित ने चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडू को प्रस्तुत किया जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को पत्रांक 1287 दिनांक 8-9-97 के माध्यम से भेजा गया।

(3) जी, हां। आवेदन-पत्र में समुचित पूर्ति न होने तथा दस्तावेजों की कमी होने के कारण नियुक्ति देने पर निर्णय नहीं हो सका।

(4) मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति देने हेतु नियमों में समयावधि का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) मृतक के आश्रित का पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते ही दि. 30-7-98 को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

538. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के मामलों को निपटाने हेतु गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार नये वेतन आयोग द्वारा घोषित वेतनमानों से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या-क्या प्रयास कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस संबंध में समिति का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) राज्य सरकार ने सिसोदिया समिति का इस हेतु गठन किया था परन्तु श्री एन. एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने अपने पद के भारी कार्यभार के अतिरिक्त इस समिति का कार्य करने में अपनी मुश्किल दर्शायी। अतः राज्य सरकार ने अब पूर्णकालिक अध्यक्ष के अधीन वेतन विसंगति निवारण आयोग/समिति के गठन का निर्णय बजट अभिभाषण में घोषित किया है। आयोग/समिति के गठन के आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे।

(30)

नगर परिषद् उदयपुर के पैट्रोल पम्प की भूमि का प्रकरण

539. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि रणजीत लाल अग्रवाल पैट्रोल पम्प सूरजपोल की भूमि नगर परिषद् उदयपुर की है? यदि हां, तो उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद् उदयपुर ने पैट्रोल पम्प के लिये उक्त भूमि कब व किस दर से किराये पर दी है? किरायेनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पैट्रोल पम्प का किराया नगर परिषद् में किसके आदेश से जमा किया जा रहा है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) किराये की राशि कब से, किस दर से अब तक कितनी जमा की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पैट्रोल पम्प की भूमि नगर परिषद् की नहीं है? यदि हां, तो नगर परिषद् इस भूमि के स्वामित्व के लिये न्यायालय में दावा क्यों कर रही है?

(6) क्या सरकार इस पैट्रोल पम्प से नाजायज किराया वसूली बंद करने एवं न्यायालय से वाद उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार इस पैट्रोल पम्प की भूमि नगर परिषद् उदयपुर की नहीं होते हुये भी किराया जमा करने एवं न्यायालय में वाद दायर करवाने में हुये भ्रष्टाचार की जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रणजीत लाल अग्रवाल पैट्रोल पम्प सूरजपोल की भूमि रियासत काल से सिटी कारपोरेशन क्षेत्राधिकार में निहित होने से नगर परिषद् के स्वामित्व में हैं। वित्त समिति के प्रस्ताव दिनांक 28-12-59 की छाया-प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगर परिषद् द्वारा उक्त भूमि पैट्रोल पम्प हेतु दिनांक 1-1-63 को प्रति वर्ष 1350/- रुपये की दर से लीज डीड पर दी गई। लीज डीड की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) उक्त पैट्रोल पम्प की भूमि की लीज राशि तत्कालीन प्रशासक के आदेश दिनांक 24-1-63 से जमा की जा रही है। आदेश की छाया-प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) लीज की राशि जब से, जिस दर से अब तक जितनी जमा की गई है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी नहीं। नगर परिषद् द्वारा इस भूमि के स्वामित्व के लिये न्यायालय में दावा पेश नहीं किया गया है, बल्कि फर्म द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(6) जी नहीं। क्योंकि उक्त भूमि नगर परिषद् की सम्पत्ति है।

(7) प्रश्न के भाग एक, पांच और छह में दिये गये उत्तर के पश्चात् जांच करवाने एवं अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(छाया प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत इटावा (कोटा) का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

540. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनाने के मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या कोटा जिले की ग्राम पंचायत इटावा को नगरपालिका बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत इटावा का नगरपालिका में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम पंचायत इटावा को नगर पालिका बनाने संबंधित प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

नगरपालिका छबड़ा के पार्षदों के दो से अधिक संतान प्रकरण

541. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1995 के संशोधन के बात कोई भी नगरपालिका का निर्वाचित पार्षद दो से अधिक संतान पैदा करता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राजस्थान की कुल कितनी नगरपालिकाओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कितने पार्षदों को पद से हटा दिया गया और कुल कितने प्रकरण अभी तक विचाराधीन हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि छबड़ा नगरपालिका में वार्ड नं. 1, 2, 3 तथा 16 से निर्वाचित वार्ड पार्षदों द्वारा अक्टूबर, 1995 के बाद दो से अधिक संतान पैदा किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक निर्णय नहीं लिये जाने के क्या कारण है और अब कब तक निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में दिनांक 27-11-95 के बाद नगरपालिका के निर्वाचित पार्षद के दो से अधिक संतान होने पर राजस्थान नगरपालिका

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच तथा न्यायिक जांच के उपरान्त ही सदस्यता समाप्ति का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में राज्य की नगरपालिकाओं से प्राप्त कुल 158 शिकायतों की प्रारम्भिक जांच एवं न्यायिक जांच उपरान्त दोषी पाये गये कुल 15 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षदों को पद से हटा दिया गया है तथा प्रारम्भिक जांच के आधार पर 53 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षदों को निलम्बित किया गया है। शेष 70 प्रकरण प्रारम्भिक जांच तथा राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(2) जी हां। प्रारम्भिक जांच करवाई गयी। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। जिस पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

जनता नगर रांकड़ी जयपुर में नाली निर्माण कार्य

542. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर शहर के विभिन्न वार्डों में विकास संबंधी कार्य कराया गया है? यदि हां, तो वार्ड संख्या 4 के जनता नगर, जयपुर में कितनी राशि सड़क व अन्य कार्यों में व्यय की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि जनता नगर में उक्त कार्य करा दिये गये हैं? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि सड़क एवं अन्य कार्य पूरी कालोनी में कराये जाने हेतु यहां, के निवासियों ने प्रार्थना-पत्र, ज्ञापन दिये थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्षा में उक्त कालोनी में पानी निकासी की गंभीर समस्या के समाधान हेतु बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है? यदि हां, तो क्या भू-खण्ड 156 से 170 तक तथा अन्य स्थानों में जहां पानी की निकास की गंभीर समस्या है वहां सड़क/नाली का निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक सड़क/नाली का निर्माण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वार्ड संख्या 4 जनता नगर जयपुर में 9.00 लाख रुपये की राशि सड़क एवं अन्य विकास कार्यों पर व्यय की गई है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 1997-98 में उक्त कार्य करवाये गये हैं।

(3) जी हां। वहां के निवासियों के प्रार्थना पत्रों के अनुसार नगर निगम की आर्थिक स्थिति एवं बजट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य करवाये गये हैं तथा कुछ शेष कार्यों के लिये निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है।

(4) उक्त कालोनी में पानी की निकासी की समस्या के सन्दर्भ में नगर निगम, जयपुर को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भू-खण्ड संख्या 156 से 170 तक तथा अन्य स्थानों पर जहां पानी की निकासी की गम्भीर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

समस्या है वहां सड़क/नाली का निर्माण नगर निगम, जयपुर की आर्थिक स्थिति एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण का आय प्रकरण

543. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की आय के साधन क्या हैं?

(2) गत पांच वर्षों में प्राधिकरण को किन-किन मदों में कितनी-कितनी आय हुई?

(3) क्या प्राधिकरण की आय का साधन भूमि का बेचान भी है? यदि हां, तो प्राधिकरण को भूमि किस प्रकार प्राप्त होती है?

(4) प्राधिकरण द्वारा खातेदारों से अवाप्त भूमि की देय मुआवजा राशि एवं भूमि बेचान की आरक्षित दर राशि की अंतर राशि प्रति वर्ग गज क्या है?

(5) उक्त प्राधिकरण की वार्षिक संस्थापन व्यय राशि कितनी है तथा इस राशि की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की आय के मुख्य साधन-भूमि एवं निर्मित भवनों के विक्रय से प्राप्त राशि, गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के नियमन/आबंटन के दौरान भूखण्डधारियों से प्राप्त राशि, शहरी जमाबन्दी, भूमि एवं भवन कर से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा इत्यादि।

(2) गत पांच वर्षों में प्राधिकरण को विभिन्न मदों से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध हैं।

(3) जी हां, प्राधिकरण को भूमि अवाप्ति एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 54 के अन्तर्गत जयपुर रीजन क्षेत्र में खाली राजकीय भूमियां प्राधिकरण में निहित होने से भी प्राप्त होती हैं।

(4) प्राधिकरण द्वारा भूमि की मुआवजे की राशि (भूमि की कीमत), इस भूमि पर करवाये गये विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि 20 प्रतिशत प्रभार संस्थानिक व्यय तथा उक्त राशियों पर देय ब्याज की गणना कर आरक्षित राशि निकाली जाती हैं, इसमें से भूमि की कीमत के रूप में देय मुआवजा राशि कम करने पर, आरक्षित दर व मुआवजा राशि का अन्तर प्राप्त होता है, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न होता है।

(5) प्राधिकरण की गत पांच वर्षों का संस्थापन व्यय निम्नानुसार है : —

वर्ष	व्यय राशि (रु. लाखों में)	
1993-94	536.08	इस राशि की व्यवस्था
1994-95	751.85	प्राधिकरण की विभिन्न
1995-96	886.54	स्रोतों से हुई आय से
1996-97	936.76	किया जाता है।
1997-98	993.92	

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

(34)

जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि (गोपालपुरा रेल्वेफाटक) पर अतिक्रमण

544. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर रेल्वे लाइन के पश्चिम में गोपालपुरा फाटक से दुर्गापुरा फाटक के बीच में जयपुर विकास प्राधिकरण की सड़क पर तीन व्यक्तियों के और उसके पास में 6 व्यक्तियों के मकान और चारदीवारी अनधिकृत रूप से बनी हुई है।

(2) उक्त अनधिकृत निर्माण कार्यों में सरकार/जयपुर विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि है ?

(3) उक्त अनधिकृत निर्माण कार्यों को हटाने के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई और उसके क्या परिणाम रहे ?

(4) उक्त अनधिकृत निर्माण कार्यों को अब कब तक पूर्ण रूप से हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त अनधिकृत निर्माण कार्यों के लिये संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट की धारा 172 के अन्तर्गत अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त अनधिकृत निर्माण में सड़क पर लगभग 986.00 व. ग. भूमि पर 9 व्यक्तियों का निर्माण किया हुआ है।

(3) सड़क पर अनधिकृत निर्माण किये हुये तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1993 में कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बाद में प्रकरण में न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुये उक्त तीनों व्यक्तियों को शान्ति नगर योजना के सुविधा क्षेत्र में समझौते से बदले में भूमि देना तय किया गया। लेकिन शांति नगर योजना के निवासियों द्वारा इसके विरुद्ध न्यायालय में चले जाने से भूमि का आबंटन अब तक नहीं किया जा सका। प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटिशन दायर की जा रही है।

(4) सड़क पर अनधिकृत निर्माण किये हुये शेष 6 व्यक्तियों का अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में शान्ति नगर योजना व बजरंग बिहार योजना के मध्य भूमि संबंधी विवाद राजस्व न्यायालय में विचाराधीन होने से अभी तक उन्हें नहीं हटाया जा सका है।

(5) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण ज. वि. प्रा. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। न्यायालय के निर्णयानुसार नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

ग्राम गोपालपुरा (तहसील सांगानेर) की भूमि का अवाप्ति प्रकरण

545. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री भीखाभाई)

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1986 में ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर की खसरा नं. 355/367 और 355/368 भूमि रकबा 80 बीघा को अवाप्त कर कब्जा ले लिया था? यदि हां, तो इस रकबे को सीलिंग कानून में छूट देकर जनवरी, 1993 में कैसे आवंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण उक्त कृषि भूमि के लिए निर्धारित दर से इस भूमि की कीमत करीब 24 करोड़ वसूल करने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार 24 करोड़ के इस घाटे के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एन. ई. आई. की गोपालपुरा स्थित ख. नं. 355/367 व 355/368 की 80 बीघा सहित अन्य भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर ख. नं. 355/367 व 355/368 की भूमि का कब्जा अवाप्ति अधिकारी द्वारा लिया गया था। परन्तु भूमि का अवार्ड निर्धारित समय में पारित नहीं होने से अवाप्ति की कार्यवाही स्वतः निरस्त होने से उक्त भूमि खातेदार की कृषि भूमि ही रही। अतः राज्य सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6 (78) रा/ग्रुप-8/95 दिनांक 16-1-97 के द्वारा ग्राम गोपालपुरा स्थित कृषि भूमि जो मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. कम्पनी की खातेदारी की थी, के ख. नं. 355/367 एवं 355/368, 331/366, 331, 343, 344, 345, 346, 347 एवं 355 कुल 36.41 एकड़ भूमि पर बिड़ला सेन्टर फार मेडिकल रिसर्च को अस्पताल की सहायक सेवाओं के लिए राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 22 (2) के तहत कृषि सीलिंग के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है।

(2) कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के प्रस्तावना एवं प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि सीलिंग में अधिशोषित भूमि का आबंटन भूमिहीन व्यक्तियों को किया जायेगा। अतः उक्त सरप्लेस भूमि ज. वि. प्रा. की नहीं हो सकती एवं न ही उसके द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।

(3) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही समय पर पूर्ण नहीं होने से स्वतः निरस्त हो गई। भूमि प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुई है। अतः सरकार को घाटा होने एवं किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति (ज्योतिनगर) जयपुर के आवासों का नियमितीकरण

546. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने ज्योति नगर के पास स्थित कृषि भूमि के खसरा नं. 192/502 में आवासीय योजना बनाई है? यदि हां, तो उक्त भूमि में से कितने प्लाटों को सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया व किन-किन को

(36)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अभी तक नियमित नहीं किया गया ? नियमित नहीं किये जाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नं. 192/502 में स्थित प्लाट नं. 5 जो श्रीमती राजेन्द्र शंकर भट्ट का है, को दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 को 190/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से शुल्क लिया जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित कर दिया गया है।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नं. 192/502 में ही स्थित प्लाट नं. 6 जो कि श्रीमती कमला चाण्डक का है, को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित नहीं किया गया है जबकि श्रीमती चाण्डक ने प्राधिकरण में कनवर्जन, पेराफेरी एवं विकास शुल्क की राशि दिनांक 24 मार्च, 1982 को ही जमा करवा दी है ? यदि हां, तो जमा कराई गई राशि की रसीद सहित नियमित नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि श्रीमती चाण्डक ने अपने प्लाट नं. 6 को नियमित किये जाने हेतु दिनांक 10 जनवरी, 1993 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार श्रीमती कमला चाण्डक के प्लाट नं. 6 को भी उस क्षेत्र के अन्य प्लाटों की भांति नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त आवासीय योजना में एक भूखण्ड संख्या एस. पी.-1 क्षेत्रफल 500 वर्ग गज राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6 (1) टीपी/71 दिनांक 23-5-85 की अनुपालना में प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक जविप्रा/जोन-2/ए/89/117 दिनांक 5-12-89 द्वारा आबंटन किया गया है। उक्त आवासीय योजना में अन्य भूखण्डों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त आवासीय योजना की भूमि प्राधिकरण की अवाप्तशुदा भूमि है एवं सहकारी समितियों के भूखण्डों के नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23-4-97 में उक्त आवासीय योजना जो लालकोठी योजना के अन्तर्गत है, को प्रतिबन्धित क्षेत्र में रखा गया है। इस प्रकार के अन्य मामले विचाराधीन हैं जिनके सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाकर निस्तारण किया जायेगा।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) श्रीमती चाण्डक ने प्लाट नं. 6 को नियमित किये जाने हेतु दिनांक 1-2-93 व दिनांक 16-9-95 को आवेदन किया था जिसके सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार को प्राधिकरण द्वारा विस्तृत जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की उक्त भूखण्ड का लालकोठी योजना में आबंटन/नियमन संभव नहीं है। सहकारी समितियों के भूखण्डों के नियमन/आबंटन हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23-4-97 के अनुसार लालकोठी क्षेत्र प्रतिबन्धित क्षेत्र में होने से

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नियमन/आबंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(5) सहकारी समितियों के भूखण्डों के नियमन हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23-4-97 के अनुसार लालकोठी क्षेत्र प्रतिबन्धित क्षेत्र में होने से नियमन की कार्यवाही वर्तमान में नहीं की जा सकती।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रकरण

547. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पीथलपुर, डोकन, दलपतपुरा में पेयजल आपूर्ति हेतु टंकिया बनी हुई हैं? यदि हां, तो आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है?

(2) उक्त टंकिया कब बनाई गई थी और प्रथम बार कब भरी गई? क्या इनसे जोड़ी गई पाइप लाइन सही हालत में नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, कथित क्षेत्र में ग्राम पीथलपुर, डोकन, दलपतपुरा में पानी वितरण हेतु एक-एक भूतल टंकी बनी हुई है। ग्राम दलपतपुरा पम्प एवं टैंक योजना से लाभान्वित है, तथा विभाग द्वारा टंकी के माध्यम से सार्वजनिक नलों से नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम डोकन व पीथलपुर टी. एस. एस. योजना से लाभान्वित है, जिसको चलाने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। पेयजल योजना पीथलपुर से ग्राम में पेयजल की आपूर्ति हो रही है। पेयजल योजना डोकन पूर्ण है किन्तु पंचायत द्वारा नहीं चलाई जा रही है।

(2) टंकियां बनाने एवं भरने का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	योजना का नाम	टंकी निर्माण का माह	प्रथम बार भरने का माह
1.	दलपत पुरा	पंप एवं टैंक	9/93	12/93
2.	पीथल पुरा	टी.एस एस.	11/94	12/94
3.	डोकन	टी.एस. एस	12/92	6/95

वर्तमान में स्रोत से टंकियों तक डाली गई पाईप लाईन चालू एवं सही हालत में है।

जिला सवाईमाधोपुर में स्वीकृत कार्य

548. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995 से जून, 1998 तक किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हैण्ड पम्प लगाने, बोरिंग करने, कच्चे-पक्के कार्यों का ठेका एक ही ठेकेदार को ऊंची दरों पर दिया जाता है? क्या इससे सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उक्त क्षेत्र में किन-किन कार्यों के लिए कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई और किन-किन को कार्य आबंटित किया गया ?

उत्तर

(1) वर्तमान जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995 से जून, 1998 तक का मदवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) जी नहीं।

(3) सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत वर्ष 1996 से अब तक जिन-जिन कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, एवं जिन-जिन ठेकेदारों को कार्य आबंटित किया गया उसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र आमेर के स्वीकृत हैण्डपम्प

549. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र आमेर के किस-किस ग्राम के लिए हैण्डपम्प स्वीकृत हुए थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में लक्ष्य के मुकाबले कितने हैण्डपम्प लगाये गये ? क्या उक्त हैण्डपम्प चालू कर दिये गये हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन-जिन गांवों में हैण्डपम्प नहीं लगाये गये, उनमें अब कब तक हैण्डपम्प लगा दिये जायेंगे ?

(4) उक्त अवधि में किस-किस ग्राम के किस स्थान के हैण्डपम्प सूख गये हैं ? क्या सरकार उनके स्थान पर दूसरे हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) विधान सभा क्षेत्र आमेर के किन-किन ग्रामों के विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं लगाये जा सके हैं और अब कब तक लगा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 96-97 एवं 97-98 में विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामों में क्रमश : 102 व 620 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये। वर्षवार ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं लिये गये थे वर्ष 1996-97 में 115, 97-98 में 111 व 98-99 में 15 जुलाई तक 69 हैण्डपम्प लगाकर चालू कर दिये।

(3) जिन-जिन ग्रामों में हैण्डपम्प लगाना शेष है उनको धन उपलब्धतानुसार लगाया जायेगा।

(4) वर्ष 96-97 व 97-98 में कुल 85 हैण्डपम्प सूखे पाये गये। इनके स्थान पर दूसरे हैण्डपम्प चरणबद्ध एवं धन उपलब्धतानुसार लगाये जाने प्रस्तावित है। प्रथम चरण में ग्राम की बस्तियों में सूखे हैण्डपम्पों के स्थानों के लिए 19 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए इनमें से 16 हैण्ड पम्प लगाकर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

चालू कर दिये हैं, शेष 3 शीघ्र लगा दिये जायेंगे विवरण परिशिष्ट "ब" में है।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 84 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये। जिनमें से 73 हैण्डपम्प लगाकर चालू कर दिये हैं, शेष 11 विद्यालयों पर हैण्डपम्प वर्ष 98-99 में लगाना प्रस्तावित है। शेष रहे 11 विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "स" पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में स्वीकृत पानी की टंकी

550. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) एवं **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि सरकार ने छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के कुछ गांवों में पीने के पानी की टंकी बनाने के प्रस्ताव तैयार किये हैं? यदि हां, तो अब क्या कार्यवाही की जा रही है? उक्त स्वीकृति अब कब तक जारी कर दी जायेगी?

उत्तर

तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद के 7 ग्राम जिनकी 1991 की जनगणनानुसार आबादी 1500 से अधिक है की पम्प एवं टैंक योजनाएं बनाई जाकर धन उपलब्धतानुसार चरणबद्ध रूप से स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति

551. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विभाग में राजस्व पर्यवेक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद कब से एवं कहां-कहां रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिक्त पद मीटर निरीक्षकों में से भरे जाने हैं? क्या सरकार इस हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि काफी लम्बे समय से इस हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वरिष्ठता सूची के अभाव में नहीं हुई? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची तैयार नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? अब कब तक वरिष्ठता सूची तैयार कर जारी कर दी जायेगी? वर्तमान में उपलब्ध वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने कि वर्तमान वरिष्ठता अनुसार मीटर निरीक्षकों में से राजस्व पर्यवेक्षकों को तदर्थ आधार पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राजस्व पर्यवेक्षक के 14 पद स्वीकृत है, जिनमें से 6 पद रिक्त चल रहे हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है : —

1. बीकानेर	वर्ष 91 से	1 पद
2. कोटा	वर्ष 93 से	2 पद
3. अलवर	वर्ष 96 से	1 पद
4. जयपुर	वर्ष 97 से	2 पद

(2) जी हां, राजस्व पर्यवेक्षक के पद मीटर निरीक्षकों में से ही भरे जाने हैं। इस हेतु राजस्थान इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट सर्विस (जन स्वा. शाखा) नियम 1977 में अन्तः प्रविष्टि हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। जिसके पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा।

(3) जी नहीं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन राजस्थान इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट सर्विस (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम 1977 के प्रविष्टी की कार्यवाही के पश्चात् ही आयोजन किया जाना सम्भव होगा। इस सम्बन्ध में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि नियमों में जब तक राजस्व पर्यवेक्षक के पद का समावेश नहीं हो पायेगा तब तक डी. पी. सी. की बैठक किया जाना सम्भव नहीं होगा। पूर्व में मीटर निरीक्षक के आगे कोई पदोन्नति का पद नहीं था इस कारण मीटर निरीक्षक के पदों की अलग से वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर तैयार नहीं रखी जा सकती। वरिष्ठता सूची तैयार करने के प्रयास निरन्तर हो रहे हैं मीटर निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची अभी किसी भी स्तर से जारी नहीं की गई है।

(4) तदर्थ पदोन्नति किया जाना सामान्य प्रक्रिया है। नियमानुसार एवं प्रक्रियानुसार तदर्थ पदोन्नति की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र अलवर में पेयजल हेतु स्वीकृत राशि

552. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जयपुर मार्ग पर अलवर (शहर) में पेयजल हेतु टंकी निर्माण कार्य प्रस्तावित है? यदि हां, तो दो साल की अवधि में टंकी निर्माण कार्य नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में 1 अप्रेल, 1994 से जून, 1998 तक कितने हैण्डपम्प/ट्यूबवैल खोदे गये तथा कितनी पानी की टंकियां बनाई गई और कितनी नई पाइप लाइन डाली गई? वार्ड गली तथा स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र अलवर के गांवों/ढाणियों में 1 अप्रेल, 1994 से जून, 1998 तक कितने नये ट्यूब वैल/हैण्डपम्प खोदे गये और पानी की टंकियां बनाई गई।

(4) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में पेयजल हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी राशि मरम्मत हेतु दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर मार्ग पर एक स्वच्छ जलाशय क्षमता 3.20 लाख लीटर की बनाने की स्वीकृति दि. 30-10-96 की गई थी जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत सैक्शन 4 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है तथा सैक्शन 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र अलवर में 1-4-94 से अब तक शहर में 64 नं. हैण्डपम्प 26 नलकूप एवं 3 टंकिया निर्मित की गई है तथा 24.20 कि.मी. पाइप लाइन नई डाली गई। विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(3) विधान सभा क्षेत्र अलवर के ग्रामों/ढाणियों में 1-4-94 से अब तक 4 नलकूप, 116 हैण्डपम्प तथा 4 पानी की टंकियां निर्मित की गई है।

(4) उक्त अवधि में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की निर्माण एवं मरम्मत हेतु प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम सालंकियों का खेड़ा में पेयजल व्यवस्था

553. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम सोलकियों का खेड़ा में पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां जितने भी हैण्ड पम्प खोदे गये वह नकारा रहे हैं ? क्या वहां पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण पेय जल दो किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में पेय जल की व्यवस्था के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम सालंकियों के खेड़े की जनसंख्या 1991 की जनगणनानुसार 249 है जिसमें 1 हैण्डपम्प चालू है।

(2) जी नहीं। ग्राम सालंकियों के खेड़े में 1 हैण्डपम्प कार्यरत है।

(3) वर्तमान में इस ग्राम में विभागीय मापदण्ड के अनुरूप हैण्डपम्प लगे हुए हैं। सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1998-99 के अन्तर्गत एक हैण्डपम्प और स्वीकृत किया गया है जिसे भूजल वैज्ञानिक की राय प्राप्त कर लगाने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न संख्या-554

(स्थगित)

जिला सवाईमाधोपुर के थानों में नाकारा सामान की नीलामी

555. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) गत पांच वर्षों में सवाई माधोपुर जिले में पुलिस विभाग द्वारा कितनी बार नकारा सामान की नीलामी की गई? नीलामी किस के छूटी व इससे कितनी राशि प्राप्त हुई? थानेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस नकारा सामान की नीलामी न कर पुलिस विभाग ने इस सामान को किसी व्यक्ति को दे दिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से अब तक पुलिस लाइन, सवाईमाधोपुर में अनुपयोगी सामान की नीलामी हेतु गठित कमेटी द्वारा तीन बार नाकारा सामान नीलाम किया गया। उक्त नीलामी में दि. 14-3-95 को रु. 12,472.00 में श्री श्याम कुमार पुत्र घमण्डी, नि. शहर, सवाईमाधोपुर को, दि. 29-3-97 को, रु. 4,400.00 में श्री बजरंग लाल अग्रवाल, नि. बजरिया, सवाईमाधोपुर को एवं दि. 28-2-98 को रु. 2,600.00 में श्री रामसहाय ठेकेदार, नि. शहर, सवाईमाधोपुर की नीलामी की गई। नीलामी थानेवार न की जाकर जिले की एक साथ की जाती है।

(2) जी नहीं।

जिला झुन्झुनूं की ग्राम पंचायतों का नामान्तरण प्रकरण

556. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में इस वर्ष पंचायतों की ओर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें भारी संख्या में नामान्तरण कृषि भूमियों के तस्दीक किये गये? यदि हां, तो इस वर्ष कितने नामान्तरण के मामले ग्राम सभाओं में निपटाये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि नामान्तरण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जिसकी कार्यवाही के लिये समयावधि भी है? यदि हां, तो इतनी मात्रा में नामान्तरण नहीं करके इतने दिनों तक रोके रखा उन पटवारियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इतनी भारी संख्या में नामान्तरण किये जाने की कार्यवाही को अपनी सफलता मान रही है? यदि हां, तो कैसे, जबकि नियमानुसार समय अवधि में ही यह कार्यवाही हो जानी चाहिए थी?

उत्तर

(1) जी, हां, ग्राम सभाओं में 6585 मामले नामान्तरण के निपटाये गये।

(2) जी, हां। भूमि हस्तान्तरण पर काबिज व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना तहसीलदार/पटवारी को 3 माह के अन्दर-अन्दर देनी होती है। इसके आधार पर

(राजस्व मंत्री)

नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाते हैं। चूंकि सूचना नहीं दी गई इसलिए इसके अभाव में नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किये गये। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) ग्राम सभाओं में नामान्तरण तस्दीक किया जाना सफलता या असफलता का विषय नहीं है। नियमानुसार भूमि के बेचान पर या खातेदार कृषक की मृत्यु या न्यायालय की डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण खोलना साधारण प्रक्रिया है।

प्रश्न संख्या-557

(स्थगित)

सुजानगढ़ (चूरू) में कृषि भूमि का आवासीय भूमि में रूपान्तरण प्रकरण

558. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राज्य में कृषि भूमि (खातेदारी) की आवासीय भूमि में रूपान्तरण कराने हेतु नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सुजानगढ़ (चूरू) में वर्ष 1989 से 1997 तक कुल कितने व्यक्तियों ने कृषि भूमि में रुपान्तरित करने बाबत कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) रतनगढ़ (चूरू) को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये?

(3) उक्त में से वर्ष 1989 किन-किन आवेदकों का रूपान्तरण हो गया तथा किन-किन के शेष रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संबंध में वर्ष 1989 से 1997 के दौरान जिला स्तरीय समिति की बैठक कब-कब हुई? क्या उक्त बैठकों में वर्ष 1989 के आवेदक जिन्हें 1993 में नई पत्रावली संख्या दी गई, के प्रकरणों पर भी विचार किया गया था? यदि हां, तो कब-कब तथा वर्ष 1989 के आवेदकों को अब तक पट्टे जारी नहीं किये जाने के क्या कारण है? अब इन्हें कब तक पट्टे जारी कर दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जी हां। नियम राजपत्र में प्रकाशित है तथा प्रति सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।

(2) उपखण्ड अधिकारी (भूमि रुपान्तरण) रतनगढ़ (चूरू) के कार्यालय में वर्ष 1989 से 1997 तक सुजानगढ़ के 36 व्यक्तियों द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये।

(3) वर्ष 1989 में सुजानगढ़ (चूरू) के किसी आवेदक का कृषि भूमि रूपान्तरण नहीं हुआ। वर्ष 1989 के दो प्रकरण अवशेष है जो निम्न प्रकार है : —

1. रामादेवी पत्नी चान्दमल प्रजापत

2. पवन कुमार पुत्र शिवभगवान तोदी

(4) वर्ष 1989 के उक्त प्रकरणों के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक नहीं हुई। वर्ष 1989 के दो प्रकरण नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, बीकानेर की अनापत्ति, नगर पालिका की अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने एवं विकास शुल्क जमा नहीं होने से निस्तारण से शेष रहें।

(५५)

ग्राम बड़ाबास (बांदीकुई) का राजस्व ग्राम प्रकरण

559. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई उपखण्ड की तहसील बसवा के ग्राम पंचायत बालाहेड़ा द्वारा बड़ाबास को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु गत तीन वर्षों से ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव भिजवाये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम बड़ाबास की आबादी लगभग 1500 है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बड़ाबास में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार ही रहते हैं ?

(4) क्या ग्राम बड़ाबास को राजस्व ग्राम घोषित करवाने की कार्यवाही जिला कलक्टर दौसा के विचाराधीन है ?

(5) क्या सरकार बड़ाबास को राजस्व ग्राम बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील बसवां की ढाणी बड़ाबास को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। ढाणी बड़ाबास की जनसंख्या 500 है।

(3) जी हां, यह सही है कि ढाणी बड़ाबास में केवल अनु. जनजाति के परिवार ही निवास करते हैं।

(4) ढाणी बड़ाबास को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(5) ढाणी बड़ाबास को नवीन राजस्व गांव घोषित करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत मौखमपुरा (जयपुर) के खसरा नं. 1495 की खातेदारी

560. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

ग्राम पंचायत मौखमपुरा (जयपुर) के ग्राम केरिया के खसरा नं. 1495 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा पर गत पांच वर्ष से किसका कब्जा रहा है और किसके द्वारा लगान जमा करवाया जा रहा है ? खातेदार का नाम एवं जमा की कई लगान की राशि का वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम पंचायत मौखमपुरा पटवार मण्डल बिचूनि के ग्राम केरिया के ख. नं. 1495 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर पिछले पांच वर्षों से किसी का कब्जा नहीं है। इस भूमि की खातेदारी कल्याण, बजरंग लाल पि. काना कौम बलाई साकिन मौखमपुरा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस भूमि की किस्म बंजड (बारानी) है। बारानी भूमि का लगान राज्य सरकार द्वारा माफ किया जा चुका है। अत:

(राजस्व मंत्री)

गत 5 वर्षों में कोई लगान जमा नहीं करवाया जा रहा है।

पूर्व निजी सहायक, जिला कलक्टर अलवर के विरुद्ध शिकायत

561. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है पूर्व निजी सहायक, जिला कलक्टर, अलवर के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निजी सहायक को पुनः नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो कब, एवं किस आधार पर?

(3) उक्त पुन निर्युक्ति के संबंधित पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा करवाई गई। शिकायत झूठी पाई जाने पर जिला कलक्टर, अलवर द्वारा प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंषा राजस्व मण्डल, अजमेर को की गई। शिकायत की प्रति, जांच रिपोर्ट एवं जिला कलक्टर, अलवर के पत्र की प्रति संलग्न है।

(3) श्री अनिल जोशी के सेवानिवृत होने के पश्चात् उन्हें साक्षरता में समन्वय के पद पर मानदेय के आधार पर अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति द्वारा लगाया गया है। श्री जोशी की सेवाएं जिला कलेक्ट्रेट की पी. ए. शाखा में सहयोग के रूप में ली जा रही है। पूर्व में वर्णित प्राप्त शिकायत की जांच की जा चुकी है।

(4) शिकायत पत्र/जांच रिपोर्ट की प्रति एवं जिला साक्षरता समिति में नियुक्ति के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शिवानी जडेजा का चिकित्सा सुविधा प्रकरण

562. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या शिवानी जडेजा की चिकित्सा का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना था? यदि हां, तो उक्त चिकित्सा सुविधा पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। कु. शिवानी जडेजा का चिकित्सा का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। स्वीकृत दिनांक 24-4-98 द्वारा रु. 25,000/- एवं दिनांक 27-6-97 द्वारा रु. 55,000/- कुल राशि 80,000/- स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय में निःशुल्क आवास (कॉटेज) व्यवस्था की गई है।

फार्मेसिस्ट लाइसेंस हेतु नियम/योग्यता

563. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फार्मेसिस्ट लाइसेंस हेतु योग्यता एवं नियम क्या है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला टौंक हेतु अब तक किन-किन व्यक्तियों को फार्मासिस्ट के लाइसेंस जारी किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला टौंक में संचालित ऐलोपैथिक दवाओं की दुकानों पर लाइसेंसधारी (डिप्लोमाधारी प्रशिक्षित) फार्मासिस्ट कार्यरत हैं ? यही नहीं, तो किस-किस दुकान पर ऐसे प्रशिक्षित फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों में सरकार को किसी दवा प्रशिक्षित फार्मासिस्ट न होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रति संलग्न कर सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) जिला टौंक हेतु अब तक जिन-जिन व्यक्तियों की फार्मासिस्ट के लाइसेन्स जारी किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां, सभी दुकानों पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कार्यरत हैं।

(4) जी हां, गत दो वर्षों में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और इन शिकायतों की जांच की गई दो शिकायतें सही पाये जाने पर एक दुकान का लाइसेंस सात दिवस के लिए निलम्बित किया गया एवं इस दुकान पर प्रशिक्षित फार्मासिस्ट का पंजीकरण एक वर्ष के लिए निलम्बित किया गया। दूसरी दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है एवं पंजीकृत फार्मासिस्ट के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भानपुर कलां (जयपुर) में परिवार नियोजन केन्द्र की स्थापना

564. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भानपुर कलां (जयपुर) में परिवार नियोजन केन्द्र का भवन बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त भवन में परिवार नियोजन केन्द्र कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, परिवार नियोजन केन्द्र के भवन पर कुल रु. 1,08,730 व्यय हुए।

(2) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र भानपुरा कलां (जयपुर) में परिवार कल्याण की सेवाएं संचालित हैं।

जोधपुर स्थित डाक बंगले का रख-रखाव

565. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर स्थित डाक बंगले का निर्माण कब हुआ और इसका आवश्यकतानुसार विस्तार कब किया गया ?

(2) क्या वर्तमान में सरकार के समक्ष उक्त डाक बंगले के विस्तार की कोई योजना है ? यदि हां, तो विस्तार कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग कोई योजना बनायेगा ?

(3) उक्त डाक बंगले के बेहतर रख-रखाव एवं वहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की योजना कब तक बना ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जोधपुर स्थित डाक बंगले का निर्माण स्टेट के समय हुआ था। इसका आवश्यकतानुसार विस्तार वर्ष 1966-67, वर्ष 1969-70, वर्ष 1993-94 व वर्ष 1997 में किया गया।

(2) जी हां। डाक बंगले के विस्तार की एक योजना विचाराधीन है। जिसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी होने के दो साल के अन्दर विस्तार करना सम्भावित है।

(3) डाक बंगले के बेहतर रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार कराया जाता है। डाक बंगले के सम्भावित विस्तार के कार्य के साथ ही टेलीफोन की सुविधा दिया जाना सम्भावित है।

निर्वाचन क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) की स्वीकृति सम्पर्क सड़कें

566. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र पीपल्दा के ग्रामों हेतु सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की गई थीं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी, कितनी-कितनी राशि की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य लम्बे समय से बन्द है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) सरकार उक्त सम्पर्क सड़कों का कार्य कब तक शुरू करवाकर पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, विश्व बैंक वित्त पोषित, कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र पीपल्दा की निम्न सड़कों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी :—

(48)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1. बोरदा से ढीपरी	रुपये 87.10 लाख
2. सम्पर्क सड़क रानोलिया	रुपये 21.90 लाख
3. सम्पर्क सड़क निमोला	रुपये 70.00 लाख
4. सम्पर्क सड़क ककरावदा	रुपये 38.00 लाख
5. सम्पर्क सड़क बंबूलिया	रुपये 30.00 लाख

(2) जी हां। उक्त सड़कों में से सम्पर्क सड़क रानोलिया का कार्य पूर्ण हो चुका है अन्य चार सड़कों का कार्य ठेकेदार ने स्वयं के कारणों से 1997 से बन्द कर रखा है। उस पर अनुबंधानुसार शास्ति लगाकर, अनुबन्ध से निष्कासित कर दिया गया है।

(3) उक्त सड़कों का शेष कार्य, अगस्त, 98 में निविदा आमंत्रित कर, जून, 1999 तक कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र आमेर में सड़क मरम्मत प्रकरण

567. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें सार्वजनिक निर्माण को स्थानान्तरित की गई है? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरित सड़कों के रख-रखाव की राशि भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस सड़क के पेटे कितनी-कितनी राशि ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जालसू से खन्नीपुरा एवं राधा किशनपुरा एवं जावास से चौप सड़कों के रख-रखाव की कोशिश भी स्थानान्तरित की जा चुकी है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जालसू से खन्नीपुरा एवं राधा किशनपुरा तथा राजावास से चौप तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र आमेर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को 53 सड़कें स्थानान्तरित की गई हैं। सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत हेतु कृषि उपज मण्डी द्वारा दी गई राशि का सड़कवार विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सड़कों की मरम्मत की प्रथम किश्त की राशि सड़कों के स्थानान्तरण के समय इस विभाग को जमा करा दी गई थी। शेष द्वितीय किश्त माह जून, 1998 में प्राप्त हुई है जिसके अनुसार सड़क मरम्मत के कार्य प्रगति पर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। जालसू से खन्नीपुरा एवं राजावास से चौप सड़कों की मरम्मत व रख-रखाव की राशि की मांग सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कृषि उपज मण्डी समिति से की है। परन्तु अभी तक मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि स्थानान्तरित नहीं की गई है। खन्नीपुरा से राधा किशनपुरा सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत व रख-रखाव की सूची में है।

(4) जी हां। जालसू से खनीपुरा तथा राजावास से चौंप तक सड़क क्षतिग्रस्त स्थिति में है। कृषि उपज मंडी समिति से मरम्मत की राशि प्राप्त होने के पश्चात् सड़कों की मरम्मत संभव हो सकेगी। खनीपुरा से राधाकिशनपुरा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर मरम्मत का कार्य किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बैर में स्वीकृत पुल निर्माण कार्य

568. श्री रेवती प्रसाद कोली (बैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बैर में कौन-कौन से पुल/पुलिया की स्वीकृति हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? मय स्वीकृति आदेश के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुल/पुलिया में से किस किस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन से अपूर्ण हैं? अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बैर में पुल/पुलिया, सी. डी. कार्यों के दो कार्य स्वीकृत हुये जिनका विवरण निम्न प्रकार है : —

1. कॉजवे निर्माण कार्य बैर हन्तरा रोड वाया ललिता मूडिया जोब सं. (2088/5054/95-96) राशि 14.00 लाख.

2. कॉजवे निर्माण कार्य-बैर हलैना सड़क जोब संख्या 2089/5054 राशि 10.00 लाख.

स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त दोनों कॉजवे पर निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा बाणगंगा नदी का चैनेलाइजेशन करने व नदी की जल बहाव मात्रा अवगत न कराने व नदी के तल का स्तर अवगत न कराये जाने के कारण शुरू नहीं हो सका। अब उक्त सूचनाएं मिल चुकी हैं। व दोनों कॉजवे के निर्माण के लिये निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। बरसात के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा व जिनको जून, 99 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

चौमूं ठाकुर की हवेली में अवैध आवास निर्माण

569. श्री रघुवीर सिंह (सगड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(50)

(श्री रघुवीर सिंह)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड़, जयपुर पर पुल निर्माण हेतु चौमूं ठाकुर की हवेली एवं भूमि अवाप्त की गई थी? क्या विभाग ने इसका मुआवजा भी अदा कर जमीन व हवेली का कब्जा ले लिया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन पर रेल्वे पुल बनाने के बाद अवाप्त हवेली का कुछ हिस्सा मय तामीरात से बच गया, जो विभाग ने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व वाहन चालकों को आवास हेतु किराये पर दे दिया? यदि हां, तो उक्त हवेली किस-किस कर्मचारी को कितने-कितने किराये पर कितनी अवधि के लिए किस-किस आदेश के तहत दी गई? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कर्मचारियों के वेतन में से किराये की राशि की कटौती की जाती थी? यदि हां, तो अब किराये की वसूली किस प्रकार की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में विभाग का एक सेवानिवृत वाहन चालक इस हवेली में वर्ष 1986 से अनधिकृत रूप से रह रहा है? यदि हां, तो इस व्यक्ति से खाली कराने के लिए विभाग ने कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की तथा अब तक इस अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने में कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(5) उक्त वाहन चालक पर दिनांक 30 जून, 1998 तक कितना किराया, किस दर से कितनी अवधि का बकाया है तथा उसकी वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई? सरकार उक्त अनधिकृत कब्जाधारी सेवा निवृत्ति वाहन चालक से कब तक मकान खाली कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि किरायेदार की हैसियत से रह रहे कर्मचारियों ने उक्त हवेली में निर्माण कार्य भी करवाये हैं? यदि हां, तो किस-किस ने कितना-कितना, कब-कब व किसकी अनुमति से?

(7) क्या उक्त निर्माण कार्य बिना अनुमति के कराये गये? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुल निर्माण हेतु चौमू ठाकुर की हवेली एवं भूमि अवाप्त की गयी थी। जी हां, विभाग ने इसका मुआवजा अदा कर जमीन व हवेली का कब्जा ले लिया था।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त जमीन पर रेल्वे पुल बनाने के बाद अवाप्त हवेली का कुछ हिस्सा मय तामीरात के बच गया था। जी नहीं, विभाग के कुछ कर्मचारी व वाहन चालक अनधिकृत रूप से रहने लग गये थे। उक्त हवेली में वर्तमान में श्री कानसिंह सेवानिवृत चालक, श्री रूप सिंह रिटायर्ड चालक, श्री देवी सिंह स्व. श्री हिम्मत सिंह चालक के पुत्र श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ लिपिक श्री राधेश्याम चौकीदार, श्री मुरलीधर चौकीदार एवं स्व. श्री हरिनारायण की विधवा पत्नी श्रीमती घीसी बाई जो राजकीय मुद्रणालय में कार्यरत थे, रह रही है। कितने-कितने किराये

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पर, कितनी कितनी अवधि के लिए किस-किस के आदेश से रह रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) जी नहीं, श्री कान सिंह की ग्रेच्युटी से राशि रुपये 8302.73 अनधिकृत कब्जे की शास्ति स्वरूप से काटे गये। श्री रूप सिंह ड्राइवर से भी शास्ति राशि रुपये 1641/- रसीद संख्या 39 दिनांक 27-2-92 द्वारा जमा किये गये। किसी कर्मचारी से अभी कोई किराया, किराया वसूली अधिकारी, संपदा अधिकारी के निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण वसूल नहीं किया गया।

(4) जी हां, यह सही है कि वर्तमान में विभाग का सेवानिवृत चालक श्री कान सिंह रह रहा है, जिससे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही व बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। अभी तक इस विषय में कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी तथा अतिक्रमण को नहीं हटाने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों का पता लगाने के लिए जानकारी प्राप्त की जा रही हैं।

(5) उक्त वाहन चालक से दिनांक 30-6-98 तक कितना किराया किस दर से नियमानुसार लिया जाना है, सक्षम अधिकारी से मांगा जा रहा है। शीघ्र ही प्राप्त कर वसूली की कार्यवाही तथा बेदखली की कार्यवाही अब की जावेगी। शीघ्रातिशीघ्र मकान खाली कराने का विभाग का इरादा है।

(6) जी हां, यह सही है कि हवेली में रह रहे कर्मचारियों में से श्री कान सिंह सेवानिवृत चालक, मुरलीधर चौकीदार एवं स्व. हिम्मत सिंह ने टीनशैड डब्ल्यू. सी. एवं बाथ, दीवार आदि का निर्माण व मरम्मत कार्य बिना अनुमति के करवाया है।

(7) जी हां, विभाग द्वारा बेदखल व अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्रामों हेतु सम्पर्क सड़कें

570. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वर्ष 1997-98 में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त क्षेत्र के कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और शेष पंचायत मुख्यालयों को कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

(3) उक्त क्षेत्र में 1500 की आबादी के कितने गांव है और उनमें से अब तक कितने गांव सम्पर्क सड़कों से जोड़े गये हैं ? सरकार शेष बचे गांवों को सड़क से कब तक जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वर्ष 97-98 में सम्पर्क सड़क छोटी पड़ाल के निर्माण हेतु नाबार्ड योजना आर. आई. डी. एफ. तृतीय फेज-I के तहत 10.63 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है इसलिए बजट आबंटन इसी वर्ष किया गया है। सड़क निर्माण के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लिए कार्यादेश अभी जारी किया गया है। कार्य प्रगति पर है, परन्तु अभी इस पर कोई राशि व्यय नहीं हुई है।

(2) विधान सभा घाटोल में कुल 71 पंचायत मुख्यालय हैं? जिनमें से दिनांक 30-6-98 तक 55 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से, एक पं. मु. मेटल सड़क से एवं 11 पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष चार पं. मु. अभी तक किसी सड़क से नहीं जुड़े हैं। इन चार पंचायत मुख्यालयों में से एक पं. मु. राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के तहत डामर सड़क से जोड़ने हेतु 40.00 लाख रुपये (5 किमी. लम्बाई) स्वीकृत हुये हैं। शेष तीन पंचायत मुख्यालयों को फिलहाल ग्रेवक सड़क से जोड़ने हेतु आंशिक स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से सुरक्षा रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी की गई है, जिसके तहत कार्य, विभागीय स्तर पर प्रगति पर है। इन शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़क विकास नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर डामर सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है।

(3) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में 1991 की जनगणना के आधार पर 1500 या इससे अधिक आबादी के कुल 37 गांव हैं। जिनमें से 30-6-98 तक 34 गांव डामर की सड़क से व एक गांव ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष दो गांव अभी किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं है। इन दो गांवों सोहनिया (2062/91) तथा हिम्मत सिंह का गढा (1582/91) को सड़क नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता से जोड़ने का प्रस्ताव है।

बासोल बांध (जयपुर) की मरम्मत

571. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवारामगढ़ की पंचायत पापड़ में बांध बासोल, राजाओं के समय का बना हुआ था? क्या उक्त बांध वर्ष 1981 की बाढ़ में टूट गया? यदि हां, तो अब उक्त बांध को कब तक पुनः निर्मित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त बांध की भराव क्षमता क्या है? क्या यह बांध किसी केचमेंट में आता है? यदि हां, तो कहां और किस नदी को पौषित करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बांध बासोल रियासत काल का बना हुआ था जो कि वर्ष 1981 की बाढ़ में टूट गया था। वह बांध सिंचाई विभाग के अधीनस्थ न होकर पंचायत समिति के अधीन है।

(2) बांध पंचायत समिति जमवारामगढ़ के अधीन है।

लाडनूं में 132 के. वी. के ग्रिड सब स्टेशन स्थापना की स्वीकृति

572. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनू में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति विद्युत मण्डल ने दी है ? यदि हां, तो कब तथा अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्य किया गया ? इसके लिए कितनी भूमि कहां पर ली गई है ?

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन कब तक बन कर चालू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, लाडनूं में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति दिनांक 28-10-1997 को जारी की जा चुकी है। इसके लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू है।

(2) स्टेशन को बनाने की कार्यवाही चालू की जा चुकी है तथा इसे इसी वित्तीय वर्ष 1998-99 में चालू करने की योजना है।

कृषि कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति

573. श्री गोविन्द सिंह गूर्जर (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कृषि कार्य हेतु कितने घण्टे बिजली गत तीन महिनों में प्रतिदिन उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिजली का उत्पादन न होने व बिजली की खपत प्रति व्यक्ति बढ़ने से उपलब्धता में कमी आयी है ? यदि हां, तो इसका क्या निदान है ?

उत्तर

(1) राज्य में गत तीन माह (अप्रेल से जून, 98) में कृषि कार्य हेतु तकनीकी व प्राकृतिक आपदाओं आदि से आए व्यवधानों को छोड़कर प्रतिदिन तीन ब्लाक्स में 7 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाई गई।

(2) जी नहीं। वर्ष 1997-98 में ऊर्जा उत्पादन में वर्ष 1996-97 की तुलना में 4.38 प्रतिशत वृद्धि हुई एवं अन्य स्रोतों से ऊर्जा क्रय सहित राज्य के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध बिजली में 8.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो पूर्व वर्ष में 270.26 यूनिट थी, 1997-98 में बढ़कर 288.92 यूनिट होने का अनुमान है।

विधान सभा क्षेत्र दूदू में पशु चिकित्सालय की स्थापना

574. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1994 से जून, 1998 तक विधान सभा क्षेत्र दूदू में पशु चिकित्सालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक सरकार उक्त क्षेत्र में पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

(54)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों के अभाव में नहीं खोले जा सके। वर्ष 1998-99 में 25 नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रावधान है जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही उनके स्थानों के नामों का चयन संभव होगा।

जिला झुंझुनूं में विधायक कोष से कराये जाने वाले विकास कार्य

575. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा), **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं में जून 1998 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भिन्न-भिन्न विधान सभा क्षेत्रों में विधायक कोष से करवाये जाने वाले किन-किन कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई है?

(2) क्या यह सही है कि समय पर स्वीकृतियां जारी नहीं होने के कारण कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं तथा निरस्त करने की कार्यवाही शुरू हो जाती है?

(3) क्या सरकार विधान सभा के आगामी चुनावों को दृष्टि में रखते हुए विधायक कोष से कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियां चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा विधायक कोष से झुंझुनूं जिले के विधान सभा क्षेत्रों में निर्बन्ध राशि योजना एवं 32 जिला 32 काम योजना में जून, 1998 तक कराये गये कार्य की जारी स्वीकृतियां परिशिष्ट "अ" में अंकितानुसार है।

(2) जी नहीं। सम्बन्धित विधायकगण से प्रस्ताव आने पर ही विधायक कोष से स्वीकृतियां जारी करने की कार्यवाही की जाती है। विधायकगण से प्रस्ताव आने पर लागत अनुमान एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवा कर स्वीकृति जारी की जाती है। तदोपरान्त स्वीकृत कार्य का निर्माण प्रारम्भ किया जाता है।

(3) जी हां। 30-9-98 तक या आचार संहिता लागू होने से पूर्व तक जो भी पहले हो।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के स्वीकृत कार्य

576. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 से जून, 1998 तक विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से पूर्ण हो गये हैं तथा कौन-कौन से अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कमल)

(3) अब उक्त अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से जून 98 तक स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों की कार्यवार स्थिति संलग्न सूची में उल्लेखित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(3) अपूर्ण (प्रगति पर) कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) के मृत राज्यकर्मी के आश्रित को नियुक्ति

577. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) में कार्यरत एक लेब सहायक की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या मृत्यु उपरान्त उसके परिवार के किसी सदस्य को राज्य सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त मृतक की पत्नी श्रीमती मनोहर देवी जीनगर ने मृतक आश्रित के स्थान पर नौकरी पाने का आवेदन किया है ? क्या उस पर अब तक कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब उसे कब तक राज्य सेवा में लगा दिया जायेगा ?

(3) क्या मृतक आश्रित को सरकार नौकरी देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मृत्यु उपरान्त उसके परिवार के किसी सदस्य को राज्य सेवा में नहीं लिया गया, क्योंकि मृतक प्रयोगशाला सहायक श्री कुन्दनमल जीनगर की पत्नी श्रीमती मनोहर देवी ने नियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया था।

(2) जी हां। आवेदन निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने के कारण शिथिलीकरण की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी हां। निर्णय शीघ्र लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

महाजन रैन्ज के विस्थापितों के नाम भूमि नामान्तरकरण प्रकरण

578. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्यादेश दिनांक 22-2-83 के द्वारा उपनिवेशन विभाग ने सशर्त कृषि भूमि चरागाह विकास हेतु वन विभाग को आबंटित की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नं. 2 (बेरियावाली) मुख्यालय खाजूवाला की 7820.06 बीघा भूमि उपनिवेशन विभाग एवं 8979.09 बीघा भूमि

(श्री भीमसेन चौधरी)

वन विभाग के नाम संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् स्थानान्तरण करना तय किया गया था तथा इसकी सूचना वन संरक्षक इन्दिरा गांधी नहर बीकानेर के पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 1987 आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को दे दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उप निवेशन विभाग ने तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के माध्यम से उक्त भूमि 7820.06 बीघा महाजन रैन्ज के विस्थापितों को आबंटित कर दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि वन विभाग के नाम से हटाकर संबंधित विस्थापित काश्तकारों के नाम जमाबंधी में अंकित करने हेतु क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3 (20) उप/80 दि. 22-2-83 द्वारा समय-समय पर वन विभाग को इस शर्त पर भूमि का आबंटन किया गया कि सी. ए. डी. सर्वे के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र घोषित कर देने पर उपनिवेशन विभाग की प्रथम सूचना पर संबंधित उपनिवेशन तहसीलदार को आबंटित भूमि का पुनः कब्जा देना होगा। कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उपनिवेशन विभाग का निर्णय वन विभाग को मान्य होगा।

(2) जी हां।

(3) जी हां। 51 चकों की भूमि विलोपित उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नं. 2 मु. खाजूवाला क्षेत्र की 7820-06 बीघा भूमि है उसे राजकीय भूमि माने जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। वन विभाग ने उसमें कोई विनियोजन किया है अथवा नहीं तथा उसमें कार्य कराया है अथवा नहीं तथा उस भूमि की आवश्यकता है या नहीं। इसकी सूचना वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को दी जानी है। वन विभाग से ऐसी भूमि की सूची प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्पादित हो सकेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष करने के आदेश प्रसारित करने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, राजस्थान, जयपुर द्वारा 6 लाख रुपये की राशि वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बैंकों में जमा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला करौली की तहसील हिण्डौन के ग्राम गांवड़ी मीना के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई नगरपालिका के कतिपय पार्षदों के नियम में विहित प्रावधानों से अधिक सन्तान पैदा होने के उपरान्त भी उन्हें अयोग्य घोषित नहीं करने के सम्बन्ध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई हैं :—

श्री भीमराज चौधरी एवं श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में निर्माण की जाने वाली उमकली फीडर सिंचाई परियोजना की स्वीकृति को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अवलोकन से यह समाधान हुआ है कि उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी के "अ" श्रेणी चिकित्सालय में नर्स एवं कम्पाउण्डर के पद कम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मण्डी के आलानियां क्षेत्र में स्थित ओरिएण्टल पावर केवल कारखाना के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले के लालसोट कस्बे में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर से रेनवाल वाया खेड़ी रामजीपुरा तथा रेनवाल से सांभर वाया मठाभादवा रोडवेज की बस चलाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय को सहायक अभियन्ता कार्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र बिलाड़ा की कतिपय अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

(8) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में धारा 144 लगाने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(9) श्री पूंजालाल गरासिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा में वन विकास एवं निर्माण कार्यों में कार्यरत

(श्री अध्यक्ष)

मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा। 295 में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भी है। पढ़े हुये अधिकतर मान लेते हैं लेकिन आज हमें बोलने का मौका दिया जाए। आज हमें बोलने का मौका दिया जाए, साहब। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी दिया था।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : 295 में तो हमारा भी है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : और एक रिजैक्ट करते हैं तो मुझे भी बात, (व्यवधान) ये रिजेक्ट करते हैं तो भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 का.....(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये। बैठिये, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। 295 के जो आप देते हैं, वह माननीय सदस्य एक सप्ताह में एक ही दे सकते हैं, एक।

श्री किशन मोटवानी : दो का कहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक-एक सप्ताह में एक। मैंने उदारता से कभी-कभी किसी माननीय सदस्य का दो लगा दिया हो तो वह अलग बात है। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अन्तिम दिन है आज।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यही है।

श्री किशन मोटवानी : रामस्वरूप मीणा के आये हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : पूर्ण उदारता से काम लें।

श्री अध्यक्ष : हां, वे गलती से आ गये। गलती से आ गये वो। कृपया बिराजिये। श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था उमकली फीडर के बारे में.....(व्यवधान).....

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आखरी दिन है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारा भी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं, हमने वह मामला उठाया.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे ले लेंगे, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : कल भी वह मामला उठाया था, गोपाल नारायण का मामला है और मैंने निवेदन किया था.....(व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : एक मैंने और स्थगन प्रस्ताव दिया था, वह यहां पर नहीं

(श्री भीमसेन चौधरी)

आया है। (व्यवधान) मेरा स्थगन प्रस्ताव यहां पर नहीं आया है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मेरे धौलपुर का तो एक भी नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्ची वाला अलग मामला है, अभी आप बैठिये।

श्री भीमसेन चौधरी : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, जो आपरेटर्स हैं वे बेरोजगार हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा है उस पर तो कोई.....(व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : तो कृपया उनको.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। माननीय सदस्य श्री महेन्द्रजी मीणा, आसन पैरों पर है। महेन्द्रजी बैठने का अभ्यास भी किया करो आप। श्री ओमप्रकाश जी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बूंदी के 'अ' श्रेणी चिकित्सालय में नर्स एवं कम्पाउण्डर के पद

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दस कम्पाउण्डर एवं नर्स थे जिनमें से 17-7-1997 को ए. जी. आक्षेप की पूर्ति करने के क्रम में छह पोस्ट तोड़ दी गयीं। इसके अभाव में अन्तरंग (इण्डोर) विभाग बंद हो गया। अर्श भगंदर (पायल्स फीस्टूला) के ऑपरेशन एवं पंचक्रम तथा गर्भाशय बस्ती बन्द हो गयी। आउटडोर भी चलना मुश्किल हो रहा है। रोगियों की संख्या कम हो रही है।

महालेखाकार, राजस्थान के आक्षेप में उल्लेख किया गया है कि 'ए' श्रेणी चिकित्सालय बूंदी में नर्स कम्पाउण्डर नॉर्म्स से अधिक हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आज तक भी राज्य सरकार द्वारा विभाग में कोई नॉर्म्स निर्धारित नहीं किये गये हैं।

राजस्थान में कई ऐसे 'ए' श्रेणी चिकित्सालय, जैसे भरतपुर, जोधपुर आदि हैं, जहां बूंदी से अधिक नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है। 'ए' श्रेणी अस्पताल राजस्थान में तीस से अधिक हैं और बूंदी में इनडोर एवं आउटडोर के रोगियों की संख्या के हिसाब से 12वां नम्बर है। बूंदी के ही नर्सिंग स्टाफ को कम किया है। अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर जो दस की संख्या थी, उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन वर्मा।

ओरिएण्टल पावर केबल कारखाना बंद होने से उत्पन्न स्थिति

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामगंजमंडी में आलनियां क्षेत्र में ओरिएण्टल पावर केबल का एक कारखाना है। इस कारखाने में तीन हजार श्रमिक कार्यरत

(श्री रामकिशन वर्मा)

थे। यह कारखाना लम्बे समय से बन्द पड़ा है। तीन हजार परिवार इस कारखाने के बन्द हो जाने के कारण बरबाद हो गये हैं एवं उनका कोई सहारा नहीं रहा है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि शीघ्रातीशीघ्र इस कारखाने को चालू करवा कर तीन हजार परिवारों की रक्षा करने का कष्ट करें। इसलिये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी वहां पर जाकर बड़ी घोषणा की थी कि जब मैं सरकार में आ जाऊंगा तब मैं इस कारखाने का चालू करवाउंगा। लेकिन इसमें.....

श्री अध्यक्ष : इसमें यह लिखा हुआ नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन वर्मा : तो फिर कौन जिम्मेदार है ? क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा हुआ नहीं है। श्री परसादीलाल जी।

श्री रामकिशन वर्मा : लिखा है, साहब लिखा है।

लालसोट कस्बे में महाविद्यालय

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा जिले के पंचायत समिति मुख्यालय लालसोट पर महाविद्यालय नहीं होने के कारण इस इलाके के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र सीनियर उच्च शिक्षा के बाद कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने के लिये गरीबी के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं। उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में 80 प्रतिशत जनता इन्हीं गरीब वर्गों की है। लालसोट की जनता द्वारा काफी लम्बे समय से कॉलेज खोलने की मांग की जाती रही है। 1990 से अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कई बार इस सम्बन्ध में लालसोट जाकर घोषणा करके आने के बाद भी अब तक कॉलेज नहीं खुला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनैतिक कारणों से लालसोट में महाविद्यालय नहीं खोल रही है। लालसोट के आस-पास बामनवास, बौंली, चाकसू, निवाई आदि क्षेत्र तहसील में महाविद्यालय की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। दौसा कॉलेज में छात्रों का अधिक दबाव होने एवं गरीब वर्ग के छात्रों का धनाभाव के कारण प्रवेश नहीं हो पाने के कारण छात्र वंचित रह जाते हैं। यदि सरकार लालसोट में कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान करती है तो भवन की व्यवस्था स्थानीय सांसद कोटे की राशि एवं विधायकों की क्षेत्रीय विकास की राशि से करवा दी जाएगी तथा जमीन की व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएगी।

अतः माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक लालसोट में महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने मेरी घोषणा का जिक्र किया

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

है, मैं आपके माध्यम से घोषणा पुनः अभी दोहरा रहा हूं, जहां एस. डी. एम. क्षेत्र हो वहां, और उस नियम को लांघ कर भी, क्षेत्र में अगर भवन बनाकर तीन वर्ष का खर्चा दे दिया जाता है तो ब्वायज कॉलेज खोल दिया जाता है। उसकी घोषणा मैंने नीति रूप से की है। गर्ल्स कॉलेज के लिये भवन बनाकर एक वर्ष के खर्चे के लिये घोषणा की हुई है। मैं उस पर अडिग हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया अपनी शक्तियों का उपयोग

(12.16 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करते हुये आपके यहां से एम. पी. साहब ने जो बात कही है, उस बात की पूर्ति करा दें तो मैं आपके कालेज खुलवा दूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : एम. पी. साहब ने केवल भवन की कही थी और आपने कॉलेज खोलने की कही थी। खर्चे की उस समय कोई बात नहीं हुई। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए, वे लोग आपको जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी किसान।

श्री परसादी लाल मीणा : भवन की व्यवस्था के लिये आप जितना पैसा चाहें, उतना हम देने को तैयार हैं। खर्चे की बात आपने कही ही नहीं। यह खर्चे की बात कहां से जोड़ दी, नहीं खोलने के कारणों में? नहीं खोलना है तो वैसे ही मना कर दो कि लालसोट में कॉलेज नहीं खोलना है। खर्चे की बात का क्यों अडंगा लगा रहे हैं हमारे ऊपर? हमारे यहां आपने कही ही नहीं खर्चे की बात। गरीब जनता है, वहां पर एस. टी., एस. सी. का इलाका है, कहां से खर्चा देंगे हम? हमारे पास तो फीस के लिये ही पैसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप शुरू करिये।

श्री परसादी लाल मीणा : इसलिये हम खर्चा एक साल का कहां से लाएं?

जयपुर से रेनवाल वाया खेड़ी रामजीपुरा एवं रेनवाल सांभर वाया मठाभादवा परिवहन निगम की बस संचालन

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमान् यातायात मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के जयपुर से रेनवाल वाया खेड़ी रामजीपुरा तथा दूसरा रेनवाल से सांभर वाया मठा भादवा तथा चौमूं से रेनवाल बस चलाने की व्यवस्था करावें। इन गांवों के निवासियों को प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों के लिये आना-जाना होता है और उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन गांवों में लगभग पचास हजार नागरिक निवास करते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन भी किया था और फिर मैं आग्रह करूंगा कि इन गांवों को बस सर्विस से जोड़े ताकि इन गांवों में निवास करने वाले नागरिकों को सुविधा प्राप्त हो सके। मैं आपसे यह भी

(श्री रामनारायण किसान)

जानना चाहूंगा कि यह कब तक शुरू करवा देंगे, बताने की कृपा करें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो गाड़ी चलाने की बात की है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो मुख्य दायित्व है वह नेशनलाइज रूट पर गाड़ी चलाने का है। फिर भी जन-प्रतिनिधियों की मांग पर हम रूट्स का सर्वे कराते हैं और रूट का सर्वे कराने पर अगर उपयुक्त यात्री भार अगर उपलब्ध होता है तो हम गाड़ी चलाते हैं, परमिट लेकर के। तो शीघ्र ही जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मैं उसके लिये निगम से कहूंगा कि उसका सर्वे करवाएं और अनुज्ञा-पत्र के लिये एम. आर. टी. ओ. को एप्लाई करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालालजी पाटीदार।

पिड़ावा में अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय की क्रमोन्नति

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में मध्यप्रदेश से की जा रही अनियमित विद्युत आपूर्ति के समाधान के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) मध्यप्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। इस क्षेत्र के लगभग 100 ग्रामों में मध्यप्रदेश से विद्युत आपूर्ति की जाती है जिसकी वजह से इस क्षेत्र को विद्युत सप्लाई को पूरी तरह से मध्यप्रदेश की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। मध्यप्रदेश से होने वाली सप्लाई पूरी तरह से अनियमित होती है, वोल्टेज नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से आये दिन किसानों की मोटरें जल जाती हैं। पूरे सीजन किसान परेशान रहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत मंडल ने ग्राम हेमड़ा में एक 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु प्रपोजल तैयार कर चीफ इंजीनियर महोदय को भिजवा दिये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्राम हेमड़ा में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्वीकृति प्रदान कर इस क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान कराने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश से विद्युत आपूर्ति वाले इस क्षेत्र के पिड़ावा नगर में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय को क्रमोन्नत कर सहायक अभियन्ता कार्यालय बनाया जाए ताकि 132 के. वी. सब-स्टेशन कार्यरूप में आए। तब तक मध्यप्रदेश की सप्लाई को नियमित व नियंत्रित रखने में मदद मिल सके, इसकी व्यवस्था कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी चौधरी।

बिलाड़ा क्षेत्र की अधूरी सड़कों का निर्माण

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख के अन्तर्गत बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र जिला जोधपुर में सड़क निर्माण एवं अधूरी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा जिला जोधपुर में कई सड़कें अधूरी हैं, कई सड़कों पर डामरीकरण नहीं किया हुआ है। पंचायत मुख्यालय भी सड़कों से नहीं जुड़े हुये हैं। आश्वासित रोजगार योजना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जोधपुर द्वारा स्वीकृत सड़कों पर भी डामरीकरण नहीं किया हुआ है। उपरोक्त श्रेणी में निम्नलिखित सड़कें आती हैं :—

(1) ख्वासपुरा से पालड़ी सीधा-डब्ल्यू बी. एम. की हुई है

(2) हरियाड़ा से चौपड़ा पाली सीमा तक

(3) बोरून्दा से पटेल नगर वाया भाखरों की ढाणी

(4) भुंडाना से भाखरी की ढाणी सिन्धीपुरा (ग्राम पंचायत मुख्यालय)

(5) बुंडकीया से खेड़ी सालवा ग्राम पंचायत मुख्यालय तक

(6) ख्वासपुरा से धन्नापा नागौर जिला सीमा तक

(7) रामडावास खुर्द से पीपाड़ रोड वाया खेड़ी सारवा रेलवे स्टेशन तक

(8) रामडावास कलां से पीपाड़ रोड वाया बाड़ा कलां

(9) लवारी से मादलिया

(10) खारिया अनावा से जालिवाड़ा प्याऊ

(11) कूड़ से हिंगानिया

(12) खेजड़ला से रामपुरिया वाया बागासनी सम्बलगांव।

(13) बीरावास से जसवंतपुरा

(14) हरियाडाणा से देवनगर वाया खोजानगर

उपरोक्त सड़कों के निर्माण करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इनके अविलम्ब निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं का निराकरण

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 में विशेष उल्लेख प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण अपने सीमित साधनों से राजस्थान के हर क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने में असमर्थ है। इस समस्या के निराकरण के लिये सामाजिक संस्थाएं आगे आयीं और इस महती समस्या में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये अहम भूमिका निभायी। लेकिन समय-समय पर इन अनुदानित शिक्षण

(श्री राजेन्द्र पारीक)

संस्थाओं को सरकारी तुगलती आदेशों से भारी समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें कभी समय पर वेतन नहीं मिलता एवं कभी अन्य कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। मैं निम्न प्रश्नावली के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर इनका निवारण करें : —

(1) माननीय न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी राशि दिये जाने के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को उक्त राशि पर अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, जो न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

(2) अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को विगत चार माह से वेतन नहीं मिलने का कारण अनुदान राशि का स्वीकृत न होना है। क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को सेवा से पृथक् करने सम्बन्धी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तत्संबंधी नियम, 1993 के नियम 39 में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो शिक्षा निदेशक के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी को कर्मचारियों की सेवा पृथक्करण सम्बन्धी अनुमोदन किये जाने के अधिकार क्यों सौंपे गये हैं? तथा यह भी बताएं कि अनुदान नियम, 1993 में क्या संशोधन किये गये हैं?

(4) क्या शिक्षा सत्र 1998-99 में अनुदानित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के पदों की प्रथम बार बारी कटौती करने के राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किये हैं? क्या संस्था व्यवस्थापकों को अनुबन्ध प्रथा के आधार पर कर्मचारी रखे जाने के आदेश सरकार ने जारी किये हैं? क्या ऐसे अनुबन्ध पर रखे जाने वाले पदों के लिये सरकार अनुदान देगी?

(5) क्या अनुदानित पद पर कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उस पद पर अनुदान बन्द करने सम्बन्धी आदेश प्रसारित हुये हैं? यदि हां, तो उस पद की पूर्ति के लिये क्या कोई विकल्प दिया गया है?

(6) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित सरकार द्वारा गठित चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट चार वर्ष बीत जाने के बाद भी विधान सभा की मेज पर क्यों नहीं रखी गयी है?

कृपया शिक्षा मंत्री महोदय इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की शंका निवारण हेतु उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंहजी भाटी।

बीकानेर शहर में धारा 144

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है कि कोलायत क्षेत्र में 5 जुलाई से धारा 144 लगा रखी है और बीकानेर शहर में 26 जुलाई से धारा 144 लगा रखी है। चूंकि सरकार ने मुझे आश्वस्त किया है कि आज

(श्री देवीसिंह भाटी)

इसका निपटारा कर देंगे, इसलिये आपसे अनुरोध है कि इसको पढ़ा हुआ माना जाए।

कार्य एवं संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत बीकानेर शहर में धारा 144 लगाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जिला प्रशासन द्वारा बीकानेर शहर में दिनांक 26 जुलाई से धारा 144 लगाने से बीकानेर के लोग अचंभित हैं। तथाकथित विवाद स्थल कोलायत में है, वहां पूर्व में, 5 जुलाई से धारा 144 लगायी हुई है। फिर बीकानेर में इसकी आवश्यकता क्यों हुई? सफेद मिट्टी के खदान मालिकों व कोलायत ट्रक यूनियन में कई वर्षों से लिखित समझौता होकर शांतिपूर्वक कार्य चल रहा था। कुछ असामाजिक व झगड़ालू ट्रक वालों ने कोलायत में दूसरी तहसील व अन्य जिलों के ट्रकों को कोलायत इकट्ठा कर झगड़ा शुरू कर दिया तथा दिनांक 21-7-98 को धारा 144 का उल्लंघन कर गिरफ्तारी दी। खदान मालिकों द्वारा एक माह से खनन बन्द होने से प्रशासन को दिनांक 20-7-98 को लिखित में कोलायत यूनियन के ट्रकों से माल परिवहन करने का आग्रह किया। पुलिस संरक्षण में ट्रक रवाना हुये। जिस पर दिनांक 23-7-98 को थाना लुहावट, जोधपुर जिले में एक ट्रक तोड़ दिया गया व एक जला दिया गया। इसी दिन कोलायत खदानों में जाकर दो खड़े ट्रकों को टक्कर मार कर तोड़ दिया गया। मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की गयी है। कोलायत के लोगों के एक माह से हथियार जमा कर रखे हैं, जबकि अन्य तहसीलों के ट्रकों से सम्बन्धित एक भी व्यक्ति के हथियार जमा नहीं करवाये गये। कोलायत के लोगों को धारा 107/151 में पाबन्द कर दिया है, दूसरे पक्ष को पाबन्द नहीं किया है।

जिले के लोगों की समझ से बाहर है कि खदान मालिक स्वेच्छा से कोलायत यूनियन को माल दे रहे हैं, पर्चियां दी हुई हैं, फिर भी उनको कार्य क्यों नहीं करने दे रहे हैं।

कोलायत के पांच हजार खान मजदूर एक माह से बेकार हो गये हैं। मोटर पार्टस, होटल, परचून दुकानों की बिक्री बन्द प्रायः है। धर्म कांटों पर ट्रक तुलना बन्द हैं। एक ही पैट्रोल पम्प की रोजाना की बिक्री 20 से 25 हजार लीटर की जगह 5-7 हजार लीटर पर आ गयी है। आज कोलायत बन्द है, मजदूर हड़ताल पर हैं, बीकानेर में स्थिति असन्तोषजनक है। कृपया सदन में चर्चा का अवसर प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूंजालाल गरासिया।

बांसवाड़ा में वन विकास एवं निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों के वेतन का भुगतान

श्री पूंजालाल गरासिया (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदया, कार्य एवं संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बांसवाड़ा जिले के वन विभाग के कार्यों में लगे श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिले में वन विकास एवं निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों को अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। इसमें देरी का कारण नई भुगतान प्रणाली

(श्री पूंजालाल गरासिया)

के आदेश हैं जिसमें गैंग के मुखिया के नाम बैंक ड्राफ्ट दिया जाता है। 15 व्यक्तियों की एक गैंग बतायी जाती है, उनका एक मुखिया होता है जिसके नाम से बैंक में खाता खुलवाना होता है। ड्राफ्ट जमा कराने के बाद नकद राशि उठाकर मुखिया श्रमिकों में वितरित करता है। वह न तो निर्वाचित जन प्रतिनिधि होता है और न ही सरकारी कर्मचारी। इस जनजाति क्षेत्र में लोगों में शिक्षा के अभाव में बैंक से भुगतान प्राप्त करने में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मुखिया के पास खाता खुलवाने की राशि भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। यदि किसी प्रकार यह भी हो जाए तो इस बात की कोई सुनिश्चितता नहीं कि मुखिया श्रमिकों को भुगतान कर देगा। बैंक भी अलाभकारी खाते खोलने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः इस प्रक्रिया के गुणावगुण पर पुनर्विचार कर जनजाति उपयोजना में इसे बन्द किया जाए। वर्तमान में रक्षा बन्धन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार आ रहे हैं जिनमें सामाजिक परम्पराओं के निर्वहन हेतु रुपयों की आवश्यकता है, अतः पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया से श्रमिकों का भुगतान शीघ्र करा दिया जाए। माननीय मंत्रीजी इस सम्बन्ध में आश्वासन दें, यही मेरा निवेदन है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर। शून्यकाल का ध्यानाकर्षण है आपका।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : मैं आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आबकारी विभाग में सहायक आबकारी अधिकारी एवं आबकारी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव डी. पी. सी. के समक्ष विचाराधीन हैं। डी. पी. सी. द्वारा उन सहायक आबकारी अधिकारियों को कंसीडर किया जा रहा है, जो निर्धारित अनुभव नहीं रखते और न जोन ऑफ कंसीडरेशन में आते हैं। उन्हें विभाग द्वारा छूट का लाभ मात्र अधिकारियों के चहेते होने के कारण दिया जा रहा है एवं इसमें अनियमित, भ्रष्ट एवं नियम विरुद्ध विचार किया जा रहा है। अतः मैं माननीय आबकारी मंत्रीजी का ध्यान इस अनियमित कार्यवाही को रोकने के लिये आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्र मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम चांदेरा, जो कि पंचायत हैड क्वार्टर है, का सड़क का कार्य पिछले चार सालों से अधूरा पड़ा हुआ है जिससे आस-पास की जनता को घोर परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बालाजी मोड़ से मिड-वे के सामने से सड़क के अधूरे पड़े कार्य को चांदेरा पंचायत हैडक्वार्टर तक शीघ्र पूरा करें, क्योंकि बालाजी मोड़ से बतोली के खेत तक रोड बन चुकी है एवं बतोली खेत के आगे से ग्रेवल रोड चांदेरा तक बन चुकी है, इस पर लाखों रुपयों का खर्चा हो चुका है। मंत्री महोदय, आपसे मेरी अपेक्षा इसलिये भी है कि आप भी बालाजी के भक्त हैं और मैं भी बालाजी

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

का भक्त हूं, और यह बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। आज ही आप इस बालाजी की कृपा को देखते हुये, उस स्थान की महत्ता को देखते हुये घोषणा करें कि पिछले चार साल से सड़क का जो कार्य अधूरा पड़ा है उसको मैं तुरन्त करवा दूंगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसमें राजस्थान परिवार कल्याण कार्यक्रम में दूरबीन नसबंदी के लिये काम आने वाले लेप्रोस्कोप आधे से ज्यादा खराब पड़े हुये हैं। राज्य में लगभग 800 हैं, इसमें से 450 खराब पड़े हैं। चिकित्सा अधिकारियों ने बार-बार आपको लिखा लेकिन आज तक एक भी न तो दुरुस्त कराया, न कोई नये खरीदने की आपने व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम पर भी आप मौन साधे हुये बैठे हो। आपने इसमें एक जवाब भी दिया था कि हमने केन्द्र सरकार को लिख दिया है, क्या केन्द्र सरकार को लिखने से ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का काम चल जाएगा? आप इनको बजट क्यों नहीं देते? क्यों नहीं ठीक कराया जा रहा है इनको? ठीक नहीं होते हैं तो इनके स्थान पर मेहरबानी कर के नये खरीदवा दीजिये, क्योंकि ये 18 वर्ष पुराने हैं। इसके कारण यह कार्यक्रम फेल हो रहा है इसलिये मेहरबानी करके इनकी जगह नये दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हैपेटाइटिस-बी के रोग से अब तक, स्वास्थ्य मंत्रीजी, दो डाक्टरों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी हैपेटाइटिस-बी का जो डाक्टर्स इलाज करते हैं उन डाक्टर्स ने मांग की थी कि आप हमारे टीका लगवाइये, हमें बचाने के लिये हमारी रक्षा करिये लेकिन, उपाध्यक्ष महोदया, बड़े दुःख की बात है कि इन्होंने न तो डाक्टर्स के टीके लगवाये, न इंजैक्शन लगवाये, इसके कारण दो डाक्टरों की मौत हो चुकी है। अब हैपेटाइटिस-बी का इलाज कौन करेगा? वही करेगा जो अपनी मृत्यु को बुलाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्रीजी से भी कई बार ये लोग आकर मिले हैं, मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया है इनको कि आगे मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मेहरबानी कर के बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुद्दा है और डाक्टर्स की जिंदगी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। एक बिंदु राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार कल्याण और परिवार नियोजन से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने कहा कि लेप्रोस्कोप जिसका उपयोग दूरबीन से नसबंदी करने में किया जाता है, वे बड़ी मात्रा में खराब हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह की बात नहीं है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जितनी माननीय सदस्य ने कही है। ये लेप्रोस्कोप भारत सरकार अपने परिवार कल्याण मद में से राजस्थान सरकार को देती है, फिर भी मैं पूरी जानकारी प्राप्त कर लूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है सीमित परिवार की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाना। इस अवधारणा को पूरा करने के लिये, उपाध्यक्ष महोदया, लेप्रोस्कोप और दूरबीन से होने वाली नसबंदियां एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है।

दूसरा, हैपेटाइटिस-बी की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। उपाध्यक्ष महोदया, निश्चित तौर पर पिछले वर्ष जब चिकित्सकों ने आन्दोलन किया था तब उनकी यह मांग थी कि जो चिकित्सक रिस्क एरिया में रहते हैं उनको हैपेटाइटिस-बी इंजेक्शन सरकार मुहैया करवाएं। उपाध्यक्ष महोदया, हमने बजट में प्रावधान किया है, इसकी खरीद कर चिकित्सक और इनके साथ लगे विभागीय कर्मचारियों को ये लगें, निश्चित तौर पर इसकी माकूल व्यवस्था करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलालजी खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं उदयपुर संभाग के बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उदयपुर संभाग के वकील पिछले 18 वर्षों से इस बात के लिये हड़ताल पर रहते हैं और उस हड़ताल के कारण सभी न्यायालय बंद रहते हैं कि उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट की एक बैंच स्थापित की जाए। उपाध्यक्ष महोदया, यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां बहुत गरीब और जनजाति समुदाय रहता है। यहां के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिये जोधपुर तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं उदयपुर का जेल सुपरिटेंडेंट रहा हूं चार साल तक, मुझे मालूम है कि छोटे-छोटे अपराधों में जनजाति के लोगों को जेल में तीन-चार साल तक रहना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, आप थोड़ा सा मेरे मुद्दे पर ध्यान दें कि तीन-चार वर्ष तक छोटे-छोटे अपराधों में वहां के जनजाति के और गरीब तबके के लोगों को जेल में रहना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यही है कि जोधपुर तक खर्च वहन कर के अपने प्रकरण में पैरवी करने की क्षमता उनकी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, सिरोही आपका जिला है और सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद यह सारा गरीब इलाका है, जनजाति का इलाका है, मेरा निवेदन यह है कि इस क्षेत्र में यदि हाई कोर्ट बैंच की स्थापना नहीं होती है तो वहां के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। उपाध्यक्ष महोदया, वो अपराध कैसे-कैसे करते हैं? छोटे-छोटे। हम जब उसकी जांच करते थे तो वो बताते थे कि मैंने एक व्यक्ति के घर में से दो रोटी चुरा ली, मैंने एक व्यक्ति के घर से पांच किलो मक्की चुरा ली। अब ऐसे छोटे-छोटे अपराध में उनको न्याय नहीं मिल पाता है, नीचे की अदालतों में उनकी जमानतें नहीं हो पाती हैं, इसलिये उनको बड़ी परेशानी होती है और

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

जोधपुर तक जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा बहाना यह लिया जाता है कि हाई कोर्ट के जजेज की ओपीनियन वहां पर बैंच स्थापित करने के लिये नहीं है। मेरा कहना है कि इसमें राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। वहां के संभाग के इंचार्ज हैं माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी, वहां के बड़े महत्वपूर्ण पद धारित माननीय कैलाशजी मेघवाल, माननीय गुलाबजी कटारिया, माननीय वी. पी. सिंहजी, ये सब नीति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदया, हाई कोर्ट मना भी करे तो भी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें गरीब जनता को यह सुविधा मुहैया करानी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उदयपुर संभाग के लोगों की इस समस्या के निराकरण के लिये राजनीतिक निर्णय लेकर वहां पर हाई कोर्ट बैंच खोलें तो निश्चित तौर से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इसी मुद्दे के लिये माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेत सिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा यह नम्र निवेदन है कि मेरे चुनाव क्षेत्र शेरगढ़ के अन्दर बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है और वह अन्याय शिक्षा मंत्रीजी कर रहे हैं। 1996-97 के बजट के अन्दर यह घोषणा की थी कि जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक शालाएं नहीं हैं हम उन ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर एक-एक प्राइमरी स्कूल को मिडल स्कूल बना देंगे। यह 1996 के बजट की घोषणा है। यहां पर बड़ी टेबलें बजी थीं। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि उस अर्से को काफी समय गुजर गया, हम यह सोचते थे कि पहले वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों का करेंगे, लेकिन अब तो काफी उनके सब के काम हो गये, हम को इतना पीछे आप क्यों रख रहे हैं? दो साल गुजर गये, आज भी मेरे क्षेत्र के अन्दर सात ऐसी पंचायतें हैं कि जिनके अन्दर प्राथमिक शालाएं हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपने मुझे जवाब में यह कहा कि यदि उन क्षेत्रों के अन्दर दूसरे कोई स्कूल नहीं हैं। मैं आपसे आप कहो तो स्टाम्प पर लिख कर देने को तैयार हूं, अभी मैंने एक पत्र भी आपको दिया है कि इन सातों पंचायतों के क्षेत्रफल में कोई दूसरी मिडल स्कूल नहीं है। इसलिये कृपापूर्वक आज ही यह घोषणा कीजिये और उस बजट की आपकी घोषणा अनुसार यह कहिये। यह भी कह दीजिये, और जांच कर लीजिये लेकिन इसी सत्र के अन्दर ये सात स्कूलें आपको उच्च प्राथमिक शालाएं करनी चाहिये, यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी रावत।

श्री खेत सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं सारे सदन को इस बात का आश्वासन दे रहा हूं कि यदि कहीं हमारे रिकार्ड में भूलचूक हो गयी और उसके कारण

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से यदि पूरी पंचायत में कोई भी छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि सैकण्डरी स्कूल भी उस पंचायत में कहीं है तो वह छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ाने से कवर हो गया, मगर उससे वंचित रहा तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार की घोषणा है उसके अनुसार राज्य सरकार केवल आपके ही क्षेत्र में नहीं, राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अगर यह कमी रह गयी तो उसकी पूर्ति करेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : मेरे क्षेत्र में आनीसर ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है आज तक। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ताला लग रहा है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, रामचन्द्रजी बोल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बनाड़ी गांव में एक बांध दस साल पहले बना था, करीब 100 बीघा पक्की जमीन उस बांध के अन्दर पांच गांवों की डूब में आ गयी है। टोड़ा, रामपुरा, बनाड़ी और भूरीबड़ात, इन पांच गांवों की जमीन करीब 100 बीघा उस पानी के डूब में आ गयी है। आज तक उस सौ बीघा जमीन को किसान न तो बो सकते हैं और न उचित मूल्य बाजार भाव से उनको मुआवजा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा बाजार दर से दें। पहले जमीन एक्वायर करें और जमीन एक्वायर करने के बाद उनको मुआवजा दिलाएं। आज बांध को बने हुये करीब दस साल हो गये, दस साल से न तो वे जमीन काश्त कर सकते हैं और न दूसरी जमीन खरीद सकते हैं और न उनको मुआवजा मिला। इस तरह उन गरीब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। वे इस तरह रह गये कि इस बांध का पानी निकल जाएगा तो वे अपनी जमीन की काश्त कर लेंगे, मगर सिंचाई ज्यादा नहीं होने के कारण से अपनी जमीन को वे काश्त नहीं कर सके और सरकार उनकी जमीन को एक्वायर नहीं कर सकी और न उनको मुआवजा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उचित मूल्य बाजार दर से किसानों को मुआवजा दिलाएं। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, सीकर में कुशलपुरा एक गांव है, 17 तारीख को शराब के ठेकेदारों द्वारा गांव के घूड़ाराम को नाजायज पीटा गया जो अपनी बच्चियों से साथ जा रहा था। वहां पर वे शराब की नाजायज दुकानें लगाते हैं। उनके पास आदमियों का जोर होता है, उसके सहारे फोरेस्ट की जो पहाड़ियां हैं, उनसे वे खनन करते हैं और नाजायज लोगों से रायल्टी वसूल

(श्री राजेन्द्र पारीक)

करते हैं। इसके लिये मैंने 21 तारीख को स्थगन प्रस्ताव के जरिये विधान सभा को जानकारी दी थी और माननीय गृह मंत्रीजी ने मुझे आश्वस्त किया था कि वहां पर हम पूरी पुलिस की व्यवस्था करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं बड़े विनम्र भाव से आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब के बावजूद भी आज वहां पर आतंक बना हुआ है। कल उन शराब के ठेकेदारों द्वारा कुशलपुरा में काफी बड़ा झगड़ा किया गया जिसमें 500-700 लोग इकट्ठे हो गये। गनीमत समझिये कि पुलिस समय पर पहुंच गयी अन्यथा वहां पर कोई बड़ा हादसा होने की स्थिति थी। मैं बार-बार माननीय गृह मंत्रीजी को और इस सदन को इस बारे में जानकारी देता रहा हूं, इसके बावजूद भी जो स्थिति बनी हुई है, आज भी उतना ही आतंक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, शराब की जो लाइसेंसशुदा दुकानें होती हैं उनके अलावा, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने और वित्त राज्य मंत्री महोदय ने स्पष्ट हाउस को एश्योर किया है कि यदि लाइसेंस के अलावा कहीं पर दुकानें हैं, खास तौर से मन्दिरों और स्कूलों के सामने, तो उनको हटवाएंगे। मैं आपके माध्यम से वित्त राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांव कुशलपुरा, ग्राम घूंघारा, ग्राम पीलियां का ढलर, जहां ठीक स्कूल के दस फीट की दूरी पर शराब की नाजायज दुकानें लगी हुई हैं और ठेकेदार वहां पर पूरी गुण्डागर्दी करते हैं। उन्हीं शराब के ठेकेदारों द्वारा ग्राम कुशलपुरा में गलत खनन किया जाता है, लोगों से रायल्टी वसूल की जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपके विभाग द्वारा रायल्टी और निश्चित बिक्री कर की जो चौकियां स्थापित की गयी हैं, उनमें सीकर तहसील में ग्राम देवीपुरा, सांवली, पिपराली और रेल्वे स्टेशन, सीकर इन चार के अलावा कोई भी आपकी चौकी नहीं है जहां वे टैक्स वसूल कर सकें या रायल्टी वसूल कर सकें। इसके बजाय फोरेस्ट की पहाड़ी पर वे लोग नाजायज कर वसूलते रहे हैं, वे स्वयं नाजायज वहां पर खनन कर रहे हैं, खुद बिक्री कर रहे हैं और गांव वालों के विरोध करने पर जाकर वहां मारपीट करते हैं। कल दिन में ढाई बजे ये शराब के ठेकेदार सैकड़ों की तादाद में गये और वहां पर जाकर बहुत झगड़ा किया, जिससे गांव में आज भी आतंक की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय खनन मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उनसे और वित्त राज्य मंत्रीजी से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं उनको रोकिये ताकि वहां पर कोई बड़ा हादसा नहीं हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, स्वयं उप मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में यह कहा है कि चौकियों के अलावा कोई वसूली नहीं होगी, इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हो गया ध्यानाकर्षण।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय विधायक ने आज सवेरे मेरा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया, पहले भी किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको आश्वस्त किया है

72

(श्री कैलाश मेघवाल)

और मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि डी. आई. जी. रेंज को मौके पर भेजकर सारी स्थिति का जायजा लेकर पीड़ित पक्ष को पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आप वहां पर आर. ए. सी. की कम्पनी भिजवाएं, वहां पर बड़ा झगड़ा कभी भी हो सकता है। कल भी करीब 500 लोग वहां पर इकट्ठे हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बिराजिये। बात हो गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का.....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, वित्त राज्य मंत्रीजी बिराजे हुये हैं। यदि उनके पास लाइसेंस नहीं है तो कृपया उनको हटाने की व्यवस्था करिये, माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय। कुशलपुरा गांव में ठीक स्कूल के सामने दारू का ठेका लगा हुआ है। जवाब दें कोई, है तो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, हो गया। शिवनाथ सिंहजी बोल रहे हैं। गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय गृहमंत्रीजी, आपने जवाब अच्छा दिया, हम उससे संतुष्ट हैं लेकिन मूल रूप यह वे समस्या आबकारी डिपार्टमैन्ट से है, इसलिये आप कृपया संवेदनशीलता से लें। कोई मारपीट हो जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : समस्या वित्त राज्य मंत्री से जुड़ी हुई है, शराब के ठेकेदार वहां पर गुण्डागर्दी करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आबकारी मंत्रीजी का.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया उन्होंने, बिराजें आप। शिवनाथ सिंहजी बोल रहे हैं, मैंने उनका नाम पुकारा है। डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : अगर वहां नाजायज शराब की दुकानें हैं तो आप कुछ कहिये। शराब के ठेकेदारों ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। उपाध्यक्ष महोदया, कौन चाहता है इस तरह की बात? आप बिराजे हुये हैं, आपको जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : आबकारी राज्य मंत्रीजी, लाइसेंस की दुकानें नहीं है, आप उनको हटा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं डी. आई. जी. रेंज को इस बात के लिये भी निदेशित करूंगा कि अगर मान्यता प्राप्त शराब बेचने की दुकान के अलावा कोई दुकान है तो उसको बन्द करवाया जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह जोरदार बात हुई। यदि आप यह काम कर देंगे तो पूरा राजस्थान सुधर जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब शिवनाथ सिंहजी को बोलने दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां हमेशा शिकायत रहती है कि आयुर्वेद औषधालयों में वैद्यों की कमी है। लेकिन प्रशिक्षित और आयोग से चयनित बहुत से आयुर्वेद चिकित्सक हैं जो आज भी मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको पदस्थापन के आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, 721 लोगों की सूची बनी थी उसमें से 212 वैद्य पहले से ही कार्यरत थे। उनको देने के बाद, 721 में से 212 कम होने के बाद बाकी 313 जो स्थान हैं, इनकी सूची आरक्षित रखी गयी थी। मेरा निवेदन है कि आज जो स्थान खाली हुए उनमें आरक्षित सूची में से इन वैद्यों की नियुक्ति की जाए। एडहॉक तरीके से जो आपने लगा रखे हैं, जो लोक सेवा आयोग से चयनित नहीं है, उनको आप रखे हुए हैं। उनका आप समाधान कीजिये लेकिन जो लोक सेवा आयोग से चयनित हो गये और जो आरक्षित सूची में हैं उनको आप प्राथमिकता दीजिये। क्योंकि इनमें बहुत-से ऐसे भी वैद्य हैं जो ओवरएज होने वाले हैं। इसलिये उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई निराकरण करें और आरक्षित सूची में जो वैद्य वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको पदस्थापन करने की चेष्टा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इस मामले में यह कैसी विडम्बना है कि जिनका चयन आर. पी. एस. सी. से हो गया उनको तो नियुक्ति दी नहीं जा रही है।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मीनाजी, इन्हें कहने दीजिये। इनकी पर्ची है।

श्री जगदीप धनखड़ : .....यह अत्यन्त विडम्बना का विषय है कि जिनका चयन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से विधिवत् तरीके से हो गया, जिनके नाम की सिफारिश राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कर दी, उनको तो दरकिनार किया जा रहा है। वे न्यायालय में भी गये, न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश दे दिया। और प्रिफरेंस किनको दी जा रही है, मान्यवर? जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एक्जामिनेशन पास नहीं किया है, जिनका एडहॉक अपाइंटमैंट था। तो, मान्यवर, यह अत्यन्त अन्यायपूर्ण कदम है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को जो आन्दोलित हैं, जो आन्दोलन लगातार कर रहे हैं, उनको राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना जी।

श्री शिवनाथ सिंह : आयुर्वेद मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री अचला राम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : आपने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन राष्ट्रपति शासन में और उसके पहले जो नियुक्तियां हुई, करीब 299 चिकित्सक हैं जिनको सात-सात साल, छह-छह साल हो चुके हैं, आप उनको प्राथमिकता चाह रहे हो कि

(74)

(श्री अचलाराम मेघवाल)

इनको चाह रहे हो, एक प्राब्लम तो यह है। उसके बाद अब जो नयी वेकेन्सीज हुई 153 के आस पास, अगर उसके विरुद्ध कोई भरने का होगा तो मैं इसको परीक्षण करवा लूंगा। परीक्षण करने के बाद भरूंगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है, इसके अनुकूल आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। 125 के आसपास होंगे, इन्होंने बताया नहीं है लेकिन 125 होंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आप इतना कहो कि अब जो स्थान आपके पास खाली हैं उन स्थानों को इन आरक्षित लिस्ट में से भरा जाएगा। इतना ही पूछना चाहते हैं हम तो।

श्री अचलाराम मेघवाल : आप तो वयोवृद्ध हैं, बहुत पुराने भी हैं, बहुत जानकार भी हैं, अगर इनको लिया जाता है तो उस दिन से हमें वेकेन्सीज करनी पड़ती हैं जिस दिन से विज्ञप्ति निकाली गयी है। यह संभव है या नहीं है, यह देखने के बाद ही मैं कह सकता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : इतने दिनों से आन्दोलित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, आप पड़ौस में मेरे पास बैठकर वहां गयी हैं, मौका तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी, आप भी बिराजिये।

श्री अचलाराम मेघवाल : आन्दोलित तो आपने किया है, आपसे निवेदन करता हूं कि उनका आन्दोलन वापस लीजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदया, पड़ौस का फायदा तो मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, अलवर शहर में नगर परिषद् के बिलकुल पास में कैडलगंज एक स्थान है, वहां खुदरा बिक्री की अनाज की ढेरी लगती है। वह अनाज की ढेरी सड़क पर नीचे एक चौक है उस चौक में लगती है। उसमें बरसात का पानी भर जाता है। उसमें मध्यम वर्ग के परिवार, गरीब परिवार अनाज लेने जाते हैं, दस किलो, पांच किलो, बीस किलो, जिस तरह भी लेते हैं, तो वहां सूअर, कुत्ते, गाय इतने घूमते हैं कि उन्होंने गंदगी फैला रखी है, कचरा फैला रखा है। इस गंदगी के कारण जनता को परेशानी और खुदरा जो बिक्री करने वाले हैं उनको परेशानी हो रही है। इसलिये एक सुझाव मैंने नगर परिषद में दिया था कि इनके लिये चबूतरे बनवाये जाएं और टीन शेड लगाकर इनकी व्यवस्था की जाए। मगर अभी तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। वह व्यवस्था अगर हो जाती है तो इससे नगर परिषद् को भी आमद होगी चाहे वे किराया लेवें, चाहे वे उसको बेचकर पैसा लेवें तो नगर परिषद् को भी फायदा होगा, जनता को भी राहत मिलेगी। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं, मंत्री जी यहां बिराजमान हैं, गरीब जनता की और खुदरा जो बिक्री करने वाले हैं उनकी समस्या को ध्यान से सुनकर उनकी समस्या को हल करिये। जय हिन्द। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में बालिका शिक्षा के बारे में बहुत उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई जा रही है। पिछले चार वर्षों से मैं बराबर विधान सभा में मंत्री महोदय से मिलकर भी बताती रही हूं। दूदू से लेकर चाकसू तक 80-90 किलोमीटर पड़ता है, इस पूरे इलाके में कहीं भी महिला शिक्षा विद्यालय नहीं है। बगरू में लड़कियां दसवीं पास करने के बाद घर बैठ जाती हैं क्योंकि 35 किलोमीटर बच्चियों को भेजने के लिये कोई तैयार नहीं है। शिवदासपुरा, शील की डूंगरी में मिडिल स्कूल है लड़कियों का। शील की डूंगरी पड़ता है 40-45 किलोमीटर जयपुर से, इतनी दूरी से लड़कियों को जयपुर भेजना बिलकुल संभव नहीं है। मैं बार-बार आग्रह करती रही हूं, बालिका शिक्षा पर आप बहुत ज्यादा भाषण देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिये आप यहां पर कहते हैं, आश्वासन देते हैं किन्तु उसके बावजूद भी पता नहीं मेरे निर्वाचन क्षेत्र से इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है कि एक भी महाविद्यालय उसमें नहीं खोला गया। बगरू कस्बा बड़ा कस्बा भी है, इसलिये मेरा निवेदन है कि एक तो बगरू में महाविद्यालय बालिकाओं के लिये अवश्य बनाया जाए। दूसरा जो मिडल स्कूल हैं बालिकाओं के, उनको क्रमोन्नत करें ताकि कम से कम 16-17 साल की लड़कियां तो वहां पढ़ सकें, क्योंकि मिडल स्कूल के बाद में बच्चियों को बाहर भेजना बड़ा मुश्किल होता है। दूर कोई सैकण्डरी स्कूल हो तब भी, जैसा मैं कह रही थी शील की डूंगरी में। इसलिये उनको क्रमोन्नत करने की मेहरबानी करें।

मेरा यह भी निवेदन है कि नेवटा, श्योपुर, कुमारियावास, ये तीनों 35 साल से मिडिल स्कूल बने हुये हैं। बराबर मैं लिखकर देती रही हूं लेकिन इसको क्रमोन्नत करके दसवीं कक्षा तक नहीं किया गया और उसके कारण वहां पर बालिकाएं पढ़ने नहीं जा सकतीं। कुमारियावास बहुत ही घिरा हुआ बिल्कुल अन्दर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजना बहुत मुश्किल है। कम से कम दसवीं तक कक्षा हो जाए, नेवटा में, जो अभी 35-35 साल के मिडल स्कूल हैं, तो वहां पर बच्चियां पढ़ सकेंगी। बालिकाओं की शिक्षा पर आपका इतना जोर रहा है, आप इसके बारे में बहुत कहते हैं कि हम बड़े संवेदनशील हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में महाविद्यालय बगरू में बनाएं और जिन स्कूलों के मैंने आपको नाम दिये हैं इनको क्रमोन्नत करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क–(अनुपस्थित)। श्री अर्जुनदास जी मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हर विभाग के कुछ नियम हैं जिनके अन्तर्गत मृतक परिवारों के आश्रितों को नियोजन दिया जाता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हर विभाग में जितना यह संवेदनशील विषय है उस पर उतना संवेदनशील न होकर, मैं यहां तक कहूंगा कि संवेदनहीनता ज्यादा दिखायी देती है। आज

(श्री अर्जुनदास मदान)

पिछले पांच वर्षों से, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री महोदय यहां बिराजमान हैं, कम से कम कोटा संभाग के 44 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता का देहावसान हो गया। देहावसान के उपरान्त आश्रितों को नौकरी दिये जाने का प्रावधान है, नियम भी हैं, उन नियमों के अन्तर्गत 44 परिवार ऐसे हैं जो केवल मात्र स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से ही सम्बन्धी हैं। उनमें से पांच वर्ष में केवल एक बालक को ही अभी तक नियुक्ति दी जा सकी है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर इस प्रकार से इतने संवेदनशील विषय पर भी निराशा लोगों की बढ़ती चली गयी तो जैसा कहा गया, Frustration leads to aggression. आदमी जब निराश हो जाता है तो फिर कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि वे बताएं। और जिलों का तो मैं कह नहीं सकता, कोटा के 44 बच्चों में से पांच साल में जब एक को दी तो क्या जब ये मर जाएंगे, फिर उनके आश्रितों को नौकरी देने का विचार है विभाग का?

श्री शांतिलाल खोईवाल : उन आश्रितों को तत्काल नौकरी दिये जाने की घोषणा करें, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। किशनाराम जी।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने एक स्लिप दी इसी में। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय यह बता दें.....

श्री उपाध्यक्ष : किशनाराम जी बोल रहे हैं, बिराजें आप। किशनाराम जी।

श्री किशनाराम नाई : बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री कालूलाल गूजर : मैंने स्लिप दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी स्लिप पर बोल गये। अब किशनारामजी की स्लिप है, बिराजें आप। किशनाराम जी नाम ले लिया, फिर बोल लें।

श्री कालूलाल गूजर : एक ही बात है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, किशनारामजी का नाम ले लिया, बिराजें। फिर आप बोलिये।

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदया, बहुत गम्भीर विषय है कि हैल्थ डिपार्टमेंट में तथापि कर्मचारी मर चुके हैं पर आश्रितों को पांच-पांच साल तक नौकरी नहीं दी जाती है। यह बात उचित तो नहीं है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदया, मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सदन के सामने यह वायदा करें कि एक महीने या दो महीने में कब उन आश्रितों को नौकरी दे देंगे। यह सदन के सामने कमिट कर लें तो बहुत अच्छी बात है।

(13.00 बजे)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो प्रकरण आते हैं मृतक आश्रितों को नौकरी देने के,....कई बार विभाग के द्वारा ढील होने से फाइनेंस डिपार्टमेंट में बरसों तक वे फाइलें पड़ी रहती हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित

(श्री कालूलाल गूजर)

करुंगा कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के जितने मामले यहां रैफर होते हैं उनमें डिले नहीं करें और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि फाइनेंस मंत्री महोदय से मिलकर इस समस्या का समाधान करने की अभी घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, राज्य के अन्दर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का एक नियम बना हुआ है, राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारी आश्रित अनुकम्पा नियम, 1996। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है। इसमें कोई शक नहीं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अलावा बाकी विभागों में भी मृतक आश्रितों को नौकरी देने में विलम्ब हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में वित्त विभाग ने 19-11-96 को एक प्रतिबन्ध लगाया था सरकारी नियुक्तियों पर, उस परिधि के अन्दर यह भी आ गया। उसके पश्चात् जब विभाग ने दुबारा कार्यवाही की तो फिर 3 जुलाई, 98 से अब प्रशासनिक विभाग को ही अधिकृत किया है कि मृतक के आश्रित जो पात्रता रखते हैं उन सबको नियुक्ति दे दी जाए। अभी लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा शहर के अन्दर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त करूंगा। परन्तु मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह सही नहीं है कि अभी तक पांच सालों में नियुक्ति नहीं दी गयी है। इसमें कोई शक नहीं है कि लगभग 158 लिपिक पद पर और लगभग 86 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आवेदन पत्र विभाग के पास लम्बित हैं और सौ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मृतकों के आश्रितों को नियुक्ति दी गयी है और 40 के लगभग लिपिक पद पर भी नियुक्ति दी गयी है, फिर भी चूंकि यह संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ विषय है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं स्वयं देखूंगा, एक माह के अन्दर-अन्दर विभाग में जो भी पात्र व्यक्ति हैं, मृतक आश्रित अधिनियम के अनुसार जो पात्रता रखता है, उन सबकी नियुक्ति के जितने भी लम्बित प्रकरण हैं, वे सारे लम्बित प्रकरण चाहे ज्वाइंट डायरेक्टर के पास हों, सी. एम. एच. ओ. के पास हों, सारी प्रक्रिया पूरी करा करके उनको नियुक्ति दी जाएगी एक माह के अन्दर सबको।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंहजी.....(व्यवधान) हो गया। चर्चा का विषय नहीं है। जवाब हो गया, चर्चा नहीं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : बहुत अच्छा जवाब हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दिया, किन्तु अन्य विभागों में जो लम्बित मामले हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशन मोटवानी : उनको यह आपका आदेश पता ही नहीं है कि फाइनेंस डिपार्टमैंट ने विदड्रा कर लिया। यह जानकारी मैं.....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान में आ गया। बिंदु ध्यान में आ गया।

श्री किशन मोटवानी : इसलिये कहना चाहूंगा कि कोई सक्षम व्यक्ति जवाब दे। शिक्षा विभाग वाले मंत्री जवाब दें। उल्टे लम्बित हैं आपके.....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : आश्रितों को अभी तक नौकरी नहीं दी गयी है। शिक्षा विभाग में भी बहुत हैं। 1995 में जिनकी मृत्यु हो गयी और 96 में कानून बदला, उनको किसी को मालूम ही नहीं है कि यह कानून-बदला है। उनको सूचना देनी चाहिये जिनके.....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदया, एक मैं निवेदन कर दूं.....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी कह रहे हैं, आप सुनिये तो सही। बिराजें। बिराजिये आप भी। .....(व्यवधान) बिराजिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट में मेरे गांव के एक व्यक्ति हैं, उसको नहीं मिली अभी तक सर्विस।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, पूर्व में यह नियम था कि कोई भी आश्रित, अगर मृत्यु पहले हो जाती थी तो पुराने आश्रितों को भी नौकरी दे दी जाती थी। किन्तु सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर हो गया, एक आदेश हो गया कि अगर मृत्यु के बाद 45 दिन में प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाए तो उनको नियुक्ति नहीं दी जाए। इस प्रकार का एक जजमैंट सुप्रीम कोर्ट का हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को मैं भी डील करता हूं और कोई कहीं विभागों में इस प्रकार की बात आती है तो मेरे पास आती है। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 45 दिन में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये होंगे उनको, और मैं तो मानीटरिंग करता हूं, सदा इस बात की मीटिंग्स करता हूं और मीटिंग्स के आधार पर इस प्रकार का निर्णय होता है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार इस बारे में संवेदनशील है और कोई भी थोड़ी बहुत ध्यान में देरी होगी और मेरे ध्यान में आप लाएंगे तो निश्चित रूप से आश्रितों को नौकरी दिलवाने में इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया करके उनको सहयोग किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : 1995 से पहले के 1994, 93 और 92 तक के लोग बैठे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : 91 से पहले 93-94 और 92 तक के लोग बैठे हैं.....(व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : फाइनेंस डिपार्टमैंट के पास गया है मामला। आपके विभाग का ही है, कहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमैंट .....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सारे एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा?

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक निवेदन करूं.....

श्री किशन मोटवानी : शिक्षा विभाग का ही मामला है, 45 दिन के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, सब एक साथ बोल रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आता।

श्री किशन मोटवानी : दरख्वास्त दी है, किन्तु आपका विभाग कह रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमैंट से स्वीकृति नहीं आयी है। मंत्री महोदय ने बताया कि 1998 में, वह जो प्रतिरोध था, जो आब्स्टेकल थी वह हटा दी गयी है, फाइनेंस डिपार्टमैंट से पूछने की अब आवश्यकता नहीं है। आपके विभाग वाले ही कह रहे हैं। मैं आपको यह दे दूंगा।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहनी है, 1995 में.....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। बिराजिये आप। मदानजी पूछ रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : 1995 में जो आदमी मरे थे, 1996 में मरे थे, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी है। 45 दिन पहले एप्लाई नहीं हो सकती थीं, उस टाइम से वे लम्बित हैं, आप उनके लिये क्या करोंगे? हाई कोर्ट ने तो अब आदेश दिया है लेकिन 1995 से भी ऐसे प्रार्थी हैं, 1996 में भी है, 1997 में भी है, और 98 में चार साल से घूम रहे हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट का.....

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे.....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप बार-बार कैसे खड़े हो जाते हो, समझ में नहीं आता, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आप। यह कोई चर्चा का विषय है? शून्य-काल है, ध्यानाकर्षण कर दिया, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। बोलिये, मदानजी, आप क्या कहना चाहते हैं?.....(व्यवधान) बिराजिये, श्रवणजी। श्रवणजी, बिराजिये। मूल प्रश्नकर्ता तो मदान जी हैं, उनको तो कुछ कहने ही नहीं दिया आपने। बिराजिये। बिराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : न्यायालय का निर्णय आये हुये अभी छह मास की अवधि बीती है, मेरा मूल प्रश्न यह है कि पांच-पांच वर्षों से जो केसेज लम्बित पड़े हैं, यह विषय तो छह महीने के बाद जब लागू होगा तब से होगा। आप कहें तो मैं व्यक्तिगत पांच नाम बता सकता हूं मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के जो विभिन्न विभागों में हैं। डायरेक्टर महोदय ने नियोजन देने की स्वीकृति भिजवा दी संबंधित विभाग को, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमैंट से वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के उपरान्त भी वित्तीय स्वीकृति के अभाव में उन लोगों को नियोजन नहीं मिल पाया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मेरे ध्यान में ले आएं, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंहजी। (व्यवधान) बिराजिये, अब कोई सवाल नहीं होगा। नहीं होगा सवाल।

श्री भीमसेन चौधरी : पी. डब्ल्यू.डी. का मेरे क्षेत्र का एक मामला है.....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति पीसांगन में तहसील भवन के लिये दो साल पहले स्वीकृति जारी हुई। तहसील भवन के स्थान के लिये पीसांगन की

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

पंचायत ने स्थान अलॉट कर दिया और कलक्टर, तहसीलदार और एस. डी. ओ. को वह जगह बता दी। सबने वह जगह पसन्द की लेकिन कुछ राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण, कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये वह जो जगह अलॉट हुई थी, उसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कलक्टर महोदय ने एस. डी. ओ. को कहा कि दूसरी जगह आप इसमें चयन करें। दूसरी जगह उनको बता दी गयी। दूसरी जगह भी माकूल थी लेकिन दूसरी जगह का भी चयन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदया, एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये ऐसे स्थान का भवन बनाने के लिये चयन किया गया है जो तालाब के पेटे में आता है और जब बरसात आएगी तो वह सारा तहसील भवन भी तालाब के पेटे में आने की वजह से पानी में डूब जाएगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जब पंचायत ने स्थान बताये हैं, दो-दो स्थान बताये हैं, उपयुक्त हैं, जनता भी चाहती है तो उन स्थानों के ऊपर ही तहसील भवन बनाया जाए। जैसी मेरे को अभी सूचना मिली है टेलीफोन से, वहां लोग आन्दोलित हैं, क्योंकि वहां निर्माण चालू कराने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि उस तीसरी जगह पर जहां बनाना चाहते हैं, वह स्थान उपयुक्त नहीं है। सरकार उस स्थान को और जो दो पहले के स्थान हैं उसको देख लें किसी को यहां से भेजकर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये नहीं बल्कि आम जनता जो तहसील में आएगी उसको लाभ देने के लिये, जो उपयुक्त जगह हो, वहां तहसील का भवन बनाया जाए, मेरी यह राज्य सरकार से मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं विशिष्ट योजना राज्य मंत्री जी का और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, दोनों का ही एक साथ। 1500 और 1000 की आबादी वाले गांव जिनमें डोब है, हबीपुर है, जैतपुर है, किशोरपुर, रामगढ़, मुराना है, खेलड़ी और विधरणा है, इनकी 1500 से 1000 तक की आबादी है। इनमें सड़क निर्माण के लिये हमने फरवरी माह में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया, और मेरे प्रश्न में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने बताया कि जब वहां से स्वीकृति निकल जाएगी तो इनके अंदर सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। पहली बात तो मेरी यह है कि जो जिला विकास अभिकरण सवाई माधोपुर है उसमें वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के अंदर जे. आर. वाई. II और ई. ए. एस. के अंदर पी. डब्ल्यू. डी. ने स्वीकृति कुछ सड़कों की करवाई थी, जिनमें ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं और एक हजार की आबादी वाले गांव, 1500 की आबादी वाले गांव हैं। आज तक वे सड़कें पूरी नहीं हुई हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं सलमपुर, भिगौट्या, बूचोलाई है, ये ऐसे गांव हैं जो आपने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दे दिये और उन्होंने पी. डब्ल्यू. डी. को निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी, लेकिन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर ने उनका आधा पेमेन्ट तो पी. डब्ल्यू. डी. को कर दिया और बाकी का पेमैन्ट जो आगे काम करने के लिये है वह आज तक

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

नहीं भेजा। तो ठेकेदार भी यही बहाना लगा रहा है और आपका पी. डब्ल्यू. डी. भी यही कह रहा है कि हमारे पास पैसे तो आते ही नहीं, हम कहां से इसके लिये भुगतान करें और कहां से इसके लिये व्यवस्था करें। मेरा निवेदन विशिष्ट योजना मंत्रीजी से यह है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर को निर्देश दें, आदेश दें कि उनको तुरन्त भुगतान करें और जो नये गांव उसके लिये दिये हैं उनकी स्वीकृति भी शीघ्र निकालें और निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएं। यही मेरा आप दोनों से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर में एक बड़ा कारखाना है जिसका नाम जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स है, जो लगभग 30-35 साल से बहुत ही अच्छी तरह से लेबर के सहयोग से चल रहा था। लेकिन 1995 में उनका समझौता मैनेजमैंट का ड्यू हो गया था। जब लेबर ने उस समझौते के लिये प्रेस किया मैनेजमैंट पर, तो मैनेजमैंट वाले समझौते को करने से टालते रहे। इसके बाद 1996 में भरतपुर में बाढ़ आ गयी। उन्होंने बाढ़ का बहाना लगाया। फिर भी लेबर ने उनको सहयोग दिया, और इतना सहयोग करते रहे कि लेबर फैक्ट्री को विधिवत् रूप से चलाती रही। लेकिन 1997 तक मैनेजमैंट ने मजदूरों के साथ कोई समझौता नहीं किया। हालात इस बात से बिगड़े, मैनेजमैंट और मजदूरों में झगड़ा हुआ और इस वजह से मैनेजमैंट ने कुछ मजदूरों को सस्पैंड कर दिया। लेकिन सस्पैंड करने के बाद यहां तक हालात बिगड़े कि एक दिसम्बर को 400 मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। जब मजदूरों ने इस बात पर रोष दिखाया तो मैनेजमैंट ने 24 सितम्बर, 1997 से वह फैक्ट्री लाक-आउट कर रखी है, अवैधानिक रूप से उस फैक्ट्री को बंद कर रखा है और लेबर को तनख्वाह देने से मैनेजमैंट मुकर रहा है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर लेबर भरतपुर की है, उस पर 1500 लेबर आश्रित हैं और उसके साथ-साथ और लोग भी इनसे प्रभावित हुये हैं। इसलिये श्रम मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो मजदूरों की तनख्वाह एक दिसम्बर से आज तक नहीं दी है वह दिलायी जाए और फैक्ट्री को चलाने हेतु सरकार के स्तर पर प्रयास करने की, मैनेजमैंट को प्रेस करके श्रम मंत्रीजी कोशिश करें। जो हमारे मजदूर सस्पैंड किये हुये हैं उनको जीवन-यापन का भत्ता दिलाने में सरकार मदद करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान इटावा में डिग्री कालेज खोलने के संबंध में करना चाहता हूं। इटावा मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है, यहां पर जो वर्तमान में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय है उसमें 1500 छात्र अध्ययनरत हैं। इसी तरह से जो बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय है इसमें भी 600 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसके आसपास में दो और सीनियर हायर सैकण्डरी

(82)

(श्री रामगोपाल बैरवा)

विद्यालय खातौली में हैं और आस पास के सम्पूर्ण क्षेत्र में 14 माध्यमिक विद्यालय हैं। उन सभी के छात्रों को हायर सैकण्डरी तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिये 100 किलोमीटर की दूरी पर पार करके कोटा में आना पड़ता है। अनुसूचित जाति और जनजाति, गरीब वर्ग के जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं उनको 100 किलोमीटर की दूरी पर आने की वजह से उच्च शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इटावा में डिग्री कॉलेज खोलने का कष्ट करें। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरतसिंह।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भरतपुर में घाना बर्डस सैंक्चुरी विश्वविख्यात बर्डस सैक्चुरी है। पिछले कुछ वर्षों तक साइबेरियन क्रेन्स वहां पर काफी संख्या में आया करती थीं। धीरे-धीरे उनकी संख्या कम हुई और स्थिति यह आ गयी कि वहां पर साइबेरियन क्रेन्स का माइग्रेशन करीब-करीब बंद हो गया। पिछले साल 3-4 बर्डस वहां आयी थीं। इंटरनेशनल क्रेन्स फाउंडेशन, पर्यावरण विभाग और गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने 4 सारस क्रेन जो अमेरिका के अंदर अण्डों से हैज करके तैयार किये गये थे, 4 जनवरी, 1997 के अंदर 4 क्रेन्स हवाई जहाज से लाकर भरतपुर के अंदर इंट्रोड्यूस किये गये थे। इस आशय से इंट्रोड्यूस किये गये थे कि क्रेन्स जो हैं यहां पर सुरक्षित रह करके एक दिन वापस माइग्रेट करके साइबेरिया से और चीन से वहां जाएंगी और वहां पर जो इनकी संख्या में कमी हुई है उसमें बढ़ोतरी होगी। अभी पिछले हफ्ते एक सारस क्रेन मर गया, उसकी खबर अखबार में छपी थी। वह किस हाल से मर गया? उसके पहले जो जनवरी, 1997 में आये थे। एक सारस क्रेन सितम्बर, 1997 में मर गया। दो सारस क्रेन का अता-पता नहीं है। यह मानकर चला जा रहा है कि उनकी खबर भी नहीं है, वे मर चुके हैं तो चार जो सारस (क्रेन) भरतपुर में छोड़े गये थे अमेरिका से लाकर, इतने अफर्ट के बाद भी वे चारों के चारों सारस (क्रेन) मर चुके हैं। इससे हमारे यहां पर जो स्पेसीज लुप्त हो जाती हैं उसको इन्ट्रोड्यूस करने पर व्यापक सैटबैक लगा है। मेरा आपके माध्यम से वन मंत्री जी से, यहां उपस्थित नहीं हैं, निवेदन यह है कि जो लुप्त हो गये और लुप्त होने के कगार पर हैं हमारे यहां राजस्थान में जो सारस पाये जाते हैं उनकी भी संख्या बहुत घटती जा रही है, वन विभाग साइबेरियन क्रेन्स को तो नहीं बचा पा रहा है मगर जो सारस हमारे राजस्थान में, हिन्दुस्तान में हैं उनकी संख्या भी सिमट रही है, राजस्थान में जहां पाये जाते हैं उनको बचाने के प्रयास किये जाएं। नहीं तो जिस प्रकार से साइबेरियन क्रेन्स साफ हुये हैं, वह दिन दूर नहीं कि जो हमारे सारस (क्रेन्स) हैं वह भी लुप्त हो जाएंगे। इस सदन के अंदर दुर्भाग्य से हम वे समस्याएं जो मनुष्य से जुड़ी हैं, उन पर ही चर्चा करते हैं। हमारे साथ अनेक जीव जो इस विश्व में रहते हैं, जो धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं उस पर उतना ध्यान बिलकुल नहीं देते।

(श्री भरतसिंह)

यह भी एक अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सारस (क्रेन्स) जिनकी संख्या कम हो रही है उस पर ध्यान दें और जो दो चिड़ियाएं घूम रही हैं, जिनका अता-पता नहीं है, जिनके ट्रांसमीटर लग रहे हैं, वन विभाग कोई राशि घोषित करे, ईनाम घोषित करे उन दो चिड़ियाओं के लिये कि अगर इनकी कोई खबर देगा तो उसे यह विभाग की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि लाखों रुपये खर्च करने के बाद वे चारों सारस जो यहां लाये गये थे उनका अस्तित्व बिलकुल समाप्त हो गया है। मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान में कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त किये हुये कुछ ट्रेन्ड नवयुवकों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर आपरेटर्स की और डाटा एंट्री आपरेटर्स की कोई 2500 पोस्ट खाली पड़ी हैं, इसमें से 281 पोस्टों को भरने के लिये 1996 में विभाग ने एक विज्ञप्ति निकाली थी। एक हफ्ते बाद उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद में फिर उनके फार्म्स लिये गये और 100-100 रुपये प्रति फार्म फीस ली गयी। इसके बाद भी पिछले सितम्बर में उन्होंने वादा किया था कि हम सितम्बर में इसकी भर्ती करके दिसम्बर तक अपाइंटमैंट दे देंगे। लेकिन साल भर से अधिक हो गया, इन लोगों के 100-100 रुपये फीस के लिये गये हैं, ये लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार अब यह पालिसी कर रही बतायी कि हम इसको ठेके पर देना चाहते हैं, यानि नौजवान कम्प्यूटर ट्रेण्ड आदमी जिनकी कि एप्लीकेशन ले चुके हैं उन्हें सरकार नौकरी नहीं देकर ठेके पर काम देना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही गलत प्रथा है। उन नौजवान व्यक्तियों के लिये नौकरी देनी चाहिए। जिनके फार्म्स हैं उनमें से भर्ती करनी चाहिए और ठेकेदारी का सिस्टम खतम करके इनकी परेशानियों को हल करना चाहिए। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हमारे वित्त मंत्रीजी और वित्त राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पत्थर और बजरी पर सेल्स टैक्स वसूल करने के ठेके सीकर और झुन्झुनूं में दिये गये हैं। इसके बारे में सोमवार को ध्यानाकर्षण के माध्यम से जब इस सदन में यह मुद्दा उठाया गया था तो वित्त राज्य मंत्रीजी ने यह विश्वास दिलाया था कि मैंने जो प्रैस्क्राइब्ड सेल्स टैक्स चुंगी नाके घोषित किए हैं दोनों जिलों में, इनके अलावा जो भी नाके लगा रखे हैं, वे निरस्त कर दिए जाएंगे, वहां से वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन सोमवार को ही इस आश्वासन के बाद अकेले सीकर जिले में कोछोर में इन ठेकेदारों द्वारा बाजियावास में आम किसानों के साथ मारपीट की गयी और दो मुकदमें दर्ज हुये। कोटड़ी में मुकदमा दर्ज हुआ। यही नहीं, पिछले शनिवार को जब हमारे विद्युत मंत्रीजी सीकर गए थे तो कुशलपुरा के आसपास के 400 किसानों ने

(८५)

(श्री अमराराम)

उनको ज्ञापन दिया था कि ठेकेदार किस तरह से मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया कि इसका समाधान करेंगे, यहां चुंगी नाका नहीं है, इसलिये नहीं रहेगा। सोमवार को वित्त राज्य मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया था, इसके बाद 3 घटनाएं सीकर जिले में और चौथी घटना कल जिस तरह से हुई है, इन ठेकेदारों के लोगों ने कई जीपों में भरकर, फिल्मी अंदाज में पूरे कुशलपुरा गांव को चारों ओर से घेर कर फायरिंग की, लोगों को आतंकित करने के लिये कि मनमर्जी से सीकर और झुन्झुनूं जिले में जो वसूल कर रहे हैं इसका कोई प्रतिवाद न करे। इसके लिये कई जीपों से पूरे कुशलपुरा को चारों ओर से घेरकर उन्होंने फायरिंग की, लोगों के साथ मारपीट की, तब सब गांव वालों ने इकट्ठा होकर इनको पकड़ लिया।

मैं वित्त राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी सबसे पहली मांग यह है कि जिस तरह से सरकार वसूल करती थी, उस तरह से करे और इन ठेकेदारों को निरस्त करे। सदन के चलते हुये, मंत्रीजी के आश्वासन के बाद भी इस तरह से ये ठेकेदार कर रहे हैं, तो इस सदन के समाप्त होने के बाद मैं समझता हूं कि वे जिस तरह का + + + करेंगे उससे कानून और व्यवस्था की स्थिति निश्चित रूप से बिगड़ेगी। कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार पहले जिस तरह से वसूल करती थी, उसी तरह से वसूल किया जाए। सरकार की घोषणा और मंत्री के आश्वासन के बाद भी ठेकेदार नहीं मान रहे हैं, इससे जनता में असंतोष बढ़ेगा और सीकर और झुन्झुनूं जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और साथ मैं गृह मंत्री जी से भी कि जिन ठेकेदारों ने मारपीट की घटना की है, उन ठेकेदारों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इन ठेकों को निरस्त किया जाए और सरकारी स्तर पर वसूली की जाए, जिससे सरकारी वसूली भी हो और लोगों को अमन-चैन से रहने में भी सहायता मिले।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मेरी भी पर्ची है इसमें।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदया, गांव वालों के खिलाफ भी एफ. आई. आर. लॉज हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें। राजेन्द्रजी, बिराजिए। हर बात में कमेण्ट्स नहीं होते, बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में 3-4 दफा इस पर चर्चा हो चुकी है और माननीय वित्त राज्य मंत्रीजी ने कई बार इस बात का जवाब दे दिया। मैं स्मरण कराता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि पहले स्वर्णसिंहजी, पार्लियामैंट में फोरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, जब उनसे कोई सवाल पूछा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवनाथ सिंह)

जाता था तो वे भारत के आजाद होने से पहले विदेश नीति क्या थी, उसको घुमाते-घुमाते आज तक ले आते थे और पूछने वाले को कुछ पता ही नहीं लगता था कि आपने क्या कहा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से हमारा निवेदन है, उसका आप इतना-सा जवाब दें। एक तो आपने कहा था कि 90 रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से सेल्स टैक्स की वसूली होगी। माननीय उपाध्यक्षजी, 200 रुपये और 150 रुपये वसूल हो रहे हैं। मैंने पर्चियां और रसीदें माननीय मंत्री महोदय को दीं तो इन्होंने कहा कि 24 घण्टे में मैं इसकी जांच करा दूंगा। अभी आपने स्पष्ट रूप से कहा था, उन नाकों की जगह दी थी हमको कि झुन्झुनूं जिले में फलां-फलां जगह और सीकर जिले में फलां-फलां जगह चुंगी नाके हैं, इनके अलावा कोई वसूली नहीं होगी। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आश्वासन का और आपने जो सदन में वक्तव्य दिया था, उसकी एक पैसे भर भी पालना नहीं हो रही है और कुशलपुरा में इतना भयंकर काण्ड हुआ है। ये आज रोजाना हो रहे हैं।

माननीय मंत्रीजी, आप इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते, उन ठेकेदारों को नहीं रोक पाते हो तो कृपा करके ठेके कैन्सिल कर दीजिए और सरकार जिस तरह से वसूल करती आ रही थी, उसी तरह वसूल कीजिये या फिर इसका पुख्ता इन्तजाम किया जाए कि चौकियां जो आपने स्थापित की थीं, उनसे अलग कोई वसूली नहीं होगी और जो 90 रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से सैल टैक्स की रेट तय कर दी है, उससे अधिक पैसे नहीं होंगे। मैंने आपको जो पर्चियां दी हैं, उनकी जांच करवा लें, आप तो उसी आधार पर उनका ठेका कैन्सिल कर सकते हैं। उन्होंने 200 रुपये वसूल किए हैं और आप 90 रुपये की कह रहे हैं। इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, घुमा-फिरा में न रहकर सीधा-सा उत्तर हमको दीजिए ताकि हमारे पल्ले भी कुछ पड़ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंहजी। (व्यवधान) बिराजिए। मैंने कहा न हर प्रश्न पर कमेण्ट्स नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : यह बहुत सीरियस मामला है, ऐसे सीरियस मामले के लिये एक मिनट लूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सीरियस मामला है, सरकार के ध्यान में ला दिया है, बिराजिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : हाल यह है कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो रही है। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो गई है। एक जगह कुशलपुरा में ही नहीं, दस जगह इस तरह के केसेज बने हैं। इसको ओवरलुक करने के बजाय, मंत्री महोदय स्टेटमैंट दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, सरकार ध्यान दे रही है। कमेण्ट्स नहीं। जिन्होंने शून्य काल की पर्ची दी, वे बोल रहे हैं।

श्री नारायण सिंह : मंत्रीजी स्टेटमैंट दें कि इस तरह की कार्यवाही नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप नाराज तो मत होइए। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आर्त भाव से कुछ कह रहे हैं और आप तो गुस्से में हो गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, आप भी बिराजिये। मैंने महादेवसिंहजी का नाम ले लिया है, वे बोलेंगे, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी ने हाउस में स्वीकार किया है कि चुंगी चौकी के अलावा कोई वसूली नहीं की जाएगी।

श्री मोहनलाल मोदी : इस मामले में सारे सीकर और झुन्झुनूं के विधायक एक राय हैं। यह इतना बड़ा जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने का काम करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : महादेवसिंहजी बोल रहे हैं। मोहनलालजी, आप भी बिराजें।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं पहले तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटड़ी में परसों यह जो हादसा हुआ, चुंगी चौकी के टैक्स के मामले में..... ।

श्री उपाध्यक्ष : उप तहसील का मामला है आपका तो।

श्री महादेव सिंह : उस पर बाद में आऊंगा। वहां से लोग आए हैं। मंत्रीजी के स्टेटमैंट और आश्वासन देने के बाद में वहां इतना बड़ा रिएक्शन हुआ है। ठेकेदार यह कहते हैं कि हमने पहले पैसा जमा कराया है, मंत्री के घर से जाता क्या है, हम तो वसूल करेंगे। यह कहकर मारधाड़ कर रहे हैं हमारे खण्डेला के पास में जो कोटड़ी है, वहां तीन मुकदमें दर्ज हुये हैं। इनके कहने के बाद उन पर रिएक्शन हुआ है।

दूसरी बात, मैंने जो पर्ची दी थी, उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र का खण्डेला कस्बा जो एक नगरपालिका है, वहां पंचायत समिति हैडक्वार्टर भी है। पंचायत समिति है जिसमें 40 पंचायतें हैं और एक बहुत बड़ी नगरपालिका है, वहां. ए. सी. एम. कोर्ट भी है, वहां विद्युत विभाग के ए. ईएन. भी बैठते हैं, पी. एच. ई. डी. के ए. ईएन. भी बैठते हैं, वन विभाग का फोरेस्टर भी बैठता है, रैफरल अस्पताल भी है, बड़ौदा बैंक और ग्रामीण बैंक की शाखा भी है, बहुत बड़ा कस्बा है। 40 पंचायतें होने के बावजूद भी खण्डेला कस्बा आज तक उप तहसील है। आपके जिला कलक्टर ने, एस. डी. एम. ने और तहसीलदार ने, सबने यह रिकमण्ड कर दिया है कि खण्डेला में तहसील कार्यालय खोलें। आपके रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन एक बार निरीक्षण के लिये गए थे, उन्होंने भी यह रिकमण्ड किया है कि खण्डेला के अंदर तहसील खोलना अति आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में ज्यादा से ज्यादा 24 या 25 पंचायतें हैं, वहां तो तहसील हैडक्वार्टर है जबकि खण्डेला में 40 पंचायतें हैं, वहां आज तक तहसील कार्यालय नहीं खोला गया। खण्डेला की

(श्री महादेव सिंह)

आबादी और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पहाड़ी एरिया है और लोग दूर-दराज में पहाड़ों, गांवों और ढाणियों में बसे हुये हैं और श्रीमाधोपुर तक के लिये उनको 40-50 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। खण्डेला के पहाड़ी एरिये के जो गांव हैं उनमें आवागमन के कोई साधन नहीं हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खण्डेला के अंदर उप तहसील को क्रमोन्नत करके तहसील कार्यालय खोला जाए। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलालजी शर्मा (व्यवधान), यह क्या हुआ ? हर प्रश्न पर आप लोग खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सीरियस मामला है। (व्यवधान) लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी जिसको सरकार सम्भाल नहीं पाएगी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : सीकर और झुन्झुनूं से सम्बन्धित यह बहुत गम्भीर मामला है और सरकार के आदेशों की पालना वे ठेकेदार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के ध्यान में आ गया है, बिराजिए। हर प्रश्न पर खड़े नहीं होते।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उन ठेकेदारों को सरकार कण्ट्रोल नहीं कर सकती।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार यह कह दे कि उनको छूट हो गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पर्ची पर बोल गए, अब बनवारीलालजी को अपनी पर्ची पर नहीं बोलने देना चाहते। आपने अपने अवसर का उपयोग कर लिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : हां, पर्ची पर बोल दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात हो गई, सरकार के ध्यान में आ गई, बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : लोगों की जान को खतरा हो रहा है, मार रहे हैं लोगों को, सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी। (व्यवधान) इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार यह घोषणा कर दे कि उन ठेकेदारों को छूट दी है। वे लोगों के साथ मारपीट करें, लोगों के साथ चाहे जैसी वसूली करें, यह स्थिति चलती नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बनवारीलाल जी को नहीं बोलने देंगे ?

श्री मोहनलाल मोदी : वसूली हो रही है, मारपीट हो रही है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है और इसीलिये सब सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। इसलिये, मंत्री महोदय, कृपया इंटरवीन कीजिये। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदार कहते फिर रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, सभी सदस्यों ने जो विषय रखा है उस पर बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, माननीय पारीक साहब इस विषय को हल करवाना नहीं चाहते, इसको राजनैतिक बनाना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अनंग कुमार जैन : जोर से बोलना मुझे भी आता है। जबर्दस्ती बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं और बैल में आ रहे हैं। जोश में आकर मर्जी आए बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जवाब दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : अभी 5-10 मिनट पहले ही माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा कि डी. आई. जी. स्तर के आदमी को लगा रहे हैं। मैं सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, तत्काल ही डी. आई. जी. स्तर के आदमी को वहां भेजा जा रहा है। सम्पूर्ण प्रकरण की वे जांच करेंगे और जांच करके जो दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से केस दर्ज होगा, उनके खिलाफ जो भी कानून के अंतर्गत कड़े से कड़े प्रावधान होंगे वे लागू किए जाएंगे।

दूसरा आपने कहा कि अवैध चौकियां हैं। उसके लिये मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और जांच कराकर उन चौकियों को बंद कराया जाएगा। कानून को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा चाहे वो कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, क्योंकि वह समय तो समाप्त हो चुका है जब प्रभावशाली लोग सरकार के ऊपर बैठकर काम किया करते थे। अब यह तो वो सरकार है जिसमें प्रभावशाली व्यक्ति की बात नहीं चलती है, आम जनता के आदमी की बात चलती है, गरीब आदमी की बात चलती है। जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है उसकी बात सुनी जाती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनिए। यह क्या है?

श्री अनंग कुमार जैन : मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि निश्चित रूप से आज ही डी. आई. जी. स्तर के अधिकारी को वहां पर भेजकर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब इससे ज्यादा आश्वासन आप मुझसे क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप यह एश्योर करें कि कुशलपुरा गांव में यदि चौकी नहीं होगी तो कर वसूल नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, उन्होंने मारपीट की है गांव वालों के साथ। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने डी. आई. जी. स्तर के अधिकारी को भेजा है, वह तो जो मारपीट की है उसकी जांच करेंगे, लेकिन जो सैल्स टैक्स की नाजायज रूप से वसूली कर रहे हैं उसके लिये

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

किस अधिकारी को आप भेजेंगे? यह क्या मतलब है? डी. आई. जी. सेल्स टैक्स की कैसे कर लेंगे? कौन-कौनसे नाके हैं? जहां नाका नहीं है वहां वसूली कर रहे हैं, उसके लिये वे क्या करेंगे?

श्री अनंग कुमार जैन : मेरे विभाग के आई. ए. एस. अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर (एंटी इवेजन) को आज ही तत्काल मैं रवाना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बनवारी लाल जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : शून्यकाल में कौनसा पाइंट ऑफ आर्डर है? बिराजिए, माननीय रामस्वरूपजी। बनवारीलालजी बोल रहे हैं, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : छोटा-सा है और आपसे सम्बन्धित है। केवल एक मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। मैंने बनवारीलाल जी का नाम पुकार लिया है। आप बहुत विद्वान सदस्य हैं, बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बाद मेरा नम्बर आ जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं, बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइन्ट ऑफ आर्डर के लिए मैंने पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : महत्वपूर्ण मसला है, एक मिनट में क्या फर्क पड़ता है? आपने खुद ने कहा था कि मैं आपको एक मिनट दे दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आपको शून्यकाल में अवसर दे दिया गया है, अब बनवारीलाल जी बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं पाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा विनम्र निवेदन है, एक छोटा-सा मसला है। आपकी ही बात है, मेरी भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप हरेक मामले में बीच में खड़े हो जाते हैं, यह कोई बात नहीं हुई।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। मेरा विनम्र निवेदन है कि कल की सात बजे की टेलीविजन की न्यूज में एक खबर आयी थी, माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती तारा भण्डारी का चुनाव होगा, जिसके अंतर्गत विपक्ष के लोग बहिष्कार करेंगे और सत्ता पक्ष के लोग, माननीय भाभड़ा जी प्रस्ताव रखेंगे। यह न्यूज कल आई है, 3-4 दिन पहले की न्यूज कल आई है, बहुत + + + की बात

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है। इस विभाग का यह हाल हो गया कि तीन दिन पहले की न्यूज देते हैं। हम यहां बोलते हैं उस न्यूज को नहीं देते हैं और तीन-तीन दिन पुरानी न्यूज देते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी ? वह भी आपकी न्यूज। मुझे बहुत दुःख हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, सरकार जांच कराएगी। बिराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह हमारी उपाध्यक्षा का सवाल है, चुनाव होने के बाद इस तरह की न्यूज आती है।

एक माननीय सदस्य : आप सूचना विभाग को प्रताड़ित कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह सदन का और आपका अपमान है। हमारा अपमान किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, आगे नहीं। बनवारी लाल जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं पाइंट आफ आर्डर के संबंध में आपके ध्यान में एक बात लाना चाहती हूं। आप भी और कई बार माननीय अध्यक्ष भी माननीय सदस्य जब पाइंट आफ आर्डर उठाते हैं उनको बिना सुने ही कह देते हैं कि कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है और आप बिना सुने ही निरस्त भी कर देते हैं। पाइंट आफ आर्डर इस सदन का बहुत महत्वपूर्ण इश्यू होता है और तमाम कार्यवाही स्थगित करके उसको सुनना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को इसकी जानकारी है, माननीय सदस्या, बिराजिए आप।

श्रीमती कमला : बिना सुने और बिना रिजैक्ट किए ही आप पहले यह न कहा करें कि कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह सदस्यों के अधिकार के हनन का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को इसकी जानकारी है, बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : क्या विशेषाधिकार का हनन है ?

श्रीमती कमला : आपको भी पता है इस बात का।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर कब लाया जाता है, क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती कमला : पाइंट आफ आर्डर क्वेश्चन ऑवर में नहीं आ सकता, बाकी सब वक्त आ सकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहां लिखा है ? जरा रूल पढ़ें।

श्रीमती कमला : क्या लिखा है ? परम्परा है इस हाउस की और लिखा भी होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक विषय समाप्त होने और दूसरा विषय शुरू होने के बीच में पाइंट आफ आर्डर आता है।

श्रीमती कमला : एक विषय समाप्त हुआ और यह बीच में पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक माननीय सदस्य खड़े हो गए, वे बोल रहे हैं, उनको तो बोलने नहीं दे रहे हैं, यह क्या मतलब हुआ ?

श्रीमती कमला : आप उलटे-सुलटे इन्टरप्रिटेशन मत करिए। पाइंट आफ आर्डर टॉप प्रायोरिटी का आइटम होता है सदन के अंदर। उसको बिना सुने ही रिजैक्ट करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पाइंट आफ आर्डर किस पाइंट का है? यह अव्यवस्था है या व्यवस्था है? पाइंट ऑफ आर्डर व्यवस्था बनाये रखने के लिए होता है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप बहुत लेट हो गए यह बात समझाने के अंदर, माननीय मुख्य सचेतक जी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य बिराजें। आपको अनुरोध है, सभी माननीय सदस्य बिराजें। अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पाइंट ऑफ आर्डर एनी टाइम उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण सिंहजी, बिराजिए। (व्यवधान) बनवारी लाल जी शर्मा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। बनवारी लालजी शर्मा।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन यहां पर यातायात मंत्री जी नहीं हैं, फिर भी मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज रोडवेज बसों की क्या हालत और दुर्दशा हो रही है और यात्री उनसे कितने परेशान हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : स्टेटमैंट देंगे 131 में।

श्री बनवारीलाल शर्मा : 131 का अलग है, यह पर्ची में है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि 13-7-98 को जयपुर से ग्वालियर के लिए रोडवेज की एक सिल्वर लाइन बस जाती है। आप अंदाजा लगाइए, इतने लम्बे रूट की बस जाती है, 10 बजे का टाइम है, वह 12.30 बजे गई और उसकी स्थिति यह हो गई कि भरतपुर से आगे जाकर बीच में खराब हो गई। उस बस में यात्री धौलपुर के भी थे, आगरा के भी थे, ग्वालियर के भी थे। वह बस खराब हो गई। प्राइवेट बस होती तो उसके कर्मचारी, उसका बस कण्डक्टर, उसका ड्राइवर किसी दूसरी बस में बिठाने की व्यवस्था करते या पैसा वापस करते। यह आखिरी बस थी, जो खराब हो गई। वे लोग इतने परेशान हुए, न तो उनके पास पैसे थे, न उनके पैसे लौटाए। यात्रियों ने अपने निजी खर्चे से आगरा जाने के लिए दुबारा टिकट लिया और निजी खर्चे से वे ग्वालियर के लिए गये।

मेरा यह निवेदन है कि आज रोडवेज की बसों की हालत खराब हो रही है। उनकी सीटें फटी हुई हैं, कांच टूटे हुए हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है। इस कारण से काफी प्रयास करने के बावजूद भी आज यात्री आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। आपका किराया ज्यादा है, उनसे पैसा ज्यादा ले रहे हैं, उनको सुविधा दे नहीं रहे हैं। आज प्राइवेट बस वाले

(92)

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

के यह स्थिति आ जाती तो उस स्थिति में वह निश्चित तौर पर उनको मदद देता। यहां दो-दो स्टेट आते हैं, यू. पी. के यात्री भी आते हैं, मध्यप्रदेश के यात्री भी आते हैं, यदि इस प्रकार की स्थिति है.....यातायात मंत्रीजी आ गए मेरा यतायात मंत्रीजी से यह निवेदन है कि तारीख 13-7-98 को एक सिल्वर लाइन की बस जयपुर से ग्वालियर के लिए जाती है। अगर बस रास्ते में कहीं खराब हो जाए तो उन यात्रियों को अपने निजी खर्चे पर जाना पड़ेगा? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि उनको पैसा वापस कराने की आपकी क्या व्यवस्था है? जिस गाड़ी का 10 बजे का समय है वह गाड़ी 12 बजे जाए, आप पैसा ज्यादा लो, आपकी सीट खराब है, आपके कांच टूटे हुए हैं, आपकी बस की चद्दर जैसे थाली बजती है उस प्रकार से बजती है तो कैसे यात्री बैठें। फिर कहते हैं कि रोडवेज घाटे में जा रही है। आप यात्रियों को सुविधा देने के लिए क्या आकर्षण दे रहे हैं? बल्कि उल्टा परेशान कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि ऐसे यात्रियों को सुविधा देने के लिए जो रास्ते में बस खराब हो जाती हैं उनके पैसे लौटाने की आप क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : आपकी मैंने सुन ली। आप जवाब सुनने के ही आदी नहीं हो तो फिर मेरे बोलने का फायदा ही क्या? उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को, पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान उन सौभाग्यशाली राज्यों में से एक है जिसकी पूरे देश के रोडवेज कारपोरेशन में टी. डी. सी. (ट्रांसपोर्ट डवलपमैंट काउन्सिल) में अब तक सबसे ज्यादा तारीफ हुई। अन्य राज्यों को भी केन्द्रीय भूतल मंत्री ने कहा है कि आप राजस्थान में जाइये, राजस्थान को मॉडल स्टेट मानिये और देखिये.....

एक माननीय सदस्य : कब की बात बता रहे हैं आप?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : यह अभी तीन महीने पहले की ही है। आप मिनिट्स देख लें, मेरे पास हैं। लेटेस्ट टी. डी. सी. की मीटिंग में यह बात आयी है कि आप जाइये और राजस्थान को मॉडल स्टेट मानिये। आपको शायद जानकारी नहीं है, सारे अखबारों में छपा है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री जगदीप धनखड़ : सरचार्ज लगाइये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री जी ने हमको ऐसे ही समझ लिया.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुनें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अब माननीय सदस्यों को तो हमारे माननीय सदस्य ने कल परसों कहा कि घी डालें तो किर्रायें, गुड़ डालें तो किर्रायें और फिटकरी डालें तो किर्रायें वाली बात है। वह बात दूसरी है। यह कोई बात है क्या कि मैं कह रहा हूं और आप सुन नहीं रहे हैं। ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैं जवाब दे रहा हूं, फिर आप प्रश्न पर प्रश्न किये जा रहे हैं।

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान रोडवेज ने अन्य रोडवेजों के साथ इस तरह की एक व्यवस्था की है कि अगर कोई गाड़ी कहीं खराब हो जाती है तो ईवन दूसरे राज्यों की भी गाड़ी यदि वहां से गुजर रही है तो हम लोगों की आपस में अण्डरस्टैंडिंग है, दूसरे राज्यों की रोडवेज की और राजस्थान स्टेट की रोडवेज की, कि ब्रेक डाउन होने पर उन दूसरी गाड़ियों में उनको बिठा देते हैं और उनके वे-बिल पर चढ़ा देते हैं। अगर उन राज्यों की गाड़ियां भी खराब होती है तो हमारे स्टेट की रोडवेज भी उन पैसेंजर्स को सुविधा देती है।

अभी रात्रि का जिक्र आया। किसी कारणवश कोई गाड़ी नहीं आये, दूसरे स्टेट की भी नहीं आये और हमारी भी नहीं आये तो ऐसी स्थिति में किराया रिफण्ड करने का प्रावधान है। अगर कण्डक्टर के पास, उसके बैग में रुपया है तो वह उसी वक्त निपटा देगा। अगर उसके बैग में रुपया नहीं है तो नैक्स्ट जो बुकिंग एजेन्सी है, बुकिंग विण्डो है, वह वहां से दिलाने की व्यवस्था करेगा और अगर वहां पर भी रात्रि में रुपया उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कैश का मामला है, तो वह डिपो से किसी भी टाइम पर कभी भी क्लेम कर सकता है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मेरा एक प्रश्न था.....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, प्रश्न नहीं, आपकी बात का जवाब आ गया।

श्री बनवारीलाल शर्मा : नहीं आया जवाब। मैं यह कह रहा हूं कि 13-7-98 को जो घटना हुई थी, आपके कण्डक्टर के पास पैसे नहीं थे, मान लिया, तो क्या इतने भी पैसे नहीं थे कि उनको आगरा तक पहुंचाते ?

श्री उपाध्यक्ष : यह घटना विशेष का जवाब कैसे होगा ? बिराजिये आप।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अगर किसी पैसेंजर का इस तरह का क्लेम है और रह गया है तो माननीय सदस्य मुझे अवगत करा दें, मैं उनका क्लेम दिला दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : घटना विशेष का यहां पर कैसे जवाब दिया जाएगा ? श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर में शिक्षा की कमी, वहां जनजाति और सैनिक परिवारों की बहुलता और अधिकांश पहाड़ी इलाका होने के कारण काफी असुविधा हो रही है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। दो लाख की जनसंख्या मेरे क्षेत्र में है और केवल मात्र तीन हायर सैकण्डरी स्कूल उस पूरे इलाके में हैं। मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की स्थिति, वहां की जनसंख्या, वहां के मापदण्ड के अनुसार जहाजपुर तहसील के रोंपा ग्राम में, पारौली ग्राम में, खजूरी ग्राम में, जुहारीकलां और टीकड़ जैसे बड़े-बड़े स्कूल जो बहुत पुराने हैं, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र उपलब्ध है और निकट में हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, वहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाएं। मुझे अफसोस के साथ निवेदन करना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पड़ रहा है कि मैं लगातार चार-साढ़े चार साल से मांग कर रहा हूं किन्तु आपने इस बारे में अभी तक गम्भीरता के साथ, संवेदनशीलता की बात जो आप कहते हैं, उसके आधार पर निर्णय नहीं किया। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि इस वर्ष ऐसे बड़े-बड़े गांव जहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी की महती आवश्यकता है, उस पर आप ध्यान देकर वहां स्वीकृत करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार जी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरी बात तो सुनें पूरी।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात पूरी।

श्री रतनलाल ताम्बी : बात और बाकी है। उस पर्ची में लिखी हुई है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने आठ साल के राज में मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी स्कूल स्थापित नहीं किया। यह क्या है? एक ओर तो आप प्रगति के बड़े सौपान की बड़ी-बड़ी बातें यहां करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें सामने आ रही हैं और जब शिक्षा मंत्रीजी भाषण दे रहे हैं तो खूब मेजें थपथपा रहे हैं, कहीं बताया जा रहा है कि हमारे 32 मिडिल स्कूल इन शिक्षा मंत्रीजी के कार्यकाल में हुई, कई कह रहे हैं कि 16 हायर सैकण्डरी स्कूल हुई, ये बातें मैंने यहां सुनी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जैसे मामले में आपको निश्चित रूप से जहां आवश्यकता है, जहां मापदण्ड हैं वहां पर संख्या को देखते हुए स्कूल खोलने चाहिए। मेरे क्षेत्र में दांतड़ा बड़ा और वीरडोल कोटड़ी तहसील एवं जहाजपुर तहसील के बिहाड़ा, जामोली, गन्धेर, भीलेखा, दुवांला, गांगीताला, कुराड़िया, कूचलवाड़ा कलां, उलेड़ा और शक्करगढ़ में सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, इसलिए बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। आठ साल में आपने एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला है इसलिए मेरा निवेदन है कि ये बड़े स्थान बहुत आवश्यक है। मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां जनजाति, शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट की अधिकता के साथ पूर जिले में सर्वाधिक सैनिक परिवार उस इलाके में रहते हैं। अभी 12 जुलाई को जम्मू की सीमा पर नायब सूबेदार ने वीरगति प्राप्त की.....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, हो गयी पूरी बात, बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसे इलाके में जहां शिक्षा का अभाव है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बार गम्भीरता से देखें। पूरे 8 साल में आपने देख लिया होगा सारा रिकार्ड, तो फिर से अवलोकन करे। बैकलॉग बढ़ गया है, वहां की बड़ी मांग है, वहां की जनता में असंतोष है। वहां शिक्षा के अभाव में लोग पिछड़ते जा रहे हैं, गरीब इलाके के लोग दूर नहीं जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बात हो गयी। श्री श्रवण कुमार जी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उनके बारे में आप ध्यान देंगे, यह मेरा निवेदन है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ललित किशोर जी चतुर्वेदी, मंत्रीजी, जब झुंझुनूं जिले में गये तो

(श्री श्रवण कुमार)

आपकी पार्टी की सहयोगी शिव सेना के लोगों ने इनको घेर लिया कि आपने सड़कों की यह दुर्दशा कैसे की है। इन्होंने चिड़ावा की दयनीय स्थिति को देखते हुए केवल 10 लाख रुपये, ऊंट के मुंह में जीरा मात्र मंजूर किया। उससे आधा किलोमीटर की सड़क भी ठीक नहीं हो सकती। आज चिड़ावा और पिलानी क्षेत्र की सड़कों की हालत यह है, अगर मंत्रीजी कहीं भी सुन रहे हैं तो कि उनको इससे बदतर हालत कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आदमी चल नहीं सकता, गाड़ियां चल नहीं सकतीं। उसके बाद हर दो महीने के बाद झुन्झुनूं जिले का मंत्रीजी दौरा करते हैं और हर आदमी से यह बात कहते हैं कि चतुर्वेदी बोलता है वही करता है, विकास का नाम चतुर्वेदी है। यह मैंने देखा है। लेकिन पहले भी कई बार मैंने कहा है, तीन साल से बराबर कहता आ रहा हूं कि इन्होंने सड़कों के मामले में कोई सुधार नहीं किया है। हमारे क्षेत्र पिलानी और चिड़ावा में सड़कों की इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां गाड़ियों का चलना दूभर हो रहा है

नम्बर दो, जैसा तांबीजी ने बताया, उसी तरह यह राजस्थान सरकार हमारे निर्दलीयों के ऊपर चल रही है और निर्दलियों के साथ ही अत्याचार कर रही है। हमारा पिलानी शिक्षा की बहुत बड़ी नगरी है जहां पर आपके बहुत सारे मंत्री, जैसे रोहिताश्व कुमार जी ने शिक्षा प्राप्त की है, और हमारे वहां कोई स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया है न सैकण्डरी को किया है और न हायर सैकण्डरी किया है। और कोई न डिपो खोला है. गृह मंत्रीजी ने न कोई थाना नहीं खोला है। मैं कहता हूं, स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा, सब काम अधूरे रहे हैं, यह आखिरी सत्र है, आगे क्या होगा मालूम नहीं है, भगवान ही जाने, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप सत्ता की शिलालेख हो, अगला इतिहास किसका होगा, आने वाली सदियों में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में राज नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल जी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान डूंगरपुर जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरासी की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में छीज से पुनावड़ा एक रोड है, वह रोड काफी टूटी हुई है, खड्डे पड़ गये हैं और पहले का जो डामरीकरण था, वह खराब हो गया। वहां आने-जाने की समस्या है वह बढ़ती जा रही है। बस जो चल रही थी, बस बंद है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त रोड का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए। जो टूटी रोड थी, जिसके सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था परन्तु जिसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो मैं निवेदन करता हुआ अनुरोध करता हूं कि मेरे यहां टूटी हुई सड़क है और वह पूरी बिखर गई है और वहां आने जाने की समस्या हो गई है, बस नहीं चल रही है। मैं यातायात मंत्रीजी का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा कि वहां जो बस बंद है, उसको भी चालू कराया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : दयाराम जी।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा से खैरवाड़ा-छानी रानी मार्ग से गुजरात को जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। उस सड़क पर पिछले 3-4 साल में कोई रिपेयरिंग का कार्य नहीं हुआ है इसलिए उस सड़क पर बड़े-बड़े खड्डे पड़ गये हैं। इस मार्ग का महत्व इतना है कि जब कभी भी नेशनल हाई-वे पर ट्रैफिक जाम होता है तो खैरवाड़ा होकर, रानी होकर गुजरात जाता है, यहां तक कि मार्बल के बड़े लदे हुए ट्रक भी उसी मार्ग से निकलते हैं। उस सड़क की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि वहां से 30 किलोमीटर का रास्ता जाने के लिए एक घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। तो मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क की न केवल रिपेयरिंग की जाए बल्कि उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए भी कार्यवाही करें ताकि लोगों को गुजरात आने जाने में सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्वविख्यात मार्बल मंडी मकराना सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां हजारों की तादाद में माइंस और डायमंड हैं। हजारों मजदूर वहां काम करने आते हैं और सैंकड़ों व्यापारियों ने अपना निवास स्थान ही औद्योगिक क्षेत्र के अपने बड़े-बड़े गोदामों में या मार्बल शोरूमों में बना रखा है। घनी आबादी वाला औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से वहां सभी सुविधाएं हैं। पैट्रोल पम्प है और राष्ट्रीयकृत बैंक है। लेकिन मैंने पूर्व में भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जहां जहां भी औद्योगिक क्षेत्र आप विकसित करते हैं, माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब, आप उसमें चिकित्सा के लिए प्रावधान रखें, प्राथमिक चिकित्सा औषधालय, प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र की भी उसमें व्यवस्था करावें। मैंने माननीय वित्त मंत्रीजी से बार-बार निवेदन किया था कि जहां-जहां भी आप औद्योगिक क्षेत्र लगाते हैं, उस औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। वहां पर रहने वाले व्यापारियों, वहां रहने वाले, डायमंड पर काम करने वाले, खान में काम करने वाले मजदूरों का दिन प्रतिदिन कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और आसपास में कोई अस्पताल नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र विदियाद से मकराना 25 किलोमीटर दूर है, परबतसर भी 20-25 किलोमीटर है, इस बीच में आसपास में कोई अस्पताल नहीं है। अगर कहीं खान में एक्सीडेंट हो जाता है तो मजदूर को ले जाते-जाते वह रास्ते में ही मर जाता है। यह संवेदनशील सरकार जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, कहीं भी महिला की अगर डिलीवरी होती है तो वहां से 25 किलोमीटर मकराना है और मकराना की सड़क की हालत खराब है कि रास्ते में ही कई बार तो महिला की मृत्यु हो जाती है या कई बार रास्ते में ही

(श्री राकेश मेघवाल)

डिलीवरी हो जाती है। यह मामला मैंने चार साल में बार-बार सदन में भी उठाया, माननीय राठौड़ साहब से भी निवेदन किया और माननीय वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन किया था। राठौड़ साहब ने कहा कि बजट नहीं है। मैं माननीय राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप यह प्रपोजल बनाकर माननीय वित्त मंत्रीजी के पास भेजें और वित्त मंत्रीजी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वहां प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र खोलें, उसका इसी बजट के अन्दर प्रावधान रखें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र विदियाद में ही खुले। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं यातायात मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने से जो रेलवे लाइन चल रही थी, वह मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो गई। अभी वहां रेल नहीं चल रही है उस रेलवे लाइन पर, क्योंकि एक खान में रेल लाइन लक्ष्मण झूले की तरह गिर गई थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस रूट पर परबतसर-अजमेर बोराबड़ जो बस जाती है, कम से कम 5-7 बसें तो इस रूट पर लगाएं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया था, पहले रेल से मजदूर आते-जाते थे लेकिन आजकल आने-जाने की कोई सुविधा नहीं है इसलिए आज ही घोषणा करें कि वहां बस सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री हबीबुर्रहमान : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य राकेश जी सड़क की बात कर रहे थे, वहां मकराना के व्यापारियों ने 50 लाख रुपये दिये थे सरकार को, अभी तक वह सड़क पूरी नहीं हुई। और माननीय सदस्य सरकार के आदमी हैं, यह आखिरी बार आप कह लो, बाद में कहने भी नहीं आओगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री मान् आपकी जानकारी में है कि मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 27-7-98 को सारे विश्वविद्यालयों के शिक्षकगण की एज एक्सटेंड कर दी है 60 से 62 और इसके अतिरिक्त उनकी जो वेतन में विसंगति थी उसके लिए भी 1-1-96 से उनको वेतन लाभ देने का प्रावधान रखा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय, उदयपुर और कोटा विश्वविद्यालय इनमें 31 जुलाई तक यानी कि आज जो शिक्षकगण रिटायर हो रहे हैं, उनको 27 जुलाई से मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने जो लाभ दिया एज एक्सटेंड करने का, उस लाभ का आज एक्जीक्यूशन किया जाए। मैं, मंत्री महोदय, आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली विश्वविद्यालय हैं वहां 31 जुलाई को जो प्राध्यापकगण रिटायर हो रहे हैं उनको इसका लाभ दे दिया गया और उनकी सेवाएं दो साल के लिए और ले ली गयी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो गैर शैक्षिक कर्मचारी हैं,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उनकी उम्र बढ़ा दी गई है 62 वर्ष तक, शैक्षिक जो कर्मचारी हैं प्राध्यापकगण हैं, उनके ऊपर यह एन्फोर्सेबल नहीं किया है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज यह घोषणा करें ताकि आज राजस्थान के अन्दर लगभग 20 से 25 जो प्राध्यापकगण रिटायर हो रहे हैं वे सेवा कण्टीन्यू करें। यह केन्द्र सरकार ने घोषणा की है और आपको केवल उसका इन्टरप्रिटेशन करना है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बहुत अच्छी और जरूरी घोषणा है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार यू. जी. सी. ने पे-स्केल और उम्र बढ़ाने का काम एक पैकेज में किया है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी कहीं भी 60 से 62 नहीं हुई, स्वीकृत नहीं हुई।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने कर दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट, मुझे कहने दीजिये। मैं मेरी जानकारी बता रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। बिराजिये-बिराजिये। वह बात नहीं कहना चाहता। मेरी जानकारी के अनुसार कहना चाहता हूं कि अभी तो प्रोफेसर्स की यूनियन है उन्होंने आल इण्डिया इस पे-स्केल को काम्बेट किया है यह लागू होगा तो पैकेज पूरा पूरा लागू होगा। जो जानकारी मैंने हासिल की है, उसके अनुसार इसमें यू. जी. सी. की पे-स्केल्स भी है, और उम्र को बढ़ाने की बात भी है जो स्वीकार नहीं किया गया है, इसीलिए जब तक वह वहां नहीं हो जाता, तब तक यहां करना सम्भव नहीं है, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीरामजी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर के पास आर्मी के लिए जो फायरिंग रेंज थी उसके अन्दर विद्याधर नगर बसा दिया गया और फायरिंग रेंज के लिए आमेर विधान सभा क्षेत्र के निवारू और गोयतावाला गांव में किसानों की 865 बीघा जमीन एक्वायर की गयी। जिस वक्त जमीन एक्वायर की गयी थी 1982 के अन्दर, उस वक्त जमीन का मुआवजा एक हजार, डेढ़ हजार और दो हजार रुपये प्रति बीघा तय किया गया था। मुआवजा अत्यधिक कम होने की वजह से किसान कोर्ट में चले गये। कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट द्वारा मुआवजे का राशि तय कर दी गई, लेकिन राशि तय होने के बाद आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। वैसे तो सरकार किसानों की चिन्ता करती है, किसानों को खुशहाल बनाने के कार्यक्रम तय करती है लेकिन जो किसान खुशहाल थे जयपुर के नजदीक, दूध और सब्जियां जयपुर को उपलब्ध करा कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, पिछले 15 सालों के अन्दर वे किसान किसान नहीं रहे, वे जयपुर में मजदूरी करने वाले सौ रुपये के मजदूर बन

(श्री गोपीराम जाट)

गये। आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पिछले आठ सालों से में लगातार आग्रह करता आ रहा हूं। हालांकि उसके परिणाम ठीक आये हैं, मुआवजा भी तय हुआ है लेकिन वह मुआवजा जयपुर विकास प्राधिकरण को देना था क्योंकि पूर्व फायरिंग रेंज की जमीन जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्लाट काटकर बेच दी। आज वह चार हजार रुपये गज जमीन बेच रहा है, और वहां के किसानों के लिए रोजी-रोटी के लिए जमीन नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उनको तुरंत मुआवजा दिलाया जाए। या फिर जो फायरिंग रेंज के लिए जमीन ली गई थी, फायरिंग की व्यवस्था आमेर तहसील के मुण्डोता गांव में हो चुकी है, वह 865 बीघा जमीन आर्मी से डि. एक्वायर करके किसानों को सम्भलाई जाए जिससे किसान अपना पालन-पोषण कर सकें।

दूसरा मेरा निवेदन है, जयरामपुरा में जो दो हरिजनों की हत्या हुई, उसकी पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था की गई। उसकी जांच भी त्वरित गति से चल रही है, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं लेकिन परिवार के कमाने वाले जो दो लोग थे, दोनों की हत्या कर दी गई। उनको राज्य सरकार की तरफ से सहायता की घोषणा नहीं हुई। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्रीजी बिराज रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि उन हरिजनों के परिवार को सरकार की तरफ से तुरंत सहायता दिलाने के लिए मुझे आश्वस्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान राजस्थान के लाखों बेरोजगार स्नातकों की ओर दिलाना चाहता हूं। आज राजस्थान सरकार ने अपने बजट में भी यह घोषणा नहीं की कि नये रोजगार दिये जाएंगे, नये लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। आज बी. ए., बी. एस. सी., बी. कॉम, आई. आई. टी., एम. बी. बी. एस., बी. ई., आयुर्वेद, सभी तरह के छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन खास तौर से ओ. बी. सी. के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक आकर्षित नहीं हुआ है कि इनको नये रोजगार दिलाये जाएं और उनकी बेकारी को रोका जाए। उनके मां-बाप, उनके परिवार वाले उनको बोझ समझने लग गये हैं और यह महसूस करते हैं कि इनको पढ़ा-लिखा कर जो हमने काबिल बनाया है, राज्य सरकार ने नये रोजगार की कोई व्यवस्था इनकी नहीं की है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि नये रोजगार के लिए इन नये स्नातकों को नई नौकरियां देकर रोजगार दिलाया जाए। यही बात मुझे कहनी थी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल जी बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दुर्भाग्य की बात है कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां बिराजमान नहीं हैं। मैं हमारी नगरपालिका में चल रही धांधली

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

बाजियों पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। हमारी नगरपालिका में जो तानाशाही, नादिरशाही चल रही है, उसके ऐसे खुले और स्पष्ट उदाहरण है कि जो आपको कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेंगे। नगरपालिका अधिनियम के अन्दर कहीं पर भी प्लाट के एक्सचेंज का प्रावधान नहीं है लेकिन हमारे निवाई के अन्दर नियम, कानून-कायदे, सब को बलाए ताक रखकर यह काम किया जा रहा है। एक शख्स को 1985 के अन्दर एक एफ-75 प्लाट दिया गया था दीनदयाल कालोनी में। उसका तरीका यह होता है कि सारा पैसा जमा करा दे। पूरा पैसा जमा करे तो फौरन उसका कब्जा दे दिया जाता है। उसी व्यक्ति को 1993 के अन्दर हमारी जो दूसरी भगतसिंह कालोनी है उसके अन्दर एन-62 प्लाट, जो उससे बेहतर पोजीशन में था, उससे एक्सचेंज कर दिया। उसकी कीमत छह हजार रुपये थी और इसकी तकरीबन आज की तारीख में पांच लाख पड़ती है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्षजी, उसके साथ में एक प्लाट और था.....

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह कोई घासलेट को पैट्रोल में उतारने का तो नहीं है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, उसके साथ में एक प्लाट और था 18 × 64 का, वह पूरा प्लाट था। उसको अतिक्रमण करवाया गया और अतिक्रमण करवा करके उसको इर्रेगुलर तरीके से नियमित किया जा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्षजी, घासलेट की अपने लड़के, भाइयों के नाम एजेन्सी लेकर पैट्रोल में मिलाकर बेच दिया, ये नियमों की बात कर रहे हैं? बिना जानकारी के मर्जी आये जो बोलते हैं। सदन का प्रोटेक्शन है इसलिए नियमों की बात कर रहे हैं। मेरा दावा है कि कोई नियमों का उल्लंघन हुआ हो तो कहे जो करें। लेकिन केवल राजनीतिक कारणों से.....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी बात सुनी जाए कि इस तरीके के एक्सचेंज बिलकुल गैरकानूनी हैं, लेकिन चूंकि बी.जे.पी. का अध्यक्ष है और वह मनचाहे जो हरकतें करता है, ऐसी गैर-कानूनी बातों से.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मतलब यह पैट्रोल में मिलाने का काम नहीं है.....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप मुख्य सचेतक हो.....

श्री बनवारीलाल बैरवा : सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जब यह सदन चालू हुआ, उस समय बढ़ती आबादी के ऊपर बड़ी चिंता व्यक्त की और यह व्यवस्था की कि हमारी नगरपालिकाओं में और पंचायती राज के अन्दर जिस भी व्यक्ति के दो बच्चों से अधिक बच्चे हो जाएंगे उसको अपदस्थ कर दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी नगरपालिका के अन्दर

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

वार्ड नं. 2 और वार्ड नं. 19 दोनों के बच्चे हो गये.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जांच हो गई और उसके बच्चे हुए नहीं। अब ये कहते हैं कि इसके तो बच्चे हो गये, सस्पैण्ड कर दो। इनके कहने से सस्पैण्ड करेंगे ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, इसके प्रूफ हैं पूरे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रूफ हैं तो क्यों नहीं देते ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : ये प्रूफ मौजूद हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई महरौली नहीं है। यह महरौली नहीं है, जो महरौली में वहां पड़ कर मौज-मस्ती करो।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ये कागजात मौजूद रहे। आप हमारे साथ चलिए, हम साबित करते हैं। क्योंकि वे बी. जे. पी. के सदस्य हैं इसलिए आप उनको नहीं हटाना चाहते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह केवल एम. एल. ए. बनने का दुरुपयोग किया है। महरौली कांड, घासलेट पैट्रोल में उतार दिया। एक वह शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है और वह इनकी बात नहीं मानता इसलिए ये कहते हैं कि उसको सस्पैण्ड करो, उसके बच्चा हो गया। अब बिना बच्चा हुए ही बच्चा हो गया.....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, देवली के अन्दर जिस समय चुनाव हुए थे उस समय एक महिला सदस्य थी आंधीला की, उसको हटा दिया गया कि उनके बच्चा हो गया। दस दिन की बात है। माननीय उपाध्यक्षजी, डी. एल. बी. को शिकायत की गई। डी. एल. बी. ने कलक्टर को दिया, कलक्टर ने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार ने गिरदावर को दिया, पटवारी को दिया, जांच हो गई और तहसीलदार तक भी मान लिया गया कि इनके बच्चे हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह इनकी मानता नहीं है इसलिए उसको सस्पैण्ड करो ? उपाध्यक्ष महोदय, बाकायदा डिलीवरी होती है, रजिस्टर में एन्ट्री होती है और सारा रिकार्ड होगा। बिना रिकार्ड के ही ? कांग्रेस के इनके जो वह हैं, जुए में पकड़े गए.....

श्री बनवारीलाल बैरवा : उसके बावजूद ये जांच नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को हटा दिया इन्होंने। यह जुल्म है हमारे साथ में। यह, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसकी बात नहीं करेंगे। 85 हजार रुपये नकद मिले। मैं दावे से कहता हूं, 85 हजार रुपये नकद मिले और वह अरेस्ट हुए.....

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं डिफेन्ड नहीं कर रहा हूं, ये क्यों बोल रहे हैं ? इनको बाद में समय दे दिया जाए, पहले मेरी बात को सुना जाए। (व्यवधान)

102

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये। बार-बार खड़े हो जाते हैं, व्यवधान डालते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल बैरवा : वार्ड नं. 2 और वार्ड नं. 19 के अन्दर दोनों माननीय सदस्यों के बच्चे पैदा हुए हैं और इनके सबूत हमने दे दिए हैं। डी. एल. बी. में शिकायत की, कलक्टर को कागजात भेजे हैं, कलक्टर ने एस. डी. ओ. को भेज दिये.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। आपके पास कोई अगर इसके सबूत हों तो उपलब्ध कराएं। बिराजिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरी बात सुन लें। वे एस. डी. ओ. को भेज दिए गए। गिरदावर, पटवारी पूरी जांच करके उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सबूत हों, कार्यवाही करें। सरे आम पकड़े गये, साठ हजार रुपये कहां हैं? गृह मंत्रीजी, साठ हजार, और बनवारीजी के संरक्षण के कारण आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह कैसा अन्याय है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्षजी.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : साठ हजार रुपये जुए खेलते हुए टेबल पर पकड़े गये, यह बात गलत हो तो मैं जो बनवारी जी कहें करने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, चर्चा समाप्त।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप कह रहे हैं नहीं तो जो कागजात हैं उनकी आप जांच करवा लें और उसके बाद में ले ऑफ कीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उपमुख्य मंत्री वित्त विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके (व्यवधान).....घासलेट को पैट्रोल में मिलाने की बात गलत हो (व्यवधान).....कांड गलत हो तो यह कहें जो.....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : .....(व्यवधान) निर्णय कैसे हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल शर्मा : जब हम बात कर रहे हैं तो.....(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक मिनट

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : उप मुख्य मंत्री गायब हैं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से.....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। चर्चा समाप्त।

श्री बनवारीलाल शर्मा : .....(व्यवधान) .....बनाया गया और हमको.....(व्यवधान).....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से.....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, आसन पैरों पर है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से डूंगरपुर के एडीश्नल एस. पी. की जो हत्या कर दी गई है उस संबंध में.....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री हरिशंकर भाभड़ा वित्त विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन दास मदान, सभापति, जन लेखा समिति, 1997-98 समिति का 121 वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर उपस्थापित करेंगे। श्री अर्जुन दास मदान।

श्री जगदीप धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया, आपने भाभड़ा जी को पुकारा भाभड़ा जी थे ही नहीं।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, वर्ष 1997-98 का 121वां प्रतिवेदन

श्री अर्जुनदास मदान (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं जन लेखा समिति, 1997-98 (जन लेखा समिति, 1994-95 के 34वें प्रतिवेदन, दसवीं विधान सभा) में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक् समिति का 121वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिनारायण, सदस्य, विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री हरिनारायण (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं निम्नांकित चार याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

सवाईमाधोपुर की खण्डार पंचायत समिति के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हलोन्दा को क्रमोन्नत करने हेतु

(1) सवाईमाधोपुर की खण्डार पंचायत समिति के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हलोन्दा को क्रमोन्नत करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

सवाईमाधोपुर जिले के ग्राम झोपड़ा पंचायत की सड़क का डामरीकरण करने बाबत

(2) सवाईमाधोपुर जिले की ग्राम झोपड़ा पंचायत की सड़क का डामरीकरण करवाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिनारायण)

सवाईमाधोपुर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चक चैनपुरा के विद्यालय भवन का निर्माण

(3) जिला सवाईमाधोपुर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चक चैनपुरा के विद्यालय भवन का निर्माण करवाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

सवाईमाधोपुर की ग्राम पंचायत दमोदा (खण्डार) की अधूरी सड़क पूर्ण करने बाबत

(4) सवाईमाधोपुर की ग्राम पंचायत दमोदा (खण्डार) की अधूरी सड़क को पूर्ण करवाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। 31 जुलाई, 1998 को याचिकाएं सदन में उपस्थापित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

पाली की पंचायत मुख्यालय लाम्बिया एवं खैरवा में सम्पर्क सड़कों के निर्माण बाबत

(1) जिला पाली की पंचायत मुख्यालय लाम्बिया एवं खैरवा में सम्पर्क सड़कों के निर्माण बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

पाली शहर स्थित पिछड़ी जाति की बस्तियों में नई सड़कें बनवाने बाबत

(2) पाली शहर स्थित पिछड़ी जाति की बस्तियों में नई सड़कें बनवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड केमिकल लि., धौलपुर में व्याप्त अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा धौलपुर स्थित राजस्थान एक्सप्लोजिव एण्ड केमिकल लिमिटेड में व्याप्त कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसमें मेरा जवाब इस प्रकार है, वक्तव्य इस प्रकार से है :—

राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड (आर. ई. सी. एल.), धौलपुर की स्थापना रीको एवं आई. डी. एल. केमिकल लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा 1978 में निष्पादित संयुक्त क्षेत्रीय समझौते के अन्तर्गत की गई एवं रीको द्वारा 100.00 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी आर. ई. सी. एल. में विनियोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 1981-82 में इस इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् वर्ष 1987-88 तक आर. ई. सी. एल. लाभ में चली। इसके पश्चात् कोल इण्डिया लिमिटेड से आदेश प्राप्त नहीं होने एवं आई. डी. एल.

(श्री कालीचरण सराफ)

केमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रबन्ध में ढिलाई के कारण आर. ई. सी. एल. घाटे में आ गई। यहां तक कि वर्ष 1989-90 में इसे बी. आई. एफ. आर. को सन्दर्भित करना पड़ा। ऐसे समय में आई. डी. एल. केमिकल लिमिटेड द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि आर. ई. सी. एल. की परिसम्पत्तियां बेच कर वित्तीय संस्थाओं का ऋण चुकाया जाए जिसे रीको एवं राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया। आई. डी. एल. केमिकल्स लिमिटेड पर दबाव डाला गया कि जहां कहीं भी आवश्यकता हो राज्य सरकार की सहायता लेकर फैक्ट्री को निरन्तर चलाया जाए। यह प्रस्ताव आई. डी. एल. केमिकल्स लिमिटेड को स्वीकार नहीं था और उन्होंने प्रबन्ध एवं अंश पूंजी हस्तांतरण के लिए श्री राजेश जैन को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार से स्वीकृति लेने के पश्चात् एवं श्री राजेश जैन के प्रबन्ध के दौरान कार्य परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए रीको एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा श्री राजेश जैन को आई. डी. एल. केमिकल्स की हिस्सा पूंजी क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई। श्री राजेश जैन के प्रबन्ध सम्भालने के पश्चात् कम्पनी के कार्य परिणामों एवं लाभ होने की स्थिति के आंकड़े निम्न प्रकार हैं : —

(1) वर्ष 1991-92 में सेल हुई 662.82 लाख और हानि हुई 146.82 रु.।

(2) वर्ष 1992-93 सेल हुई 1051.40 लाख और 193.88 लाख का लाभ हुआ 212.32 लाख रुपये की एक्स्ट्रा आर्डिनरी आय को शामिल करते हुए, जो कि आई. डी. एल. केमिकल्स लिमिटेड द्वारा लोन प्राप्त करने के कारण हुई।

(3) 1993-94 – 1201.18 लाख की सेल हुई और 33.16 की हानि हुई।

(14.16 बजे)

(श्री अर्जुनदास मदान, सभापति, पदासीन)

(4) 1994-95 966.33 की सेल हुई एवं 129.06 की हानि हुई।

(5) 1995-96 में 1731.09 की सेल हुई और 171.77 लाख का लाभ हुआ, 67.32 लाख रुपये की एक्स्ट्रा आर्डिनरी आय को शामिल करते हुए जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ब्याज माफ करने के कारण हुई, और

(6) 1996-97 में 2264.30 की सेल हुई और 128.18 का लाभ हुआ।

वर्तमान में बी. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदित पुनर्जीवन योजना के अन्तर्गत कम्पनी का पुनरुत्थान किया जा रहा है। आई. डी. बी. आई. द्वारा सावधि ऋण से वित्त पोषित होने के कारण बी. आई. एफ. आर. द्वारा आई. डी. बी. आई. को आपरेटिंग एजेन्सी नियुक्त कर रखा गया है। पुनर्जीवन योजना के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि रीको, आर. ई. सी. एल. के बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट हेतु ऋण देने का विचार करेगी। रीको को समय पर सूचित किये बिना आर. ई. सी. एल. द्वारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजैक्ट का क्रियान्वयन चीन की एक कम्पनी के तकनीकी सहयोग से शुरू कर दिया गया जबकि इस प्रोजैक्ट का कार्य आर. ई. सी. एल. द्वारा केन्द्रीय वित्तीय

(श्री कालीचरण सराफ)

संस्थाओं की कुल वित्तीय राशि चुकाने के बाद का प्रावधान था। आर. ई. सी. एल. द्वारा रीको को अगस्त, 1997 में उक्त प्रोजेक्ट के लिए ऋण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकृत नहीं किया गया। रीको को कम्पनी के कार्य परिणामों में पिछले कुछ माह से विसंगतियां एवं अनियमितताएं दृष्टिगत हुई थीं। उसके अनुरूप रीको द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की गई :—

(1) समय-समय पर संचालक मंडल की बैठकों में प्रबन्ध को आगाह किया गया कि वे कम्पनी पर संवैधानिक बकाया सी. पी. एफ., ई. एस. आई., बिक्री कर आदि राशि का तुरन्त भुगतान करें। इसके लिए प्रबन्धन को पत्रों के माध्यम से रीको द्वारा स्मरण कराया गया।

(2) फरवरी, 1998 में रीको द्वारा भेजी गई आब्जर्वेशन टीम द्वारा यह पाया गया कि कम्पनी ने संवैधानिक राशि का भुगतान नहीं किया। साथ ही केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं का भुगतान बी. एफ. आई. आर. के निर्देशानुसार नहीं हो रहा है तथा कुछ अन्य वित्तीय अनियमितताएं भी दृष्टिगत हुई हैं।

(3) आब्जर्वेशन टीम की रिपोर्ट के आधार पर बी. आई. एफ. आर. को कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं के बकाया भुगतान में की गई देरी के संबंध में सूचित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि कम्पनी के कार्य परिणामों में विसंगतियां दृष्टिगत हैं।

(4) आब्जर्वेशन टीम की रिपोर्ट के आधार पर रीको द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक स्थापित चार्टेर्ड अकाउंटेंट फर्म के माध्यम से आर. ई. सी. एल. के कार्यकलापों की जांच कराई जाए। तद्नुसार मैसर्स कालानी एंड कम्पनी, जो कि एक प्रतिष्ठित फर्म है, को तुरन्त नियुक्त किया गया व उनसे मार्च माह तक जांच पूरी करने की आग्रह किया गया।

चार्टर्ड एकाउंटेट फर्म की अंतरिम रिपोर्ट अप्रेल, 1998 में प्राप्त हो गई थी जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि कम्पनी से कुछ सूचनाएं वांछित हैं जिनके प्राप्त होने पर वे अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु रीको द्वारा बार-बार स्मरण कराये जाने पर भी कम्पनी ने सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया जिससे अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट की अंतरिम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि अनियमितताएं की गई हैं जिसमें सहयोगी कम्पनियों को अग्रिम रूप में भारी राशि देना भी शामिल है तथा कार्यशील पूंजी का उपयोग मशीन आदि खरीदने में किया गया जिससे कार्यशील पूंजी में कमी हो गई एवं परियोजना के कार्यकलापों पर सीधा प्रभाव पड़ा।

उपरोक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए रीको के लिये यही सम्भव था कि समस्त तथ्यों के बारे में बी. आई. एफ. आर. को सूचित करे क्योंकि कम्पनी बी. आई. एफ. आर. के माध्यम से पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया में है, एवं निदेशक मण्डल के माध्यम से आर. ई. सी. एल. के प्रबंधकों को निदेशित करे कि वे अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर करें तथा कम्पनी का संचालन ठीक से करें।

(श्री कालीचरण सराफ)

यहां यह भी स्पष्ट करना उचित रहेगा कि संस्थाएं बी. आई. एफ. आर. की अनुमति के बिना प्रबन्ध एवं अन्य वित्तीय संसाधनों में किसी प्रकार का फेरबदल, वित्तीय ढांचे में बदलाव एवं कार्य कलापों में बदलाव करने में सर्वथा असमर्थ होती हैं।

23 मई, 1998 को श्री राजेश जैन, जो कि संयुक्त क्षेत्रीय भागीदार के साथ-साथ आर. ई. सी. एल. के प्रबन्ध निदेशक के रूप में दिन प्रतिदिन कार्य संचालन के जिम्मेदार भी हैं एवं कम्पनी के उपाध्यक्ष श्री ए. के. जैन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। रीको की जानकारी में गिरफ्तारी के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी एवं मोडवेट स्कीम के तहत नाजायज लाभ कमाना है। 13 जून, 1998 को श्री राजेश जैन जमानत पर रिहा हो गये। इस मामले में रीको के स्तर पर विधिवत् कोई निर्णय लेना संभव नहीं होने के कारण रीको द्वारा आई. डी. बी. आई. से अंतर संस्थान बैठक बुलाने के लिए औपचारिक निवेदन किया गया और उसके साथ-साथ बी. आई. एफ. आर. से रिव्यू मीटिंग बुलाने के लिये दूरभाष पर सम्पर्क किया गया। अंतरसंस्थान बैठक मुम्बई में 2 जुलाई, 1998 को आई. डी. बी. आई. द्वारा आयोजित की गई। इस बैठक में श्री राजेश जैन को प्रबन्ध निदेशक के पद से हटाने पर भी चर्चा हुई।

विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद उपस्थित संस्थाओं का यह दृष्टिकोण रहा कि आर. ई. सी. एल. की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए कोई वैकल्पिक प्रबन्धक निदेशक नियुक्त करना कठिन होगा, वस्तुत : जब आर. ई. सी. एल. में श्री राजेश जैन की हिस्सा पूंजी 60 प्रतिशत है। इस परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश जैन को निम्नांकित कार्यवाही करने के लिए पाबंद किया गया :—

1. सभी प्रकार की संवैधानिक बकाया राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।

2. चूंकि आर. ई. सी. एल. को लॉक आउट घोषित किए बिना श्री राजेश जैन द्वारा बंद किया गया, अतः श्रमिकों को माह मई एवं जून, 1998 के वेतन का भुगतान करने की जिम्मेदारी आर. ई. सी. एल. की है। अतः वेतन का भुगतान श्रमिकों को शीघ्र किया जाए।

3. कम्पनी चलाने हेतु वित्तीय आवश्यकता एवं उसके स्रोतों को दर्शाते हुए एक प्रारूप तैयार करके आई. डी. बी. आई. को 30 दिन में प्रस्तुत करें।

4. रीको एवं बैंक द्वारा नियुक्त आडिटर को वांछित सूचना उपलब्ध कराएं।

5. रीको द्वारा बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि आर. ई. सी. एल. को रीको ऋण उपलब्ध नहीं कराएगा।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई स्थिति के अंतर्गत श्री राजेश जैन द्वारा 30 दिन में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त आई. डी. बी. आई. अपनी रिपोर्ट बी. आई. एफ. आर. को प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर बी. आई. एफ. आर. उचित निर्देश जारी करेगी।

अतः मामला रुग्ण इकाइयों के मामले से संबंधित शीर्ष न्यायालय बी. आई. एफ. आर. में विचाराधीन होने से राज्य सरकार सीधे निर्देश नहीं दे सकती है और इकाई में 50

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रतिशत से अधिक हिस्सा राशि निजी प्रवर्तक की होने से राज्य सरकार सीधे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। तथापि 2-7-98 की बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना अवधि 1-8-98 को समाप्त होगी और अंतिम स्थिति तभी स्पष्ट होगी। उक्त स्थिति के संदर्भ में बी. आई. एफ. आर. के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किये जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि पुनर्चालन के लिये नये सिरे से विचार संभव होगा।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने काफी लंबा-चौड़ा अपना स्टेटमैंट दिया है। सभापति महोदय, आप भी ऐसे शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर फैक्टरियां हैं। फैक्टरी बन्द होने से मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, तो वहां क्या हालत होती है? मेरा तो माननीय उद्योग मंत्री जी से एक निवेदन है कि फैक्टरी बंद होने के कितने दिन से कारण चल रहे थे? इस फैक्टरी में राजस्थान सरकार का 40 परसेंट शेयर और राजेश जैन के 60 परसेंट शेयर थे। प्रबन्धक द्वारा वहां पर अनियमितताएं की जा रही थीं और समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान बराबर वहां के मजदूर, वहां के प्रतिनिधि आकर्षित करते जा रहे थे। प्रोफिट बता रहे हैं, कभी लॉस बता रहे हैं, उस फैक्टरी की हालत इस प्रकार खराब हो गई कि फैक्टरी के बिजली के कनेक्शन काट दिये जाएं, फैक्टरी के नल के कनेक्शन काट दिये जाएं, फैक्टरी के और भी जितने भी कनेक्शन हैं वे सब काट दिये जाएं और उसके बावजूद भी एक्साइज चोरी का मामला आपके सामने आ रहा है कि इतनी अनियमितताएं हो रही हैं। चार करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया जब फैक्टरी बंद हुई थी उससे पहले इस फैक्टरी पर था। उसमें अवैध रूप से यूरिया बेचा जा रहा था, कलक्टर ने रेड दिलवाई। कलक्टर के रेड दिलवाने के बाद वहां पर यूरिया बरामद कराया, इनके ट्रक में यूरिया बरामद किया। इतनी सारी अनियमितताएं हो रही थीं। मेरा यह निवेदन है कि रीको के बोर्ड में बराबर मैम्बर है। पहली बात तो यह है कि इसमें राज्य सरकार का हिस्सा था और इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही थीं। इस फैक्टरी की बदनामी के साथ-साथ आज राज्य सरकार की भी बदनामी है कि चोरी हो रही है। सेल्स टैक्स की चोरी आप कर रहे थे, एक्साइज की चोरी आप कर रहे थे। आप देखिए, मजदूरों का प्रोविडेंट फंड जो कि फैक्टरी के मालिक उन मजदूरों से लेते हैं, वह उनको हर माह जमा कराना चाहिये। मजदूरों का जो पैसा काटा वह जमा नहीं कराया, 10 परसेंट, 15 परसेंट हिस्सा जो भी फैक्टरी मालिक जमा कराता है वह तो छोड़ दिया लेकिन इसके साथ-साथ मजदूरों का जो पैसा लिया वह भी जमा नहीं कराया। आज लाखों रुपये तो मजदूरों का प्रोविडेंट फंड का बकाया है। इस संबंध में जब परेशान हो गये तो मजदूरों के प्रोविडेंट फंड वालों ने उनके खिलाफ कोतवाली धौलपुर में एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई। नॉन बेलेबल आफेंस था। उन्होंने एफिडेविट दे दिया। उनके चैक वापस हो रहे हैं। इतनी अनियमितताएं हो रही थीं, आपको

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

हम समय-समय पर जागरूक कर रहे थे कि यह फैक्टरी बंद हो जाएगी, 700 मजदूर वहां पर बेरोजगार हो रहे हैं। आज दुर्भाग्य की बात क्या है कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण धौलपुर में बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि एक फैक्टरी थी पहले डी. जी. डब्ल्यू., वह बंद कर दी गई, दूसरी फैक्टरी हाई टेक फैक्टरी थी, जिसके 500 मजदूर है वह बंद कर दी राज्य सरकार ने और आपकी जो यह बारूद फैक्टरी है, 700 मजदूर वे बेरोजगार हो गये। इसके अलावा वहां पर राज्य सरकार की वजह से कभी तो घड़ियाल सैंक्चुरी आड़े आ जाती है। घड़ियाल सैंक्चुरी आड़े आने की वजह से वहां पर जो रेते में मजदूर काम करते थे वह रेता बंद कर दिया, वे मजदूर बेकार हो गये। इसके अलावा केसरबाग वाइल्ड एनीमल्स सैंक्चुरी का डिमार्केशन हो रहा है, उसकी वजह से मजदूर बेकार हो जाएंगे। जंगलात विभाग वहां पर न तो सड़क जाने दे, न काम चलने दे। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से बेरोजगार मजदूर बढ़ते जा रहे हैं, आपको हम बार - बार समय आपको हम बार-बार समय-समय पर आगाह कर रहे थे कि मेहरबानी करके इसमें दखल दीजिए और इसको रोकिए। आर्थिक स्थिति यह भी कि यहां पर बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं, दुनिया भर की बात हो रही है और दूसरी तरफ वे प्रबन्धक महोदय 50 हजार रुपये महीने पर दिल्ली में किराये के मकान में रहते थे और 27-27 लाख रुपयों की कार की खरीद इस फैक्टरी की कॉस्ट पर कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इन उद्योगपतियों ने अपने कागजों में क्या घाटा बताया है, क्या मुनाफा बताया है। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि उन्होंने तो इस फैक्टरी की कॉस्ट पर अपनी निजी फैक्टरी धौलपुर के रीको एरिया में स्थापित कर दी है और आपको लॉस दिखा रहे हैं। समय-समय पर आपने कह दिया कि हमने तो कागज भेज दिये, कागज के द्वारा उनको कर दिया। इसके अलावा आप कहते हैं कि बी. आई. एफ. आर. ने इसको रुग्ण घोषित कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आई. डी. बी. आई. की मीटिंग जैसा आपने बताया 2-7-98 को हुई उन्होंने प्रबन्धक महोदय को यह कहा था कि एक महीने के अंदर आप इस फैक्टरी के मजदूरों को तनख्वाह दें, आप इस फैक्टरी को पुनः चालू करें, आपने तो अपनी असमर्थता बता दी कि चूंकि 40 परसेंट शेयर हमारे हैं और 60 परसेंट शेयर राजेश जैन जी के हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मामला वहां पर है, आपने यह कहकर टाल दिया। मैं यह कहता हूं आप इससे बच नहीं सकते, यह व्यक्तिगत नहीं है, इसमें राज्य सरकार का 40 परसेंट हिस्सा है आपको इसको गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। हम तो यह चाहते हैं कि चाहे आप राजेश जैन जी से चालू करवाएं, चाहे आप किसी से भी चालू करवाएं, मेहरबानी करके हमें तो यह बता दीजिए कि इस फैक्टरी को आप कब चालू करवा देंगे, नंबर एक अगर चालू कराने का आपने समय दिया उस समय तक भी नहीं हो पाया तो वैकल्पिक व्यवस्था आप क्या करेंगे, नम्बर दो? नम्बर तीन,

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आपके जो मजदूर है उनकी मई की तनख्वाह, जून की तनख्वाह, जुलाई की तनख्वाह, उनका पैसा आप कब तक दिला देंगे? नम्बर चार, उनका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है उसको आप कब तक दिला देंगे? नम्बर पांच मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस 10 तारीख को वहां पर मीटिंग ली, धौलपुर में जाकर प्रबन्धक जी ने 10 तारीख को मीटिंग ली और वहां पर मजदूरों के साथ में यह घोषणा की कि मैं 15 तारीख तक उत्पादन करा दूंगा, 15 जुलाई तक आपको मई की तनख्वाह दिला दूंगा। उन्होंने यह घोषणा की थी वहां पर, यह उनका लिखा हुआ मेरे पास पत्र है कि 16 तारीख को इसके बाद में फैक्टरी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन होने के बाद में आपकी बाकी तनख्वाह दिला दूंगा और कि मैं तो मैनेजमेंट में 112 आदमियों की जगह पर 24 आदमी रखूंगा। ठीक है, यह फैक्टरी मालिक का अपना देखरेख का दृष्टिकोण है कि वह कितने रखते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि वे बाकी आदमियों को रिट्रेंच करेंगे। भविष्य में जब भी उनको आवश्यकता होगी तो अपनी मर्जी से आदमी रखेंगे या इन 112 आदमियों में से ही सलैक्शन करेंगे? मेहरबानी करके इन बिन्दुओं का आप जवाब दें कि कब तक बेरोजगारों की समस्या का आप समाधान करेंगे। आइन्दा अनियमितता अगर इन्होंने की, आप अन्दाज लगाइये, माननीय सभापति महोदय, जिलेटिन के एक पीस से शायद एक शहर उड़ जाता है और वहां पर 30 जिलेटिन प्लग है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने चोरी की रिपोर्ट की, रीको ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की कि उसमें कितनी अनियमितता हो रही है। पुलिस में उन्होंने मामला दर्ज कराया, राजस्थान की पुलिस ने उनकी जाकर जांच की और पता लगाया तो उन प्रबन्धक महोदय को और उप प्रबन्धक को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोई हरियाणा की पार्टी है, करीब 30 प्लग जिलेटिन हमने राजस्थान एक्सप्लोजिव फैक्टरी को बेचा है। राजस्थान एक्सप्लोजिव फैक्टरी के अकाउंट में इस 30 प्लग को उनके द्वारा बेचे जाने की एन्ट्री मौजूद है, इसी कारण उनको गिरफ्तार किया गया। वह एक अलग मैटर है, जांच चल रही है उनके बारे में उनकी जमानत हो गयी, लेकिन जमानत.....

श्री सभापति : अब आप इसका उत्तर ले लें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मंत्री जी, मेरा जवाब दे देना। इस प्रकार की इण्डस्ट्री जिसमें पब्लिक इन्टरेस्ट इन्वाल्व है, पब्लिक मनी इन्वाल्व है और जिसमें वर्कमैन के इन्टरेस्ट की अनदेखी की जा रही है, उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इण्डिया का एक्ट भी है और राजस्थान सरकार का भी है, राजस्थान रिलीफ आफ इण्डस्ट्रियल अण्डर टैकिंग्स एक्ट जिसमें कि इस वर्ष आप अमैण्डमैंट भी ला रहे हैं। यह इण्डस्ट्रीज थी इन एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए। इसमें पब्लिक इन्ट्रैस्ट और गवर्नमैंट इन्टरेस्ट तो इसलिए है, जैसा कि अभी सदन के सामने आया कि 40 परसेंट इसमें रीको का लगा हुआ है, गवर्नमैंट का लगा हुआ है, आप देख रहे है। पब्लिक इन्टरेस्ट इसमें इन्वाल्व है कि सात सौ वर्कर्स को आप बेरोजगार कर रहे हैं। तो क्यों नहीं

(श्री हरिसिंह)

इस प्रकार की इण्डस्ट्री को आपने अब तक अपने कब्जे में लिया? लेकर सरकार इण्डस्ट्री को खुद चला सकती है। मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इस प्रकार के वर्कमैन के इन्स्टरेस्ट वॉच करने के लिए एक्ट्स बने हुए हैं, गवर्नमैंट मनी को वॉच करने के लिए एक्ट बने हुए हैं तो उन एक्ट्स का इस्तेमाल करके इस इण्डस्ट्रीज को अपने पजेशन में सरकार लेकर क्यों नहीं चला रही है?

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने मेरे जवाब में बताया, एक साल पहले तक तो यह फैक्टरी लाभ में चल रही थी। 1996-97 में 2264.30 लाख की सेल हुई और 128.18 लाख का हमें लाभ हुआ। उसके बाद जैसे ही राज्य सरकार को यह पता लगा कि वहां वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं तो हमने फरवरी, 98 में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की। जांच से हमें यह पता लगा कि यह वित्तीय अनियमितता हो रही है हमने बी. आई. एफ. आर. को सारा केस सुपुर्द कर दिया, उन्होंने आपरेटिंग एजेंसी के रूप में आई. डी. बी. आई. को नियुक्त कर दिया। अन्तर संस्थान मीटिंग जो हुई, आई. डी. बी. आई. ने की, उसमें रीको ने यह कहा कि जब तक ये एम. डी. रहेंगे राजेश जैन, तब तक ये अनियमितताएं होती रहेंगी, फैक्टरी भी घाटे में चलेगी। पर वहां सब ने, जो बाकी मैम्बर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इनके 60 परसेंट शेयर हैं इसलिए इनको रेगुलर रखा जाए। एक महीने का उनको समय दिया। अब आई. डी. बी. आई. का कल एक तारीख को यह समय खत्म हो रहा है, आई. डी. बी. आई. की जैसे ही रिपोर्ट आएगी, रीको उस सारे केस को बी. आई. एफ. आर. के सामने रख देगी। अब इसमें निर्णय लेने की क्षमता है वह रीको के पास नहीं है, बी. आई. एफ. आर. जिस प्रकार से भी निर्देशित करेगी। रीको का, राज्य सरकार का इन्टरेस्ट यह है कि वह फैक्टरी चलनी चाहिए और वहां जो मजदूर हैं वे बेरोजगार नहीं होने चाहिए। राज्य सरकार इस बारे में चिन्तित है, रीको इसमें लगी हुई है। जैसे ही रीको को यह पता लगा कि वहां अनियमितताएं हो रही हैं, हमने इसकी जानकारी की। अनियमितताएं पायी गयीं तो बी. आई. एफ. आर. को सब बातें हमने सूचित कर दीं। उन्होंने जैसा मैंने बताया, आपरेटिंग एजेंसी के रूप में आई. डी. बी. आई. को लगाया। यह सारी स्थिति आपके सामने है। अब हम केवल बी. आई. एफ. आर. से किस प्रकार के निर्देश मिलते हैं उसका इन्तजार कर रहे हैं। हमने उनको रिक्वैस्ट की है कि जब तक ये राजेश जैन रहेंगे, ये गड़बड़ियां होती रहेंगी, राजेश जैन को वहां से हटा दीजिये क्योंकि हमारा 40 परसेंट शेयर है। हम इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 60 परसेंट शेयर यदि और कोई व्यक्ति इसमें लेना चाहेगा तो रीको उसको पूरा सहयोग करके फैक्टरी चालू रहे, इस बारे में व्यवस्था करेगी।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि आप खुद यह मानते हैं कि उसमें अनियमितताएं हुई हैं। ये अनियमितताएं हो रही थीं, यह राज्य

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

सरकार के और रीको के ध्यान में कब आयी ? आपकी हर महीने या दो महीने बाद में बोर्डस की मीटिंग होती है जिसमें चार डाइरेक्टर हैं राजेश जैन के और चार डाइरेक्टर हैं रीको के, तो मेरा यह निवेदन है कि अनियमितता कब जानकारी में आयी ? आप पार्टनर 40 परसेंट के सही, पार्टनर तो थे। इस प्रकार की अनियमितता हो रही थी और राज्य सरकार पार्टनर थी तो यहां फैक्टरी को तो नुकसान हो ही रहा था, उस फैक्टरी के साथ में राज्य सरकार की भी बदनामी हो रही थी कि राज्य सरकार ही चोरी करा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि.....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य, मैं बताना चाहूंगा कि उसका मैनेजमैंट रीको के हाथ में नहीं था, मैनेजमैंट राजेश जैन के हाथ में था। हमारे केवल 40 परसेंट के इक्विटी शेयर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट में दखलंदाजी नहीं है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : लेकिन बोर्ड की मीटिंग होती है। 60 परसेंट उनके शेयर थे और मैनेजमेंट उनके हाथ में था इसका मतलब यह है कि जी चाहे सो करते रहेंगे ? ऐसा तो नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : जैसे ही हमको पता लगा, हमने बी. आई. एफ. आर. को सारी बात सूचित कर दी और.....

श्री बनवारीलाल शर्मा : हां, ठीक है।

श्री कालीचरण सराफ : अब कार्यवाही हो रही है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदय, बी. आई. एफ. आर. को कर दिया इन्होंने और आई. डी. बी. आई. ने इसकी मीटिंग कर ली। अब एक महीने का समय भी खत्म हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप भी महसूस करते हैं कि इस फैक्टरी को नहीं चला सकते हैं, लेकिन चूंकि बी. आई. एफ. आर. ने यह निर्णय ले लिया है तो राजेश जैन की फैक्टरी को चलाएं। मेरा यह निवेदन है, क्या आप इस बात से सहमत है कि एक महीने का समय बीतने के बाद में उनको जो डाइरेक्शन दिये गये थे कि इन डाइरेक्शन के आधार पर आप तनख्वाह बांटिये, यह व्यवस्था करिये, मजदूरों के पेमेंट करिये, वह नहीं कर पा रहे हैं, उस पर क्या स्थिति बनेगी, नम्बर एक ? नम्बर दो, सभापति महोदय, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका नागपुर से एक्सप्लोजिव का, जो लाइसेंस है, वह लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है क्योंकि इरेंगुलेरिटिज इतनी हो रही थीं। आपकी एक्साइज की चोरी, फाइनेंशियल चोरी हो रही थी, वह तो एक प्रश्न अलग रहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें इस प्रकार का सामान बनाया जा रहा था जो कि परमिटेड नहीं था, जिसका कि उनके पास लाइसेंस ही नहीं था। आज उस फैक्टरी का लाइसेंस बन्द कर दिया गया है, तो मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार और रीको उसका लाइसेंस लेने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ? उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या आपने किसी को इन्वाइट किया ? क्या आपने लोगों को कहा कि आप आइये और इस फैक्टरी को चलाने के लिए हमको सहयोग दीजिये ? बहुत से लोग लेने के लिए तैयार हैं। क्या कारण है कि राजेश जैन की इतनी अनियमितता आपकी

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

जानकारी में आने के बावजूद भी आप लोगों ने, राज्य सरकार ने, रीको ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस फैक्टरी को चलाने के लिए समय एक तारीख तक समाप्त हो रहा है, अब आप लिखा-पढ़ी करेंगे, महीने बाद करेंगे, फिर वे जाएंगे, फिर वे आएंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे कितने दिन तक आप इसको खींचते रहेंगे? आप स्पष्ट बात कह दीजिये हमें तो कि इस तारीख तक इस फैक्टरी को चालू कर देंगे, नम्बर वन, और इस तारीख तक इसके मजदूरों को हम पेमेंट करा देंगे, दो। आप चालू कब कराएंगे जब आपने लाइसेंस के लिए ही कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है? आज लाइसेंस ही उसका रिन्यू नहीं हुआ है तो आप यहां घोषणा कर देंगे उससे क्या फायदा होगा? करोड़ों रुपये उस पर बकाया हैं।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा, जैसे ही हमें पता लगा कि वहां वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, हमने कार्यवाही चालू कर दी। परन्तु बी. आई. एफ. आर. के पैकेज के तहत फैक्टरी को रीको या राज्य सरकार टेक-ओवर नहीं कर सकती है। जो स्थिति कल के बाद होगी, 1-8-98 के बाद उसकी सारी रिपोर्ट हम बी. आई. एफ. आर. को भेज देंगे। हमने पहले ही उनको अनुरोध किया हुआ है कि जब तक राजेश जैन एम. डी. रहेंगे यह फैक्टरी चल नहीं सकती है। हमने बोर्ड की मीटिंग में यह बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि इसको हटाइए। पर हमारी बात को नहीं माना गया, वहां हमारी बात को नहीं माना गया और उनको समय दिया गया। अब जैसा आपने कहा कि फैक्टरी चालू करने के लिए आई. डी. बी. आई. ने प्रस्ताव किया था, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि राजेश जैन को एक महीने का समय बी. आई. एफ. आर. द्वारा नियुक्त आपरेटिंग एजेंसी आई. डी. बी. आई. ने आर. ई. सी. एल. को चालू करने के प्रस्ताव बनाने हेतु दिया है, न कि चालू करने के लिए दिया है। आर. ई. सी. एल. को चालू करने के लिए नहीं दिया है, यह एक महीने का समय 2 जुलाई, 1998 को दिया गया है जिसकी अवधि एक अगस्त को समाप्त हो रही है। अब यह स्थिति समाप्त होने के बाद आई. डी. बी. आई. जो रिपोर्ट हमें देगी उसको हम बी. आई. एफ. आर. को भेजेंगे। इसलिए फाइनल आथोरिटी तो बी. आई. एफ. आर. है, हम नहीं हैं। वह निर्णय जिस प्रकार का भी करेगी, जिस प्रकार से निर्देशित करेगी हमको, उसके हिसाब से हम फैक्टरी को चालू करने में हमारा योगदान देंगे। जहां तक रीको का सवाल है, राज्य सरकार का सवाल है, इस बात से चिन्तित हैं कि 700 श्रमिक वहां बेरोजगार हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह फैक्टरी चालू होनी चाहिए पर क्योंकि यह मामला बी. आई. एफ. आर. में है इसलिए आज राज्य सरकार या रीको यह बताने की स्थिति में नहीं है कि यह फैक्टरी हम कब तक चालू कर देंगे।

श्री बनवारीलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट.....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे इतना निवेदन करूं, जब आप मानते हैं कि बी. आई. एफ. आर. में जाने के बाद गवर्नमैंट का इंटरवेंशन कम हो गया है तो

(115)

(श्री सभापति)

अब मैं समझता हूं कि पूर्ण स्पष्ट स्थिति आपके सामने आ गयी है। आप 1-8-98 का इन्तजार कर रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे जो कुछ होता है। तो फिर प्रक्रिया को जितना भी आप आगे सरकाएंगे, लम्बा करेंगे..... (व्यवधान) तो मैं समझना हूं कि पूर्णतया स्थिति स्पष्ट हो गयी। (व्यवधान) गवर्नमैंट क्या कर सकती है, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसके बाद में इतना कुछ है नहीं।..... (व्यवधान)

श्रीमती मनोरमा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि.....(व्यवधान) चालू करने की घोषणा कर दो। (व्यवधान) कितने साल की वह पड़ी है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : कब तक? हम घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्रीमती मनोरमा सिंह : नहीं, तो फिर कब तक चालू करेंगे?

श्री कालीचरण सराफ : बी. आई. एफ. आर. जब तक हमें निर्देशित नहीं करेगी, तब तक हम कर ही नहीं सकते।

श्रीमती मनोरमा सिंह : तो फिर हटा दो ऐसे राजेश जैन को। (व्यवधान) हटा दो राजेश जैन को, क्या कोई.....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रीजी, कृपया यह बतावें कि राजेश जैन जो प्रबन्धक हैं, उनका कितना रुपया इस फैक्टरी में लगा है? क्या आज आपने उस फैक्टरी की वैल्युएशन करायी कि उस फैक्टरी में उनका कितना रुपया उन्होंने निकाल लिया? सभापति महोदय, वास्तव में स्थिति यह है कि इस समय उन प्रबन्धक महोदय का उस फैक्टरी में कोई भी बकाया नहीं है, उन्होंने तो अपना रुपया निकाल लिया। रीको का जितना पैसा है, आप टाट, कमण्डल और जमीन को बेच दें। अब रीको का पैसा डेड हो जाएगा, रीको का पैसा डूब जाएगा। मेरा यह निवेदन है कि जब आपके समय-समय पर नोटिस में आता गया तो आपकी ड्यूटी यह थी कि हम बी. आई. एफ. आर. को सूचित कर दें कि यह कार्यवाही है, ये अनियमितताएं हो रही थीं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य, जैसा मैंने पहले कहा, रीको का स्वयं यह मानना है कि राजेश जैन को एम. डी. पद से हटाया जाए। हमने आई. डी. बी. आई. की मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा।

श्री बनवारीलाल शर्मा : कब, कौनसी तारीख में? (व्यवधान) नहीं, नहीं, कौनसी तारीख में?

श्री कालीचरण सराफ : यह जो जुलाई में मीटिंग हुई।

श्री बनवारीलाल शर्मा : यह जुलाई में मीटिंग हुई है और, मान्यवर, 6 महीने के पहले ये आपके नोटिस में ला रहे थे, 6 महीने से आप कहां सो रहे थे? आपको बार-बार सूचित कर रहे थे, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे।

श्री कालीचरण सराफ : जैसा मैंने कहा 1996-97 तक फैक्टरी लाभ में चल रही थी.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने भी शायद ध्यान नहीं दिया..... ?(व्यवधान) एक मिनट, मंत्री महोदय, आप बिराजें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : एक मिनट, माननीय सभापति कह रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, बिराजें। माननीय सदस्य मैं समझता हूं कि स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। मैं आपसे निवेदन करूं तो स्थिति स्पष्ट यूं है, क्योंकि कम्पनी लॉ में आदमी का वोट नहीं होता है, शेयर्स के वोट होते हैं और चूंकि मिस्टर जैन के ज्यादा मत हैं इसलिये इन्होंने फरवरी, 1998 में यह लिखकर दे दिया था कि इनको हटा दिया जाए। अब उसके बाद शेयर्स में बी. आई. एफ. आर. में आपका केस चला गया। अब रीको अपनी रिकवरी के लिये प्रयत्नशील है। 1-8-98 के बाद जो स्थिति बनती है, उसके बाद आप मंत्री महोदय से वार्तालाप कर लें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल शर्मा : वार्तालाप तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये सुनते कहां है? सभापति जी, समस्या तो यही है, वार्तालाप से अगर राजस्थान सरकार..... ?(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, देखिये, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 1996-97 तक तो फैक्टरी प्रोफिट में चल रही थी, चल रही थी कि नहीं?

श्री बनवारीलाल शर्मा : नहीं, यह आपके कागजों में चल रही थी।

श्री कालीचरण सराफ : इसके बाद जैसे ही हमें वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिली, फरवरी, 1998 में हमने उसकी जांच करवाना प्रारम्भ कर दिया, जांच में वित्तीय अनियमितताएं पाई गयीं। सारी सूचनाएं हमने बी. आई. एफ. आर. को भेज दीं, उन्होंने आपरेटिंग एजेंसी के रूप में आई. डी. बी. आई. को सारा मामला सुपुर्द कर दिया। 2 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जब तक रहेंगे, इनको जब तक नहीं हटाएंगे, यह फैक्टरी नहीं चलेगी। हमारी बात को माना नहीं गया। फैक्टरी ने हमको लोन के लिये एप्लाई किया। हमने उसको मना कर दिया कि जब तक ये राजेश जैन हैं, वित्तीय अनियमितताएं करते रहेंगे, हम इनको एक पैसा लोन नहीं देंगे। तो हमारी नीयत तो पूरी तरह क्लीयर है। हम यह चाहते हैं कि यह फैक्टरी चालू हो, निश्चित रूप से चालू हो और वहां के श्रमिक बेरोजगार न हों। इसके लिये रीको और राज्य सरकार को जितने एफर्टस करने पड़ेंगे उतने एफर्टस हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और फैक्टरी को चालू कराने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान) पर आज हम यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यह फैक्टरी कब तक चालू हो जाएगी। मामला बी. आई. एफ. आर. में विचाराधीन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें, प्लीज।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदय, लास्ट सवाल, सिर्फ लास्ट सवाल।

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : इसके सम्बन्ध में एक प्रश्न है। ऐसा है , माननीय मंत्रीजी, कि आपका 40 प्रतिशत शेयर है और बी. आई.

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

एफ. आर. को आपने कर दिया। वे इसके लायक नहीं हुये तो मैं यह कहता हूं कि क्या रीको 40 प्रतिशत तनख्वाह उन मजदूरों को अपने शेयर का देगी? और यह कब तक देगी, यह आप बता दें।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह क्या प्रश्न हुआ?

श्री बनवारीलाल शर्मा : क्यों प्रश्न नहीं है? क्या मतलब है? आपको क्या पता, वहां पर आपकी फैक्टरी नहीं है। आप इसमें जानो नहीं, काहे के लिये दखल दे रहे हो? माननीय सभापतिजी श्रमिकों की समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन श्रमिकों की तनख्वाह देने के लिये क्या कार्यवाही रीको करवा रही है?

श्री कालीचरण सराफ : हां, हां। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, बिराजें, आप भी बिराजें। मैं भी जितना जो कुछ समझता हूं उस आधार पर आपसे निवेदन करता हूं कि पूर्णतया स्थिति स्पष्ट है। अभी सरकार इस स्थिति में नहीं है, आने वाले दिन में क्या होगा, उसकी घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। आप प्रतीक्षा करें, अगस्त आ रहा है, एक अगस्त तक आप प्रतीक्षा करें। जो कुछ भी उनका निर्णय होगा उसके बाद में आप देख लें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : कल ये भाग जाएंगे, (व्यवधान) और कल ये भाग जाएंगे।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि श्रमिकों का पैसा कहीं पर भी नहीं जाएगा क्यों कि यदि यह फैक्टरी बंद होती है और यह नहीं चलती है तो उसकी परिसम्पत्तियां इतनी हैं कि उनको बेच कर हम श्रमिकों का पैसा देंगे। निश्चित रूप से देंगे, एक भी नया पैसा किसी श्रमिक का बाकी नहीं रहेगा।

श्री बनवारीलाल शर्मा : क्या उसकी दूसरी निजी फैक्टरी को आप सीज करेंगे? आप क्या सीज कराएंगे उसको, जिससे उस फैक्टरी से श्रमिकों का पैसा ले सकें?

श्री सभापति : माननीय सदस्य (व्यवधान) बस, अब समाप्त करें।

श्रीमती मनोरमा सिंह : जो अपने घर बैठे हैं, आज तक उनको एक पैसा नहीं दिया गया। उनको एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं समझता हूं काफी सर्च हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट आफ इंफार्मेशन। इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, पाइण्ट आफ इंफार्मेशन है। एक मिनट में खत्म कर दूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति विद्युत और विकास निगम के द्वारा एक मामला सामने आया है, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। यह बड़ा जबरदस्त मामला है, निगम द्वारा मार्च के महीने में..... ?

श्री सभापति : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और है, उसके बाद आप कहें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में खतम ही कर रहा हूं।

श्री सभापति : इस ध्यानाकर्षण के बाद बिलकुल आपका विषय ले लेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आधे तक आ चुका और खतम ही कर रहा हूं। आपकी इजाजत हो तो ही बोलूंगा, बगैर इजाजत के नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : अब आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद आपके इस विषय को ले लेंगे।

अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सरकारी आदेश दिनांक 24-4-98 से उत्पन्न स्थिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा, गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 से उत्पन्न आक्रोश की स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है :—

(1) नगरपालिका सीमा में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों का अनुदान कम करने का प्रकरण

संस्थाओं को अनुदान के लिये गैर-सरकारी अनुदानिक संस्था अधिनियम, 1989 के तहत बनाए गए अनुदान नियम, 1993 के नियम-11 के अनुसार गठित अनुदान समिति द्वारा प्रति वर्ष अनुदान सम्बन्धी मामलों पर विचार किया जाकर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदान नियम-13 (3) के अन्तर्गत अनुदान बढ़ाने व घटाने के विषय की समीक्षा करने के अधिकार भी अनुदान समिति को हैं। दिनांक 31-3-98 को वर्ष 1998-99 के लिये उत्पन्न हुई अनुदान समिति की बैठक में शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान की निरन्तरता के औचित्य की समीक्षा की गयी।

प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिये, नगरपालिका सीमा में स्थित (स्लम्स को छोड़कर), कच्ची बस्ती को छोड़कर, विद्यालयों का अनुदान प्रति वर्ष 10-10 प्रतिशत कम करके अनुदान समाप्त कर दिया जाए।

(2) यदि उक्त संस्था अपने प्राथमिक स्तर के विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में, जहां शिक्षा का विकास नहीं है, यदि उसमें संचालित करती है या स्थानान्तरित करती है तो उक्त संस्था को वर्तमान में देय अनुदान प्रतिशत लागू रहेगा।

सक्षम स्तर पर स्वीकृति के पश्चात् दिनांक 28-4-98 को जारी परिपत्र के द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अनुदान प्रतिशत 10 प्रतिशत कम करते हुये अनुदान नियमों की न्यूनतम सीमा 50 प्रतिशत तक लाने के आदेश जारी किये गये। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि ऐसी संस्था अपने प्राथमिक विद्यालयों को शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में स्थानान्तरित करने का विकल्प स्वीकार करे तो उसका अनुदान यथावत रखा जा सकेगा। इस निर्णय के निम्नलिखित कारण थे : —

(1) 1976 के बाद उच्च प्राथमिक स्तर की संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान सूची पर नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्थापित अधिकांश प्राथमिक शालाएं बीस-बाइस वर्ष से ज्यादा पुरानी संस्थाएं हैं। इस दौरान ऐसे शहरी क्षेत्रों में अनेक अन्य निजी विद्यालयों की स्थापना होने के कारण अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी हो रही है।

(2) शहरीकरण की प्रक्रिया में अनेक कच्ची बस्तियां शहरों में व आस-पास पनप रही हैं, जिनमें शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी बस्तियों में पिछड़े व गरीब वर्गों द्वारा ही निवास किया जाता है। अतः राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों को कच्ची बस्तियों में स्थानान्तरित करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहती है।

(3) शहरी क्षेत्रों में सम्भवतः संस्थाएं फीस के रूप में 50 प्रतिशत तक राशि एकत्र करने में सक्षम होती है जबकि कच्ची बस्तियों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उनका ऐसा किया जाना सम्भव नहीं होता है।

(2) अनुदान नियम, 1993 के त्रुटिपूर्ण प्रावधान, विशेषकर ग्रेच्युटी के कारण कर्मचारियों एवं संस्थाओं में संघर्ष की स्थिति : —

अनुदान नियम, 1993, गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, 1989 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा बनाये नियम विधिक प्रभाव रखते हैं एवं वर्तमान में लागू हैं। इन नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुये राज्य सरकार ने ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति द्वारा कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गयी है, परन्तु समिति में हुई चर्चा के आधार पर नवीन अधिनियम का एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसका अभी परीक्षण किया जा रहा है। ग्रेच्युटी का भुगतान अपने कर्मचारियों को करने के लिये अनुदानित संस्था नियम, 82 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों से बंधी है। ग्रेच्युटी अनुदानित व्यय की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है इसलिये राज्य सरकार ग्रेच्युटी के मद में अनुदान देने के लिये बाध्य नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ग्रेच्युटी के अनुमोदित व्यय माने जाने के सम्बन्ध में कतिपय निर्णय दिये गये हैं, जिन पर राज्य सरकार की अपील में स्थगन आदेश खण्डपीठ द्वारा प्रदान कर दिया गया है।

अनुदानित/अनुदान प्राप्त संस्थाओं को अपने कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष मूल वेतन, महंगाई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं मकान किराया भत्ता अनुदान नियमों के नियम 34 के प्रावधानों के तहत दिये जाना अनिवार्य है, अन्यथा राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने से मना कर सकती है। यह सत्य है कि कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण से काफी बढ़ोतरी हो गई है एवं संस्थाओं को वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के अनुदान दायित्व में भी वेतन भत्तों के बढ़ने के कारण से बढ़ोत्तरी हो गई है। राज्य सरकार का गत वर्ष का कुल अनुदान प्रावधान 52 करोड़ 89 लाख रुपये था जो इस वर्ष बढ़कर 69 करोड़ 83 लाख रुपये हो गया है। यह प्रावधान भी अपर्याप्त रहेगा व संशोधित अनुमानों में बढ़ाना पड़ेगा। राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये अनुदान बजट में और बढ़ोतरी करने की स्थिति में नहीं है। संस्थाओं को फीस इत्यादि से ही आय प्राप्त कर अपने व्ययों के लिये आवश्यक राशि जुटानी पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक....., दिनांक 19-3-1994 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुदानित संस्थाओं द्वारा सरकारी विद्यालयों में ली जा रही फीस से अधिक फीस वसूल की जा सकती है एवं इस राशि से उनके अपने हिस्से के दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपसे इस प्रस्ताव को ग्राह्य न किये जाने हेतु निवेदन है।

श्री सभापति : श्री सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अपने इस वक्तव्य में स्वयं स्वीकार किया है कि इस समय पांचवां वेतन आयोग लागू होने के कारण जो ये संस्थाएं हैं इनके ऊपर वित्तीय भार भी बढ़ा है। वित्तीय भार बढ़ने के कारण हम उन विद्यालयों को बाध्य कर रहे हैं कि वे अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दें, उनको भत्ते दें, उनको शहरी भत्ता दें, उनको मकान भत्ता दें। ग्रेच्युटी के लिये हाई कोर्ट ने कहा कि यह ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए और राज्य सरकार यह कह रही है कि ग्रेच्युटी देने का प्रावधान हमारे पास में नहीं है। जिन नगरपालिकाओं, संस्थाओं का जिक्र किया है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने, ये वे नगरपालिका क्षेत्र हैं, जहां पर जो विद्यालय चल रहे हैं वे आजादी के पहले के भी हैं और आपने स्वयं अपने इस स्टेटमैंट में स्वीकार किया है कि हम 1976 के बाद में किसी को अनुदान सूची में लाये नहीं है, उस हिसाब से भी ये बीस-बाईस साल पहले के विद्यालय हैं। अगर आप अनुदान देना उनको बन्द कर देंगे, दस प्रतिशत से पचास प्रतिशत उनको क्रमश : ले आएंगे तो ये संस्थाएं अपने जो कर्मचारी हैं, जो इनके यहां वर्षों से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों का पूरा पैसा दे पाएंगी ? क्या राज्य सरकार की मंशा है कि इन कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं मिले, जो पूरा पैसा आप दिलाना चाहते हैं ? एक तरफ तो आपने नियम 34 बताकर बाध्य किया उनको कि आप पूरा पैसा दें और दूसरी तरफ अनुदान बन्द करके उनके जो परिवार हैं, इन कर्मचारियों के उन परिवारों के ऊपर क्या बीतेगी, इसकी कभी कल्पना की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से, कि राज्य सरकार की मंशा क्या है इस अनुदान को बन्द करने के पीछे? आपने मंशा जाहिर की है इसमें कि हम कच्ची बस्तियों में उन विद्यालयों को ले जाना चाहेंगे जो आजादी के पहले के विद्यालय हैं, जो बाद में विद्यालय बने हैं, जो समाज ने बनाये हैं, जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज ने बनाये हैं। जो लाखों रुपये के भवन बने हुये हैं, क्या यह सम्भव है कि उन भवनों को उठा-उठाकर उन स्लम्स एरिये में ले जाएं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाएं? यह तो सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए। रोज ढिंढोरा पीटते हैं कि हम शिक्षा का प्रसार राजस्थान में करना चाहते हैं, तो स्लम्स एरिया में सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये, राज्य सरकार को स्कूल खोलने चाहिये, लेकिन हम अनुदानित संस्थाओं को बाध्य करेंगे उन स्लम्स एरिया में जाने के लिये, जिनकी बिल्डिंग लाखों रुपये की है, जिनको समाज चलाते हैं, सोसाइटीज चलाती हैं। आज खालसा स्कूल है, आज दयानन्द स्कूल है, आज भारतीय शिक्षण परिषद् के स्कूल चल रहे हैं या अनेक संस्थाएं भी चल रही हैं, तो क्या वे अपनी बिल्डिंग्स को वहां शिफ्ट कर सकती हैं? तो यह जिस तरीके का सोच है, यह सोच ठीक नहीं है इसलिये राजस्थान सरकार को अपने इस 28-4-1998 के आदेश के ऊपर विचार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, संख्या घटाने की बात इन्होंने कही है कि इन विद्यालयों की संख्या घट गयी। आपके नियम बने हुये हैं कि यदि विद्यार्थी की संख्या घट जाए तो आप उसको टीचर नहीं देंगे और जब आप टीचर नहीं देंगे तो उस पर अनुदान नहीं देंगे। यह कौनसा फार्मूला आपने लागू किया है? कौनसा आपने सर्वे करवाया है कि जो अनुदानित विद्यालय हैं उनकी संख्या घट गयी? मेरी तो समझ में नहीं आता। आप बता दें कि आपने ऐसी कोई जनगणना करवायी है कि जो विद्यालय इतने वर्षों से चल रहे थे, उनकी संख्या घट गयी? यह सही है कि शहरों में प्राइवेट स्कूल बहुत खुल गये हैं, लेकिन शायद आपकी उन पब्लिक स्कूलों की कल्पना है जो सी. बी. एस. ई. से मान्यता प्राप्त हैं, जो मनमानी फीस वसूल करते हैं। आपने कहा कि हमने अपने एक आदेश के अन्तर्गत 1994 में यह छूट दे दी है कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं वे कितनी ही फीस वसूल कर सकती हैं।तो गरीब जनता के बच्चे

(15.00 बजे)

जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वे पब्लिक स्कूल नहीं हैं, वे उन गरीब क्षेत्रों के स्कूल हैं, जो संस्थाएं बरसों से वहां के लोगों को पढ़ा रही हैं। तो आप उस जनता को लूटने का अधिकार दे रहे हैं कि आप जितनी फीस चाहो उनसे वसूल कर लो? मेरा यह ख्याल है कि यह जो सोच है, यह ठीक नहीं है और मैं यह चाहूंगा कि इस पर निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। यह कितना हास्यास्पद लगता है कि शहरी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनका स्थानान्तरण करें। आपके जो नियम बने हुये हैं उन नियमों के अन्तर्गत इन विद्यालयों को आपने एक तरह से बांध रखा है। आप इनमें टीचर नहीं दे रहे हैं, आप इनको अनुदान नहीं दे रहे हैं नयों को, और जो पुराने काम कर रहे

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हैं, उनको आप 10 परसेंट कम करके समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में आपकी यह सोच हो, मैं जानना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात को रखा, गंभीरता से रखा। वास्तव में राजस्थान की निजी शिक्षण संस्थाएं जिनको राज्य सरकार अनुदान देती है, उन सबकी संख्या प्राइमरी से लेकर सीनियर सैकण्डरी तक केवल 1017 है। इसमें से जो प्राथमिक विद्यालय हैं जिनको हम अनुदान देते हैं, वे केवल 483 हैं। इन 483 में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय भी हैं, इनमें कच्ची बस्तियों में या जो कमजोर बस्तियों में चलने वाले विद्यालय हैं, वे भी हैं और इनमें वे विद्यालय भी हैं जो महिला विद्यालय या बालिका विद्यालय के रूप में चल रहे हैं। हमने इस अनुदान प्रतिशत को जो घटाया है, उसमें इन सबको बाहर रखा, यह जानते हुये रखा है कि हमको बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। हमने 1994 का जब बजट रखा, शिक्षा को समर्पित किया तो हमने बालिका शिक्षा के लिये काम करने वाली शिक्षण संस्थाओं को 90 प्रतिशत का अनुदान दिया। उन प्राइमरी स्कूल की एड कम नहीं होने वाली। उसमें से अगर आप इसका बाइफरकेशन करेंगे कि उन विद्यालयों को कितनी प्रतिशत एड मिलती है तो यह समस्या बहुत छोटी-सी समस्या रह जाती है, बहुत कम स्कूलों की समस्या रह जाती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 483 कुल स्कूल हैं हमारे पास, जिनको हम एड देते हैं। इनमें से 214 विद्यालय ऐसे हैं जिनको हम 50 प्रतिशत अनुदान देते हैं, जो कुल संख्या का 44 प्रतिशत हैं। 65 स्कूल ऐसे हैं जिनको हम 60 प्रतिशत अनुदान देते हैं, 56 स्कूल ऐसे हैं जिनको हम 70 प्रतिशत अनुदान देते हैं, 24 स्कूल ऐसे हैं जिनको हम 80 प्रतिशत अनुदान देते हैं और 126 स्कूल ऐसे हैं जिनको 90 प्रतिशत अनुदान देते हैं। अनुदान नियमों में यह बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 90 प्रतिशत का अनुदान तो उसे ही दिया जा सकता है जो विशेष प्रकार की कोई शिक्षा व्यवस्था करते हों। सामान्यतया इस प्रोविजन को ध्यान में रखकर अगर स्कूलों का विश्लेषण करें तो 90 प्रतिशत स्कूल तो इससे बाहर हो जाएंगे। विशिष्ट शब्द लिखा था, उस शब्द को आड़ा-टेढ़ा प्रयोग करके किसी तरह से 90 प्रतिशत दे दिया। उस दृष्टि से अगर विचार करें तो मैं समझता हूं कि यह समस्या नहीं है। फिर इसमें से हमने बालिका विद्यालयों को निकाल दिया। हमने यह नहीं कहा कि आप अपनी बिल्डिंग तोड़कर वहां ले जाओ। हमने उनको यह कहा कि जब आप 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, शहर की अच्छी बस्ती में काम कर रहे हो, पर्याप्त फीस ले रहे हो और हम से 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत का अनुदान भी ले रहे हो तो हम यह चाहते हैं कि कम से कम एक ब्रांच आपकी किसी कच्ची बस्ती में, किसी गरीब बस्ती में भी चले तो कम से कम वास्तव में गरीब बच्चों को भी आपकी संस्था का कोई लाभ मिले। यह हमारा सोच था। हमारा यह सोच नहीं था कि हम उस संस्था को जो संस्था 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। वह आज भी ऐसी स्थिति में है, और वह भी केवल शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, शहरी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्षेत्र में ऐसी कोई संस्था नहीं, जिसकी मंथली फीस सौ रुपये या डेढ़-सौ रुपये नहीं है। डेढ़ सौ रुपये फीस भी वे ले रहे हैं और हमारे से 90 प्रतिशत का अनुदान भी ले लें और उसके बाद भी अपने अध्यापकों को वह पैसा नहीं दें। अगर वह भी पैसा दें तो कुछ समझ में आ सकता है। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले अखबार में यहां के एक स्कूल का वर्णन आया था जिस पर छापा पड़ा था। छापा पड़ने के बाद यह लगा कि वहां पर बीस-बीस साल से जो अध्यापक काम कर रहे हैं, और जो नामी स्कूल है, आज की तारीख में करोड़ों रुपये जिसने कमाये, वह अध्यापकों को 1500 रुपये बीस-बाईस साल की नौकरी के बाद दे रहा है। और हम से 80 प्रतिशत अनुदान उठा रहा है। हमने कोशिश की, हो सकता है कुछ अच्छी संस्थाओं को कोई तकलीफ आ गयी होगी, पर वे बहुत गिनी-चुनी संस्थाएं होंगी। मंशा केवल एक ही थी हमारी कि आखिर इतने बड़े विद्यालय को चलाते हैं, चालीस साल से विद्यालय चला रहे हैं तो राज्य सरकार के आधार पर क्यों चले? हम तो यह चाहते हैं कि कोई कच्ची बस्ती में चलाएं। यह जानबूझकर इनको हम ले जाना चाहते हैं अपने काम की तरफ, कि ये अपने काम को करते हुये कच्ची बस्ती भी एक गोद लें ताकि गरीब का बच्चा भी आपके उस अच्छे विद्यालय में पढ़ सके। चूंकि आपको वहां फीस नहीं मिलेगी, चूंकि वहां आपको और कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिये आपके जाने की मंशा नहीं है? लेकिन सरकार की मंशा यह है, सरकार अनुदान किसी संस्था को देती है तो उस संस्था की भलाई के लिये या उनके व्यवस्थापकों की देखरेख के लिये नहीं देती है, वह अपने बच्चों की व्यवस्था के लिये देती है।

जहां तक ग्रेच्युटी का सवाल रहा, वास्तव में ग्रेच्युटी का जो कानून बना, वह केन्द्र सरकार का 1972 में बना। उस समय केवल मजदूर और बाकी लोग उसमें कवर होते थे, शिक्षक उसमें कहीं कवर नहीं होता था। 1997 में उन्होंने एक्ट में अमेंडमैंट किया और शिक्षक को भी उसमें सम्मिलित कर दिया। उस शिक्षक को जिसने तीस साल की नौकरी कर ली, 1997 में आप यह कहो सरकार को कि उनकी ग्रेच्युटी का पैसा पेमेंट करना है तो यह 25 करोड़ रुपये, जिनसे हमने कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, उस कानून के हमारे इस एक्ट में बिलकुल साफ प्रावधान है कि इसके लिये कहीं भी बाध्य नहीं हैं। हम इसके लिये कहीं बाध्य नहीं है कि राज्य सरकार को ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। हाई कोर्ट में जरूर कुछ लोग गये कि हमें ग्रेच्युटी मिलनी चाहिये और उसके कारण से एक-आध कोर्ट ने यह फैसला दे दिया सिंगल बैंच ने, कि हां, इनको ग्रेच्युटी देनी चाहिये। पर उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार को देनी चाहिये। एक-आध फैसला ऐसा होगा जिसमें कहा कि सरकार को देना चाहिये। सरकार का ग्रेच्युटी देने का प्रावधान इस एक्ट में, जो 1983 का एक्ट है, इसमें कहीं नहीं है। इस कारण से हम डबल बैंच में गये और डबल बैंच में जाकर हमने स्टे लिया। जब तक वहां से निर्णय नहीं होगा, राज्य सरकार इसके लिये पाबन्द नहीं है कि 1997 के कानून के आधार पर, पुराने जितने रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रेच्युटी का पैसा सरकार देकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

20-25 करोड़ रुपया साल का दे। यह सरकार के लिये सम्भव भी नहीं है।

आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि हम राजस्थान की सारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को देते कितना हैं। अभी मैंने बताया, केवल 69 करोड़ रुपये देते हैं। 69 करोड़ रुपये में हम सारे राजस्थान की शिक्षा की प्राइवेट संस्थाओं को चला रहे हैं और केवल ग्रेच्युटी के नाम से हम पर 20-25 करोड़ रुपये का वजन डाल दिया जाए, यह तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और कानून ने हम को यह कहीं बाध्य नहीं किया है। जो उन्होंने बनाया कि कौन-कौन से हम अनुदान देंगे, उसमें नियम 14 में बिलकुल स्पष्ट कर रखा है कि हमको किस-किस पर अनुदान देना है। उसमें ग्रेच्युटी कहीं नहीं लिखा है कि हमको अनुदान देना है।

इसलिये माननीय सदस्य की इस भावना से मैं सहमत हूं कि कुछ संस्थाएं हैं—एक-दो प्रतिशत होंगी, जो बहुत ईमानदारी से काम करती हैं, ईमानदारी से अपने अध्यापकों को तनख्वाह देती हैं, पूरी तनख्वाह देती हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं नहीं कह रहा कि कोई ऐसा होगी ही नहीं, लेकिन केवल पांच-दस के लिये? मतलब, मैं उन सब लोगों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, चौंकाने वाले आंकड़े होंगे कि वास्तव में शिक्षा के नाम पर किस प्रकार से हाल-चाल चल रहे हैं। हमने इसको रोकने की कोशिश की है।

(15.08 बजे)

(श्री टीकमचन्द कान्त, सभापति, पदासीन)

आपको मैं स्कूलों के नाम बताता हूं जो इतनी फीस चार्ज करते हैं और उसके बाद भी अनुदान लेकर उनके हालात क्या हैं। अजमेर का बता रहा हूं। एस. एम. बी. सैकण्डरी स्कूल, अजमेर माध्यमिक विद्यालय चलता है, केवल 67 बच्चे हैं और आठ पोस्टों का अनुदान लेकर 60 प्रतिशत अनुदान ले रहे हैं।.....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि एक-दूसरे की जो बातें बतानी हैं, यह आप बैठकर

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं तो आपको भी बता सकता हूं.....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हम आपको ही कह रहे हैं कि आप यह जो एक-एक बात यहां पर पढ़कर सुना रहे हैं, ऐसा ही अगर हमको भी जवाब दें तो कितना अच्छा होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह सवाल केवल व्यक्ति का नहीं है, यह राजस्थान का सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। माननीय सदस्य ने पूछकर सम्पूर्ण राजस्थान के शिक्षा जगत में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी देने के लिये रखा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं तो सुन ही इसलिये रही हूं कि आपको तो बोलने का मौका दिया माननीय सदस्य ने। मैं सुन रही हूं सब बातें, आप बताएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, कमला नेहरू, हटूंडी में एक स्कूल

(124)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चलता है, माध्यमिक स्कूल, उसमें 47 बच्चे कुल हैं, 10 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं और 90 प्रतिशत अनुदान उठा रहे हैं। हमने उनको ढूंढ निकाला और हमने एक कोशिश की है कि इस तरह से अनुदान नहीं दिया जा सकता। आदर्श विद्या मंदिर, अजमेर, 52 बच्चे कुल हैं, सात पोस्टें स्वीकृत हैं और 60 प्रतिशत अनुदान.....

एक माननीय सदस्य : किसका है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह मैं नहीं कह सकता, किसका है। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। सेठ मोहनलाल सीनियर सैकण्डरी स्कूल फतेहपुर सीकरी में है, 82 लड़के हैं, सात अध्यापक हैं, 90 प्रतिशत अनुदान है। हमने यह कहा कि अगर आपके बालकों की संख्या, जो हमारा अनुमान है, उतनी नहीं रहेगी तो एक साल का समय आपको देते हैं, बाकी आपको अनुदान जीरो प्रतिशत करेंगे। और हमने किया भी है। संस्कृत के कई विद्यालय हैं ऐसे, जिनका तीन साल का जीरो प्रतिशत रिजल्ट। जीरो प्रतिशत रिजल्ट दें और फिर हम 80 प्रतिशत ग्रांट दें, किस बात के लिये दें? आखिर हम उनको देते हैं तो काम भी चाहेंगे, इसलिये हमने उनके अनुदान को समाप्त किया। यह सही है कि कड़वे कदम जरूर लेने पड़े, इससे बुरा भी बनना पड़ा होगा लेकिन यह वास्तविकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें अच्छी संस्थाएं नहीं हैं, पर मुश्किल से पांच प्रतिशत अच्छी संस्थाएं होंगी। उन अच्छी संस्थाओं की कोई विशेष बात होगी। कोई फीस का हिसाब नहीं होता है, हम उनसे कितना माइनस करते हैं? जो सरकारी स्कूल में चार रुपया ट्यूशन फीस लगती है उतना तो माइनस करते हैं। ऐसी कौनसी संस्था है राजस्थान में जो चार रुपया मंथली फीस लेती हैं? ऐसी कोई प्राइवेट संस्था एक भी बता दें जो चार रुपया लेती हो। मैं सोचता हूं अधिक फीस लेती हैं। उसके कारण से उनको अपना मन बनाना पड़ेगा कि अगर उनको वास्तव में यही अनुदान लेना है और उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में बैठ कर संस्था चलानी है तो एक कच्ची बस्ती में स्कूल का पार्ट उनको चलाना होगा जहां उनको बच्चों को पढ़ाना होगा।

श्री सभापति : समाप्त नहीं हुआ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं, सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने इस बात को घुमा दिया। मैंने यह कहा था कि आप उन स्कूलों की कल्पना कर रहे हैं जो पब्लिक स्कूल हैं, आप उनकी कल्पना कर रहे हैं जो सैकण्डरी स्कूल हैं और आपने जो यह आदेश निकाला है वह प्राइमरी स्कूल का निकाला है। मैं आपको वे लाइनें पढ़ कर सुना रहा हूं जो इस आदेश में लिखी हैं। यह जो चार नम्बर है, इसमें देखियेगा, "नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियों को छोड़कर प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को अनुदान वर्ष 1998-99 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत कम करके 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए।" इन्होंने कहा, "नगरपालिका सीमा में स्थित कच्ची बस्तियों को छोड़कर प्राथमिक विद्यालय चलाने वाली संस्थाएं यदि अपने प्राथमिक स्तर के विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे कस्बों में या बड़े शहरों की कच्ची बस्तियों में स्थानान्तरित

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

करना चाहती है तो उन्हें वर्तमान में देय अनुदान बनाये रखे कर संस्था को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जाए।" इन्होंने जितने उदाहरण दिये, जिन संस्थाओं के उदाहरण दिये वे लोग बेइमान हो सकते हैं। राजस्थान सरकार की इतना लम्बे समय तक क्या आंखें नहीं खुली थीं कि उनकी चैकिंग करते? हर साल अनुदान के वहां से आंकड़े मांगते हैं और आंकड़े देखने के बाद उनकी ग्रांट स्वीकृत करते हैं, आज तक इन्होंने नहीं देखा? चार स्कूल के आधार जो संस्थाएं वर्षों से चल रही हैं, जो शिक्षो के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनका अनुदान बंद कर के, अनुदान कम करके किन को? उन टीचर्स को, वहां काम करने वाले लोगों को और उन समाज के लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से लगन के साथ काम कर रहे हैं। शिक्षा में काम करने वाले लोग, धन लगाने वाले लोग और जिनका सेवा का भाव है वे हतोत्साहित होंगे इस आदेश के अन्तर्गत माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अपने इस आदेश पर निश्चित रूप से विचार करें क्योंकि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, अनुदान कमेटी की जो मीटिंग होती है, जिसमें जनता के भी नोमिनेटेड तीन लोग रहते हैं, उस मीटिंग में जो भी वे अपने सुझाव देते हैं उन पर राज्य सरकार विचार करती है। 1985 से लेकर 1991 तक एक भी बार अनुदान समिति की मीटिंग नहीं हुई। 1994 में पहली बार अनुदान समिति की मीटिंग होने के बाद उसमें ये सब चीजें जैसे-जैसे सामने आती गयीं, उनको इस बारे में कहा। अनुदान जो मिला है वह भी इन वर्षों में आकर हमने कई नये स्कूलों को अनुदान दिया। जब अनुदान कमेटी की मीटिंग होती है, वे अपनी तरफ से सुझाव देते हैं, कोई चीज हमारे ध्यान में लाते हैं। कोई मैं तो स्कूल की संख्या देखने नहीं गया, लेकिन अनुदान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जब इन बातों को उजागर कर के हमारे सामने रखा तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको गहराई से देख कर उसके अनुसार अपने काम को करें। अनुदान कमेटी ने तो यह कहा कि शहरी क्षेत्र में 10 परसेंट हर साल घटाते हुये जीरो परसेंट पर ले आओ लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, नहीं, 50 परसेंट कम से कम इनका रहे और वह भी तीन-चार साल में कटेगा, तब तक वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। अगर वो पैरों पर खड़े नहीं हों तो कोई बात नहीं, एक स्कूल अपने पार्ट में,जो 40 साल से स्कूल चला रहे हैं, एक कच्ची बस्ती में छोटा सा प्राइमरी स्कूल अपनी संस्था के नाम से चला दे, हम उनके अनुदान को जारी रखेंगे। हमने कहां काटने के लिये कहा? लेकिन थोड़ा बहुत तो उनको समाज के लिये भी करना पड़ेगा।

श्री सभापति : हो गया अब।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सवाल इस बात का है कि अनुदान कमेटी की रिपोर्ट तो सामने आयी नहीं कि उन्होंने क्या अभिशंसा की।

श्री सभापति : स्थिति सारी सामने आ गयी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो कानून बने हुये हैं उनके अन्तर्गत भी शिक्षा में इन बेइमानियों को रोका जा सकता था और अनुदान कम किया जा सकता था, इसके लिये कोई नया आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं थी जिस तरह का आदेश निकाला गया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री सभापति : आप किसमें बोल रहे हैं? आपका इसमें नाम है क्या?

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : मैं क्या कह रहा हूं, बात तो सुनो, सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जहां से आप स्वयं चुन कर आते हैं, आज वहां भयंकर अकाल की स्थिति है। वर्षा हुई नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति : नहीं, आपने उठाया है न पहले जीरो आवर में।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनिये। हम यहां पर सदन के अन्दर क्षेत्र की समस्या और जो इलाके की तकलीफें हैं, उसकी बात कहना चाहते हैं।

श्री सभापति : समय था न बताने का, तो बता देते न।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप हमारी बात सुनिये।

सभापति महोदय, आज भयंकर अकाल और सूखे की स्थिति बन रही है पश्चिमी राजस्थान में, मैं अकाल राहत मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह चाहूंगा, क्योंकि आप भी वहां से चुन कर आते हैं और हमारी उपाध्यक्ष महोदया भी वहां से चुन कर आती हैं, सुबह वे भी अध्यक्ष महोदय के कक्ष में यह कह रही थीं कि मेरे इलाके में भी अकाल की स्थिति है।

श्री सभापति : श्री धारीवालजी, आपका पाइंट आफ इंफोर्मेशन क्या है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट आफ इंफोर्मेशन है मेरा, सरकार के ध्यान में कुछ बात लाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसलिये अकाल राहत मंत्री महोदय का यहां स्टेटमैंट दिलवाया जाए। सभापति महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विषय ही नहीं है यह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप स्वयं भी सिवाणा से आ रहे हैं और मैं शेरगढ़ से, अपने यहां पर बरसात बिलकुल हुई नहीं करीब डेढ़ महीना गुजर गया, अकाल की भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। हमने उप मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई ऐसा काम करो जो बरसात आये, कोई धर्म-कर्म करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम चाहते हैं कि आज ही, सदन आज का ही है, आज शाम को सदन की समाप्ति हो जाएगी, हम चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी हम को देवे, स्टेटमैंट देवें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपके सभापति महोदय बैठे हैं, अभी तो मत बोलो कम से कम।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आखिर फेमिन के बारे में ये क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में ही अकाल की स्थिति हो रही है, बहुत गम्भीर मामला है इसलिये इस पर चर्चा करायी जाए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, शेरगढ़ के शेर की दहाड़ कुछ तो सुनो।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बहुत गम्भीर मामला है, सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर ही बरसात नहीं आयी है, पूर्वी राजस्थान के अन्दर भी बरसात नहीं आयी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सदन की भावनाओं से सरकार को अवगत कराएं, अकाल राहत पर चर्चा करायी जाए। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा : सभापति महोदय, सबसे बड़ी जो बात हुई है जानवरों के लिये.....

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मुद्दा उठाया गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सारे बीज नष्ट हो चुके हैं, अकाल की स्थिति पूर्वी राजस्थान में भी है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करायी जाए। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा : अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि चारे की जो समस्या पैदा हुई है, हजारों पशु मर रहे हैं...... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब बिराजें, कृपया बिराजें एक बार। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, इस सदन में यह कहा जाता रहा है कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज होता है तब बरसात और बाढ़ आती है। (व्यवधान) और भगवान, भारतीय जनता पार्टी के राज में बरसात और बाढ़ लाता है, यह कहा जाता है तो अब ऐसा संकेत तो नहीं है कहीं? भारतीय जनता पार्टी का राज जाने का सवाल आ गया इसलिये इन्द्र देवता रूठ गये लगते हैं मुझे। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें। माननीय ताम्बीजी, बिराज जाएं। (व्यवधान) श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री सुखलाल सेणचा : गायों के लिये चारे की समस्या पैदा हो गयी है...... (व्यवधान).....

श्री सभापति : बिराज जाएं आप। बिराज तो जाएं अभी आप। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा : सभापति महोदय, भीषण स्थिति पैदा हो गयी है। आज के बाद में विधान सभा नहीं है.....(व्यवधान).....

श्री सभापति : बिराज जाएं।

श्री भीमराज भाटी : ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, लाखों लोगों का सवाल है, बरसात नहीं हुई है..... (व्यवधान) .... सरकार को बाध्य कीजिए।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : फसल बरबाद हो रही है।

श्री सुखलाल सेणचा : आज के बाद में विधान सभा भी नहीं है। जानवरों के चारे की भयंकर समस्या हो गयी है, गायें मर रही हैं, जानवर मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक बार बैठें आप। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री भीमराज भाटी : सभापति महोदय, मेहरबानी कर के सरकार को बाध्य कीजिये, वक्तव्य दिलाइये।

श्री सभापति : एक बार बैठें आप। (व्यवधान) आप बैठें।

श्री सुखलाल सेणचा : आज के बाद में विधान सभा नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : पश्चिमी राजस्थान की बात है, सूखे की स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह सूचना हो गयी अब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम चाहेंगे, सरकार इस पर वक्तव्य दे।

श्री सभापति : बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सरकार को अकाल राहत पर चर्चा करानी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप धैर्य रखें, एक-दो दिन में बरसात हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : सूचना हो गयी, सरकार भी चिंतित अवश्य होगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कहां हुई है ?

श्री सभापति : जरूर होगी। (व्यवधान) आपने अपनी सूचना दे दी, कृपया बैठें।

श्री सुखलाल सेणचा : जानवरों के लिये चारे के लिये क्या किया जा रहा है? (व्यवधान) चारा नहीं है उधर, चारा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सदन के नेता महोदय को यहां पर बुलाइये। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : सरकार को स्टेटमैंट देने के लिये.....(व्यवधान).....

श्री सभापति : ऐसे कैसे आ जाएगा ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आज क्योंकि आखरी दिन है, सदन के नेता महोदय को यहां बुलाइये। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : पानी की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसे कैसे आ जाएगा ? बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : और अकाल राहत पर चर्चा करने के लिये निर्धारित कीजिये।

श्री सभापति : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आज राजस्थान में परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, नेता महोदय को बुला कर..... (व्यवधान).....

श्री भीमराज भाटी : 31 जुलाई को सारे कार्यक्रम बंद हो गये।

श्री सभापति : बैठें। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा : जिलाधीशों को आदेश दिया जाए कि अविलम्ब वहां पर चारे की व्यवस्था की जाए। (व्यवधान) हजारों पशु मर रहे हैं, यह अविलम्ब लोक महत्व का विषय है। आज के बाद विधान सभा नहीं होगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी का वक्तव्य करवाएं आप आज ही। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, को बुलाइये और बात कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप भी चिंतित हैं और हम भी चिंतित हैं इसलिये सरकार का स्टेटमैंट दिलवाएं। हम भी यह चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार भी चिंतित है, बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : मानवीय मुद्दा है, लाखों लोगों का सवाल है।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमारजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सरकार से स्टेटमैंट तो दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सुखलाल सेणचा : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री सुखलाल सेणचा : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य ..... (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(130)

श्री सभापति : सरकार अभी स्टेटमैंट देने की स्थिति में है या नहीं है ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : बिराजें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री भीमसेन चौधरी : ×××

श्री सभापति : आपकी सूचना सरकार तक पहुंच गयी है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : आपकी चिन्ता, आपकी सूचना सरकार तक पहुंच गयी है। सरकार अपने आप.....(व्यवधान) अभी जो कार्य है उसको चलने दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री रामचन्द्र रावत : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री, सहायता) : माननीय सभापति महोदय, , मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बरसात नहीं होने के कारण चिन्ता जाहिर की है। यह हमारी भी चिन्ता है। एक दो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से.....(व्यवधान) हां, सबकी चिन्ता है, माननीय सदस्य। स्थगन प्रस्ताव भी इस सम्बन्ध में आये हैं। उसमें मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि सरकार की मंशा गांव के किसानों को पूरी मदद करने की है। अगर प्राकृतिक आपदा की स्थिति पैदा होती है तो राजस्थान सरकार, भैरोंसिंहजी की सरकार जब से बनी आज तक पीछे नहीं रही है मदद करने में, और अब भी नहीं रहेगी। (व्यवधान) आप पूरी बात सुन लीजिये। पहले भी आपको मालूम है। और इस प्रदेश के अन्दर इतिहास रहा है कि रक्षा बन्धन को भी अगर बुवाई हुई है तो फसलें हुई हैं। बरसात का मौसम है, बरसात दो-तीन दिन से चल रही है। पूर्वी राजस्थान में हल्की-फुल्की बरसात हो रही है और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बरसात होगी। और जहां तक फसल का सवाल है, चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे मक्की की हो, जिस भी फसल का बीज डाला हुआ है और चाहे मूंगफली हो, मूंग हो, आज की तारीख में पड़ा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है इसलिये अगर दो-पांच दिन के अन्दर बरसात हो जाती है, मैं आपको आशवस्त करता हूं (व्यवधान) हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। खेती हम करते हैं हमको मालूम है। फसल आज की तारीख में नष्ट नहीं हुई है। कुछ समस्याएं हैं पेयजल की समस्या है, चारे की समस्या है, मैं मानता हूं। दो-चार दिन में अगर बरसात नहीं हुई तो इस व्यवस्था का माकूल

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सांवरलाल)

इन्तजाम सरकार करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ×××

श्री सभापति : अब बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री भीमसेन चौधरी : ×××

श्री सुखलाल सेणचा : ×××

श्री सभापति : .....(व्यवधान) मंत्रीजी ने अभी जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री सभापति : बात न अंकित हो पा रही है और न सुनायी दे रही है। आप बिराजें तो सही। (व्यवधान) आपने जो मंशा जाहिर की थी, सरकार ने स्टेटमैंट दे दिया है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : .....(व्यवधान).....

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री सभापति : राजेन्द्रजी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन में कि माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये।

श्री सभापति : मांग यही थी हमारी?

श्री राजेन्द्र चौधरी : एक मिनट में जवाब दूंगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने फसलें खराब नहीं होने की बात कही है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर बुवाई नहीं हुई है, जहां पर हल भी नहीं चला है वहां पर राहत कार्य अविलम्ब शुरू किये जाएं। हमारी मांग है यह। आपके

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(132)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

क्षेत्र की भी यही स्थिति है, पश्चिमी राजस्थान के इलाके की स्थिति है, हम यह कहना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि बरसात आ जाएगी तीन दिन बाद, यह कौनसी बात है? हम यह कह रहे हैं कि वहां पर हल नहीं चला, बुवाई नहीं हुई, वहां राहत कार्य शुरू किये जाएं।

श्री सभापति : .....और इन्होंने कहा कि सरकार समय पर पीछे नहीं रहेगी। यह बात सामने आ गयी।

श्री भीमसेन चौधरी : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ×××

श्री सभापति : बिराजिए आप।

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री रामचन्द्र रावत : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री सभापति : सरकार उदासीन नहीं रह सकती। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, बिराज जाएं।

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री भीमसेन चौधरी : ×××

श्री सभापति : जितना अभी इस वक्त कहा जा सकता था, मंत्री महोदय ने कह दिया और अब कार्यवाही आगे चलनी चाहिए। मंत्रीजी, आप कुछ बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री रामचन्द्र रावत : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री भीमसेन चौधरी : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री सभापति : भाटी साहब, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। (व्यवधान) बिराज जाएं आप।

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री सभापति : यह ठीक नहीं है, बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री भीमराज भाटी : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री सभापति : यह सब अंकित नहीं हो रहा है, यह बात आपको मालूम है?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री रामेश्वर लाल भाटी : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, अभी-अभी मैंने निवेदन किया था कि इस प्रदेश के अन्दर, इस हिन्दुस्तान के अन्दर रक्षा बन्धन पर बुवाई हुई है तब भी फसलें हुई हैं, आप लोग भी जानते हैं। अकाल राहत घोषित करने की जो प्रक्रिया है, वह आपसे छिपी नहीं है। फसल बोई जाती है, बोने के बाद अगर बरसात नहीं होती है या ज्यादा बरसात हो जाती है, अक्टूबर में गिरदावरी होती है, गिरदावरी रिपोर्ट में फसल खराबा आता है तब अकालग्रस्त घोषित किया जाता है। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सांवरलाल : यह इसकी प्रक्रिया है, मैंने कहा, बुवाई नहीं हुई है। अभावग्रस्त गत वर्ष की फसल की गिरदावरी के आधार पर घोषित किया गया है। यह जरूरी नहीं है कि जहां पर अभी बुवाई नहीं हुई है वे गांव पहले ही अभावग्रस्त घोषित किये गये हों। यह कोई आवश्यक नहीं है। इसलिये अगर इस बार फसल नहीं बोई जाती है और गिरदावरी रिपोर्ट होती है उसमें जब खराबा आता है तो यह प्रक्रिया है। अब आपने कह दिया कि बरसात नहीं हुई, जहां बरसात नहीं हुई वह गांव अभी अभावग्रस्त था क्या? यह कोई आवश्यक नहीं है। इसलिये मेरा आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जो चिन्ता आपको है, उससे ज्यादा हमको चिन्ता है। मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर बुवाई भी नहीं होगी, बरसात भी नहीं होगी तो भी निश्चित रूप से हम गम्भीर हैं और इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। जनता की मदद के लिये सरकार हर संभव कदम उठाएगी, यह मेरा निवेदन है।

श्री भीमसेन चौधरी : इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री सभापति : बिराजें, बिराजें, माननीय सदस्य। श्री शांति कुमार जी धारीवाल, बोलें, क्या इन्फार्मेशन है?

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : मैंने शांति कुमार जी का नाम पुकारा है।

श्री शंकरलाल अहारी : आदिवासी क्षेत्र में अकाल राहत के अन्दर कई प्रकार की समस्याएं हैं।

श्री सभापति : क्यों उठ खड़े हुये आप?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह अकाल की बात कहने के लिये उठ खड़े हुये हैं। डूंगरपुर

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(134)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

में भयंकर अकाल है, ये यह भी कहते हैं कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है।...... (व्यवधान)

श्री सभापति : वह जवाब दे दिया। जो आप कह रहे थे वह सरकार ने दे दिया जवाब। मंत्रीजी ने कह दिया, बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : चर्चा कराएं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अकाल नहीं पड़ने देंगे। अकाल के नाम पर आपको जो खाने की भूख थी वह नहीं होगी। अकाल नहीं पड़ने देंगे, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी।

श्री रामेश्वर लाल भाटी : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की तरफ से अकाल की इच्छा जाहिर की जा रही है। ये एक साथ पांच-पांच, सात-सात लोग बोलकर विषय की गम्भीरता को कम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एक समय में एक बोले तो सब अपनी बात कह सकेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं इस इंफोर्मेशन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो वित्त और विकास निगम बना हुआ है उसके अफसरों के द्वारा जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पर काबिज हैं उनके द्वारा जबर्दस्त बड़ी अनियमितता की गयी है, गबन किया गया है, घोटाला किया गया है। उसकी जांच करवाने के लिये मैं सरकार की इन्फार्मेशन में यह बात लाना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस बात की जानकारी आपको भी होगी कि जितने भी बैंक हैं.....

श्री सभापति : दो मिनट में बात पूरी कर लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, दो मिनट में। वे मार्च के पहले पहले ज्यादा से ज्यादा डिपाजिट्स लेना चाहती हैं। तो अनुसूचित

(15.36 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

जाति, जनजाति निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाइनेंशियल मैनेजर ने एक चैक 6 करोड़ रुपये का जयपुर की देना बैंक को दिखा दिया कि यह हम आपके यहां पर फिक्स डिपाजिट रखना चाहते हैं। इस चैक को वहां सिर्फ दिखाया, जमा नहीं करवाया और डेढ़ प्रतिशत के हिसाब से कमीशन लेकर 9 लाख रुपये अपनी जेब में रख लिये 23-2-98 को। फिर उसके बाद उन्होंने केनरा बैंक की बैंगलौर शाखा जो हनुमंत नगर में स्थित थी, वहां के बैंक मैनेजर को भी यह 6 करोड़ रुपये का चैक दिखाकर 9 लाख रुपये का कमीशन अपनी जेब में रख लिया। चैक नहीं दिया, सिर्फ चैक दिखाकर ही ले लिया। कमीशन पहले ले लिया कि चैक हम भेज रहे हैं। चैक नम्बर वगैरह सब मेरे पास मौजूद हैं, कागजात मौजूद हैं। मैं इनको सभा के पटल पर भी रख दूंगा ताकि सरकार विस्तृत रूप से इसकी जानकारी करवा सके। तीसरी हरकत उन्होंने यह की कि आखिर में केनरा बैंक अरविंद मार्ग में वह 6 करोड़ की एफ. डी. आर. करवा दी। फाइनेंस सैक्रेटरी ने उनको लिखा-निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर को, कि यह रकम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी भी दूसरी बैंक में जमा नहीं करवायी जाए, यह

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

रकम सीधी ट्रैजरी में जमा करवायी जाए। लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना करके भी वहां के फाइनेंस मैनेजर और वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने मिलकर एक षड्यन्त्र किया।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, समाप्त करें, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और 27 लाख रुपया नौ-नौ लाख करके.....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कमीशन खाया। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा ख्याल है ये देखते होंगे मंत्री महोदय समाज कल्याण के, जरा इसको देखें आप। या तो आपकी जानकारी में पहले आ चुका और आप चुपचाप बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और चुपचाप बैठे हुए हैं। आपने क्यों नहीं इस बात की जानकारी ली? इतना बड़ा घोटाला हुआ 6-6 करोड़ रुपये के.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति धारीवालजी, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कोटा में तो जमाना है लेकिन हमारे यहां पर भयंकर काल है, यह 6 करोड़ और 7 करोड़ का मामला नहीं है। जनता मर जाएगी भूखों, पीने का पानी नहीं है। लोगों का यह बुरा हाल है कि आज भी न कोई रोजगार है न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। और आप कह रहे हैं गिरदावरी आएगी, उसके बाद करेंगे। गिरदावरी तो दिसम्बर में आएगी.....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तब तक यह जनता भूखी मरती रहे या यहां से पलायन कर जाए? आप यह चाहते हो कि लोग यहां से चले जाएं? जो कुछ भी है आज, आप उनको यह कहिये, साफ यह कहें कि इतने दिन में हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, चारे की व्यवस्था कर देंगे और मजदूरी खोल देंगे। कुछ तो यहां बात कहिये। चतुर्वेदी जी सबसे सीनियर मिनिस्टर बैठे हैं, चतुर्वेदी जी, आप जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री भरतपुर शहर के मध्य स्थित सुजान गंगा नहर में फैल रहे प्रदूषण एवं गंदगी के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने जो आपको इन्फार्मेशन, अध्यक्ष महोदय, दी थी कृपया सरकार से यह तो कहलवा दें कि इसकी जांच की जाएगी। कम से कम यह तो कुछ करवा दें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर इस तरीके के मामले हम सरकार की जानकारी में लाएं तो सरकार जवाब तो दे इस बात का (व्यवधान) कि इन मामलों को देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ का ही सवाल है यह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं, माननीय सदस्य श्री धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो यह जानकारी करना चाहता हूं कि इस बात के लिए यह तो कहें कि जांच की जाएगी। जवाब तो दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : आदरणीय धारीवाल जी, बिराज जाएं। बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 27 लाख रुपये खा गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें कृपया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिराजूं कहां, 27 लाख रुपये का मामला है।

श्री अध्यक्ष : इस समय तो बिराजें।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास) : धारीवाल साहब, 27 लाख रुपये का पेमेंट हुआ इसका कोई सबूत है क्या आपके पास ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कागज दे दूंगा आपको।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन का पेमेंट हुआ, इसका कोई सबूत है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कागज पेश करना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल वर्मा : नहीं, कमीशन का पेमेंट हुआ इसका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो फिर ये चैक बार-बार क्यों काटे ?

श्री बाबूलाल वर्मा : चैक जमा ही नहीं हुए उनकी बैंक में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह चैक बैंगलोर की ब्रांच में क्यों काटा ? यह चैक देना बैंक में क्यों काटा ? फिर क्यों काटा गया, यह बता दीजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : ऐसा कोई इश्यू नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह बता दीजिये कि निगम के द्वारा देना बैंक को 6 करोड़ रुपये का चैक क्यों काटा गया ? फिर उसी तरीके से बैंगलोर की ब्रांच.....

श्री अध्यक्ष : आप सुनें, माननीय सदस्य, सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब्रप्टली किसी एक बात की जानकारी, जिसकी सूचना नहीं है, यहां उत्तर चाहते हैं। माननीय विधायक महोदय, किसी नियम और कानून में इस बात को लाएं, सरकार जाग्रत है, जवाब देगी, जांच करेगी, सब

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बातें करेगी। अब्रप्टली करना ठीक नहीं है किसी भी दृष्टि से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो कुछ कहिये अकाल के बारे में।

शासकीय वक्तव्य

भरतपुर शहर स्थित सुजान गंगा नहर में व्याप्त प्रदूषण

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस स्थिति में वक्तव्य इस प्रकार है।

भरतपुर शहर की स्थापना के समय से ही किले के चारों तरफ एक पक्की खाई बनी हुई है जिसे सुजान गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। इस नहर को भरने हेतु रियासत के समय से ही अजान बन्ध, रामकोट व मोती झील से कच्चे एवं पक्के नाले बने हुए हैं जिससे बरसात का पानी उक्त नहर में भरा जाता था। उक्त नहर में चारों तरफ सघन आबादी है। शहर में जल प्रदाय योजना आरम्भ होने के साथ ही गंदे पानी के निस्तारण की योजना नहीं बनने के कारण मकानों इत्यादि का गंदा पानी नहर में उपरोक्त नालों से आता है। आबादी बढ़ने से दिन प्रतिदिन गंदे पानी की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। उक्त किला व नहर को राष्ट्रीय महत्व की मानते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है तथा इसकी देखभाल एवं रख-रखाव तथा रक्षा पुरातत्व विभाग के अधीन है।

नगर परिषद्, भरतपुर द्वारा इस संबंध में वर्ष 1983 से जल निस्तारण योजना बनाकर निरन्तर इस समस्या के निदान के उपाय किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक चिकित्सालय की जल-मल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पूर्ण की गयी थी। समय-समय पर नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध साधनों से नहर के चारों ओर नालियों इत्यादि का निर्माण व सफाई करायी जाती रही है। नहर की सफाई तीन बार परिषद् द्वारा अपने व्यय पर करवायी जा चुकी है तथा आवश्यकतानुसार नहर का मलवा निकाला गया है। किन्तु भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित साधनों के कारण की गयी उक्त व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस समस्या का स्थायी समाधान भरतपुर की सीवरेज योजना चालू होने पर ही संभव हो सकेगा। इस प्रयोजन हेतु 1994 में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से योजना बनायी गयी है जिस पर 15 करोड़ की राशि व्यय होने का अनुमान है। परिषद् में साधनों के उपलब्ध होने पर ही समाधान संभव होगा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने खुद स्वीकार किया है कि शहर के मध्य में सुजान गंगा नहर, उसका नाम अगर मंत्रीजी ढंग से सुनें तो सुजान गंगा, जब यह शहर बना था तब यह गंगा रूपी पानी था। इसमें लोग पानी पीते थे, स्नान करते थे। लेकिन पिछले कुछ 30-40 सालों से, मैं यह नहीं कहता कोई नयी समस्या

(128)

(श्री आर. पी. शर्मा)

है, इस नहर को गंदा करने में तीन मुख्य डिपार्टमेंट हैं। माननीय मंत्रीजी, ध्यान से सुनें। सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो इस नहर को गंदा कर रहा है वह नगर परिषद् है। नगर परिषद् की अनेदखी से, नगर परिषद् की गलती से इस नहर में शहर के पूरे गंदे नाले अभी भी डाले जा रहे हैं और डाले गये हैं।

साथ ही साथ जैसा कि आपने जिक्र किया; नगर परिषद्, भरतपुर ने नालियों का निर्माण किया है। इसकी जो सूचना आपको दी गयी है, वह बिलकुल गलत है। नगर परिषद् ने एक योजना बनायी थी आज से दो साल पहले जिला कलक्टर महोदय को जब वहां की जनता ने प्रपोज किया, जनता ने एजिटेशन किया। जनता के परस्युएशन पर जिला कलक्टर महोदय ने निर्देश दिये थे नगर परिषद् को कि आप कोई योजना बनाएं और जो शहर के गंदे नाले हैं उनके पानी का अलग निकास करके इस नहर में गंदे पानी को नहीं डलने दें। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात का दु:ख है और शायद आपको भी सूचना गलत दी गयी, कि नगर परिषद् भरतपुर ने उन नालों के बनाने के बारे में कार्यवाही नहीं की। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप नगर परिषद् को तुरंत प्रभाव से सुजान गंगा नहर में गंदे पानी के नालों को न डालने की पाबंदी के लिये कदम उठाएंगे ?

नम्बर दो, इस नहर को गंदा करने में इस नहर के बिलकुल बराबर में हास्पिटल भी है। उस हास्पिटल का पूरा गंदा कचरा और सब तरह के सीवरेज हास्पिटल के भी उस नहर में डाले जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा और आपने भी स्वीकार किया है कि इस नहर का पानी रुका हुआ है। अजान बांध से यह नहर भरी जाती थी और इस नहर में हमेशा फिल्ट्रेशन होता था। जैसा आप जानते हो, पानी जब रुक जाता है तो रुके हुए पानी में कीड़े पैदा होते हैं, उसी में बीमारी पैदा होती है। मैं निश्चित रूप से आज से चार साल पहले सदन में कह चुका हूं, और अब भी कह रहा हूं कि अगर इस नहर की सफाई के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो नगर में इस नहर की वजह से महामारी फैलेगी और पूरे भरतपुर में हो सकता है इस तरह की विशिष्ट गैस पैदा हो जाए जिससे भरतपुर की जनता रात की रात सोती न रह जाए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अजान बांध जो हमारा है उस बांध से इस नहर को भरने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते पर नगर परिषद् की गलती की वजह से लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुजान गंगा को भरने के लिए अजान बांध के पानी पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाने के लिए क्या नगर परिषद् को आप आदेश देंगे ? जब तक सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देगी.....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री आर. पी. शर्मा : नगर परिषद् किसी रूप में कोई काम करने जा रही है? मेरा निवेदन है कि भरतपुर को बचाने के लिये कृपया आप आवश्यक कदम उठाने के निर्देश नगर परिषद् और विभिन्न विभागों को देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहर जिसको आपने कच्ची खाई बता दिया है, यह भरतपुर के उस ऐतिहासिक दुर्ग के चारों तरफ है जिसमें कि अंग्रेजों की लड़ाई में सात बार अंग्रेज हारे थे। That is a historical Fort. उसके चारों तरफ यह हिस्टोरिकल नहर है जिसको आप कच्ची खाई बता करके आज इस स्थिति में लाये हैं। इतना दुर्गन्धमय पानी उस नहर के अन्दर है कि जिसको पीकर कई तो गायें मर गयीं, मछलियां और कछुए थे, वे सब मर गये। जिसके चारों तरफ इतनी दुर्गन्ध आती है कि आस-पास के जिन लोगों के मकान बने हुए हैं, वे मकान बेच-बेचकर चले गये। इसमें कोई शंका नहीं है कि पानी का पोल्यूशन हो रहा है। मैं, माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर के चारों तरफ आपने ट्यूबवेल बोर कर रखे हैं और उनका पोल्यूटेड पानी भरतपुर की जनता को पीने को मिल रहा है। क्या आपने उस पानी को टैस्ट किया है कि कैसा पानी मिल रहा है? इस पानी में इतनी भी आक्सीजन नहीं है कि कोई भी आदमी अगर इसमें डुबकी लगा दे तो वह जिंदा बाहर निकल सके। हम उस नहर में नहाये और वह ऐतिहासिक चीज थी जिसमें बोटिंग हुआ करती थी। उस नहर की स्थिति आज यह बना दी गयी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या म्यूनिसिपल बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि पूरे शहर के सीवरेज को, गंदे पानी को लाकर इस नहर में डाल दें? इस प्रकार पोल्यूशन होने के बाद बीमारियां फैलती हैं जिसके पानी को पीकर गाय और दूसरे जानवर मरते हैं तो नगर परिषद् की कोई ड्यूटी नहीं है? आपने कह दिया कि इसका संरक्षण तो आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इंडिया करता है। आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इंडिया तो पक्की नहर की बाउंड्री को देखता है या किले को देखता है। इस प्रकार के पोल्यूशन को अलाउ करने के लिए आपने म्यूनिसिपैलिटी को कैसे लाइसेंस दे रखा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं? म्यूनिसिपल एक्ट में प्रोवीजन है कि म्यूनिसिपैलिटी जिस काम को नहीं करना चाहती है आप म्यूनिसिपैलिटी को आर्डर कर सकते हैं कि उस काम को आप करिये और अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं करती है तो आप म्यूनिसिपैलिटी से पैसा वसूल करके स्वयं कर सकते हैं। तो कृपा करके नहर के अन्दर जो गंदा पानी भरतपुर शहर के नालों से आ रहा है, उन नालों को आप इमीजिएटली बंद कराएं, इसके गंदे पानी को आप साफ कराएं और जो इसकी ड्रेनेज बाहर जाती थी उसको आप साफ करा करके भरतपुर शहर को बचाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस हिस्टोरिकल फोर्ट को देखने के लिये बाहर से सैलानी आया करते थे, यहां इतनी दुर्गन्ध हो गयी है कि वहां लोग जा नहीं सकते, भरतपुर शहर वाले लोग वहां नहीं जा सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप म्यूनिसिपल बोर्ड, भरतपुर को म्यूनिसिपल एक्ट के प्रोवीजन के तहत में एक आदेश जारी क्यों नहीं करते हैं कि वह इसके अन्दर गंदे पानी को लाना बंद करे और उसकी सफाई कराए?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय.....(व्यवधान) इसको समाप्त कर दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा क्या होगा 27 लाख रुपये का? तीन बार 9-9 लाख रुपये कर लिये, आप सरकार का.....

श्री अध्यक्ष : कृपया, बीच में नहीं। माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलते। एक प्रसंग चल रहा है, चलने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक प्रसंग चल रहा है, पता नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या की ओर आपने ध्यान दिलाया है और जो बात रखी है, मैं आपसे सहमत हूं। वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसको खाई कहें, नहर कहें, कुछ भी कहें, नाम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यह, और किसी जमाने में इसका बड़ा नाम रहा है, ऐतिहासिक है। लेकिन जो आज स्थिति बन गयी है उसमें रास्ता "क्या हो, यह सोचने की बात है। ठीक है, इसमें गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, कूड़ा इसमें नहीं डालना चाहिये। जो चिकित्सालय का डालते हैं उनको तो सख्ती के साथ रोका जाए, आम जनता भी डाले तो सख्ती से रोकें। लेकिन वहां जो नालों की व्यवस्था हो गयी, घर-घर के नाले उसमें जाकर पड़ने लग गये, इसके लिए तो कोई सीवर लाइन पड़े। लेकिन बाहर पानी न निकले, तब तक क्या हो? आप वहां बिराजते हैं तो आपके ध्यान में इसका समाधान ज्यादा अच्छा होगा। जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा इसका 15 करोड़ का व्यय होगा, इतनी बड़ी रकम नगरपालिका खर्च कर सके, मुझे लगता नहीं है। आप स्वयं भी समझदार नगर परिषद् के मैम्बर हैं, आपकी नगर परिषद् की स्थिति है क्या इतना पैसा खर्च करने की?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बिलकुल स्थिति है। बिल्कुल स्थिति है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं एक मिनट.....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं एक सुझाव देता हूं आपको। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं चाहूंगा कि इसकी एक मीटिंग रख लें। जिलाधीश को भी बुला लेंगे, नगर परिषद् के अध्यक्षजी को हम बुलाते हैं, आप भी पधारिये.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप भी पधारेंगे उसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं यहीं बुला लेता हूं। अगर रिसोर्सेज हैं तो मैं चाहूंगा..... मैं यहीं बुला लेता हूं। मैं निश्चित तौर से चाहूंगा कि यह नहर फिर से एक अच्छे रूप में जैसी पहले थी, वह रहे। गौरव की बात होगी भरतपुर के लिए भी, राजस्थान के लिये भी। यह एग्री हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है।

श्री आर. पी. शर्मा : एक मिनट निवेदन करूं। इसमें गंदे पानी के जो नाले हैं.....

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री आर. पी. शर्मा : उनको बंद करने के लिए मात्र 20 लाख रुपये का दो साल पहले एक प्रोजैक्ट बना था। उनको तुरन्त प्रभाव से रोकने के लिए नगर परिषद् को आप आदेश

(श्री आर. पी. शर्मा)

दें कि उन नालों का जो पानी डल रहा है उसको बंद किया जाए और नये नाले बनाये जाएं। कोई बड़ा काम नहीं है। सीवरेज का जो प्रोजैक्ट है वह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो टैम्परेरी अरेंजमैंट है, अगर कोई मरीज बीमार है तो उसको जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा इलाज कराएं, यह टैम्परेरी इलाज भी हम कराएं।

श्री अध्यक्ष : कृपया, बिराजें आप। बिराजें, मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट आफ इनफोर्मेशन।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : ये क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं?

श्री रामस्वरूप मीणा : एक सैकण्ड, अभी बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, क्या?

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट आफ इनफोर्मेशन। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर मसला मैं सदन में रखना चाहता हूं, विधान सभा भवन के निर्माण में करोड़ों की हेरा-फेरी। राज्य सरकार की जांच में.....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, बिराजें, बिराजें। मुझे जानकारी है कितना क्या है, क्या नहीं है। बिराजें आप। (व्यवधान) बिराजें, माननीय सदस्य। हर सप्ताह में उसकी जानकारी लेता रहता हूं, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे जानकारी है। अब कृपया.....(व्यवधान) नहीं, बिराजें। आप बिराजें। बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : निवेदन करना चाहता हूं, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को अलग-अलग ढंग से उठाते हैं प्रश्न के माध्यम से उठाते हैं, 295 के माध्यम से भी उठाते हैं, कॉल अटेंशन के माध्यम से भी उठाते हैं। एक मेरा राजस्व से संबंधित प्रश्न है 28 तारीख का, अभी स्थगित किया गया था। अध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले भी मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, उसकी व्यवस्था भी नहीं हुई। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें, क्योंकि सदन अब 2-3 दिन बाद में चलेगा कि नहीं चलेगा, परन्तु मेरा जवाब मुझे भिजवा दिया जाए। यह हमारे अधिकारों की रक्षा आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सरकार भिजवा देगी जवाब आपको।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के कार्यकाल में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान

(१५२)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (2), 232 (2), 233-ख (2) के नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यतन माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ने वित्तीय समितियों यथा जन लेखा समिति 1997-98, प्राक्कलन समिति "क" 1997-98, प्राक्कलन समिति "ख" 1997-98 तथा राजकीय उपक्रम समिति 1997-98 के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि की थी जो दिनांक 18 सितम्बर, 1998 को समाप्त हो रही है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया के नियम 306 के अंतर्गत प्रक्रिया के नियम 230 (1), 232 (1), 233-(ख) (1) के प्रावधानों को लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर जन लेखा समिति 1997-98, प्राक्कलन समिति "क" 1997-98, प्राक्कलन समिति "ख" 1997-98 और राजकीय उपक्रम समिति 1997-98 के कार्यकाल में वृद्धि करते हुए इन समितियों के सदस्यों को ही उसमें राजस्थान विधान सभा की शेष कालावधि के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 श्री ललितकिशोर चुतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी, श्री भीमसेन चौधरी, श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज हमारे सामने लाया जा रहा है, महत्वपूर्ण है और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यह विधेयक देरी से आया, फिर भी सरकार का स्वागत योग्य कदम है। अध्यक्ष महोदय, इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का मेरा प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव मैंने क्यों दिया है, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। जितने भी हमारे विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थापित हैं उनके संबंध में इस सदन में बार-बार चर्चा होती रही है–उनके प्रशासन के संबंध में, उनके टीचर्स के अपाइंटमेंट के, प्रमोशन के। वाइस चांसलर और चांसलर के बीच में हमने देखा कि हमारे गवर्नर रेड्डी साहब थे उनके और वाइस

(श्री शिवनाथ सिंह)

चांसलर के बीच में विवाद हुआ। मैं उस बात को ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इन सब बातों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस प्रकार के प्रावधान हम चाहते थे कि इस बिल में आने चाहिए। वे इसमें नहीं आये। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी हमारी बातों को यहां सुनने के बाद यदि आवश्यक समझें तो सरकार की तरफ से संशोधन पेश कर सकते हैं, जुबानी पेश कर सकते हैं यहीं सदन में और आवश्यक जिनको समझें उनको कर सकते हैं।

मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि 3-4 बातें इसमें हैं। एक तो हमारे विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, यह हम मानकर चलते हैं। इसके सम्बन्ध में भी सदन में चर्चा हुई और बहुत दफे चाहे अजमेर विश्वविद्यालय हो चाहे दूसरा हो, उसके संबंध में चर्चा यहां आयी थी। कार्यकलापों की इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने कहा ये स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और इसको हम नहीं लाना चाहते। मत लाइये। इस बिल के अंदर जो भाव यहां व्यक्त किये गये थे कि स्वायत्तशासी संस्था है उसके विपरीत काम किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि सलेक्शन कमेटी सबसे पहले वाइस चांसलर का अपाइंटमैंट, वाइस चांसलर का अपाइंटमैंट चांसलर करेगा। लेकिन यह मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसमें अपाइंटमैंट ऑफ वाइस चांसलर, यह पेज 38 पर है, सरकार द्वारा अप्रूव होगा तो ही होगा। चांसलर जो राजस्थान में गवर्नर होता है सर्वशक्तिमान होता है, उनको भी किसी भी वाइस चांसलर को अपाइंट करने के लिए सरकार से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। सरकार अपने पास अधिकार लेना चाहती है, ले ले.....

श्री अध्यक्ष : लोकतंत्रीय सरकार है, लेना चाहती.....

श्री शिवनाथ सिंह : क्या, साहब ?

श्री अध्यक्ष : लोकतंत्रीय सरकार अगर है तो उसे लेना चाहिये।

श्री शिवनाथ सिंह : बिलकुल ठीक, आपकी बात मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : उसमें लोकतंत्र समाहित हो जाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मान लेता हूं आपकी बात। आसन के आदेश को मानना चाहिए। लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था यह है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार का सरकार प्रावधान रखे कि विश्वविद्यालय की भी और उसके कार्य-कलापों की भी चर्चा इस सदन में हो। नहीं, कुछ तो करें। सर्वोच्च सत्ता जनतंत्र है, सरकार नहीं है। यह सरकार तो इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए सरकार कोई भी काम करती है तो यह बात आती है कि सरकार की जो स्वीकृति होगी वह इस सदन में डिस्कस होगी और डिस्कस होगी तो इस सदन को पूरा अधिकार इसमें है। एक बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसमें होस्टल की जो परिभाषा है, उसमें होस्टल शब्द आया है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

सिर्फ परिभाषा में होस्टल आया है आगे एक्ट में कहीं भी उसका अनुशासन क्या होगा? किसके अंडर में होगा? यह प्रावधान उसमें नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस शर्मनाक चैप्टर को यहां नहीं खोलना चाहता। लेकिन आज यूनिवर्सिटीज के जो छात्रावास हैं उनमें किस प्रकार की प्रवृत्तियां हो रही हैं? सदन उद्वेलित रहा और जगह-जगह से आ रही हैं। इसलिए जो-जो होस्टल इन विश्वविद्यालय के अंडर में हों उनमें इस प्रकार का नियंत्रण रहे कि ऐसा वहां नहीं होने पाए। क्योंकि यह संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, सब भाषाओं की जननी है और संस्कृत शब्द जहां आता है हम यह मानकर चलते हैं कि बहुत ही पवित्र चीज का सोच रहे हैं। इसलिए उन होस्टल में हमारे विश्वविद्यालय में और यहां जो खराबियां आ गयी हैं, उसमें इसका समावेश नहीं हो पाए। आपने छात्र संघ चुनाव की बात कही है, इस विश्वविद्यालय को कम से कम चुनाव की प्रवृत्ति से आप अलग रखने की चेष्टा करें क्योंकि वही एक प्रवृति है जो इन सबके बिगाड़ में आती है।

अध्यक्ष महोदय, आखिरी एक निवेदन मैं करना चाहूंगा कि इसमें जो सलेक्शन कमेटी है उसमें कुछ व्यक्तियों को रखने की बात है, उसमें एक एजुकेशनिस्ट भी रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षाविद् है वह संस्कृत भाषा का ही शिक्षाविद् हो, इस प्रकार का प्रोविजन हो जाए तो अच्छा रहेगा। वरना वह अंग्रेजी का शिक्षाविद् है, संस्कृत के बारे में जानता नहीं। इसलिए उस सलेक्ट कमेटी में शिक्षाविद् जो हो वह संस्कृत भाषा का ही हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं। लेकिन यह मानकर चलता हूं कि यह बिल पास होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी। एक ही लाइन में कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : हां, एक-दो लाइन में ही। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे जो वेदना है वह इतनी है कि पिछली बार यहां के राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा चली थी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के दिल में वेदना होते हुए भी, माननीय सदस्यों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी वे कुछ भी नहीं कर सके थे, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे और हर मामले में यह कहा कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को चांसलर के पास पहुंचा दूंगा। हम आपको पोस्टमैन नहीं बनाना चाहते थे। हम ही जाकर कह सकते हैं। आप चूंकि सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो, हमारा भी आप प्रतिनिधित्व करते हो।सत्ता पक्ष मैजोरिटी

(16.00 बजे)

का है, हम माइनोरिटी में है लेकिन हम विधान सभा में तो आपके साथ हैं, हमारा प्रतिनिधित्व आप करते हैं। आप भी क्या पोस्टमैन का काम करेंगे? मैं ईमान से सच-सच कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मुझे इनकी दयनीय स्थिति पर दिल में नाखुशी है। क्या एक एक्ट बना रखा है, क्या आपका नियंत्रण है? सारा पैसा, मान्यवर, विधान सभा देती है, पैसा तो हमारा जाता है और हमारा प्रतिनिधि, सरकार का

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रतिनिधि हैल्पलैस हो रहा है, क्यों? क्योंकि माननीय मंत्री महोदय या सत्ता पक्ष के राज्यपाल के साथ, राज्यपाल जो चांसलर है, राज्यपाल का नाम नहीं लूंगा, चांसलर के सत्ता पक्ष के साथ सम्बन्ध मधुर नहीं थे इसलिए वे हर बार कहते हैं कि पहुंचा दूंगा। ठीक है, कांस्टीट्यूशनल हैट है, विधान सभा भी उनकी मातहत हो सकती है, लेकिन मातहत है नहीं। हम जनता को रिप्रजेंट करते हैं, वे कांस्टीट्यूशनल हैड हैं। वह मैं व्याख्या नहीं करता ज्यादा, लेकिन हम जनता की तरफ से बैठते हैं यहां, हमें बड़ी वेदना होती है। मैं तो यह चाहता हूं कि इसमें यह व्यवस्था है कि नहीं। यह व्यवस्था आपने माकूल नहीं की है। आपने कुछ प्रतिबंध डाले हैं, लेकिन जो डाले हैं, वे ऐसे डाले हैं जो देखने में, पढ़ने में, समझने में थोड़े ढीले और कर्कश से भी लगते हैं, इसलिए मैं एक तो यह पूछना चाहता हूं कि विधान सभा का उस यूनिवर्सिटी से क्या सम्बन्ध है? कितने प्रतिनिधि विधान सभा के उसमें होंगे? सीनेट में या एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, उस इफैक्टिव गवर्निंग बॉडी और दूसरी बॉडीज में विधान सभा का क्या होगा हमारा प्रतिनिधित्व? स्पीकर महोदय कितना नोमीनेशन देंगे उसमें? हैं ही नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि विधान सभा का भी इसमें इन्वाल्वमैंट हो। यह नहीं कि सारी विधान सभा जाकर बैठे, हमारे प्रतिनिधि, हमारे अध्यक्ष को रखें ताकि कोई बात हो। मान्यवर, यह संस्कृत विश्वविद्यालय है, हमारी प्राचीन संस्कृति हमारी प्राचीन परम्पराओं, भारत के प्राचीन गौरव को प्रतिस्थापित करने वाला यह विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मेरा मकसद यह नहीं है कि मेरे प्रस्ताव से कोई विलम्ब कर दूं, विलम्ब करना मेरा कतई तात्पर्य नहीं है, जब आप ला ही रहे हैं संस्कृत को वहां पर। आज संस्कृत हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व में बोली जाती है, लेकिन संस्कृत भी कुछ विशिष्ट लोगों की भाषा बन गई है। जो गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, शिड्यूल्ड कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, ओ. बी. सी. हैं, न तो इनके बच्चे पढ़ सकेंगे, न हमारे लेकिन एक.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : इस बार, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा ली है और जो मैरिट आई है उसमें फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड, तीनों ही जाट हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरे भतीजे की पत्नी है, वह भी संस्कृत पढ़ी-लिखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ओ. बी. सी. में न आएं, इसका संकेत है यह।

श्री रामनारायण चौधरी : वह एक अलग बात है, आपका और हमारा भी विशिष्ट वर्ग बनता जा रहा है। हमारा भी एक विशिष्ट वर्ग बनता जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके बाद में दो नम्बर आए हैं, वे मीणा हैं, और वे दोनों चीथवाड़ी के हैं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : शिवनारायण और रामनाथ की मदद नहीं ले पाए आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ब्राह्मण छठे नम्बर पर आया है इसलिए संस्कृत अब सबकी भाषा है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, 1996 के अंदर रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को इस सरकार ने दबा लिया। अन्य पिछड़ा वर्ग में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष बनने के बाद एक उम्मीद जगी है। मान्यवर, जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ तो मिलना ही चाहिए।

श्री अमराराम चौधरी (धोद) : क्योंकि संस्कृत से काम नहीं चलता, अंग्रेजी से चलता है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : संस्कृत हमारी संस्कृति का एक अंग है।

श्री जगदीप धनखड़ : उस जाति में कुछ लोगों को फायदा दिया, कुछ को नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। जातिवाद की ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है, जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : संस्कृत कोई जाति से जुड़ी हुई नहीं है, हमारी संस्कृति का अंग है संस्कृत।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सभी की जानकारी में है कि इस बिल को स्पोंसर करवाने में, सरकार को सक्रिय करवाने में इस सदन की माननीय सदस्या और किसान वर्ग में पैदा हुई, फ्रीडम फाइटर फैमिली में जन्मी आदरणीय महिला है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुख्य मंत्रीजी ने भी मेरे सामने ही उन आदरणीय महिला से बात की थी कि कब तक लाना है, कमलाजी हैं, बैठी है मेरे पास में, उनको पूछकर रखा है। उनसे मेरी बात हुई, उनकी काफी बातें इसमें हैं। उजलाजी नहीं, कमलाजी हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही मान लो।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, वे तो मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों को ही धन्यवाद दे दो।

श्री रामनारायण चौधरी : फ्रीडम फाइटर फैमिली से, हमारे जिले से, उनकी बेटी है, बैठी हुई है यहां पर अध्यक्ष महोदय, श्रीमती कमलाजी काश्तकार फैमिली से हैं, जिनका उज्जवल इतिहास रहा है झुन्झुनूं जिले के अंदर। मेरे इस प्रस्ताव के जरिए, मान्यवर, कोई दुर्भावना नहीं है कि मैं उसको विलम्बित कर दूं। मेरी भावना इतनी है, मंत्री महोदय, कि इसमें बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम सुझा सकते थे। मेरा प्रस्ताव कोई पास होने वाला नहीं है और आप कहेंगे तो हम तो विथड्रा कर लेंगे लेकिन हमारी भावना है कि भारत के गौरव को, संस्कृत के गौरव को प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ इसमें डालें, विधान सभा का भी समावेश हो, हमारा भी उसमें शेयर हो, क्योंकि पैसा तो हमारा जाएगा। छात्रावास के बारे में उन्होंने कह दिया, मैं बोलना नहीं चाहता।

(श्री रामनारायण चौधरी)

वाइस चांसलर, मान्यवर, मेरा इस मामले में विचार है, मुझे शिक्षाविद् के नाम से ही बहुत बड़ी चिढ़ है, शिक्षाविद् क्या है? यह तो हमारी कॉमनसेंस की बात है, प्रशासन करने वाला वाइस चांसलर होना चाहिए, जिसको रोबस्ट कॉमनसेंस हो और रोबस्ट एक्सपिरियंस हो। आप बुरा मत मानना, हो सकता है मतभेद लेकिन आज जो आपने, वाई. राजगोपालाचारी का नाम मेंशन कर रहा हूं, आपने अच्छा कदम उठाया है। वे शिक्षाविद् हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम लेकिन आई. ए. एस. से आए हैं, वे किसी जमाने में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के उज्ज्वल स्टूडेंट थे, लैक्चरर थे। लेकिन ऐसे प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति भी वाइस चांसलर बनना चाहिए वरना संस्कृत का चलेगा नहीं। संस्कृत वाले तो लड़ेंगे, मुझे डर है। जितने बड़े मतभेद इन पंडितों में हैं, संस्कृत के विद्वानों में हैं, ये वहां पर + + + इसलिए आप वाइस चांसलर ऐसा रखिए कि जो प्रशासकीय क्षमता भी रखता हो, जो नियंत्रण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को यदि आप उचित समझते हैं तो प्रसारित कर दें, आप कहेंगे तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पंडित + + + यह निकाल दीजिए, शब्द ठीक नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : "बारा बामण बारा बाट, बारा खाती एक घाट।"

बारा बामण बारा बाट, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है इसमें।

श्री अध्यक्ष : असंसदीय की परिभाषा में आए तो हटा दिया जाए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो बिल आया है.....

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें कोई असंसदीय नहीं है, इसमें असंसदीय क्या हुआ? आप और हम आपस में + + + आज आपके और हमारे बीच में कितने मतभेद हैं, कितने झगड़े रहे हैं, यह असंसदीय हो जाएगा? शिक्षा संस्थाओं में आप ऐसा नहीं करने दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मुझे बोल लेने दो, रामनारायण जी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं और जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जनमत जान लिया है और जनमत इस पक्ष में है कि इस विधेयक को जल्दी ही विधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए कर देना चाहिए कि संस्कृत पढ़े बगैर आज विज्ञान भी काम नहीं कर सकता।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

हमारे यहां पर एक प्रिंसीपल थे मनोहरलालजी, वे फिजिक्स के एम. एस. सी., पी. एच. डी. और डाक्टर थे, उन्होंने आफ्टर रिटायरमैंट अपनी लड़की से संस्कृत पढ़ी और इसलिए पढ़ी कि वे वेदों को पढ़ सकें और फिर विज्ञान के मामलों में कुछ आगे बढ़ सकें। वेदों की जो ऋचाएं हैं उनका वे इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ऋषि ही बोल रहे हों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको शीघ्र ही पारित कर दें।

एक बात जरूर है कि इसमें राजनीति की बात नहीं आनी चाहिए, इसमें हम लोगों, एम. एल. एज. का पूरा रिप्रजेंटेशन हो, ग्रामीण लोगों का इसमें रिप्रजेंटेशन हो। अच्छी प्रकार से राजस्थान में संस्कृत शिक्षा फले-फूले, इस विश्वविद्यालय से हम ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविंद सिंहजी गुर्जर, अमरारामजी (धोद), सदस्य विधान सभा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। संस्कृत एक भाषा है और उसके लिए राजस्थान में आज तक कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इसके लिए एक्ट लेकर आए हैं, निश्चित रूप से राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। जहां तक प्रस्ताव का संबंध है मैं विशेष तौर से इसमें यह बात रखना चाहता हूं कि इसमें जो कार्य परिषद् रखी है इसमें सब तरह से जो विश्वविद्यालय से संबंधित लोग हैं, जो सरकार से संबंधित हैं उनके भी रिप्रजेंटेटिव होंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ायी जाएगी, जो विद्यार्थी शोध करने के लिए वहां होंगे, जिन छात्रों के लिए संस्कृत के विकास का काम है उन विद्यार्थियों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उसमें छात्रों का प्रतिनिधि होना चाहिए।

एक गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, सदन में हम जो बैठे हुए हैं वे भी चुनकर आने वाले हैं, जनतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं। यह जनतांत्रिक देश है, अगर हम विद्यार्थियों के चुनाव से घबराते हैं, मैं समझता हूं, कोई एक इंसीडेंस, एक घटना किसी गांव में हो जाए, छात्रावास में हो जाए तो पूरे छात्र वर्ग को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे राजस्थान में चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, पिछले कई सालों से शिक्षा मंत्रीजी ने एक दिन में पूरे राजस्थान के चुनाव करवाये हैं और जितने पीसफुल राजस्थान के छात्रों के चुनाव हुए हैं शायद इस देश के किसी भी हिस्से में नहीं हुए हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में आने वाला विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी इस देश का वोटर है और वोटर की उम्र 18 वर्ष है। किसी भी विश्वविद्यालय में 18 वर्ष से नीचे की उम्र का कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं आता, जो हमको अच्छी तरह से चुनकर भेज सकता है वह अपना चुनाव नहीं कर सकता? इसलिए निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए। छात्रावास भी होने चाहिए, लेकिन उनकी समुचित व्यवस्था हो, देखरेख हो। मेरी यह भी मान्यता है कि किसी भी विश्वविद्यालय

(श्री अमराराम)

का वाइस चांसलर अगर शिक्षाविद् नहीं होगा तो वह प्रक्रियाएं नहीं जान सकता। प्रशासनिक रूप से तो वह अच्छा कर सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी आता है वह समाज में आता है। समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में आज मीडिया जिस तरह से नौजवान को नष्ट करने के लिए काम कर रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में कोई छात्र आता है वह समाज के अंदर से ही आता है। जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं, जो भी वाइस चांसलर शिक्षाविद् होगा वह सही रूप से होगा, उसके वातावरण को बनाने में होगा। उसकी स्वायत्तता भी निश्चित रूप से रहनी चाहिए। ये जो कमियां आ रही हैं, जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं, चाहे अजमेर विश्वविद्यालय हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, उनमें जो गड़बड़ियां हुई हैं वे उनमें राजनैतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के इंटरफियरेंस के कारण से हुई हैं। इसलिए वे निश्चित रूप से कम से कम होनी चाहिए और प्रशासनिक दृष्टि से उसमें दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही बात मुझे कहनी है कि इस बिल को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, झुंझुनूं जिले के मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य और भरतपुर के कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य श्रीमान् हरिसिंहजी ने जनमत जाग्रत करने के लिए इस विधेयक को भेजने की चर्चा की। इसी प्रकार सीकर जिले के धोद विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की चर्चा की। किन्तु जो चारों भाषण यहां हुए, उन्होंने अपनी बातें तो रखीं, किन्तु तर्क और बात रखने के साथ-साथ उन्होंने यह कहा कि हमारा आग्रह नहीं है कि कोई जनमत जाग्रत करने के लिए इसको भेजा जाए, न यह कहा गया कि प्रवर समिति को भेजा जाए। चारों माननीय सदस्यों के मन की यह राय थी कि इस विधेयक को अविलंम्ब, जल्दी से जल्दी, बहुत देर हो गई है, पारित किया जाए। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गई। अपनी बात रखना चाहते थे, कुछ विषय प्रतिपादित करना चाहते थे, राजस्थान विधान सभा के माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहते थे, विधान सभा के माध्यम से राजस्थान की जनता से कुछ कहना चाहते थे वह उन्होंने कहा। किन्तु साथ-साथ चारों भाषणों से, चारों विचारों से इस बात का मंतव्य भी स्पष्ट हो गया कि न तो माननीय सदस्यों की इच्छा इसको जनमत जाग्रत करने के लिए प्रसारित करना है, न प्रवर समिति को सौंपना है। तो भी मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर भारतवर्ष की दूसरी काशी कहा जाता है। 1964 में राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई और उसकी अनुशंसा थी 1964 में जिसको आज लगभग 33-34 वर्ष हो गए, कि राजस्थान की

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

धरती पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। यह विषय तब से पब्लिक डिबेट के नाते चल रहा है। पब्लिक के किसी भी कोर्नर से, जनता के किसी भी भाग से इस बात का विरोध नहीं किया गया कि राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए। बल्कि जहां जहां विषय आया, जहां-जहां मौका आया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तृतीय भाषा के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में सामान्य शिक्षा में भी है, फिर भी तृतीय भाषा के रूप में 98 प्रतिशत बालक संस्कृत को एक विषय के नाते लेते हैं। संस्कृतज्ञ तो छोड़ दीजिये, संस्कृत बांगमय छोड़ दीजिए, राजस्थान के परिवेश में चाहे महाकवि माघ हुए हों, चाहे पं. अम्बिकादत्त व्यास हुए हों, पं. मधुसूदन वेदवाचस्पति हुए हों, महामहोपाध्याय पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हुए हों, वेद वाचस्पति पं. मोतीलाल शास्त्री हुए हों, जगद्गुरु शंकराचार्य नरेन्द्रदेव तीर्थ हुए हों, उन मनीषियों की कर्मस्थली यह जयपुर रही है और इसलिए जयपुर भारतवर्ष की दूसरी काशी है। संस्कृत बांगमय की शास्त्रीय परम्पराओं के विषयों की सहस्त्रों पाण्डुलिपियां, शिलालेख, साहित्य यत्र-तत्र राजस्थान में संमहित हैं। आवश्यकता यही थी कि इसको धरोहर माना जाए और जो अपने देश की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है उसका विकास हो। भारत में राजस्थान एक सीमा तक आगे बढ़ गया है, आज हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेश की तुलना में यदि लेंगे। संस्कृत का जितना प्रचार-प्रसार हुआ स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद, तत्कालीन सरकार के समय या तत्कालीन सरकार के बाद, आज की सरकार के समय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की संख्या देखेंगे तो 706 है और उनमें 98 हजार विद्यार्थी हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 278 हैं, 41 हजार विद्यार्थी हैं। प्रवेशिका स्तर के 87 विद्यालय हैं, 11 हजार विद्यार्थी हैं। वरिष्ठ उपाध्याय स्तर के 32 हैं, 9300 विद्यार्थी हैं। शास्त्री स्तर के 20 महाविद्यालय चल रहे हैं 3,500 विद्यार्थी हैं। आचार्य स्तर के 18 महाविद्यालय चल रहे हैं, 494 विद्यार्थी हैं। राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है, देश के विभिन्न भागों में संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई, हमारे यहां देरी हुई। इसीलिए राजस्थान की जनता का जनमत, एक-एक व्यक्ति के मन की इच्छा, आकांक्षा, विद्यार्थियों के तृतीय विषय में संस्कृत को लेने की इच्छा, सब इस बात के प्रकटीकरण हैं कि राजस्थान में जनता के जनमत की गारण्टी संस्कृत विश्वविद्यालय को बनाने की है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रवर समिति का सवाल है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे झुंझुनूं जिले के मण्डावा क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायक ने ठीक कहा। उस समिति में कमला जी थीं, जिन्होंने इस सारे विधेयक को ड्राफ्ट किया, श्रीमान घनश्यामजी थे। उस कमेटी में दो तो विधान सभा के सदस्य थे। आज प्रवर समिति भी कौन बनती, उसमें विधान सभा के ही सदस्य होते। तीन होते, दो आलरेडी थे। इसलिए प्रवर समिति को भेजने का सवाल सामान्य तौर पर समाप्त हो जाता है। इसीलिए सारी अवस्था में यह प्रश्न आकर खड़ा हो गया। जहां राजस्थान में संस्कृत की इस प्रकार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

की स्थिति है वहां अगर हम देखने की कोशिश करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित 23 महाविद्यालय हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 10 महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 4 महाविद्यालय तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बन्धित एक महाविद्यालय है। इतनी अनयूनिफार्मिटी है। आवश्यक है कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान की धरती पर हो और उसके कारण से राजस्थान में संस्कृत का प्रचार-प्रसार सम्यक् रूप से, निश्चित रूप से हो। यह मन की इच्छा है, जनता का आग्रह है राजस्थान विधान सभा के सम्माननीय सदन के एक-एक सदस्य के मन की आशा है, इच्छा है। विधेयक को बनाते समय राजस्थान विधान सभा के दो प्रमुख सदस्यों के साथ मुझे भी उसका सदस्य रहने का मौका आ गया। तीन सदस्य तो हम हो ही गये, प्रवर समिति तो वहीं बन गयी, उसने पूरा विचार कर लिया, विधेयक ड्राफ्ट कर लिया इसलिए माननीय सदस्यों के मन की इच्छा भी नहीं थी कि जनमत जाग्रत किया जाए, प्रवर समिति को कर दिया जाए। ऐसी इच्छा प्रकट की थी उन्होंने साथ-साथ ये बातें हमने प्रारम्भ से ही कर दी थी कि इस प्रकार की स्थिति नहीं हो, किन्तु कुछ कुछ विषय रखते समय जिन बातों की चर्चा की है उन बातों के विषय में मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्था है, विधान सभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा नहीं है। इसी विश्वविद्यालय की वर्किंग कमेटी में, कार्य समिति में दो माननीय सदस्य इसके सदस्य होंगे। यह बात सच है कि आखिर शिक्षा को जिस नाते से आगे ले जाना चाहते हैं। यहां दोनों प्रकार के मत प्रकट हुए कि स्वायत्तशासी हो, एक यह भी हुआ कि नहीं हो। यह तो पब्लिक डिबेट का इश्यू है। हां, एक बात जरूर प्रकट की गयी कि राजस्थान की जो सरकार है उसको कहीं न कहीं दांत होने चाहिए कि जो कभी कभी कोई गड़बड़ी हो तो उसमें हस्तक्षेप करके उसमें कुछ न कुछ कर सके। यह पब्लिक डिबेट का विषय है। अभी तक राजस्थान सरकार इस बारे में नहीं हुई। किन्तु कभी कोई मन में इच्छा होगी कि हम विश्वविद्यालयों का एक कॉमन एक्ट बनायें, अलग-अलग विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट्स और आर्डिनेंस हों और उसमें सरकार को भी चांसलर महोदय की सहमति से कोई न कोई दांत दिये जाएं, जिनके आधार पर कभी-कभी स्वायत्तता के नाम पर गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती हो तो उसमें अवरोध पैदा किया जा सके, इसलिए राज्य सरकार ओपन माइंड है। यह आज तो क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय का सवाल था, जल्दी में बनाना था इसलिए हम यह ले आये। वर्तमान वर्ष तो राजस्थान में विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के विस्तार का वर्ष है। अभी आपने सुना था कि बजट प्रस्तुत करते समय एक ओर कोटा में विश्वविद्यालय दूसरी ओर बीकानेर में विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालयों का नाम लेकर जो आज लगातार क्षेत्रीय बात थी उसकी पूर्ति कर दी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गयी। इतना नहीं, अभी-अभी जवाब देते कहा कि नहीं नहीं, जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय हो। सोच रही है सरकार, प्रावधान कर दिया गया है, उदयपुर के बारे में भी प्रावधान कर दिया गया है। उस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो शायद राजस्थान के इतिहास में यह पहला वर्ष होगा जिसको उच्च शिक्षा के विस्तार का वर्ष क्रांति वर्ष कहा जाएगा। जो चार विश्वविद्यालय बनने वाले हैं, जो पांच विश्वविद्यालय हैं इन सब को सम्यक् रखकर राजस्थान सरकार की इच्छा है कि हम कोई कॉमन एक्ट लाएं। कॉमन एक्ट तो कहता नहीं, एक ऐसा एक्ट लाएंगे कि जिसमें सामान्य दृष्टि से सभी के बारे में कोई न कोई विचार हो और सरकार को भी कोई न कोई दांत इस नाते से दिये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर चर्चा करते हुए दोनों प्रकार के विचार आये कि छात्र संघ के चुनाव समय पर होने चाहिए एप्रीसियेशन भी हो गया, विरोध भी हो गया। यह प्रजातांत्रिक देश है, हम चुनकर राजस्थान की बागडोर सम्भाल सकते हैं, हिन्दुस्तान में बैठे हुए लोक सभा में लोग प्रधान मंत्री के रूप मे, मंत्रियों के रूप में, लोक सभा सदस्यों के रूप में हिन्दुस्तान की कमान आज सम्भाल सकते हैं। अगर विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है तो भारत में इस प्रजातंत्र का अभ्यास हम को कदम कदम पर करना होगा, छोटे स्तर से करना होगा। हां, कोई कसर होती हैं, बिहार में आज बूथ कैप्चर हो गये, हो रहे हैं, इसका मतलब क्या यह है कि वहां चुनाव बन्द हो जाने चाहिए? जो आने वाली गड़बड़ियां हैं, जो आने वाली विकृतियां हैं उन विकृतियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। किन्तु यह तो नहीं होना चाहिए कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हों, इतने भयभीत तो हम नहीं हैं। हां, 1980 से 90 का युग आया था जिस युग में इस बात से डरकर छात्र संघ के चुनाव बन्द करवा दिये गये थे। वर्तमान सरकार नहीं कर रही है, वरन् वह विकृतियों को खतम करने की कोशिश करेगी। पूरी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह बात अलग है, किन्तु प्रयास रहेगा। मूलभूत में जिस प्रजातंत्र के हिमायती हैं उसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हों, यह तो शायद मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं रहेगा, बात नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ और बातों की भी चर्चा की है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रवर समिति को भेजने का सवाल आया, चाहे जनमत जाग्रत करने का सवाल आया, माननीय सदस्यों के भाषण से भी लगता था कि उनके मन की इच्छा नहीं है, मेरा निवेदन स्वीकार करके वे इन प्रस्तावों को वापस लेंगे ताकि इस पूरे प्रस्ताव को पास करने में आगे बढ़ सकें, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जिस सद्भावना का परिचय हमने यहां अपने भाषणों में दिया और जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया, मुझे बड़ा खेद हुआ। आपने कहा कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हम दिन भर यहां कहते

(श्री शिवनाथ सिंह)

रहते हैं, हम दिन भर यहां कहते हैं कि जनता को संदेश नहीं देना चाहिए इस भावना से.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने कोई खराब नहीं कहा था।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए मैं इस पर मतदान नहीं चाहता, अध्यक्षजी, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं मेरी प्रक्रिया तो पूरी करूं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं वापस लेने की बात कर रहा हूं न। मैं मंत्रीजी की बात, मंत्रीजी के आदेश को मानते हुए, आपके आदेश को मानते हुए वापस लेने की व्यवस्था करता हूं। प्रस्ताव करता हूं लेकिन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको तो हमारा आभार मानना चाहिए ताकि इतनी बातें यह कह सके।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत आभार। शत् शत् नमन, शत् शत् वन्दन, शत् शत् चरणवन्दन।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारे प्रस्ताव के कारण इनको इतनी बात कहने का अवसर मिला वरना तो एक मिनट में पास हो जाता और इनको अपनी कहां-कहां विश्वविद्यालय खोले हैं, इस बात का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेने की इजाजत दे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि मुझे मेरे प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाए। लेकिन इसके साथ ही, मैं तो मंत्री महोदय का रुतबा बढ़ा रहा था और ये हमें कह रहे हैं कि यह तो बोलने के लिए प्रस्ताव रख दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं वापस ले रहा हूं मेरे शब्द।

श्री रामनारायण चौधरी : बोलने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने तो आपकी दयनीय हालत उसमें देखी थी न, उससे मुझे कुछ दुःख हुआ था। इसलिए मैं तो आपको ताकत दिलाने के लिए कुछ प्रोविजन बोलने के लिए कहा था।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो क्योंकि मंत्रीजी ने अब राजस्थान में विश्वविद्यालयों की, उच्च शिक्षा की बाढ़ ला दी है लेकिन एक जो अल्पसंख्यक भाषा उर्दू बची है उसके विश्वविद्यालय की घोषणा भी कर दो तो शायद कोई बचेगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लेने का प्रस्ताव करो।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए मैं मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं, यह सदन मुझे अनुमति दे।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर) : यह सदन जो प्रस्ताव मैंने रखा है जनमत जानने के लिए,

(श्री हरिसिंह)

उसे वापस लेने के लिए अनुमति दे, ऐसा मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी, श्री भीमसेन चौधरी, श्री हरिसिंह (कुम्हेर), जिन्होंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया है उसको वापस लिया जाए, सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

क्या श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, श्री अमराराम (धोद) ने प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव इन्होंने वापस लिया है, सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री अमराराम (धोद) : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 का विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। श्री शिवकिशोर सनाढ्य संशोधन वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : पेश ही नहीं हुआ।

खण्डश : विचार

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

खण्ड (3)

खण्ड (3), कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) स्वीकार किया गया।

खण्ड (4)

खण्ड (4), प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड (4) के उप खण्ड (7) को विलोपित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (4) में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड (4) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (5)

खण्ड (5), कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (5) स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड (5) स्वीकार किया गया।

खण्ड (6)

खण्ड (6), प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड (6), छठी पंक्ति में "के उपबंधों के अध्यधीन" के स्थान पर "में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (6) में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (6) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड (6) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (7) से (10)

खण्ड (7) से खण्ड (10), कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (7) से (10) स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड (7) से (10) स्वीकार किये गये।

खण्ड (11)

खण्ड (11), श्रीमती कमला संशोधन प्रस्तुत करेंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाद में कर लेना।

श्रीमती कमला (बैराठ) : दो बात तो करने दो। आपको क्या दिक्कत हो रही है, इतने क्यों उतावले हो रहे हो? इतने वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, एक-आध घंटे और ठहरिये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है और बहुत संतोष है कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प आज पूरा हो रहा है। मेरा एक संकल्प था राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था कायम करने का, उसको बहुत समय बाद पूरा किया। आज इस संकल्प को पूरा करके राज्य सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, सब माननीय सदस्य साहबान ने, संस्कृत जगत में सभी विद्वजनों का और संस्कृत भाषा वाङ्मय और संस्कृति मूलाधार को पुष्ट करने में इस प्रदेश की सारी जनता का बहुत बड़ा सहयोग किया है। मैं उनको भी इसके माध्यम से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूं। मैंने जो संशोधन यहां पेश किया है, इस बाबत मंत्री महोदय से मेरी चर्चा हो चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया है। मैंने यहां लिखा है इसमें, "एवं नियुक्त किया

(श्रीमती कमला)

जाएगा, के पूर्व अभिव्यक्ति" ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत शिक्षाविद् तथा विश्वविद्यालयी संरचना एवं प्रशासन का पर्याप्त अनुभव रखता हो" यह हमने उसके लिए रखा है वाइस चांसलर के लिए। आपका कहना है, मंत्री महोदय का, कि इसको हम मूल एक्ट के अन्दर तो नहीं रख सकते लेकिन जो हम इसके स्टेच्यूट्स लाएंगे उसके अन्दर इस तरह का प्रावधान करेंगे। क्योंकि, माननीय मंत्री महोदय, यह संस्कृत विश्वविद्यालय है और संस्कृत विश्वविद्यालय अपने आप में एक भाषा भी अनूठी है और एक दर्शन भी अनूठा है और उसका बहुत गूढ़ और बहुत ही पुराना ज्ञान, विज्ञान, दर्शन का एक भण्डार है जिसको समझने के लिए सामान्य आई. ए. एस. अकेला उसको पार नहीं डाल सकेगा। यह अपनी मूल स्पिरिट में, मूल भावना में काम कर सके, इसके लिए यह जरूरी है कि वह संस्कृत का एक उद्भट विद्वान भी हो, एक अच्छा शिक्षाविद् भी हो और साथ-साथ विश्वविद्यालयीय प्रशासन का अनुभव रखने वाला भी हो, इस तरह का प्रावधान इसमें रखा जाना आवश्यक है। इसलिए मैं उनके बताये हुए रास्ते को सुनकर, समझकर इस संशोधन को वापस लेना चाहती हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : पेश ही नहीं कर रही हैं। इन्होंने पेश ही नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : तो सदन की अनुमति लेनी पड़ेगी। इन्होंने कुछ बोला है, कुछ बोल लिया है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (II) के उप खंड (1) में श्रीमती कमलाजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेने की अनुमति दी जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्रीमती कमला : मैं वापस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया।

खण्ड (12)

खण्ड (12), प्रभारी मंत्रीजी एवं श्री शिवकिशोर सनाढ्य संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (12) (1) में तीसरी पंक्ति में शब्द "करेगी" के स्थाना पर शब्द "करेगा"' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (12) में प्रभारी मंत्री जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (12) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड (12) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड (13) से (15)

खण्ड (13) से (15), कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (13) से (15) स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड (13) से (15) स्वीकार किये गये।

खण्ड (16)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैंने प्रसारित तो नहीं किया है किन्तु एक संशोधन मैं रखना चाहता हूं खण्ड (16) में। खण्ड (16) में कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी संस्था होगी और निम्नलिखित से गठित होगी, पहला कुलपति है, दूसरा कुलपति द्वारा संकाय अध्यक्षों में से नामनिर्देशित कोई व्यक्ति हो, यह पांचवां जो है, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित कोई आचार्य, इसको मैं प्राचार्य करना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्या से बहुत लम्बी इस बारे में चर्चा हुई, वैसे तो प्राचार्य पर रोटेशन से आचार्य पहुंचते रहते हैं किन्तु प्राचार्य हो जाए यह राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित हो तो उस आचार्य के बजाय उपखण्ड (5) में प्राचार्य करना चाहता हूं और आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन किया है, आचार्य के बजाय प्राचार्य, उसे स्वीकार किया जाए, सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (17)

खण्ड 17, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 17 स्वीकार किया गया।

खण्ड (18)

खण्ड 18 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 18 (1) (V) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "संयोजक" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 18 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इसके क्लाज 18 में, एकेडेमिक

(श्री रामनारायण चौधरी)

कौंसिल एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बाद में दूसरी इम्पोर्टेंट बॉडी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, इसमें आपने और तो सब रखा है लेकिन रिप्रजेन्टेशन आफ दि विधान सभा इसमें भी.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एकेडेमिक कौंसिल में एकेडमीशियन होते हैं, कार्यकारिणी में जरूर होना चाहिए। एकेडेमिक में कौन समझे, क्या समझे और कितना समझे। यह तो इसमें नहीं होता। किसी विश्वविद्यालय में.....

श्री रामनारायण चौधरी : तो विधान सभा में क्या समझते हैं? किसी को छोड़ो आप.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कार्य परिषद् में है।

श्री रामनारायण चौधरी : कार्य परिषद अलग है। एकेडेमिक कौंसिल के अन्दर अगर विधान सभा का कोई एकेडेमीशियन स्पीकर की नजर में है.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्षमा करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एकेडेमिक कौंसिल एकेडेमिक क्षेत्र से चुनी जाती है किन्तु जो हाइएस्ट बाडी है, जो कार्य संचालन करती है उसमें रिप्रजेन्टेशन है। एकेडेमिक कौंसिल में हिन्दुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में यह नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 18 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 18 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (19)

खण्ड 19, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 19 स्वीकार किया गया।

खण्ड (20)

खण्ड 20, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खण्ड 20 के (1) में (ड) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए : "आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय, और"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 20 में प्रभारी मंत्रीजी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, 20 के में और पढ़ देता हूं खण्ड 20 (2) "निम्नांकित तथा "होंगे" के मध्य "सम्मिलित" शब्द जोड़ा जाए।

तीसरा, खण्ड 20 (2) (ख) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए :—

"सम्बद्ध महाविद्यालयों के संबंधित संकाय के अध्यापकों में से सहयोजित किये गये दो से अनधिक सदस्य,"

चौथा, खण्ड 20 (2) (ड).....

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय, "ख" नहीं, "घ" है। "ख" नजर आ रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां, जी हां। "घ" है। और फोर्थ में खण्ड 20 (2) (ङ)—प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में अंकित शब्द "सम्बन्धित" को विलोपित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 20 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 20 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (21)

खण्ड-21, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 21 (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "संस्कृत साहित्य" के स्थान पर "संस्कृत वांगमय" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 21 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड (22)

खण्ड-22, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खण्ड 22 (1) (घ) (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए : "महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, और,"

खण्ड 22 (1) (घ) (vii) की दूसरी पंक्ति से शब्द "और" विलोपित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 22 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 22 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (23)

खण्ड 23, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 23 स्वीकार किया गया।

खण्ड (24)

खण्ड 24, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 24 (ढ) की द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द। "डिप्लोमे" के स्थान पर "डिप्लोमा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 24 में प्रभारी मंत्रीजी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 24 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 24 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (25)

खण्ड 25, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 25 स्वीकार किया गया।

खण्ड (26)

खण्ड 26, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 26 (क) की प्रथम पंक्ति के अंकित शब्द "डिप्लोमों" के स्थान पर "डिप्लोमा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 26 (ख) की द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द "डिप्लोमों" के स्थान पर "डिप्लोमा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 26 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 26 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 26 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (27)

खण्ड 27, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 27 (1) की चौथी पंक्ति से शब्द प्रारूप और शब्द अध्यादेश के मध्य अंकित "अल्प विराम चिन्ह" को विलोपित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 27 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 27 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 27 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (28) से (33)

खण्ड 28 से 33, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 28 से 33 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 28 से 33 स्वीकार किये गये।

खण्ड (34)

खण्ड 34, प्रभारी मंत्री खण्ड 34 को विलोपित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 34 को विलोपित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 34 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड (35) से (39)

खण्ड 35 से 39, प्रभारी मंत्री खण्ड 35, 36, 37, 38 तथा 39 को पुनर्संख्यांकन करने संबंधी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 35, 36, 37, 38 तथा 39 का पुनर्संख्यांकन क्रमांक खण्ड 34, 35, 36, 37 और 38 किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी द्वारा खण्ड 35, 36, 37, 38 तथा 39 को पुनर्संख्यांकन करने संबंधी जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

पुनर्संख्यांकन करने संबंधी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

पुनर्संख्यांकित खण्ड 34 से 38 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि पुनर्संख्यांकित खण्ड 34 से 38 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

पुनर्संख्यांकित खण्ड 34 से 38 स्वीकार किये गये।

खण्ड (1)

खण्ड (1) अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड (1) अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कॉलेज का क्या हुआ? जो टोडाभीम के कॉलेज के बारे में जो कुछ मैं कहता आया हूं, उसके बारे में मंत्रीजी ने कहीं भी जिक्र नहीं किया इसके अंदर।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। व्यवधान न करें, माननीय सदस्य। कृपया आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की आज्ञा से आज की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज का दिन, आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं सदन के लिए भी, सरकार के लिए भी और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है कि 33 वर्ष से जो अपन इच्छा करते थे वह विधेयक आज सर्वसम्मति से सब ने पास किया है इसलिए मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, बधाई देना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : काहे का विधेयक पास हो गया, हमारे यहां तो कॉलेज पास नहीं हुआ। मैं धरने पर बैठता हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि संस्कृत विद्यालय बनाएं यहां पर.....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट आपका समय लूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर पधारें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बनवा देंगे, साहब। ठीक है, मैं आपका विश्वास कर लेता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा) : वह तो मिल लेना न। मैं आपको बधाई देती हूं, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत बधाई देती हूं, जो एक अपेक्षित कार्य था हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का, उसको सुरक्षित करने का, उसकी रक्षा करने का, संग्रह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करने का वह सारा कार्य आज सब सदस्यों ने मिल कर किया है। मैंने भी जब मुझे सीधा प्रभार दिया गया तब मैंने सोचा कि यह कार्य रुका पड़ा हुआ है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी बातचीत करके इसी सदन में यह बिल प्रस्तुत हो सकेगा, इसकी बात की थी और मैं धन्यवाद देती हूं आपको भी, मंत्री महोदय को भी कि इस सदन में ले आये हैं। बहुत-बहुत आप सबको बधाई, आप सबका अभिनन्दन।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेषकर कमला जी और घनश्याम जी को.....

एक माननीय सदस्य : उजला जी को।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उजला जी को तो और दूंगा। इनको इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधेयक को निर्मित करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और उजला जी को संस्कृत शिक्षा मंत्री के नाते धन्यवाद दूंगा कि मंत्री बनने के बाद पहली सौगात यह उन्होंने राजस्थान की जनता को दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं तो अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है। (व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : एक व्यवधान विधेयक और लाया जाए।

श्री अध्यक्ष : कृपया राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998.

श्री भंवर लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक, 1998 विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर), श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी, श्री शिवकिशोर सनाढ्य, श्री भीमराज भाटी, श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही जोरदार शब्दों में इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखता हूं और इसलिए रखता हूं श्रीमान् कि राजस्थान आवासन मंडल जिस उद्देश्य से बना था उस उद्देश्य को छोड़ कर अलग हो गया। माननीय मंत्री महोदय इस राजस्थान आवासन मंडल को इतना शक्तिशाली बना देना चाहते हैं और वे पावर्स देना चाहते हैं संशोधन के हिसाब से कि जो पावर्स केवल राजसत्ता में निहित होते हैं। गवर्नमैंट अथवा सेमी गवर्नमैंट को जो पावर्स मिला करते हैं उन पावर्स को आप राजस्थान आवासन बोर्ड को देना चाहते हैं। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि इतने डैमेजिंग

(श्री हरिसिंह)

क्लाजेज, जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाले क्लाजेज हैं जिनका विरोध करना और जनता के सामने ले जाना निहायत ही जरूरी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे माननीय संसदीय मंत्री तिवाड़ी जी ने इसी हाउस में जब शुरू हुआ था इसका काम, तब बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि राजस्थान आवासन मंडल जिस उद्देश्य से बनाया गया है उससे पथभ्रष्ट हो गया है। यह बनाया गया था उन लोगों के लिये जिनकी आमदनी सीमित है लेकिन उनको मकान देने के लिए वह काम नहीं कर रहा है। यह आवासन मंडल एक प्रकार से ठेकेदार बन गया है, बिजनेसमैन बन गया है। अपने फायदे के लिए मकान बना कर पब्लिक को बेच रहा है। यह आवासन मंडल जो कि शहर में पोल्यूशन कम करने के लिए बनाया गया था, वह आवासन मंडल पोल्यूशन को कम नहीं कर रहा है। आवासन मंडल एरिये के अंदर श्रीमान् जो पार्क हैं उनकी स्थिति आज इतनी खराब हो गई है कि उनमें पेड़ और बगीचे की बात छोड़ दीजिये, घास देखने को नहीं मिलती, उनमें पानी का प्रबन्ध नहीं है। इनकी सड़कों की हालत खराब हो गई है। तो लाना तो इस प्रकार का संशोधन विधेयक चाहिए था कि राजस्थान आवासन मंडल को बाध्य किया जाए कि जो ड्यूटीज इसकी हैं उन ड्यूटीज को सही ढंग से परफार्म कर सके, लेकिन ड्यूटीज को परफार्म करने के स्थान पर इनको पावर्स दी जा रही हैं और पावर्स भी कितनी दी जा रही हैं, आप देखिये।

मैं सबसे पहले प्रारम्भ करना चाहता हूं, इन्होंने बोर्ड प्रेमिजेज की डेफीनेशन को बदला है। पहले बोर्ड प्रेमिजेज की डेफीनेशन थी :

"Board premises means any premises belonging to or vesting in the Board or taken on lease by the Board or any premises which is entrusted to or in the possession or control of the Board for the purpose of this Act." यानी बोर्ड प्रेमिजेज का मतलब है जो बोर्ड की स्वयं की सम्पत्ति है। अब उसमें आप क्या एड करना चाहते हैं बोर्ड प्रेमिजेज के अंदर? आप उसमें यह एड करना चाह रहे हैं, अब यह जरा ध्यान से देखने वाली बात है, मैं सदन के सदस्यों का भी इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप इसमें कर रहे हैं, "Board premises includes a premises the possession of which has been given by the Board to any person under hire purchase tenancy agreement."

यानी हम सब लोगों के लिए और जनता के, लिए जो मकानात हायर परचेज टिनेंसी पर दिये गये हैं उनको आप बोर्ड प्रेमिजेज की परिभाषा में लाना चाहते हैं, दे बिल बी बोर्ड प्रेमिजेज। हमने जो लाखों रुपये दिये हैं इस बोर्ड प्रेमिजेज के ऊपर, हमारा जो एग्रीमेंट है उसको आप खतम नहीं कर सकते। We are owners of the property. हमने उसको पैसा पे किया है, हमारे पास उसका एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट को आप खतम करना चाहते हैं इस डेफीनेशन से कि वह आज से बोर्ड की प्रोपर्टी हो जाएगी। उसका बोर्ड की प्रोपर्टी होने का मतलब फिर यह हो जाएगा कि वह टिनेंसी का जो एग्रीमेंट है वह खतम हो गया।

(श्री हरिसिंह)

हमने अब तक जो पैसा दिया है उसके अंदर लाख, दो लाख, तीन लाख उसका क्या हुआ? वह बोर्ड की प्रेमिजेज हो गई? उसको आप हमसे इवेक्ट कर सकेंगे और इवेक्शन के आपने दिये हैं, इवेक्शन का मतलब अगर हम बोर्ड के कोई भी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ उसमें कोई काम करते हैं, हम मान लीजिये, उसमें खिड़की निकाल देते हैं अपने मकान के अंदर और आप कहते हैं कि आपने खिड़की निकाली रूल्स के खिलाफ में तो आप उसमें कंपीटेंट आथोरिटी से हमको बेदखल कर देंगे। इसलिए यह आपने बोर्ड के प्रेमिजेज के संबंध में जो डेफीनेशन दी है डेफीनेशन न केवल इल्लीगल इन्वैलिड है बल्कि जनता के हितों के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ भी होगी।

इसके अतिरिक्त आप जो इसमें परव्यू में लाना चाह रहे हैं, अब तक राज्य सरकार को इस बात के पावर्स हैं कि राज्य सरकार अपनी बिल्डिंग्स के मामले में या जो सेमी गवर्नमैंट आथोरिटीज हैं वे अपनी बिल्डिंग्स के मामले में किसी कांपीटेंट आथोरिटी से बेदखल कर

(17.00 बजे)

सकती हैं। इसको आप कांपीटेंट अथोरिटी बना रहे हैं। बोर्ड यह, लोकल अथोरिटी भी नहीं है। This is a local authority, बोर्ड जो है, It is local authority only for the purposes of this Act. इसमें आप यह पढ़े : "Local authority includes a Municipal Board established under Section 7 of the Rajasthan Municipalities Act, a Panchayat established under Section 3 of the Rajasthan Panchayat Act or a Panchayat Samiti or Zila Parishad, respectively, constituted under Section 7 and 42 of the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Act."

लोकल अथोरिटी बोर्ड तो यह है नहीं, इस बोर्ड को इस प्रकार की पावर्स देना जो पावर्स लोकल अथोरिटी को दी जा सकती है या गवर्नमैंट को दी जा सकती है? बोर्ड का काम क्या है? बोर्ड का काम तो मकान बनाकर लोगों को देना है, पैसा लेना है और देना है। अब उनको आप पावर्स क्या दे रहे हैं? पावर्स दे रहे हैं कि इसकी कांपीटेंट अथोरिटी होगी। उस कांपीटेंट अथोरिटी को अगर मान लीजिए, मैं तीन महीने तक या छः महीने तक किश्त नहीं देता हूं तो आप मुझे निकाल बाहर करेंगे। यह भी प्रोविजन नहीं है इसमें कि मेरी किश्तों का क्या होगा, मेरे मुआवजे का क्या होगा, इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। कांपीटेंट अथोरिटी कोआप दरख्वास्त दे दें और वे बाहर कर देंगे। कांपीटेंट अथोरिटी के लिए आप सिविल कोर्ट की पावर दे रहे हैं। एक अलग सिविल कोर्ट बन रहा है कांपीटेंट अथोरिटी का और फिर कांपीटेंट अथोरिटी की अपील ट्रिब्यूनल में होगी। यह एक नया पैरेलल सिस्टम बन रहा है ज्यूडिशियरी का आपके हाउसिंग बोर्ड में। क्या जरूरत है इस काम को करने की? आप इतने निकम्मे और नाकारा आदमी हैं कि आप अपनी प्रोपर्टी का इंतजाम नहीं कर सकते? मेरा अगर कोई किरायेदार है और मेरा

(श्री हरिसिंह)

किरायेदार मुझे पैसा नहीं देता है तो मुझे क्यों नहीं कांपीटेंट अथोरिटी बना देते? जितने कारपोरेशंस हैं, रीको है उसको क्यों नहीं कांपीटेंट अथोरिटी बना देते आप? और कारपोरेशंस हैं उनको क्यों नहीं कांपीटेंट अथोरिटी बना देते आप? और कोई कांपीटेंट अथोरिटी नहीं बनाते आप, लेकिन क्योंकि इसमें एक राजनीतिक बात आ रही है, इसके मौजूदा चेयरमैन साहब आपकी पार्टी के हैं, उनको सक्षम बनाने के लिये यह सब लाया जा रहा है कि वे मनचाही कर सकें जिसको चाहें मकान से बेदखल करें, जिसको चाहें उस प्रकार से डील-विथ करें। इस प्रकार के प्रोविजन आप ला रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान् इस प्रकार के जो डैमेजिंग प्रोविजन आ रहे हैं, अगर यह एक्ट पास हो गया तो जो मकान हम एम. एल. एज. को अलाट हुआ है उन मकान के मालिक भी शायद हम होंगे कि नहीं होंगे और उसमें रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे यह आपकी मर्जी के ऊपर होगा। आपके चेयरमैन साहब और वे चाहें तो हमको बेदखल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, इस बात को छोड़ दें आप, दरकिनार कर दें आप, फिर भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिये जो प्रोफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन हैं? यह बोर्ड नो प्रोफिट में काम नहीं करता है। कहीं एक्ट में नहीं लिखा है कि प्रोफिट में मकान नहीं बनाएगा। This is a profit making institution. जो मकान बनाता है, ब्याज लेता है और कर्जे पर मकान देता है। They are earning interest, और ये अपने और इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं। इस प्रकार की बाडी के लिए इस प्रकार के अधिकार देना? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब तक जनता की राय इस मामले पर नहीं ले ली जाए, आम जनता के सामने यह मसला नहीं पहुंच जाए, जितने मकान बने हुए हैं उनको अगर हम नहीं पूछें कि बोर्ड प्रेमिसेज हो गई कल से आपकी प्रेमिसेज, आप नहीं हैं इसके मकान मालिक, आपका टीनेंसी एग्रीमैंट खत्म कर दिया इस कानून ने, इस प्रकार का कानून, मैं समझता हूं इसको जनमत जानने के लिए आपको भेजना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुरजोर शब्दों में और अपनी पूरी ताकत के साथ अपना प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, हाउसिंग बोर्ड अपने राजस्थान में ही नहीं है पूरे हिन्दुस्तान में एक योजना चली कि इस प्रकार की संस्थाएं बनायी जाएं और उन संस्थाओं के माध्यम से जो लोग नीडी हैं, कमजोर हैं, अल्प आमदनी वाले हैं उनके लिए मकानों की व्यवस्था की जाए, समुचित व्यवस्था उनके लिए हो, उनके इंस्टालमेंट बनें और एक प्रकार की अच्छी कालोनी वे डवलप करें। इस उद्देश्य से पूरे हिन्दुस्तान में सभी राज्यों में और राजस्थान में भी हाउसिंग बोर्ड बना। शुरू-शुरू के दिनों में इस बोर्ड ने बहुत अच्छे काम किये। नो प्रोफिट नो लॉस वाली बात है, उस समय के

(श्री शिवनाथ सिंह)

हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ने और पूरे हाउसिंग बोर्ड ने उसका पालन किया। माननीय अध्यक्ष जी, आप सोचिए, किसानों की जमीन लेते हैं, कम दाम में जमीन लेते हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता और उसी के दस गुने, बीस गुने कीमत पर यह प्लाट की कीमत लगाते हैं। जो उस पर कंस्ट्रक्शन होता है वह कैसा होता है? इतना घटिया दर्जे का होता है, उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा है। इस सबके बावजूद भी अब जो यह बिल लाया जा रहा है इसका मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति वहां सुरक्षित नहीं है। इसमें प्रावधान किये गये हैं उन प्रावधानों को आप देखें, आज अपन को यह छोटा-सा बिल लगता है लेकिन कल जब इसका इम्प्लीमेंटशन् होगा उस वक्त हम समझेंगे कि कितना घातक हथियार हमने हाउसिंग बोर्ड को दे दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी माननीय सदस्य भी हाउसिंग बोर्ड के किसी-न-किसी प्रकार से भागीदार हैं। बहुतों ने मकान लिया है, बहुतों ने नहीं लिया है, ले लेंगे। पूरे राजस्थान में अलग-अलग बड़े-बड़े शहरों में योजनाएं बनी हैं, उनको इसलिए बनाया गया था कि वहां के नीडी पीपुल को ही मिले। लेकिन आज जो हाउसिंग बोर्ड है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा लेकिन इस सदन में चर्चा चली कि आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आज के हमारे संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उस कमेटी की सिफारिश क्या थी और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसमें कोई प्रोविजन आपने रखा है? क्यों हमने कमेटी बनाई, क्यों कमेटी ने काम किया? जो सुधार के सुझाव उस कमेटी ने दिये थे, इसमें एक भी नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इन्होंने इतने हार्ड प्रोविजन इसमें रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 6 महीने के किसी के इंस्टालमैंट नहीं हुए हैं, मकान से निकाल दो। 15 दिन का नोटिस दे दो, 15 दिन के अंदर-अंदर उसको मकान से निकाल दो। फिर उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई वाली अथोरिटी तो 30 दिन की मोहलत दे सकती है, लेकिन शुरू में नोटिस 15 दिन का है। आप अनुमान लगाइए, हम कहां-कहां रहते हैं, लोग कहां रहते हैं। आज मान लीजिए, मेरा मकान जयपुर में है और आपके अधिकारी के समझ में आ गया कि इनको निकालना है। वह नोटिस मुझे देगा। 15 दिन में मैं कहां मिलूंगा? इस प्रकार की जो यह व्यवस्था है यह बहुत ही घातक व्यवस्था है। इसलिए, अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने खोटे प्रोविजन हैं उनका सुधार आवश्यक है।

(17.00 बजे)

(श्री अर्जुनदास मदान, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति जी, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आज ही इस बिल को पास किया जाए। अभी इससे पूर्व बिल लिया जा रहा था, संस्कृत भाषा के संबंध में था। हम सबने यह इच्छा न होते हुए भी कि इसमें क्लाजेज हैं, उसके प्रावधान सही हैं फिर भी हमने उसको पास किया, पूरा सहयोग दिया। सदन ने एक मत से उसको पास किया।

(168)

(श्री शिवनाथ सिंह)

उसकी आवश्यकता थी, अमैंडमैंट बाद में होते रहेंगे। लेकिन इस बिल को आज मंत्री महोदय क्यों ला रहे हैं? आज इसकी क्या आवश्यकता है? दो महीने बाद में, एक महीने बाद में, छः महीने बाद में नई विधान सभा होगी, इसको देख सकती है। इसलिए इस मामले में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए और इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

माननीय सभापति जी, आज क्या हालत है? हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां जिनमें किसी परपज के लिये स्थान छोड़े गये थे, पार्क छोड़े गये थे, मार्केट के लिए जगह छोड़ी गई थी, सबकी सब खत्म हो गई। यह जो आप अमैंडमैंट बिल लाना चाहते हो तो उसमें सब समस्याओं का समावेश हो, इस प्रकार का अमैंडमैंट बिल आप लाओ, हम उसका स्वागत करेंगे, समर्थन देंगे। लेकिन आज आप सिर्फ़ पैनेलाइजिंग प्रोविजन के लिये आप ला रहे हो।

माननीय सभापति जी, दो-तीन प्रोविजन की तरफ, वैसे हमारे साथी ने बहुत दे दिये हैं, मैं उनकी तरफ बहुत ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दो-तीन क्लाजेज ऐसे हैं जिनकी तरफ मेरा ध्यान दिलाना आवश्यक हो गया है। जिस व्यक्ति को मकान दिया गया है उसको ट्रेसपासर की संज्ञा में आपने ला दिया है। मैंने एक मकान लिया, आधे इंस्टालमैंट उसको दे दिये हैं, आधे नहीं दिये हैं, मेरी सिविल लायबिलिटी है। इसमें प्रावधान रखा है, आप मेरे से पी.डी. एक्ट में वसूल कर लीजिये लेकिन ट्रेसपासर मुझे आप किस अधिकार से करना चाहते हो? मुझे रुपया देना चाहिये, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। नहीं देता तो ब्याज भी देना चाहिये लेकिन आप मुझे ट्रेसपासर मानकर और मेरे कपड़े बाहर फिंकवाना चाहते हो, यह कहां का न्याय है? अभी मंत्री महोदय की तरफ से, सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जो भी जिनके एरियर्स हैं उनमें हम 40 से 60 परसेंट की छूट ब्याज में देंगे। क्या हुआ उसका? आपने कर दिया उसके बाद में उसकी कोई क्रियान्विति नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आज आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास मकान है लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड ने मेरा कितना रुपया जमा किया है, हाउसिंग बोर्ड के पास कोई अकाउंट नहीं है। यह जिम्मेवारी आक्यूपेंट पर आपने छोड़ दी है कि तुम बताओ, तुमने कितना रुपया दे दिया। सभापति जी, हम अकाउंट कहां से लाएं?, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हमने मकान लिया था, आज हमारे पास उसकी रसीद हो सकती है, नहीं हो सकती है। यह हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेवारी है, आफिस की जिम्मेवारी है कि हर आक्यूपेंट को उसका हिसाब एनुअली दे। आज तक आपने कोई हिसाब उसको नहीं दिया कि तुम्हारे कितनी इंस्टालमैंट जमा हुई हैं, कितनी ड्यू हैं और कितनी तुम्हारी आगे आएंगी और फिर नोटिस चला जाएगा कि 6 महीने में तेरी इंस्टालमैंट नहीं हुई इसलिए तेरे को मुक्त किया जाता है। तो, माननीय सभापति जी, इस प्रकार के जो प्रोविजंस रखे गये हैं, मैं मानता हूं कि बहुत अनुचित हैं और इस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से

(श्री शिवनाथ सिंह)

मैं निवेदन करूंगा कि जो तिवाड़ी कमेटी ने सिफारिश की थी उसका भी समावेश करते हुए और जो दूसरी दिक्कतें हैं उनका भी समावेश करते हुए पूरा बिल लाएं और इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करें क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि जो आक्यूपेंट हैं उनकी कितनी पीड़ाएं हैं। इसलिए, माननीय सभापति जी, पुरजोर शब्दों में और पूरी ताकत के साथ यह अपना प्रस्ताव पेश करता हूं, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव जनमत जानने के लिए इस दृष्टि से है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पूरे कार्यकलापों के बारे में जनता को जानकारी हो और एक काम्प्रिहैंसिव अमैंडमैंट मंत्री महोदय ला सकें। मेरा यह जो अमैंडमैंट है, माननीय मंत्री जी ने देख रखा है, इसके बारे में तो लोगों की राय आये ही, लेकिन हाउसिंग बौर्ड असेट्स, इसके बारे में भी लोगों की राय आए। मैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कोई आलोचना नहीं करता हूं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड हिन्दुस्तान के जो अच्छे एक और दो की गिनती में आने वाले हाउसिंग बोर्डस हैं उनमें यह भी एक रहा है और आज भी मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से एक है तो मैं इसकी आलोचना नहीं करता कि इसमें अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने आशंकाएं जाहिर की हैं। माननीय घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने बहुत सुझाव दिये थे। मुझे भी सौभाग्य मिला है इस बोर्ड का अध्यक्ष बनने का, मैं डेढ़ साल तक रहा था, लेकिन जो कमजोरियां हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने जो इशारा किया है वह वास्तविकता है। मैं आपके सामने छुपाना नहीं चाहता, मंत्री महोदय को प्रकट करना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी हाउसिंग बोर्ड के एक मकान का आबंटी, अलाटी था और मैंने जब पूरा हिसाब किया तो हाउसिंग बोर्ड मुझे ही नहीं बता सका कि मेरे में कितना बकाया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है, मैं आपको बताऊं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मेरी बात तो कह दूं, हुजूर। मैं मेरी बात तो कह दूं, बाद में कह देना आप, नहीं तो मेरी श्रृंखला टूट जाएगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई अच्छी बात होगी, बिराज जाइये। शायद आपको बोलना भी नहीं पड़े।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बात कही है कि इस पर विचार किया जाए और समिति को भेजा जाए, तो ये तीन अमैंडमैंट हैं यह भी है, यू. आई. टी. भी है, जे. डी. ए. भी है। ठीक है, अगर आपकी यह राय है तो इसको समिति के अन्दर भेज देते हैं। उस पर तो राजी हैं, कर देते हैं इसको। जनहित की बात है, कोई हमारा आग्रह नहीं है इसमें। यह केवल इसलिए लाये थे कि सुधार हो जाए। आप समझते हो कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस पर अभी विचार नहीं किया जाए, बाद में विचार किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इन तीनों को ही आप समिति में भेज दीजिये, उनके नामों की जो कमेटी का काम है वह हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, नामों का मनोनयन करने का अधिकार माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री सभापति : तो मंत्री जी को यह अधिकार है कि वे अपने सदस्यों का मनोनयन करें। यह प्रस्ताव है, क्या इससे सदन सहमत है? माननीय मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है क्या सदन की इस पर अनुमति है?

श्री शिवनाथ सिंह : तीनों बिल सलैक्ट कमेटी में भेजे जाते हैं और नाम मंत्रीजी दे देंगे, यही तो है न फैसला? ठीक है, मंजूर है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय का प्रस्ताव है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1998 और जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 को प्रवर समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए, क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1998 और जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 प्रवर समिति को भेजे गये।

मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे सदस्यों का मनोनयन अपनी इच्छानुसार कर लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें। श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : प्रस्ताव है कि सदस्य विधान सभा, जनमत आग्रह के लिए जिन लोगों ने नाम दिये हैं। श्री भीमराज जी भाटी जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, यह तो राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक 1998 है, इस को जनमत जानने के लिए मैंने संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वापस ले लें।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, वापस तो मैं ले लूंगा लेकिन मैंने किस वजह से दिया है? माननीय सभापति महोदय, आलरेडी एक रोड टैक्स है, रोड टैक्स के बाद एक और स्पेशल टैक्स है और स्पेशल टैक्स के बाद एक और

(श्री भीमराज भाटी)

आप सरचार्ज लगाने जा रहे हैं। उस सरचार्ज में आपने मैक्सिमम लिमिट मानी है वह 50 परसेंट है, It can go up to the maximum of 50% . तो, माननीय सभापति महोदय, एक टैक्स आप आलरेडी ले रहे हैं रोड टैक्स और उसके ऊपर स्पेशल टैक्स ले रहे हैं, फिर आप सरचार्ज लगाने की परमिशन लगाना चाहते हैं और वह भी to the maximum extent of 50% . माननीय सभापति जी, मेरा यह मानना है कि अपना टैक्स प्लस स्पेशल टैक्स प्लस सरचार्ज, इस तरह बढ़ाते ही चले जाएंगे तो अल्टीमेटली यह बर्डन कंजूमर के ऊपर आने वाला है। कोई भी चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे गुड्स व्हीकल हो, उसके ऊपर अपना सरचार्ज लगाएंगे, डवलपमेंट के नाम पर, रूरल और अरबन डवलपमेंट के नाम पर लेकिन वह अल्टीमेटली भार पड़ेगा कंजूमर के ऊपर और आम जनता के ऊपर। आप चाहें या नहीं चाहे, गुड्स व्हीकल पर जो टैक्स बढ़ेगा, सरचार्ज बढ़ेगा और जो पैसेंजर व्हीकल पर जो सरचार्ज बढ़ेगा उससे अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी। अपन दूसरी चीजों में टैक्स में कंसेशन देने जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में यह एटिट्यूड क्यों अपना रहे हैं? इसकी क्या जरूरत पड़ गयी? मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह जनता के ऊपर अननैसेसरी बोझ पैदा होगा, जनता के ऊपर भार पड़ेगा और भार बढ़ेगा तो अल्टीमैटली It will lead to inflation.

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को इल्लीगल मानता हूं। मैं इस बिल को ऐसा मानता हूं कि यह राजस्थान की जनता के अहित में है और राजस्थान की पब्लिक एक्सचैकर के भी अहित में हैं और इस प्रकार का बिल सरकार को केन्द्र सरकार से बिना पूछे नहीं लाना चाहिए। यह मैं क्यों निवेदन कर रहा हूं, श्री मान्? अब तक अपना जो राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1951 है उसमें सैक्शन 4 और सैक्शन 4 बी, इन दोनों में जो टैक्स लगता है उस पर 50 परसेंट और टैक्स लगाने के अधिकार आप इस बिल से ले रहे हैं। सैक्शन 4 "ए" में जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी चेसिस पर 5 प्रतिशत तक आप टैक्स लगा सकते हैं और "बी" में आप वन टाइम टैक्स लेते हैं। "सी" में व्हीकल्स जो आउट-साइड स्टेट रजिस्टर्ड हैं, जब वे आते हैं तो उनके टैम्परेरी परमिट पर आप 200 रुपये पर डे इन केस ऑफ पैसेंजर्स व्हीकल्स और 250 रुपये पर थाउजेंड के. जी. ऑन पार्ट ऑफ 30 डेज के लिये ले सकते हैं। जो राजस्थान के अन्दर डीलर्स या मैन्यूफैक्चरर्स हैं उन पर भी 10 हजार रुपया पर एवरी हण्ड्रेड व्हीकल्स आप टैक्स ले सकते हैं। यह आपके सैक्शन 4 का है और सैक्शन 4 (बी) के अन्दर स्पेशल रोड टैक्स है जो आप एक हजार रुपया per day in respect of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/- per thousand kg. of load....., आप लगा सकते हैं। अब इसमें पहली बात तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो ट्रक्स आते हैं, जिन पर नेशनल परमिट है,

(172)

(श्री हरिसिंह)

वे नेशनल परमिट जारी होते हैं, केन्द्र सरकार द्वारा मोनिटर्ड संस्था ट्रांसपोर्ट डवलपमैंट कौंसिल के द्वारा, जिसके अन्दर हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर मैम्बर है और हर स्टेट का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसका मैम्बर है। उस ट्रांसपोर्ट डवलपमैंट कौंसिल से नेशनल परमिट वगैरह दिये जाते हैं। आज हिन्दुस्तान एक है, आज हिन्दुस्तान के रेलवे रूट्स और हिन्दुस्तान के रोड रूट्स और रेलवे ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट इस प्रकार के नहीं हैं कि आप मर्जी आए जहां टैक्स लगा दें, जितना टैक्स लगा दें और जहां मर्जी आए वहां 4-4

(17.21 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

टैक्स लगा दें। अब आप टैक्स बढ़ा रहे हैं जो कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं, नेशनल परमिट के ऊपर तो बगैर कन्सेंट ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट डवलपमैंट कौंसिल। इसमें सब मिनिस्टर्स बैठते हैं और इसके ऊपर ही आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। It is totally illegal, totally, invalid, नम्बर एक।

नम्बर दो, इसका नतीजा क्या होगा? यहां पर जो व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं उन पर बाहर स्टेट्स में जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो टैक्सेज हैं, उसका डेढ़ गुना हो जाएगा। यहां काहे को रजिस्टर कराएंगे फिर? आज अगर एक हजार व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे हैं यहां, जैसे ही आपका डेढ़ गुना टैक्स होगा, वे यहां पर रजिस्टर क्यों करवाने लगे? वे तो हरियाणा में रजिस्टर करवाएंगे, मध्य प्रदेश में होगा, टैक्स कम होगा वहां रजिस्टर करवाएंगे। तो यह तो आपकी आमदनी और कम होगी उससे। You are going against the interests of public exchequer, टैक्स लगा कर। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आप इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाएं। फिर अपने वित्त मंत्रीजी बहुत कहते हैं कि मैं टैक्स कब लगा रहा हूं, मैं तो अधिकार ले रहा हूं टैक्स लगाने के। हम टैक्स लगा नहीं रहे हैं, हम तो पावर ले रहे हैं टैक्स लगाने के। मैं इस हाउस में घुसने की पावर ले रहा हूं लेकिन हाउस में तो नहीं घुस रहा हूं मैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? The moment I have got the power to enter this House, I am member of this House and I can enter it. क्या दिक्कत है इसमें? The moment you have got the power to levy the tax, you levy it. कभी भी लगा देंगे आप। 50 प्रतिशत टैक्स आप लगाकर बढ़ा रहे हैं। इससे क्या स्थिति होगी, आप श्रीमान् अंदाजा करें। महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। रोड ट्रांसपोर्ट जो भी चार्जेज लेते हैं वे डेढ़ गुना बढ़ जाएंगे कल से। इनको तो मौका चाहिए, व्यापारी के लिए तो एक पैसा अगर पैट्रोल पर बढ़ता है, डीजल पर बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है चाहे उसका लिंक है कि नहीं है। यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस आप बढ़ा रहे हैं, आप वन टाइम टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप रजिस्टर्ड व्हीकल्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, और सीट पर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, सारे टैक्सेज बढ़ा लेंगे आप एकदम से। एक क्षण के अन्दर आप ला रहे हैं क्योंकि हम लोग कम संख्या में हैं। इस समय भगवान की दया से

(श्री हरिसिंह)

आप बहुमत में बैठे हुए हैं तो आप जैसे चाहें राजस्थान की जनता पर जितना भार थोपना चाहें, आप थोपिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम जनता के सामने इसको भेज दें। जनता को पता तो चले कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद में आप जो चाहें करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस टैक्स के इन्वेलिड होने के आधार पर, अल्ट्रा वायरस के आधार पर, जनता के अहित के आधार पर, पब्लिक एक्सचैकर को नुकसान पहुंचाने के आधार पर विरोध करता हूं और जनमत जानने के लिए इसको प्रसारित कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा, एब्सेंट। (अनुपस्थित)। श्री हरिसिंह (महुवा), एब्सेंट। (अनुपस्थित)। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री किशन मोटवानी : आज तो यह रिकार्ड ब्रेक कराओ। यह भी जनमत जानने के लिए भिजवाओ।

श्री शिवनाथ सिंह : यह तो इनके हाथ में हैं, भाभड़ाजी डील कर रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : नहीं, आपकी बात मानते हैं, साहब।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : भाभड़ाजी किसी की नहीं मानते हैं, अपनी मानते हैं, खुद की।

माननीय अध्यक्षजी, मैं भी यह प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए। लीगल पाइंट्स माननीय सदस्य ने कह दिये मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों इसी विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हम चुंगी हटा रहे हैं और हटाने के बाद कल सुबह यह कहा गया कि कोई भी टैक्स हम नहीं लगाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह चुंगी से भी बुरा है। चुंगी इस काम से हटाई गयी थी कि ट्रक्स बह रहे हैं, मद्रास से दिल्ली एक ट्रक जाता है, जगह-जगह उसको रोकना पड़ता है। एक आधार पर यह भी था। लेकिन अब इससे जो भी स्टेट के अन्दर एण्टर होंगे, वहां लाइन लग जाएगी और फिर बैक डोर एण्ट्री से आप यह टैक्स वसूल करने का एक साधन बना रहे हैं। यह बहुत ही गलत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको टैक्स लगाने हैं, 2 रोज के लिए सदन की कार्यवाही और बढ़ा दीजिये आप चाहे उतने टैक्स लगा दीजिये। हम उसका विरोध करेंगे अपने हिसाब से। आप लगा सकते हैं, आज आप बहुमत में हो लेकिन इस तरह से जो कार्यवाही आपने की है इससे रजिस्ट्रेशन में आपकी आय में कमी आएगी, व्यापारियों को दिक्कत आएगी और खास तौर से अन्तिम एक कंजूमर पर भार पड़ेगा। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अपनी पुरजोर ताकत के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को, इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यदि भाभड़ाजी हमारी बात मानें, जैसा कि मंत्री महोदय भंवरलालजी ने माना था तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी आप सलैक्ट कमेटी में भेज दीजिए, हम और भी सुझाव देंगे और उसके हिसाब से

(श्री शिवनाथ सिंह)

आप उस पर ज्यादा लगा देना, पीछे के भी एरियर हम कवर कर देंगे। इस बिल को आप अभी पेश मत कीजिये, दबाव मत डालिए और जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, जो टैक्सेशन बिल लाए हैं यह बहुत खतरनाक है और इसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त कर दी है उसके बारे में मैं कुछ और नहीं कहता हूं। उनका समर्थन करता हुआ मैं यह कहूंगा, आपने कहा है कि—

"....to meet the increased requirements of development in Rural and Urban areas, additional resources are required to be generated."

यह आप जनरेट करना चाहते हैं रूरल साइड के अन्दर। रूरल साइड में जो प्रजेण्ट हालत है यह इतनी खराब हालत कर रखी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब इस टैक्स के लगाने के बाद में जो गरीबों के लड़के कॉलेजों से निकले हुए, अनएम्प्लायड ग्रेजुएट्स हैं, जो अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं उनके ऊपर आपने एक टैक्स और लगा दिया। जितने व्हीकल्स इस समय रूरल साइड के अन्दर, गांवों में चल रहे हैं उतने व्हीकल्स सिटीज में नहीं हैं। सिटीज में हैं तो रोडवेज की गाड़ियां हैं या और दूसरे तरह की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपके स्वयं की कांस्टीट्यूएंसी हैडक्वार्टर पर आप देखते होंगे, और रास्ते में भी आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी गाड़ियां मोटर व्हीकल्स, छोटी गाड़ियां और बीच की गाड़ियां हैं। इनसे आज के नौजवान अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। ये सारे टैक्स उनके ऊपर पड़ेंगे। कमाई जो आज हो रही है सो हो रही है, इस टैक्स लगने के बाद में उनके किराये में तो कोई वृद्धि होगी नहीं, जो कुछ देना पड़ेगा वह अपनी कमाई में से देना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा विरोध होगा। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसको जनमत जानने हेतु भेजिए। उसके बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि कितने लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। प्रभावित सिर्फ वे ही लोग होंगे जो अनएम्प्लायड ग्रेजुएट्स हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लायड हैं। उन लोगों के ऊपर ही इसका सबसे व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, श्री चन्दनमल बैद, श्री शांतिकुमार धारीवाल, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री हबीबुर्रहमान,....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आ गया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक मिनट। श्री हरजीराम बुरड़क, श्री जगतार सिंह, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमैंट बिल को प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव करता हूं। मेरे प्रस्ताव करने के निम्न कारण हैं। कुछ तो अभी कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया कि नेशनल परमिट इश्यूड गाड़ियों पर आप किस तरीके से सरचार्ज लगाओगे। एक आम सहमति बनी हुई है ट्रांसपोर्ट डवलपमैंट कौंसिल में, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी एक सदस्य हैं उनके और सारे सदस्यों के बीच में आम सहमति बनकर ही नेशनल परमिट इश्यू किये गये और सब कुछ बातें वहां तय की गयीं कि नेशनल परमिट इन इन शर्तों पर हम इश्यू करेंगे। सब बातें वहां पर तय की गयीं और आप पीछे से सिर्फ एक स्टेट, सारी स्टेट्स के फैसलों को बदलकर यह चाहे कि साहब, हम उस पर पचास परसेंट सरचार्ज लगा देंगे तो वह कैसे मंजूर कर लिया जाएगा? कितने बड़े एतराजात इस पर दूसरे राज्य उठाएंगे, क्योंकि सारी गाड़ियां नेशनल परमिट वाली राजस्थान की तो हैं नहीं। राजस्थान का तो हिस्सा मुश्किल से पांच प्रतिशत गाड़ियों का है नेशनल परमिट में। जितनी भी गाड़ियां नेशनल परमिट लेकर चलती हैं, पांच परसेंट से ज्यादा राजस्थान की गाड़ियां नहीं हैं। 95 प्रतिशत जो दूसरी गाड़िया हैं, जो नेशनल परमिट होल्डर हैं, वे भी इससे इफेक्ट होंगी। कुल मिलाकर के इससे राजस्थान सरकार की छवि, राजस्थान राज्य का नाम पूरे देश में बदनाम होगा। इस प्रकार का टैक्स लगाना यहां के हित में भी नहीं है क्योंकि वाकई यह बात सही है कि अगर आपने यह टैक्स इम्पोज कर दिया तो यहां के रजिस्ट्रेशन में कमी आएगी। नतीजा यही होगा कि जिस तरीके से पहले कोई टाइम पर आपका जब सैल्स टैक्स ज्यादा था तो लोग मध्य प्रदेश से, हरियाणा से जाकर गाड़ियां खरीदकर यहां पर लाते थे चोरी-छुपके लाते थे और चलाते थे। वे गाड़ियां वहां के रजिस्ट्रेशन से जयपुर में चला करती थीं, राजस्थान में चला करती थीं। अब वहां पर वही विकल्प, वही मेले भरेंगे, कार मेले, व्हीकल्स मेले भरेंगे। दूसरी स्टेट्स में लोग जाएंगे, परचेज करेंगे और परचेज करके यहां पर चलाएंगे। इससे आपके टोटल सैल्स टैक्स में भी कमी आएगी और मोटर व्हीकल टैक्स भी आपको कम मिलेगा। इस प्रकार टैक्स की चौरियां होंगी। और चोरियां होने का नतीजा यह होगा कि जो परपज आपका है इससे रेवेन्यू कलक्शन का, वह डिफीट होगा और डिफीट होने के साथ कई प्रकार से भ्रष्टाचार भी पनपेगा। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सरकार इस बिल को प्रवर समिति को सौंपे और आज इसको पारित नहीं करवाएं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रखते हुए मैं उनके इस प्रस्ताव को मंजूर करता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

बधाई

सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र सम्पन्न होने पर

उप मुख्य मंत्री महोदय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राज्य सरकार का जितना भी कार्य था वह सम्पूर्ण हो गया है। इस सत्र में आपने, उपाध्यक्ष महोदय ने और आपके सभापति पैनल ने जिस प्रकार से इस सत्र का संचालन किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं अपने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को भी और उनके नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं। राजनीति में सदन में अपनी-अपनी रणनीति के अनुसार काम करना लाजमी है और यह प्रजातंत्र के लिये अच्छा लक्षण है, इसलिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस सत्र को सदन में जिस प्रकार से चलाया, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। बीच-बीच में रणनीति के अन्तर्गत जैसा मैंने आपको निवेदन किया, राजनैतिक पार्टियों की अपनी-अपनी रणनीति होती है लेकिन उसके बावजूद भी अन्य विधान सभाओं के भी सत्र चल रहे हैं, यदि हम उनसे तुलना करें तो राजस्थान विधान सभा का यह सत्र एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला है। सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जिस प्रकार से संयम बरता और पूरे समय तक सदन की कार्यवाही को ठीक समय में सम्पूर्ण करने में योगदान किया, इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। राजनैतिक क्षेत्र में चाहे हम चुनावों के मैदान में जाएं, चाहे हम सदन में जाएं, अपनी-अपनी रणनीति के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है, यह हमारी राजनैतिक मजबूरी है लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में जिस प्रकार से राजनीतिज्ञों के आपसी सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, उससे राजनीति में कटुता नहीं आती है, स्वस्थ वातावरण रहता है। अपने क्षेत्रों में अपनी-अपनी रणनीति के हिसाब से कार्य करने के बावजूद भी इस प्रकार का सामंजस्य और सौहाद्रपूर्ण वातावरण, यह प्रजातंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है।

मान्यवर, मुठभेड़ की राजनीति प्रजातंत्र के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। मुठभेड़ की राजनीति में व्यक्तिगत वैमनस्य, व्यक्तिगत कटुताएं पैदा होती हैं, यह प्रजातंत्र के लिये ठीक नहीं है। जब हमने प्रजातंत्र स्वीकार ही किया है तो हमको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बैठना ही पड़ेगा, दोनों को अपने-अपने दायित्वों को निभाना पड़ेगा और इसलिए अपने-अपने दायित्वों को निभाने में अपनी-अपनी रणनीति के अनुसार काम करना ही पड़ेगा, परन्तु इन सबका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे आपसी सम्बन्धों में नहीं पड़े, हम

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मुठभेड़ की राजनीति नहीं करें। चुनाव हो गये, चुनाव होने के बाद जो जीत गया वो जीत गया। फिर जो हार गया उसको बहुत ही शालीनता से अपनी हार को स्वीकार करना चाहिये और जीते हुए को जीता हुआ मानना चाहिए। सरकारें बनती हैं, सरकार किसी की बनी, उस सरकार का सारा कार्य और उस सरकार के जो भी आदेश हैं, वे शिरोधार्य होते हैं। उनकी आलोचना करना या उसके बारे में अंकुश लगाने की कोशिश करना, यह प्रजातांत्रिक पद्धति है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मान्यता यह मुठभेड़ की राजनीति से अलग हटकर है। मुठभेड़ की राजनीति में जो कुछ हो गया है, उसको मानने को स्वीकार नहीं हों, फिर उसको बिना माने इस प्रकार के हम कदम उठाएं कि जिससे कटुता बढ़े, आपसी वैमनस्य बढ़े, यह हमारे देश के लिए हितकर भी नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो परम्पराएं रही हैं और जिस प्रकार के हमारे पूर्ववर्ती जितने भी यहां राजनीतिज्ञ हुए हैं, इस विधान सभा में भी जिस प्रकार से आपस में बहुत कुछ विवाद होने के बावजूद भी उनके सम्बन्ध इतने घनिष्ठ रहे हैं, उस परम्परा को हम निभाते रहे और इस बार उस परम्परा को सबने निभाया है, इसके लिए मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को, हमारे सत्तापक्ष के सदस्यों को भी अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब यह अवसर ऐसा है कि शायद हम दुबारा इस विधान सभा के कार्यकाल में न मिलें, यह जरूरी नहीं है। मिल भी सकते हैं लेकिन शायद न मिलें, तो प्रेमपूर्वक हम यहां से विदाई लें और फिर अपने-अपने क्षेत्रों में जाएं। मैं सबके लिए कामना करता हूं कि वे सब जहां जहां से जीतकर आए हैं, फिर से जीत कर आए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप तो कहोगे ही कि जीत कर आएं। (व्यवधान) इनके बाद मेरा ले लेना।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रजातंत्र की सर्वोच्च संस्था है। जिस भावना से, जिस परिकल्पना से इस देश ने प्रजातंत्र को अपनाया है, उसमें मूल मर्म जो है वह यह है कि हम सब उन लोगों के प्रति समर्पित रहें, जिन लोगों के लिए शासन कायम किया गया है। क्योंकि शासन कायम करने वाले, शासन में बैठने वाले और शासन को अंजाम देने वाले, वे सब उसी के प्रतिनिधि हैं चाहे विधान सभा हो, चाहे लोक सभा हो, चाहे हमारी पंचायत राज संस्थाएं हों। उनमें सभी उनके प्रतिनिधि ही बैठे हुए हैं।

हमारी सर्वोच्च संस्था में पिछले सात-आठ वर्षों में जिस प्रकार से कार्य सम्पादन हुआ आपस में और अपने-अपने उत्तरदायित्वों को निभाने का, अपने-अपने अधिकारों के संरक्षण का और जनहित में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर उसे क्रियान्वित कराने का, वह दृढ़ता से लेकिन शालीनता से जो कार्य किया, उसके लिए जैसे माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने सभी को धन्यवाद दिया, मैं भी अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की ओर से तमाम विधान सभा के सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं

(श्रीमती कमला)

आभार प्रकट करना चाहती हूं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा मुठभेड़ की राजनीति, मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं कि हमको सदा-सदा इस बात के लिए खबरदार रहना पड़ेगा कि चाहे हम मंत्रिमण्डल में हैं, चाहे हम सदस्य हैं, चाहे हम मात्र कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम अपने उस दृष्टिकोण को न भूलें कि सारे के सारे जो निवासी हैं, राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान के जो मतदाता हैं, हम सब लोग उनके कल्याण के लिये, उनकी तरक्की के लिये यहां बैठे हैं, इसलिए हमारे यहां पर नैतिकता के स्तर अच्छे रहें, राजनीति के स्तर अच्छे रहें। चाहे वह सरकार है और चाहे वे जनप्रतिनिधि हैं, उसी स्तर को कायम रखते हुए विकास के प्रति समर्पित होकर हम चलते रहें, यह हमारी मुख्य धारणा है। हम व्यक्तिगत रूप से अपने लिए काम करें, वह पहली बात है। इसके बाद दूसरी बात है कि हम पार्टी के प्रति कितने समर्पित हैं। लेकिन सर्वोच्च बात यह है कि हम आम आदमी के लिए, समाज के लिये, राष्ट्र के लिए कितने समर्पित हैं, कितने निष्ठावान हैं और कितनी नैतिकता और दार्शनिक तौर पर उनके लिये काम करने को तैयार हैं। राजनीति के कंटीले रास्ते में, टेढ़े-मेड़े रास्ते में, व्यक्तिगत स्वार्थों से भरे हुए रास्ते में और अपने बड़े-बड़े उत्कृष्ट सपने देखने की आबो-हवा में हम किस प्रकार से अपने उन स्वार्थों को भूलकर आम मुद्दे को ध्यान में रखे रहे, यह इस विधान सभा का पवित्र सदन हमें सिखाता है। मैं समझती हूं, हम सब लोगों ने अपनी-अपनी क्षमता के मुताबिक इस कार्य को, इस उत्तरदायित्व को निभाने की चेष्टा की है। हम सभी अपने-अपने दृष्टिकोण में, अपने कामों में आगे से आगे बढ़े और आने वाले समय में सबका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ में, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। रामस्वरूप जी को बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह अवसर दे दिया। हम तो यही कामना कर रहे थे, हमारी तीव्र इच्छा थी कि वह समारोह जो माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने यहां शुरू कर दिया, वह आगे सितम्बर या अक्टूबर में होगा। आज यह सदन संवैधानिक दृष्टि से, कांस्टीट्यूशनली गठित है, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से यह सदन आज अधूरा है। आज हमारे सदन के नेता और सदन में प्रतिपक्ष के नेता, दोनों अस्वस्थ होने के कारण इस समारोह में समझो, यह समारोह ही है, इस समारोह में दोनों ही उपस्थित नहीं हैं। हमें उनकी अनुपस्थिति खल रही है, दोनों अस्वस्थ हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लें। हमारी शुभकामना है और सितम्बर और अक्टूबर में जो अधिवेशन हो, उसमें उनकी उपस्थिति के अन्दर एक समारोह आप और करें। आप इसको कन्क्लूड नहीं करें। आप कनक्लूड नहीं करें। सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के अभाव में कार्यवाहक चला रहे हैं। राजस्थान में आपने पूरा ही कार्यवाहक

(श्री रामनारायण चौधरी)

होकर काम चलाया। राज्यपाल कार्यवाहक, मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक, चीफ मिनिस्टर कार्यवाहक और प्रतिपक्ष की तरफ भी कार्यवाहक, पूरे ऊपर से नीचे तक कार्यवाहक ही कार्यवाहक हो रहे हैं। आपने सद्भावनाएं व्यक्त कर दीं। अब सद्भावना तो मेरी है इधर-उधर दोनों तरफ से और सचिवालय के प्रति, विधान सभा सचिवालय का जो सहयोग, हमारे साथ सौहाद्रपूर्ण व्यवहार और जो मित्रतावत् हमारा साथ रहा उसके प्रति भी हम बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत आभारी हैं, क्योंकि यह पहले कहा नहीं गया, इसलिए मैं कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इस अल्पकाल के कार्यकाल में अध्यक्ष की हैसियत से जो मधुर मुस्कान, सहयोग और कोआपरेशन आपने दिया, उपाध्यक्ष के वक्त भी, उस स्थिति में भी आप सबके लिये प्रिय थे और सब आपके लिये प्रिय थे लेकिन बाद में उस दायरे को बढ़ाया है। हाथ में सत्ता आती है तो सत्ता में थोड़ी उन्मुक्तता आती है। लेकिन आप उस सारी सत्ता को पी गये आप तो भगवान शिव की तरह पी गये उसको और कहीं आपने आभास ही नहीं होने दिया। तो आपके प्रति भी हम बहुत आभारी हैं। लेकिन यह आभार प्रकट नहीं करना चाहता क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता पक्ष को प्रेरित करेंगे, आप उनको एडवाइस देंगे और आपकी एडवाइस उनके गुडसैंस में प्रिवेल होगी। कृपा करके वह दूसरा सैशन फिर रखिएगा। आपको कहना चाहिए भाभड़ा साहब को.....You should say something, Mr. Bhabhra Saheb.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने यह कहा था कि यह जरूरी नहीं कि यह अन्तिम है। यह कहा था मैंने। दोनों संभावनाएं थीं, इसलिए मैंने वह भी प्रकट की है।

श्री रामनारायण चौधरी : हम कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाएंगे। हम कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं, आप चिन्ता मत करो, वह सौहार्दपूर्ण वातावरण के अन्दर होगा। आपका यह वायदा ड्यू है, आपका यह वायदा ड्यू है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, यह सत्र जिसको आज हम समाप्त करने जा रहे हैं, इसका कार्यकाल बहुत ही सुन्दर रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि इस सदन में इस सत्रकाल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों का निर्विरोध निर्वाचन होना रही। यह प्रशंसनीय कार्य है। इससे भी अधिक हम गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस विधान सभा के पूरे इतिहास में एक महिला माननीय उपाध्यक्ष पद पर बिराजमान हुई। हमें खुशी है। अध्यक्षजी, सदन के उप नेता महोदय ने अपने भाव व्यक्त किये, जिस रूप में उन्होंने भाव व्यक्त किये हैं हम उनको उसी रूप में ले रहे हैं। हम उनका भी आभार मानते हैं, आपका भी आभार मानते हैं, सचिवालय का भी हमें सहयोग मिला।

अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब इतने सौहाद्रपूर्ण वातावरण में हम एक-दूसरे से बिदा लेते हैं। हिन्दुस्तान की विधान सभाओं का

(श्री शिवनाथ सिंह)

चित्र हम देखते हैं, कितनी वहां गिरावट आयी है। हमारा यह सदन आज भी ऊंचा है और कभी-कभी हो सकता है आक्रोश में या भावनावश हम कुछ ज्यादा ही कह दें, कुछ एक्शन ऐसा कर दें लेकिन इस सदन में पूर्ण मर्यादा के साथ रहें, यह हर माननीय सदस्य का मन है। अभी माननीय अध्यक्षजी, हमें हरियाणा में जाने का अवसर मिला। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, वहां की विधान सभा ने एक नियम बनाया कि जब गवर्नर का एड्रेस हो और जब वित्त मंत्रीजी का बजट भाषण हो तो उन दोनों अवसरों पर कोई भी माननीय सदस्य अपनी सीट से उठेगा नहीं, बोलेगा नहीं। यह उन्होंने अपने नियमों में डाल दिया। इस प्रकार की प्रक्रिया आगे हम भी यहां करें। यह अति आवश्यक है कि जब इम्पोर्टेंट काम हो उस वक्त सदन मर्यादा में रहे। गवर्नर महोदय का पूरा सम्मान हो और दूसरे कार्यों का सम्मान हो।

माननीय अध्यक्षजी, यह जो पूरा एक महीने का समय लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कल यहां आए थे और बहुत प्यार से हम रहे। माननीय उप नेता महोदय अभी स्पष्ट करेंगे, यदि वे स्पष्ट नहीं हैं तो मैं यह मानकर चलता हूं कि इस दसवीं विधान सभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन है। नहीं तो, माननीय उप नेता महोदय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समारोहपूर्वक विदा होना चाहते हैं, हमारे दोनों नेता सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता यहां मौजूद रहें, हम फिर चाहे दो रोज के लिये यहां मिलें लेकिन सम्पूर्ण रूप से चाहे एक रोज का ही बुला लीजिए।

आज, अध्यक्षजी, आभारी हैं आपके प्रति भी। मैंने शुरू में कहा था कि आपके दायित्व ही दायित्व हैं, अधिकार आपका है ही नहीं। अधिकार तो सब हमारे पास हैं। लेकिन आपने अपने दायित्व को निभाते हुए हम सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की। इसलिए हम आपके बहुत-बहुत अनुग्रहीत हैं, आभारी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह सद्भावना, यह प्रेम आपस में बना रहे।

कौन चुनकर आएंगे, कौन नहीं आएंगे जो आएंगे उनके लिए सद्भावनाएं और शुभकामनाएं। मैं इस आसन के प्रति, माननीय उप नेता महोदय और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : परम आदरणीय इस पवित्र सदन के अध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन का आखरी दिन है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस आखिरी दिन में आप जैसे महान अध्यक्ष बन कर बैठे जिनका समय इस सदन में एक स्वर्णकाल के नाम से जाना जाएगा। हम सब लोगों ने मिलकर आपको सर्वसम्मति से बैठाया था, यही सदन की सबसे बड़ी गरिमा होती है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके इस समय को यह इतिहास हमेशा याद रखेगा। जिंदगी में बहुत क्षण आते हैं, यों तो जिंदगी में हर क्षण और हर पल आते रहते हैं लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनको सदियां याद करती हैं, यही वो दिन है जिसको सदियां याद करेंगी।

राजस्थान के इस पवित्र सदन का एक छोटा-सा सदस्य होने के नाते मैंने भी बहुत-सी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अपनी जनता की समस्याएं पानी, बिजली, सड़कें, कालेज, बलात्कार, हत्या आदि अनेकों मानवीय मुद्दे इस सदन के अन्दर उठाये और वे आपकी स्वीकृति से उठाये, अध्यक्ष महोदय, जिसमें माननीय सदस्यों ने मुझे सहयोग दिया। जो भी मसला मैंने उठाया, ठीक है अन्दर कड़वाहट होगी लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सदन में नहीं लड़े थे। हम जिस उद्देश्य को लेकर सदन में आये हैं, मुझे जनता ने वहां से ना पक्ष में भेजा है। ना पक्ष का मेरा परम कर्तव्य था, आपकी स्वीकृति से मैंने इस पवित्र सदन में अपने विपक्ष के पूर्ण कर्तव्य को निभाया और उसी के कारण इस सदन में मैं, अध्यक्ष महोदय, अब तक 49 धरने दे चुका हूं। 49 धरने जनता की भलाई के लिए मैंने दिये हैं राजस्थान के सदन के अन्दर इसलिए....

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 49 शब्द ठीक नहीं है यह 51 हो जाए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा वेल में धरना)

(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा धरना समाप्त)

श्री रामस्वरूप मीणा : परम आदरणीय, अध्यक्ष महोदय, 49 धरने मैंने दिये। 49 धरनों के अन्दर ठीक है, कोई बार मेरी मांग मंजूर नहीं हुई थी, कालेज की भी आखिरी मांग के लिए जो मैंने 49वां धरना दिया, मंजूर नहीं हुई थी इसलिए मैंने पचासवां धरना भी दे दिया।

अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है बहुत धरने दिये हैं, आप भी हमारे लिये कोई कड़वाहट हो उसको यहां खतम कर के जाएं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हमारा वक्त होगा। मैं आप सब को शुभकामना और भगवान को धन्यवाद देता हूं। "फानूस बन के जिस की हिफाजत करे हवा, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन कर खुदा"। जय भारत। जय हिन्द।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, इस जनतंत्र की सर्वोच्च संस्था सदन और उसके आप सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। आपके अध्यक्ष काल में नये कीर्तीमान स्थापित हुए हैं और आपने इस प्रकार से सदन चलाया है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं हृदय से आप सबका आप का, सारे सदन का, विधान सभा के कर्मचारियों/अधिकारियों का और जो भी अभी यहां कार्यरत हैं उन सब का बहुत आभार प्रकट करता हूं, सुरक्षाकर्मियों का, पत्रकार दीर्घा में सब लोग जो बिराजमान हैं, उन सब का भी मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र की संस्था की गरिमा को बनाया है अपने कर्तव्य से।

अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष का अपना दायित्व है, उसमें कई कठोर निर्णय पक्ष को भी और विपक्ष को भी लेने पड़ते हैं। यही प्रजातंत्र का एक जीवित स्वरूप है कि जिसमें प्रतिपक्ष अपनी बात को बड़ी दृढ़ता से कहता है और मैं यह कह सकता हूं कि सरकार के ऊपर अंकुश का काम करता है। जिस प्रकार एक मदोन्मत हाथी है उस पर महावत का काम

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है, महावत उस पर अंकुश लगाने का काम करता है उसी प्रकार सत्ता पर अंकुश का काम प्रतिपक्ष करता है और उसी प्रजातंत्र में उनका एक स्थान है।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन हम विफल रहे आप पर अंकुश लगाने में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक के नाते मुझे बोलने का अवसर बहुत कम प्राप्त हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप जितना सा बोले वही बहुत था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन मुख्य सचेतक के नाते जैसा आप जानते हैं कि यह शब्द रूप में ही जो व्हिप लिया गया है वह एक कोड़े के रूप में जाना जाता है। इस वेदना को खेत सिंहजी जानते हैं, और दूसरे सदस्य नहीं जानते। यह मुझे उन्होंने कई बार कहा कि किस प्रकार उनको वेदना सहन करनी पड़ी। मुझे वह अवसर हमारे माननीय सदस्यों से प्राप्त नहीं हुआ इस प्रकार की वेदना प्राप्त करने का।

इसी प्रकार अध्यक्ष का दायित्व निभाना भी कोई आसान काम नहीं है क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी बात को कहना चाहते हैं और आप इस सदन को चलाने के लिए कुछ कठोरता का भी बर्ताव करते हैं। उस समय नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन इस राजस्थान की विधान सभा ने बहुत उच्च परम्पराएं कायम की हैं और मैं उन नेताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने परम्पराओं का निर्माण किया है। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा, हम दूसरे प्रदेशों की विधान सभाएं देखते हैं, जिस प्रकार की स्थितियां वहां बन गयी हैं, सदन चलता नहीं है, कई राज्यों में तो सारे साल में पांच या सात दिन विधान सभाएं चलती हैं लेकिन यहां हमने उच्च परम्पराएं कायम की हैं। इसमें, प्रारम्भ से जो इस सदन में आते रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहां हम इतना लड़ते हैं कि यदि कोई दर्शक दीर्घा में बैठा व्यक्ति देखे तो वह समझता होगा कि बाहर जाकर ये सिर फोड़ेंगे, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये बाहर जाकर लड्डू खाते हैं। इस प्रकार की उच्च परम्पराएं इस सदन ने कायम की हैं। इसलिए सब लोग बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि आज इस अवसर पर न हमारे सदन के नेता उपस्थित हैं न प्रतिपक्ष के नेता उपस्थित हैं। सब की इच्छा है कि हमारा सब का एक साथ मिलन हो, सब का फोटोग्राफ हो और हम सब मीठे वातावरण में जाएं। हम चाहेंगे कि वह अवसर जल्दी ही प्राप्त हो, लेकिन हो सकता है कि वह अवसर ना मिले। (व्यवधान) क्या है कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन हमारी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी वह अवसर पैदा हो और हम इस प्रकार के वातावरण में मिलें।

मैं पुनः आप सब का, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जो इस आसन पर बिराजमान रहे हैं सभापति महोदय का और पक्ष और प्रतिपक्ष के सारे माननीय सदस्यों का, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का, सुरक्षा प्रहरियों का, पत्रकारों का अभिनन्दन और स्वागत करता हूं। जय भारत। जय हिन्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बात नहीं कहूंगा तो मैं समझूंगा, कुछ अधूरा रह गया है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस सदन में हमने कई काम ऐसे किये हैं जिनका उल्लेख करना मैं वांछित समझता हूं। सदन के नेता और विपक्ष के नेता, दोनों हमारे लिए बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय हैं, वे दोनों ही अस्वस्थता के कारण से अभी यहां नहीं हैं, हम प्रार्थना करते हैं वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं।

(18.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपका अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वतन्त्रता के स्वर्ण जयंती के वर्ष में। इसी प्रकार माननीय महिला सदस्य का उपाध्यक्ष पद पर बिराजमान होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उप मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक काम उनके प्रयत्नों से हुआ, उनकी जिद से हुआ और मुख्य मंत्रीजी की सहृदयता से हुआ। इसी सदन के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा के नये भवन के निर्माण का फैसला हुआ, आपकी अध्यक्षता में हुआ। वह बहुत भव्य भवन हमारा निर्मित हो रहा है, इसके लिए माननीय अध्यक्ष उस समय भाभड़ाजी थे, वे बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमने बहुत से महत्वपूर्ण बिल भी पारित किये। जैसा कि आदरणीय कमलाजी आज कह रही थीं, उनके जीवन की अभिलाषा थी कि संस्कृत विश्वविद्यालय का बिल पास हो, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बने। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण बिल पास किया जिसकी शुरूआत स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया ने की थी। हिन्दुस्तान भर में गौ-वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का काम सबसे पहले राजस्थान की विधान सभा में हुआ था सुखाड़ियाजी के टाइम पर, और इस विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से सम्पूर्ण गौ-वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाकर निकासी पर प्रतिबन्ध लगाने का भी काम किया। बहुत से बिल हमने बनाये। अध्यक्ष महोदय, जो विधायी कार्य है.....(व्यवधान) पहले गौ वंश की निकासी का मैं बता चुका था कि सुखाड़ियाजी ने शुरू किया था, उस समय बना था, मैं कह चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत-से बिल पास किये।

जिस प्रकार से हमारी कमेटियों ने काम किया, हमारी कमेटियों का काम भी बहुत बढ़िया रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान विधान सभा की कमेटियां आपस में मिलकर काम करती हैं, वह भी अपने आप में एक उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, आपको ध्यान में होगा कि जनलेखा समिति ने 108 प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किये हैं। (व्यवधान) कितने? 121 पेश हो गये हैं, जिसमें सभी माननीय सदस्यों का पूरा योगदान रहा है। चेयरमैन के नाते.....(व्यवधान) मैं था इसीलिए मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों के बाद हम जब जा रहे हैं तो इतिहास बनाकर जा रहे हैं कि अन्य विधान सभाओं की बजाय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान की विधान सभा का एक गौरवमय इतिहास रहा है और इसमें जो योगदान रहा है आगे बैठने वाले सभी वरिष्ठ जो माननीय सदस्य हैं, उन सबका रहा है उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पीछे बैठने वाले ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सदन में आप तो रौनक थे। सदन की रौनक को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो यह परम्परा रही है, संसदीय कार्य मंत्री के नाते मेरा अल्पकालिक कार्य रहा है लेकिन जिस प्रकार का काम हमने किया है, जिस प्रकार हमारा सैक्रेटेरिएट विधान सभा का निष्पक्षता से काम करता है, आज तक कभी भी हमारी विधान सभा के किसी भी कर्मचारी के प्रति या अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी माननीय सदस्य को नहीं रही। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सैक्रेटेरिएट के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब तक नयी विधान सभा में निर्वाचित होकर आएंगे आप तब तक अध्यक्ष के पद पर आसीन रहेंगे। हमारे में तो कई लोग ऐसे हैं, पब्लिक है, किसी की लीज को दुबारा रिन्यू करती है, नहीं करती है लेकिन आप तो तब तक अध्यक्ष रहेंगे, तो हमारे अधिकारों के संरक्षक रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री के नाते मेरी तरफ से सबके प्रति शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। एक बात और उल्लेख नहीं करूंगा तो बाकी रहेगा, कि हमारे प्रेस के जो बन्धु हैं उनका भी जिस प्रकार का संयम और लेखन विधान सभा के बारे में रहा है वह भी अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। सबको अपनी ओर से धन्यवाद। विशेष कर जो वरिष्ठ सदस्य हैं उन सबके प्रति आभार व आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में आप अध्यक्ष बने, अलवर जिले का नाम रोशन किया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी ने शांतिपूर्वक सभी सदस्यों की समस्याएं सुनीं, जो भी इन्होंने हल किया बहुत ही अच्छा हमारे लिये किया, इसके लिये भी मैं धन्यवाद देती हूं। इस विधान सभा में पहली बार हमारे बीच में से एक महिला सदस्य उपाध्यक्ष बनीं, इसके लिए सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूं और हृदय से मैं उनको भी धन्यवाद देती हूं। हमारे महावीर प्रसाद जैन जिन्होंने हमें मालपुए खिलाये, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूं। जयहिन्द।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी, सभी मंत्रीगण और सभी सदस्यगण, आप सभी की मैं आभारी हूं कि पिछले पौने पांच वर्षों से सभापति के रूप में और इन चार दिनों में उपाध्यक्ष के रूप में आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। आसन निष्पक्ष रूप से अपनी कार्यवाही करे इसके लिए आपका पूरा-पूरा सहयोग मुझे मिला। हम सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहां से जाएंगे और सभी विजयी होकर आएंगे, यही शुभकामनाएं करती हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय उप नेता महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, मंत्री परिषद् के माननीय सदस्यगण, जब मुझे अध्यक्ष के रूप में यह आसन सदन ने संभलाया था उसके एक दो दिन बाद या कुछ दिनों बाद सदन के नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय के अस्वस्थ होने के कारण उनकी जो कमी अखरनी चाहिये थी वह मुझे नहीं अखरी। मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि दोनों नेता सदन में नहीं थे उसके बावजूद भी यह हमारा सदन जिस सुन्दर ढंग से चला है उसके लिये मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं।

इस सत्र के अन्दर हमने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। माननीय अध्यक्ष का चुनाव, माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव इस सत्र में हुआ। हमने हमारा बजट पास किया, कई महत्वपूर्ण विधेयक यहां पास किये। इन सब कार्यों के अन्दर शासन, प्रशासन और विपक्ष के माननीय सदस्यों का जो पूरा सहयोग मिला उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। विधान सभा सचिवालय ने भी बड़ी त्वरित गति से इस सदन को चलाने में जो सहयोग दिया उसके लिये भी मेरा सचिवालय धन्यवाद का पात्र है। आप लोगों ने इस आसन की जिम्मेदारी जो मुझे दी उस समय मुझे यह उम्मीद थी कि इस सदन का, सदन के सभी माननीय सदस्यों का मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, उन आशाओं के अनुरूप मुझे सहयोग मिला। इस उच्च आसन पर बैठकर एक साधारण व्यक्ति को एक साधारण सदस्य के रूप में जो संचालन का आप लोगों ने मेरे ऊपर भार सौंपा उसको मैंने करने का प्रयास किया। आप लोगों ने जब मुझे अध्यक्ष चुना उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि मेरी कोशिश होगी कि यह आसन और इसकी गरिमा किसी प्रकार से बनी रहे, उस प्रकार का आचरण मैं इस आसन से करना चाहता हूं। मैंने उस आधार पर कार्यवाही करने का प्रयास किया है। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जो इस सदन को चलाने में सहयोग दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।
भारत माता की जय।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.11 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 412 का विवरण)

दौसा जिले में वर्ष 1997-98 व 1998-99 में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत राशि व व्यय का ब्लॉकवार विवरण

क्र सं.	ब्लॉक का नाम	स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं की संख्या		चार वर्षों के लिए स्वीकृत राशि		व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	
		1997-98	1998-99 (जून, 98 तक)	1997-98	1998-99 (जून, 98 तक)	1997-98	1998-99 (जून, 98 तक)
1.	दौसा	8	–	153.98	–	5.36	1.00
2.	लालसोट	6	–	120.00	–	5.36	2.50
3.	बांदीकुई	2	4	40.00	80.00	17.00	–
4.	सिकराय	6	–	118.05	–	21.51	11.09
5.	महुआ	2	4	40.00	80.00	15.36	–
	योग	24	8	472.03	160.00	64.59	14.59

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-414 का विवरण)

परिशिष्ट (अ)

सम्बल गांवों में सम्बल योजनान्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्य/सुविधाओं का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	कार्य का नाम	कार्य का वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	हरध्यानपुरा	बस्सी	2 हैण्डपम्प	1994-95	0.90
2.	रामरखपुरा	बस्सी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.45
3.	झीझा	बस्सी	2 हैण्डपम्प	1994-95	0.90
4.	ब्रह्मपुरी	बस्सी	2 हैण्डपम्प	1994-95	0.90
5.	पृथ्वीपुरा	बस्सी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.45
6.	केशवपुरा	बस्सी	2 हैण्डपम्प	1994-95	0.90
7.	हरीरामपुरा	बस्सी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.45
8.	भोमियावाला	बस्सी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.45
9.	रलावता	बस्सी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.45
10.	अचलपुरा	बस्सी	2 हैण्डपम्प	1994-95	.90
11.	खेड़ा मलिकपुर	बस्सी	2 हैण्डपम्प	1994-95	0.90
12.	कानपुरा	बस्सी	पाइप लाइन	1994-95	0.40
13.	मीठावास	बस्सी	1 खुला कुआ व पाइप लाइन	1994-95	4.15
14.	खेड़लावास (जटवाड़ा)	बस्सी	पाइप लाइन	1994-95	4.05
15.	बगराना	जयपुर	6 हैण्डपम्प	1994-95	1.35
16.	केला का बास	जमवारामगढ़	2 हैण्डपम्प	1994-95	0.90
17.	कौल्याणा	जमवारामगढ़	2 हैण्डपम्प	1994-95	0.90

1	2	3	4	5	6
18.	बहरामपुरा	विराटनगर	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.45
19.	लखुसरा	सांगानेर	2 हैण्डपम्प	1994-95	1.00
20.	जयपुरा	सांगानेर	2 हैण्डपम्प	1994-95	1.00
21.	सीतापुरा	सांगानेर	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
22.	हीरापुरा	सांगानेर	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
23.	जीरोता	सांगानेर	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
24.	रामनिवासपुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
25.	राजपुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
26.	ब्रजराजपुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
27.	बाढ़ बागपुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
28.	कुपा का वास	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
29.	बाढ़ महाराजपुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
30.	देवकीनन्दनपुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
31.	महादेवपुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
32.	द्वारकापुरा	चाकसू	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
33.	सांवल	फागी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
34.	हिर्गोनिया	फागी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
35.	नान्दलालपुरा	फागी	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
36.	गढ़कुम्भावतान	फुलेरा	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
37.	रामनगर	फुलेरा	1 हैण्डपम्प	1994-95	0.50
38.	श्रीनिवासपुरा	दूदू	पम्प/टेंक	1994-95	5.49
39.	नारीखेड़ा	फागी	पम्प/टेंक	1994-95	5.35
40.	श्रीनिवासपुरा	दूदू	ग्राम श्रीनिवासपुरा को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के क्रम में।		4.70

1	2	3	4	5	6
41.	गिरधारीपुरा	बस्सी	1. 1 हैण्डपम्प		0.45
			2. डब्लु वी. एम. रोड बस्सी, श्रीरामपुरा रोड से गिरधारीपुरा	1993-94	1.62
			3. सामुदायिक भवन निर्माण	1994-95	1.67
			4. प्राथमिक पाठशाला में बाउण्ड्रीवाल निर्माण		0.48
			5. प्राथमिक पाठशाला में दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण		1.13
			6. प्राथमिक पाठशाला में बरामदा निर्माण		0.92
			7. प्राथमिक पाठशाला के कमरों को ऊंचा उठाना, फर्श निर्माण, दरवाजे, खिड़कियों के निर्माण		0.30
			8. खरन्जा निर्माण		0.17

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य में खनन से प्राप्त आय

415. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक खनन से कितनी आय प्राप्त हुई और कितनी राशि शेष है ? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि वसूलने हेतु क्या उपाय किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 से 97-98 तक खनन से निम्नानुसार वर्षवार आय हुई है एवं निम्नानुसार राशियां शेष रही हैं :

वर्ष	प्राप्त आय (लाखों में)	वर्ष की बकाया (लाख रुपयों में)	कुल बकाया (लाख रुपयों में)
1994-95	18275.06	160.28	843.03
1995-96	21452.22	149.69	992.72
1996-97	27122.83	288.80	1281.52
1997-98	29278.21 (टेन्टेटिव)	1541.01	2822.53

(2) बकाया राशि जिसकी वसूली खनिज रियायत नियम, 1960 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत चेतना पत्र जारी करने के उपरान्त भी नहीं होगी, भू-राजस्व अधिनियम व पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत की जाने की कार्यवाही की जायेगी। बकाया की शीघ्र वसूली के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 6-3-98 से एक एमेनस्टी स्क्रीम प्रारम्भ की है, जिसके अनुसार 31-3-96 तक की मूल राशि दिनांक 30-7-98 तक जमा कराने पर देय ब्याज माफ कर दिया जायेगा।

नगरपालिका लाडनूं में सहभागी योजना के तहत निर्मित सड़क

416. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर द्वारा सहभागी योजना के अन्तर्गत स्टेशन रोड सड़क का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो इस योजना पर नगरपालिका ने कितनी राशि कब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर में जमा कराई ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह राशि नगरपालिका ने अपने कोष से जमा कराई ? यदि हां, तो क्यों, जबकि इस योजना में राशि जन सहयोग से जमा कराई जानी थी ?

(3) इस संबंध में किसके द्वारा क्या अनियमितताएं की गई और सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही किसके विरुद्ध कब की, कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस योजना पर नगरपालिका ने राशि 2.19 लाख दि. 6-11-97 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर में जमा कराई गई।

(2) जी, हां। क्योंकि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 55 (5) एसई/नि. अनु/93-94/6693-6939 दिनांक 10-7-95 द्वारा नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं को यह विकल्प दिया गया कि यदि सहभागी नगर विकास योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिए कुल लागत की 50% राशि जन सहयोग से प्राप्त नहीं हो पा रही हो तो उक्त 50% राशि नगरपालिका कोष में जमा करवायी जाकर कार्य कराये जा सकते हैं।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के उत्तर के पश्चात् किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सामान्य श्रेणी के लम्बित कृषि कनेक्शन

417. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अब तक कृषि कनेक्शन हेतु सामान्य श्रेणी के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1997-98 में कृषि कुओं पर कनेक्शन दिये जाने हेतु जिलेवार क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा उनमें से कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये ?

(3) वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्रों का कनेक्शन जारी कर कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा ?

(4) वर्तमान में बोर्ड ने कृषि कनेक्शन हेतु कब-कब आदेश/दिशा निर्देश जारी किये ? निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में माह मार्च, 1998 तक सामान्य कृषि श्रेणी में लगभग 20390 आवेदन विचाराधीन हैं। विचाराधीन आवेदनों को जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1997-98 में प्रस्तावित कृषि कनेक्शन के लक्ष्य एवं अर्जित उपलब्धि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन के पटल पर रख दिय गया है।

(3) वर्ष 1998-99 में कुल 25,000 कृषि कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में शेष रहे लम्बित कृषि आवेदन पत्रों का निस्तारण वर्षवार निर्धारित कृषि कनेक्शन नीति, आवंटित लक्ष्य एवं उपलब्धि वित्तीय

(192)

(ऊर्जा मंत्री)

संसाधनों अनुसार शीघ्रातिशीघ्र किया जायेगा।

(4) वर्तमान में वर्ष 1998-99 के लिये निर्धारित कृषि कनेक्शन सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जारी आदेश/निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट "स" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्टेट मोटर गैरेज में ड्राइवरों का नियुक्ति प्रकरण

418. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या स्टेट मोटर गैरेज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि स्टेट मोटर गैरेज में ड्राइवरों की कमी है? यदि हां, तो कुल कितने ड्राइवरों की आवश्यकता है और वर्तमान में कुल कितने ड्राइवर उपलब्ध हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि स्टेट मोटर गैरेज में ड्राइवर ठेके पर ले रखे हैं? यदि हां, तो कुल कितने ड्राइवर ठेके पर ले रखे हैं एवं इनमें से कितने भूतपूर्व सैनिक हैं?

(3) उक्त ठेके पर ले रखे ड्राईवरों को प्रतिमाह वेतन स्वरूप कितनी राशि दी जा रही है? उक्त ड्राइवर कब से स्टेट मोटर गैरेज में कार्यरत हैं?

(4) क्या सरकार इन अस्थाई रूप से ठेके पर कार्य कर रहे ड्राइवरों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या ऐसे ठेके पर कार्यरत ड्राइवरों को समय पर वेतन मिल रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। 34 अतिरिक्त वाहन चालकों की आवश्यकता है। वर्तमान में 145 नियमित चालक एवं 27 वाहन चालक (16 भू. पू. सैनिक तथा 11 निजी एजेन्सी के माध्यम से) संविदा पर रखे हुए हैं।

(2) जी, हां। 16 चालक भू. पू. सैनिक हैं।

(3) निजी एजेन्सी के माध्यम से ठेके पर रखे हुए वाहन चालक को 1700/- रुपये प्रतिमाह की दर से राशि निजी एजेन्सी को भुगतान की जाती है। निजी एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा भेजे गये वाहन चालकों का व्यक्तिगत अभिलेख निजी एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा ही रखा जाता है।

(4) जी, नहीं। ठेके पर रखे गये वाहन चालक ठेकेदार के कर्मचारी होते हैं।

(5) ठेके पर रखे गये वाहन चालक ठेकेदार के कर्मचारी हैं। अतः उन्हें समय पर वेतन देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है।

जिला सीकर में उप तहसीलों के प्रस्ताव

419. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री अमराराम)

(1) क्या तहसील दांतारामगढ़ नगरपालिका लोसल में उप तहसील का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या तहसील सीकर में उप तहसील धौंद एवं पिपराली का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार उक्त निर्णय कब तक करेगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

जल संसाधन विकास निगम द्वारा सिंचाई सुविधा

420. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जल संसाधन विकास निगम द्वारा अब तक कितने ट्यूब वैल सिंचाई के लिए खुदवाये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान सरकार किसानों को समूह ट्यूब वैल खोदने के लिये उक्त निगम से क्या सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? अब तक इस पर क्या प्रगति हुई? योजना के प्रारूप की प्रति सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसानों को सिंचाई हेतु एक भी नलकूप नहीं खोदा गया।

(2) ऐसी कोई योजना निगम के पास विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्रामों हेतु पेयजल योजना

421. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में 1500 की आबादी तक के सभी गांवों में पेयजल योजना चालू हो गई है? यदि हां, तो कौन से गांवों में और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या 1500 तक की आबादी के शेष रहे सभी गांवों में इस वित्तीय वर्ष में पेयजल योजनायें स्वीकृत कर दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या गंगरार कस्बे में अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र गंगरार में 1500 तक की आबादी के सभी गांवों में विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर है। 1500 से अधिक आबादी के ग्रामों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(2) जी, नहीं। 1500 तक की आबादी के सभी गांव विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) जी, नहीं। क्योंकि वर्तमान में इस ग्राम में पेयजल सर्विस लेवल मापदण्ड के 50% से अधिक है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कार्यालय, सहायक अभियन्ता सिंचाई धौलपुर का स्थानान्तरण प्रकरण

422. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता सिंचाई, उप खण्ड, धौलपुर के कार्यालय का मुख्यालय बाडी स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो कब और क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त मुख्यालय अनावश्यक रूप से धौलपुर से बाडी स्थानान्तरित किये जाने से होने वाले वित्तीय भार एवं किसानों को होने वाले वित्तीय भार एवं किसानों को होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सिंचाई सुविधाओं के सुचारू नियन्त्रण एवं सुधार हेतु उप खण्ड का मुख्यालय धौलपुर से बाडी दिनांक 26-6-97 को किया गया है।

(2) जी, नहीं। क्योंकि बाडी में स्थित उपखण्ड से ही क्षेत्र की सिंचाई सुविधा में सुधार एवं सक्षम नियन्त्रण सम्भव होगा।

जिला मुख्यालय राजसमन्द में विश्राम गृह का निर्माण

423. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजसमंद जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन सर्कट हाउस का भवन आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या मुख्य भवन/आवास गृहों तथा सम्पर्क सड़क के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित कर दी गई है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। प्राप्त प्रस्तावों अनुसार राशि आवंटित की गई है।

पंचायत समिति रायपुर मारवाड़ में ऋण वितरण प्रकरण

424. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति रायपुर मारवाड़ (पाली) में गत तीन वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कितना-कितना ऋण वितरित किया गया? उक्त ऋणों के स्वीकृति अधिकारी कौन-कौन थे?

(2) क्या ऋण वितरण में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(श्री सुखलाल सेणचा)

यदि हां, तो कब? क्या सरकार इनकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, रायपुर में गत तीन वर्षों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मैसिव योजना एवं अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण वितरित किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम		अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा संचालित योजना (राशि लाखों में)
		एग्राविका	मैसिक	
1	2	3	4	5
1.	1995-96	55.94	2.22	0.15
2.	1996-97	61.54	–	7.84
3.	1997-98	62.63	–	3.72

ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारियों की सूची एवम् स्वीकृत ऋण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के मानदण्डों में परिवर्तन

425. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो कब और किस रूप में?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में सड़कों की लम्बाई-चौड़ाई बढ़ जाने और निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए निर्धारित मानदण्ड अब अव्यवहारिक हो गये हैं? यदि हां तो क्या सरकार पूर्व में निर्धारित मानदण्डों में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस रूप में और कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982 में सड़कों की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये थे। जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्तमान में पूर्व में निर्धारित मापदण्ड अव्यवहारिक होने के कारण ग्यारहवें वित्त आयोग को सड़कों के रख-रखाव हेतु नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। यह ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1982 में सड़कों के रख-रखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मापदण्ड निम्न प्रकार थे

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	सड़क का प्रकार	रख-रखाव लागत प्रति किमी. प्रति वर्ष		
		साधारण क्षेत्र	उच्च वर्षा क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1.	राज्य उच्च मार्ग यातायात दबाव 450 से 1500 व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन	15100	16,700	16,300
2.	राज्य उच्च मार्ग यातायात दबाव 150 से 450 व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन	14,200	15,000	15,200
3.	मुख्य जिला सड़कें यातायात दबाव 45 से 150 व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन	12,600	14,200	13,700
4.	अन्य मुख्य जिला सड़कें यातायात दबाव 45 व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन तक	11,900	13,400	12,900

ग्रेवल सड़कें व मौसमी सड़कों के रख-रखाव के लिए क्रमशः 6000/- व 1500/- प्रति किमी. अनुमोदित किये गये थे।

परिशिष्ट "ब"

ग्यारहवें वित्त आयोग को सड़कों के रख-रखाव के लिये प्रस्तुत किये जा रहे प्रस्तावित मापदण्ड

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	सड़क का प्रकार	रख-रखाव लागत प्रति किमी. प्रति वर्ष		
		मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1.	राज्य उच्च मार्ग यातायात दबाव 1500 से अधिक व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन	50,800	56,300	54,900
2.	राज्य उच्च मार्ग यातायात दबाव 500 से 1500 व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन	47,900	50,600	51,200
3.	मुख्य जिला सड़कें यातायात दबाव 150 से 500 व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन	42,500	47,900	46,200
4.	अन्य जिला सड़कें यातायात दबाव 150 व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन	40,100	45,200	43,500

ग्रेवल सड़कें व मौसमी सड़कों के रख-रखाव के लिए क्रमशः 20,200/- व 5100/- प्रति किमी. अनुमोदित किये गये थे।

थाना प्रभारी बापचा (बारां) के विरुद्ध शिकायत प्रकरण

426. श्री प्रताप सिंह सिघवी (छबड़ा), **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) एवं **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को थाना प्रभारी बापचा (बारां) के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी, हां। शिकायतें रिश्वत लेने की प्राप्त हुई जिनकी शीघ्रता से जांच करवाई जा रही है। जांच कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

पीपलखूंट (बांसवाड़ा) में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

427. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पीपल खूंट (बांसवाड़ा) में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि पीपल खूंट की जनता ने उक्त ग्रिड सब स्टेशन की मांग की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) पीपलखूंट में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो विचाराधीन है।

जिला श्री गंगानगर के भूमिहीनों को नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन

428. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित करने हेतु शेष है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सरकार उसका विशेष आवंटन न करके उक्त भूमि श्री गंगानगर जिले के भूमिहीनों को आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त भूमि आवंटन के सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखें हैं? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल 0.71 लाख हैक्टेयर भूमि सीएडी. के चक प्लान की आवंटन हेतु शेष है।

(2) शासन के आदेश क्रमांक प. 3 (28) उप/85 दिनांक 15-1-87 के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण (जिसमें श्री गंगानगर जिला भी

(राजस्व मंत्री)

सम्मिलित है) में (i) न्यायालय के निर्णय की पालना में (ii) छोटे टूकड़ों के आबंटन को छोड़कर समस्त आबंटन योग्य भूमि का विशेष श्रेणी में ही आबंटन किया जा सकता है।

(3) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में पृथक्-पृथक् वर्गीकरण के अनुसार मापदण्ड बनाये गये हैं। (नियमों की प्रति संलग्न है)

---

5. Eligibility and Extent of Allotment : (1) The following persons shall be eligible for allotment of Government land for agricultural purposes under these rules, namely : –

(i) Temporary Cultivation lease holders;

(ii) Agriculture Graduates;

(iii) Landless persons;

(iv) Bhakra landless persons;

[(v) Ex-Serviceman;]

[(vi) Beneficiary of the Integrated Rural Development Programme.]

(2) Each such person may be allotted Government land upto 25 bighas (6.32 hectares) :

Provided that if such person holds any land anywhere in India, he will be allotted only so much Government land as together with his existing holding does not exceed 25 bighas;

Provided further that if such person is eligible for allotment of small patch, such small patch shall be allotted to him only if it is available adjacent to his existing holding.

AMENDMENTS

(A) Clauses (v) and (vi) within brackets in sub-rule (1) were inserted vide Notifications No. F4 (10) Rev/Col/75 GSR 27 dated 30-1-78 and No. F4 (25) Rev/Col/77 GSR 110 dated 10-11-82 respectively.

Published in Raj. Gazette, Part IV (Ga) (I) dated 25-5-78 at Page 131 and dated 25-11-82 at Page 525 respectively.

(B) Before present clause (i) In sub-rule (1) a new cluase (i) relating to persons who had acquired Khatedari rights under Section 15 of the Rajasthan Tenancy Act but were deemed to have not so accrued under Section 15-A, was Inserted vide Notification No. F4 (5) Rev/Col/77 GSR 7 dated 24-4-77 at Page 15 so the present clauses (i) to (iv) were re-numbered as (ii) to (v) but the above amendment was rescinded by Notification No. F4 Rev/Col/77 GSR 77 dated 1-6-77.

Published in Raj. Gazette, Part IV (Ga) (i) dated 9-6-77 so the amended clauses (ii) to (v) came to t heir original numbers (i) to (iv).

CASE LAWS

(1) Applicant was a T.C. lease-holder upto 1964 and applied for renewal and the case was recommended by Tehsildar but rejected by D.C.C. Review was also rejected so revision was filed. In revision it was held that D.C.C. was not justified to refuse renewal when there was Khasra Girdawari showing cultivatory possession from Svt. 2013 to 2030. In such a case the applicant should not be deprived of opportunity to be considered for permanent allotment because of incorrect rejection of renewal.

RRD 1979 NUC 48 (Banwari lal Vs. State)

(2) Even as a temporary cultivation lease-holder the applicant has to establish that he was a bonafide agriculturist.

RRD 1981 Page 94 (Sardar Singh Vs. State)

(3) In view of the admission of the applicant that he held 25 bighas irrigated land, allotment made in his favour was rightly cancelled by the allotting authority.

RRD 1982 Page 215 (Bakhtawar Singh Vs. State)

(4) It is however true that there is no provision in the 1975 Rules which empowers the Allotting Authority or the Colonisation Commissioner to decide the correctness or otherwise of a temporary cultivation lease under the Conditions of 1955 but in case of making permanent allotment it can certainly be examined under the 1975 Rules whether the Temporary Cultivation Lease-holder is a resident of Rajasthan and a bonafide agriculturist or not.

RRD 1990 Page 621 (L.B.) (Shankerlal Vs. State)

(5) Where the land was allotted on a temporary cultivation lease, it should not be allotted to any other person during lease-period. If the land has been allotted to any other person and he has acquired Khatedari rights by depositing all instalments, the latter allotment may be cancelled as the former, that is, the temporary lease-holder has got a priority over other persons even if his permanent allotment is delayed.

RRD 1992 Page 518 (Bheer Singh Vs. Sarjeet Singh & Ors.)

6. Reservation of Land : (1) The state Government may reserve Government land in specific areas for allotment to each category of persons specified in sub-rule (1) of rule 5 :

Provided that the Government may direct the Colonisation Commissioner to reserve Government land for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Such directions may be specific or general as to to the extent and place or reservation;

[Provided that for the Johar Paitan land situated anywhere or the Government land situated within a radius of 12 K.M. from the periphery of a city having population of one lakh persons or more, or within a radius of 8 K.M. from the periphery of a town having population of fifty thousand or more but less than one lakh, or within a radius of 3 K.M. from the periphery of a town having population of twenty five thousand or more but less than fifty thousand, the Government may direct the Colonisation Commissioner to reserve 25% of the total land for allotment to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The remaining land of both the categories shall be allotted to the landless persons.]

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the Allotting Authority may reserve Government land for all or any of the following purposes . –

(i) Allotment to Panchayats and Panchayat Samitis;

(ii) Village abadies, Johars, tanks or any other public purpose and

(iii) Soil Conservation schemes

NOTIFICATION

अधिसूचना संख्या प. 3 (183) राज/उप/81 एस. ओ. 24, मई 25, 1983:-राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम, 1975 के नियम 6 के उपनियम (3) के खण्ड (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान नहर उपनिवेश के द्वितीय चरण में सामान्य आवंटन योग्य उपलब्ध राजकीय भूमि में से 12,500 बीघा भूमि (500 मुरब्बे) सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व सेवा-निवृत्त उन सदस्यों को जो राजस्थान के निवासी हैं, एतद् द्वारा आवंटन हेतु आरक्षित करती है।

CASE LAW

Morely by filling an application under 15-AAA of the Rajasthan Tenancy Act the disputed land which is recorded as "Rakba Raj" (Government land) can not be prosumed as occupied land and not avallable for a allotment under 1975 Rules. There is no prohibition or bar for allotment of such land under the above rules even if the application under Sec. 15-AAA is pending.

RRD 1991 Page 164 (Bhagirath Vs. Hira lal)

7. Priorities for allotment:-[(1) Priorities for allotment of Government land under these rules shall be in the following order :

(a) Temporary cultivation lease-holders;

(b) A landless person of the same village.

(c) A landless person of the same Colonisation Tehsil/Revenue Tehsil;

(d) A landless person of the same district or under the Antyodaya Scheme of the State Government or as a beneficiary of the Integrated Rural Development Programme who has worked for two years as paid labourer of the State Government in construction of the Indira Gandhi Canal or in the development works connected with its command area after he is so identified;

(e) Agriculture Graduates, ex-servicemen, ex-operator of Indira Gandhi Canal and Bhakra landless persons for the areas reserved for them;

(f) Landless persons of any other districts of Rajasthan.]

(2) For the purposes of sub-rule (1) a landless person shall be deemed to be of the Village, Tehsil or District where he has been residing since before 1st day of April, 1955 :

[Provided that a landless person who does not hold any tenure land anywhere in Rajasthan, or such land as the holds is :

"In sub rule (1) or rule 7

(1) after cinuan (n) following provide shall be added:—

"Provided that the temporary cultivation lease holder of the district in which the land to be allotted, in situated, shall be given firnt priority in allotment."

"(g) Landless persons of any other districts of Rajasthan excluding, the person mentioned in clause (h)"

"(h) Landless persons of colonised part of Tehsils belonging to area covered by binjor and Medium irrigation Project."

(Amendments vide Notification (F. 4 (2) Col/92 dt. 3-1-95)

less than 2 1/2 acres of irrigated land or 5 acres of unirrigated land, shall be given preference within the category specified in sub-rule (1) which appertains to him;]

[Provided further that for purposes of allotment of land in Stage II, the inter-se-priority of those landless persons who were eligible and had applied for and were registered by the Allotting Authority for allotment of land in Stage-I under Rules 10 and 11 but to whom land could not be allotted due to non-availability or land in Stage I, shall be reckoned from the date on which they had originallly applied for the allotment of land in Stage 1]

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government reserves to itself the right or reservation of any Government land or allotment to:—

(a) Central or State Government mechanised farms,

(b) agricultural farms to be established by the Agriculture Department of the State Government,

(c) Cattle breeding and sheep breeding farms to be established by the Animal Husbandry and Sheep and Wool Department of the State Government,

(d) resettle disabled service personnel and dependents of deceased defence personnel killed in action,

(e) gallantry award-holders,

(f) displaced agriculturists and dustees and

(g) for any other purpose.

(4) The State Government may reserve any area or class or category of Government land for sale by public auction.

[(5) The lands belonging to a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe which vests in the State Government under Sections 175 and 176 of the Rajasthan Tenancy Act, 1995 and under Sections 13 and 14 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954, Shall be allotted only to a member of s Scheduled Caste or Scheduled Tribe respectively in accordance with the provisions of these rules.]

AMENDMENTS

(A) (i) Second proviso within brackets in sub-rule (1) was substituted vide Notification No. F4 (10) Rev/Col/75/Pt. 1 GSR 126 dated 24-1-81.

Published in Raj. Gazette, Part IV (Ga) (i) dated 5-2-81 Page 372.

(ii) Second proviso to Sub-rule (1), given as under, was firstly inserted vide Notification No. F 2 (9) Rev/Col/69 GSR 34 dated 20-9-78:—

Provided further that the Government may direct the Colonisation Commissioner to reserve 25% of such Government land which is situated within the radius of eight miles of a town or city having population of more than ten thousand and land which is recorded as Johar Paitan land for allotment to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The remaining land of both the categories shall be allotted to the landless persons.

Published in Raj. Gazette, E.O., Part IV (Ga) (i) dated 20-9-78 Page 224.

(B) Sub-rule (5) within brackets was inserted vide Notification No. F4 (13) Rev/Col/83/1 GSR 68 dated 25-11-83

Published in Raj. Gazette, E.O. Part IV (Ga) (i) dated 26-11-83 Page 243.

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी डार्क जोन क्षेत्र घोषित पंचायत

429. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील की 10 पंचायतें टहला से गोला का बास तक विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में हैं और सरकार ने उक्त पंचायतों में डार्क जोन घोषित कर रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पूरे क्षेत्र में मंगलसर, मानसरोवर, सिरसा माता, बिरकड़ी एवं सैंथल बांध आदि के अंतर्गत जलाशयों एवं नहरों का जाल बिछा हुआ है एवं इस क्षेत्र में वर्षभर जगह-जगह छोटे-छोटे तालाब एवं जोहड़ भरे रहते हैं और इस क्षेत्र में कुओं में जल 15 से 40 फीट के बीच में उपलब्ध है।

(3) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र को डार्क जोन घोषित करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) टहला से लेकर गोला का बास तक का क्षेत्र राजगढ़ तहसील मे आता है। भू-जल मूल्यांकन प्रतिवेदन 1-1-95 के अनुसार उक्त क्षेत्र में क्वार्टजाइट भू-जल धारक इकाई है व इस क्षेत्र को डार्कजोन में वर्गीकृत किया गया है।

(2) जी, हां। बरसात के पानी एवं नहरों के रिसाव से जगह-जगह छोटे-छोटे तालाब एवं जोहड़ों में पानी रहता है। इस क्षेत्र में भू-जल का स्तर 10 से 40 फीट के बीच में उपलब्ध है।

(3) ग्राम पंचायत टहला से गोला का बास के मध्य क्षेत्रों में भू-जल का दोहन, पुनर्भरण की अपेक्षा अधिक है तथा विकास दर की स्थिति 106.96% है इसलिए यह क्षेत्र डार्क जोनि में वर्गीकृत किया गया है।

नगर परिषद् श्री गंगानगर में असेंसर पद पर पदस्थापन प्रकरण

430. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत पांच वर्षों में नगर परिषद् श्री गंगानगर में असैंसर के पद पर अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति/पदोन्नति की गई है ?

(2) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को इस पद पर नहीं लगाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। गत पांच वर्षों में नगर परिषद् श्रीगंगानगर में असेसर के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग आदि से कोई भी नियुक्ति/पदोन्नति नहीं की गई है।

(2) किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति को असेसर के पद पर निर्धारित अवधि के भीतर लगाने के सम्बन्ध में नियमों में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। असेसर का पद राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 114 एवं 310 (1) (ए) के अन्तर्गत राज्य

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सरकार की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित कर उपयुक्तता की जांच कर भरा जाता हैं।

राजकीय चिकित्सालय हिण्डौन में स्त्री रोग विशेषज्ञ का रिक्त पद

431. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन स्थित राजकीय अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार उक्त पद पर पद स्थापन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) राजकीय आदेश 1 (16) चिस्वा/2/90 दिनांक 23-9-97 के द्वारा डॉ. करण लाल मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मायनी) का पदस्थापन किया जा चुका है।

स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाने हेतु गठित समितियों की बैठकें

432. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वर्ण जयन्ती वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम बनाने तथा कार्यक्रम आयोजित कर स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाने हेतु राजस्थान के विभिन्न जिलों में समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त समितियों की विभिन्न जिलों में कब-कब बैठकें बुलाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित जिला कलेक्टरों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण उक्त समितियों के गठन की योजना ही निष्फल हो गई है ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	जिले का नाम	गठित कमेटी की बैठक की दिनांक
1	2	3
1.	राजसमन्द	19-7-97, 29-12-97 एवं 16-7-98
2.	बांसवाड़ा	4-8-97
3.	श्रीगंगानगर	6-7-97 व 26-7-97
4.	भरतपुर	9-8-97
5.	डूंगरपुर	2-8-97
6.	झालावाड़	19-7-97 एवं 2-1-98
7.	उदयपुर	29-7-97, 31-7-97, 14-8-97, 25-9-98 व 26-7-98
8.	करौली	2-7-97, 9-7-97, 26-7-97, 30-7-97, 31-7-97 22-8-97, 30-9-97 एवं 8-5-98
9.	सिरोही	30-7-97 व 12-8-97
10.	भीलवाड़ा	30-7-97
11.	सीकर	26-7-97, 4-8-97 एवं 26-12-97
12.	धौलपुर	23-7-97 एवं 31-7-97
13.	अजमेर	6-8-97 एवं 2-9-97
14.	जालौर	14-8-97
15.	झुन्झुनूं	8-7-97 एवं 15-7-97
16.	हनुमानगढ़	8-8-97 व 1-12-97
17.	नागौर	13-8-97 एवं 2-1-98
18.	दौसा	7-8-97 एवं 29-8-97
19.	बाड़मेर	2-8-97 एवं 20-9-97
20.	जैसलमेर	15-7-97, 26-7-97 एवं 1-8-97
21.	टौंक	23-7-97 एवं 12-8-97
22.	चूरू	9-8-97
23.	कोटा	26-7-97, 30-8-97 एवं 8-1-98
24.	जोधपुर	20-8-97
25.	सवाईमाधोपुर	3-7-97, 10-7-97 व 11-7-97
26.	अलवर	2-7-97, 18-10-97 एवं 19-11-97
27.	बूंदी	5-8-97 एवं 14-10-97
28.	चित्तौड़गढ़	7-8-97
29.	बारां	25-7-97, 2-8-97, 3-11-97 व 6-11-97
30.	पाली	2-8-97
31.	बीकानेर	19-7-97 एवं 7-8-97

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विधायक कोटे से कराये गये विकास कार्य

433. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991 से मार्च 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विधायक कोटे की आरक्षित राशि में से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? सूचीमय स्वीकृति दिनांक व राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कितने अपूर्ण हैं तथा अभी तक कितने कार्य चालू नहीं हुए हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्यों में से जो कार्य पूर्ण हो गये हैं उनके पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 से मार्च, 98 तक के स्वीकृत कार्यों की सूची मय स्वीकृति दिनांक व राशि के सदन की मेज पर रख दी गयी।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 55 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 10 प्रगति (अपूर्ण) पर है तथा 1 कार्य चालू नहीं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 55 कार्य पूर्ण हुए जिनमें से 46 कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये एवं 10 अपूर्ण (प्रगतिरत) कार्यों में से 1 अपूर्ण कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त पूर्णता प्रमाण-पत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी।

(सूची व छाया प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गंगापुर सिटी का बाईपास सड़क प्रकरण

434. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगापुर सिटी बाई पास सड़क निर्माण की प्रशासनिक, वित्तीय व निर्माण कार्य की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी और निर्माण कार्य का अनुबन्ध किस ऐजेन्सी (ठेकेदार) से किया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गंगापुर सिटी बाई पास सड़क निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2 (17) पी. डब्ल्यू. / एएस/95/डी-164 दिनांक 7-6-95 को जारी की गई। विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 2 (19) पी. डब्ल्यू./एएस/95 दिनांक 19-9-95 द्वारा गंगापुर सिटी बाईपास सड़क निर्माण कार्य राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह बाईपास राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा मैसर्स विजय लक्ष्मी कंसट्रक्शन कम्पनी, करौली के माध्यम से कराया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य)

वर्ष 1995-96 के नवीन कार्यों की सूची

जिला—सवाईमाधोपुर

क्र.सं	कार्य का नाम	सड़क की लम्बाई (किमी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	जोब नम्बर
1	2	3	4	5
12.	निर्माण कार्य गंगापुर सिटी बाईपास परियोजना लागत 148.00 लाख ऋण राशि 100.00 लाख सीडराशि 48.00 लाख भूमि अवाप्ति 20.00 लाख स्वीकृत राशि	7.00	28.00	1922/5054/एमएनपी /प्लान/95-96

राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती प्रकरण

435. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994 से 1997 तक राजस्थान पुलिस (सिविल) व आर. ए. सी. में कांस्टेबल पदों पर भर्ती कहां-कहां व कब-कब हुई है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भर्तियों की सूचियों में सामान्य वर्ग व वर्गवार आरक्षित सूचियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने-कितने अभ्यर्थी चयनित किये गये हैं? वर्गवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक/अन्य विभाग से

210

(श्री हरिसिंह)

कोई निर्देश पत्र जारी हुआ है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" एवं क-1 में संलग्न है।

(2) इस बिन्दू का उत्तर परिशिष्ट "क" में निहित है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र परिशिष्ट "ख" पर तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधिशासी अभियन्ता बांदीकुई द्वारा आयोजित समस्या समाधान शिविर

436. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत माह बांदीकुई अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय पर समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो शिविर में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित अवधि निर्धारित की गई थी? यदि हां, तो कितनी समस्याओं का नियमित समय में समाधान किया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अधिशासी अभियन्ता, बांदीकुई कार्यालय पर दिनांक 21-5-98 को विद्युत समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के दौरान 25 समस्याएं प्राप्त हुई थी।

(2) जी, हां। अधिशासी अभियन्ता, बांदीकुई कार्यालय में आयोजित शिविर में 25 समस्याएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 8 समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया था। शेष समस्याओं में से 16 समस्याओं के निवारण हेतु 7 दिन से 30 दिन का समय दिया गया था तथा एक समस्या की कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई थी। समस्याओं की प्रस्तावित समयावधि में से सात दिवस की 6, पन्द्रह दिवस की 3 व तीस दिवस की एक समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। निवारण की गई व शेष समस्याओं का विवरण परिशिष्ट-अ में दर्शाया गया है।

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय बांदीकुई पर दिनांक 21-5-98 को आयोजित समस्या समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों से सम्बन्धित की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम व पता एवं खाता संख्या	शिकायत का विवरण	निस्तारण अवधि निर्धारित	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री रूपसिंह, कल्याणवत ग्राम– जागीर बांदीकुई खाता सं. 2104-0184	भवन परिसर से बिजली का ख़म्भा हटाने के क्रम में	मौके पर निस्तारण	मौके पर निस्तारण कर दिया गया
2.	बैरवा समाज पुनी दाई का मौहल्ला वार्ड नम्बर-7 बांदीकुई	डीम लाईट तेज करने बाबत	30 दिवस	वोल्टेज सुधार प्रस्ताव सक्षम अधिकारी बनाया जा रहा है।
3.	श्री गोरधन, कजोड़, रामगोपाल, मूल चन्द, छोटा, सोहनपाल, मनोहर, ग्राम-खेडा खेडी	विद्युत कनेक्शन करवाने बाबत मकान लाईट का	15 दिन	निस्तारण कर दिया गया है।
4.	श्री पन्नालाल पुत्र श्री गंगाधर मांगीलाल पुत्र श्री भगवान सहायक ग्राम-सूरवाडा खाता संख्या 715-135	डिम्ब कनेक्शन चल रहा है लाईन नहीं बेची गई	15 दिन	इस उपभोक्ता का कार्य प्रगति पर है।
5.	श्री रामानन्द पुत्र श्री बिदरी लाल ग्राम-बांदीकुई खा. सं. 2202/80	बिजिलेश ने चोरी करते पकड़ा 24,000/-लगाये समस्या समाधान	मौके पर निस्तारण	मौके पर निस्तारण कर दिया गया।

1	2	3	4	5
6.	श्री महादेवा पुत्र श्री रामसहाय मीना निवासी-गादरखड़ा	मकान में विद्युत कनेक्शन किये जाने बाबत	7 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
7.	श्री रघुनाथ प्रसाद, भूराराम शर्मा ग्राम बडियाल खुर्द खा. सं. 2315/0046	पुरानाघर का कनेक्शन चालू करवाने बाबत	मौके पर निस्तारण	मौके पर निस्तारण कर दिया गया।
8.	श्री रामधन भारद्वाज बांदीकुई खाता नम्बर 1501/152	बिल अधिक आने बाबत एवं संशोधन करने बाबत	7 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
9.	श्रीमती कमला पत्नी जयशंकर बांदीकुई खा. सं. 2104-44	न लगाये जाने पर दुरुपयोग राशि बिजली के बिल में	7 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
10.	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री साईदास शर्मा बडियाल रोड बांदीकुई खाता संख्या 1707-134	वी. सी. आर. के तहत गलत किये चार्ज को नियमानुसार ठीक कराये जाने बाबत।	मौके पर निस्तारण	मौके पर निस्तारण कर दिया गया।
11.	श्री मधुलाल प्रजापति समस्त कुम्हार कोली, मोहल्ला बांदीकुई	घरेलू कने. में कम वोलटेज आने बाबत।	30 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
12.	श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल अग्रवाल वार्ड न. 3 मकान न. 17 बांदीकुई	मकान के ऊपर से विद्युत तार हटाने बाबत	7 दिन	निस्तारण कर दिया गया।

1	2	3	4	5
13.	श्री लक्ष्मण पुत्र शुक्का मीना ग्राम-प्रतापपुरा	कृषि विशेष सामान्य श्रेणी का डिमाण्ड नोटिस जमा कराने बाबत	मौके पर निस्तारण	मौके निस्तारण कर दिया गया।
14.	श्री गंगाकिशन, गंगाधर, लम्जीलाल आनन्द ग्राम-नारायणपुरा	ढीले तारों को खिंचने बाबत	15 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
15.	श्री ओमप्रकाश जाखड़ बांदीकुई खाता संख्या-012-85	बिलों को सही करने बाबत	मौके पर निस्तारण	मौके निस्तारण कर दिया गया।
16.	श्री दयाल आईस फैक्ट्री सिकन्दरा रोड, बांदीकुई-5	विद्युत बिल ठीक किये जाने बाबत	मौके पर निस्तारण	मौके निस्तारण कर दिया गया।
17.	श्री मिट्ठनलाल, गोरधन, मीन्स ग्राम-ढिमारिया भीम	ढिमारिया भीम जीएस.एस. बिवाई फिसर में जीज़ी. लगवाने बाबत।	7 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
18.	श्री विनोद कुमार शर्मा ग्राम-बनापुरा	ग्राम-बनापरा में लाइन खिंचवाने बाबत	15 दिन	कार्य प्रगति पर है।
19.	श्री हरिओम शर्मा ग्राम-हाडली	ग्राम-हाडली में कम वोल्टेज आते हैं।	15 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
20.	श्री हरिओम शर्मा माननीय एम. एस. बांदीकुई	ढिमारिया भीम, भावता बडियाल कला पावर हाऊस के स. अ. को बांदी में रहने बाबत।	अवधि निर्धारित	बसवा उपर की स्वाकृति अतुल आदेश सं. 2160 दि. 21-10-97 के तहत इन समस्त ग्रामों के उपभोक्ताओं की

213

1	2	3	4	5
				लाइन, ट्रान्सफार्मरों की संख्या एवं इससे प्राप्त राजस्व को देखते हुए स्वीकृत की गई। बसुवा उपखण्ड को बांदीकुई स्थानान्तर करने पर बसुवा उपखण्ड के अन्य ग्रामों के उपभोक्ताओं द्वारा एतराज होना सम्भव है।
21.	श्री हरिओम शर्मा ग्राम-हाडली	बैजूपाडा में बिल कनेक्शन सेंटर खुलवाने बाबत।	7 दिन	निस्तारण कर दिया गया।
22.	श्री कृष्ण गोपाल जोशी ग्राम-बिवाई	बिवाई ग्राम में पावर हाऊस लगवाने बाबत	7 दिन	राशन अधिकारी को स्वीकृत हेतु प्रस्ताव बनाया जा रहा है।
23.	श्री गंगासहाय बैरवा समस्त ग्रामवासी भाण्डेडा	भाण्डेडा एल. टी. लाईन स्कीम का कार्य पूर्ण करवाने बाबत।	15 दिन	इसका कार्य कृषकों के आपसी विवाद के कारण लम्बित है।
24.	श्री प्रभू नारायण पानाडी	ग्राम-पानाडी में खसरा नं. 280 में सन् 1972 में एक विद्युत कनेक्शन दिया गया है।	मौक पर निस्तारण	मौके पर निस्तारण कर दिया गया।
25.	श्री रामसिंह लालराम नागर टेका की ढाणी ग्राम-श्यालाबास खुर्द समस्त ग्रामवासी	वोल्टेज कम आने बाबत	7 दिन	निस्तारण कर दिया गया।

बीसलपुर बांध के पानी का उपयोग

437. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) बीसलपुर बांध में वर्ष 1998-99 में कितने पाइन्ट तक पानी रोकना प्रस्तावित है ?

(2) जब बीसलपुर बांध में काफी पानी रोका जा चुका/सकता है और अभी जयपुर को पानी उपलब्ध करवाने की योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है तो रोके हुए पानी का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त पानी को सिंचाई के उपयोग में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में आर. एल. 304.50 मीटर तक 52.38 मिलियन घनफीट पानी रोकना प्रस्तावित है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण इस आर. एल. से ऊपर पानी रोकना सम्भव नहीं है।

(2) यह सही है कि बीसलपुर बांध में काफी पानी रोका जा सकता है, परन्तु डूब क्षेत्र के लोगों को मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण पानी 304.50 मीटर तक ही भरना प्रस्तावित है। रोके हुए पानी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अजमेर एवं ब्यावर में पेयजल हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। शेष पानी की जलोत्थान द्वारा सिंचाई भी की जा रही है। जयपुर योजना के क्रियान्विति के बारे में पेयजल विभाग बता सकती है।

(3) पेयजल के लिए आरक्षित जल के अतिरिक्त जल को सिंचाई हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

नगरपालिका हनुमानगढ़ के संविदा पर रखे गये दमकल चालकों का भुगतान प्रकरण

438. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका हनुमानगढ़ को दमकल सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु संविदा के आधार पर वाहन चालक रखने की अनुमति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितने पदों के लिए ?

(2) उक्त अनुमति के आधार पर वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान किस-किस व्यक्ति को कब से कब तक रखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संविदा के आधार पर नियुक्त इन वाहन चालकों को किस दर से कितना भुगतान किया गया है ? भुगतान की गई राशि का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त वाहन चालकों में से किसी का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किसका कितना भुगतान एवं क्यों बकाया है ? अब बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(5) क्या सरकार संविदा के आधार पर रखे गये कर्मचारियों को स्थायी एवं नियमित नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

216

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर पालिका हनुमानगढ़ को दमकल सेवाओं के संचालन हेतु तीन वाहन चालक संविदा के आधार पर तीन माह के लिए रखने की अनुमति दिनांक 13-12-96 को दी गई थी।

(2) इस अनुमति के आधार पर तीन व्यक्तियों को दिनांक 1-1-97 से 31-3-97 तक सर्व श्री किशोर सिंह, श्री रामस्वरूप एवं श्री सुशील कुमार को संविदा के आधार पर रखा गया। शेष अवधि में दिनांक 14-6-96 से 31-12-96 व 1-4-97 से 4-1-98 तक अध्यक्ष के आदेशानुसार यह कार्यरत रहें।

(3) संविदा पर रखे गये उक्त तीनों कर्मचारियों को अध्यक्ष नगर पालिका, हनुमानगढ़ द्वारा दमकल सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 14-6-96 से 4-1-98 तक रखा गया। इनको भुगतान की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) उक्त वाहन चालकों का बकाया भुगतान का विवरण संलग्न है। इसका भुगतान शीघ्र ही करवाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी, नहीं। क्योंकि नियमित नियुक्ति जिला सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही की जा सकती है।

कार्यालय नगरपालिका, हनुमानगढ़

संविदा पर रखे गये वाहन चालकों को दिनांक 2-1-97 के भुगतान की गई राशि का विवरण

	नाम वाहन चालक	माह जून, 96	माह जुलाई, 96	माह अगस्त, 96
1.	श्री किशोर सिंह	980.00	1820.00	820.00
2.	श्री रामस्वरूप	980.00	1820.00	1820.00
3.	श्री सुशील कुमार	840.00	1820.00	1820.00
		2800.00	5460.00	5460.00

परिशिष्ट-ब

बकाया भुगतान का विवरण

	नाम वाहन चालक	बकाया राशि दि. 1-9-96 से 4-1-98
1.	श्री किशोर सिंह	29,400/-
2.	श्री रामस्वरूप	29,400/-
3.	श्री सुशील कुमार	29,400/-

प्रश्न संख्या-439

(स्थगित)

पंचायत समिति नीमकाथाना में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत सड़क निर्माण

440. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नीमकाथाना (सीकर) में वर्ष 1993 से जून, 1998 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गई और उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौन सीं सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं? यदि नहीं, तो अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सम्पर्क सड़क रामसिंह पुरा-नीमकाथाना-कोटपूतली सड़क 30 कि.मी. तक बनाने की स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क पर कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि इस सड़क में बोपया ग्राम एक हजार से ऊपर की जनसंख्या का सड़क से जुड़ना उचित है? यदि हां, तो इस गांव को क्यों वंचित रखा गया? उक्त ग्राम किस अधिकारी की गलती से वंचित हुआ? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नीम का थाना (सीकर) में 1993-94 से 1998 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु जारी की गई स्वीकृतियां मय स्वीकृत राशि एवं व्यय के विवरण सहित सूची सदन के मेज पर रख दी गई है।

(2) स्वीकृत सड़कों में से पूर्ण हुई एवं जो सड़क पूर्ण नहीं हुई, उनके बाबत अपूर्ण रहने का कारण सहित विवरण संलग्न है।

(3) जी, हां। जी, हां।

(4) सम्पर्क सड़क से प्रत्येक ग्राम को जोड़ा जाना अपेक्षित है परन्तु वित्तीय साधनों को देखते हुए सम्पर्क सड़क बाबत सड़क नीति के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। अतः बोपाया गांव को नहीं जोड़ने के लिए कोई दोषी नहीं है। सड़क नीति के अनुसार प्राथमिकता आने एवं सुनिश्चित रोजगार योजना से वित्त पोषण उपलब्ध होने पर इस गांव को सड़क से जोड़ने के लिए स्वीकृति देना सम्भव होगा।

218

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि	स्वीकृत क्रमांक / दिनांक	व्यय राशि 5/98 तक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	डाबला से बिहार	3.00	2.53	341-60 / 4-5-94	2.46	
2.	बूजीवाला से दीपावास	3.00	3.56	341-60 / 4-5-94	3.84	
3.	अप्रोच सड़क सांवलपुरा शेखावतान	2.00	2.12	361-80 / 4-5-94	—	स्वीकृति निरस्त
4.	सम्पर्क सड़क भूदोली से प्रीतमपुरी	10.00	2.65	361-80 / 4-5-94	7.04	
5.	सम्पर्क सड़क थोई से प्रीतमपुरी	5.00	12.00	1795-815 / 29-4-95	7.19	
			2.61	1795-815 / 29-4-95		
			4.50	1795-815 / 29-4-95		
6.	चला की ढाणी से माउंडा कला	6.00	1.24	1795-815 / 29-4-95		
			6.00	1795-815 / 29-4-95	5.55	
7.	सम्पर्क सड़क सिरोही से भगेगा	5.00	2.00	1795-815 / 29-4-95		
			4.50	1795-815 / 29-4-95	6.85	

1	2	3	4	5	6	7
8.	सम्पर्क सड़क केरवाली से पुरानाबास नापावली माउंडा खुर्द	6.00	2.00	1795-815 / 29-4-95		
			6.00	1795-815 / 29-4-95	6.85	
9.	धासीपुरा से रायपुर पाटन	8.00	1.65			
	वाया राम का बास कोला की नांगल		9.00	1795-815 / 29-4-95	11.47	
10.	सम्पर्क सड़क जिलों से बिहार	4.00	1.69	1795-815 / 29-4-95		
			3.00	1795-815 / 29-4-95	2.67	
11.	डाबला रेलवे स्टेशन से	3.00	2.00	1795-815 / 29-4-95		
	डाबला गांव		1.50	1795-815 / 29-4-95	2.14	
12.	सम्पर्क सड़क गणेश्वर से	11.00	2.16	361-80 / 4-5-94	12.83	
	मोकलवास		15.00	1795-815 / 29-4-95		
13.	सम्पर्क सड़क नागेश्वर	3.00	1.64	1795-815 / 29-4-95		
			1.50	1795-815 / 29-4-95	2.74	
14.	टोडा से लादी का बास वाया कालीदास मन्दिर	10.00	12.00	4795-803 / 6-3-95	9.30	
15.	भूदोली से अगवाड़ी	5.00	6.24	4795-803 / 6-3-95	4.05	

1	2	3	4	5	6	7
16.	सम्पर्क सड़क खादरा	6.00	7.50	4795-803 / 6-3-95	5.59	
17.	गोविन्दपुरा से बासड़ी खुर्द	9.00	4.50	4795-803 / 6-3-95	3.19	
18.	डाबला से बिहारीपुर	3.00	6.00	4795-803 / 6-3-95	2.78	
19.	पाटन सड़क से श्यामपुरा	4.00	8.00	4795-803 / 6-3-95	6.58	
20.	भूदोली से झिराणा	3.00	4.50	4795-803 / 6-3-95	4.06	
21.	भूदोली से बासड़ी खुर्द	6.00	8.00	4795-803 / 6-3-95	2.46	
22.	सम्पर्क सड़क रामसिंहपुरा	4.00	4.00	3303-07 / 4-1-96	5.04	
23.	सम्पर्क सड़क नीमकाथाना से पोडाबास ढाणी हीराजीवाली	3.0	4.13	633-47 / 15-6-95	1.54	
24.	सम्पर्क सड़क ढाणी बडवाली (हनुमानजी का मन्दिर) से डाबला रेलवे स्टेशन	3.50	6.00	4215-20 / 17-1-96	5.78	

परिशिष्ट-2

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	भौतिक प्रगति ग्रेवर	डब्ल.बी.एम.	मेटल	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	डाबला से बिहार	3.00	–	–	पूर्ण	
2.	बूजीवाला से दीपावास	3.00	1.00	–	पूर्ण	
3.	अप्रोच सड़क सांवलपुरा शेखावतान	—	—	—	कार्य निरस्त कर दिया गया जे.आर.वाई में स्वीकृति आने के कारण	
4.	सम्पर्क सड़क भूदोली से प्रीतमपुरी	3.00	–	–	अपूर्ण	क्वारी समस्या के कारण
5.	सम्पर्क सड़क थोई से प्रीतमपुरी	3.40	–	–	अपूर्ण	क्वारी समस्या के कारण
6.	वला की ढाणी से माउण्डा कला	6.00	–	–	पूर्ण	
7.	सम्पर्क सड़क सिरोही से भगेगा	4.50	4.50	–	पूर्ण	एम. एन. पी. में डब्लू.बी.एम. दी गई
8.	सम्पर्क सड़क केरवाली से पुरानावासन नापावाली माउंडा खुर्द	5.00	–	–	अपूर्ण	6 किमी. में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।
9.	घासीपुरा से रामपुरा पाटन वाया राम का बास कोला की नांगल	—	5.750	–	पूर्ण	250 मी. लम्बाई में एलाइमेंट विवाद के कारण कार्य नहीं हो सका
10.	सम्पर्क सड़क जिलों से बिहार	2.00	–	–	अपूर्ण	डब्लू.बी.एम. कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
11.	डाबला रेलवे स्टेशन से डाबला गांव	2.00	2.00	2.00	पूर्ण	बी. टी. एम. एन. पी. के तहत कर दी गई
12.	सम्पर्क सड़क गणेश्वर से मोकलवास	— —	6.00 6.00	– –	अपूर्ण अपूर्ण	शेष डब्लू.बी.एम. प्रगति पर है।
13.	सम्पर्क सड़क भागेश्वर	2.00	–	–	अपूर्ण	"
14.	टोडा से लादी का बास वाया कालीदास मन्दिर	—	1.50	–	अपूर्ण	शेष डब्लू.बी.एम. प्रगति पर है
15.	भूदोली से अगवाड़ी	4.50	–	–	पूर्ण	"
16.	सम्पर्क सड़क खादरा	5.00	–	–	पूर्ण	"
17.	गोविन्दपुरा से बासड़ी खुर्द		3.00	–	–	पूर्ण "
18.	डाबला से बिहारीपुर	2.00	–	2.00	पूर्ण	बी.टी.एम.एन. पी. के तहत कर दी गई
19.	पाटन सड़क से श्यामपुरा	—	4.00	–	पूर्ण	—
20.	भूदोली से बासड़ी खुर्द	6.00	–	–	पूर्ण	—
21.	भूदोली से बासड़ी खुर्द	6.00	–	–	अपूर्ण	कार्य बन्द क्वारी समस्या वन विभाग
22.	सम्पर्क सड़क रामसिंहपुरा	4.00	–	–	पूर्ण	—
23.	सम्पर्क सड़क नीमकाथाना से गोडावास ढाणी हीराजीवाली		1.00	–	–	अपूर्ण कार्य प्रगति पर है।
24.	सम्पर्क सड़क ढाणी बड़वाली (हनुमानजी का मन्दिर) से रेलवे स्टेशन	2.30	–	–	पूर्ण	—

अधिशासी अभियन्ता

सा. नि. वि. खण्ड, सीकर

भरतपुर गोवर्धन पुल का निर्माण

441. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 की भयंकर बाढ़ के कारण भरतपुर-गोवर्धन (वाया सोख) सड़क पर स्थित पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था ?

(2) क्या सरकार ने उक्त महत्वपूर्ण पुल के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जून 1996 में आई बाढ़ के कारण भरतपुर गोवर्धन सड़क के मैन ड्रेन पर बनी पाईप कलवर्ट को सिंचाई विभाग ने भरतपुर शहर को बाढ़ से बचाने के लिये मोती झील बांध का पानी निकालने के लिये 9 अगस्त, 96 में तोड़ा था।

(2) विभाग द्वारा पुल बनाने के लिए 69.34 लाख रुपये का तकमीना सिंचाई विभाग से विचार विमर्श कर तैयार किया गया है।

इस कार्य को नाबार्ड योजना में प्रस्तावित कर स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

थाना दौसा में दर्ज अपहरण प्रकरण

442. श्री कमल हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या दिनांक 1 मई, 1998 को थाना दौसा में एक अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के अपहरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु थानाधिकारी कोलवा व दौसा की टीम गठित की गई तथा गिरफ्तारी हेतु समस्त राजस्थान के पुलिस अधीक्षकों को मुश्तहरी जारी कराई। अनुसंधान दल ने सभी संभावित स्थानों पर मुल्जिमों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी तथा मुलजिम लालू उर्फ सुरेन्द्र सिंह तथा जितेन्द्रि सिंह को गिरफ्तार किया परन्तु मुल्जिम अनिल कुमार एवं भगतैया मधु बावजूद काफी प्रयास के अभी तक दस्तयाब नहीं हुए हैं।

224

परिशिष्ट-अ

प्रतिलिपि सूचना रिपोर्ट

मुकदमा नं. 221/98 पुलिस थाना-दौसा जिला दौसा

सेवा में,

श्रीमान् थानेदार साहब पुलिस थाना,

विषय—लड़की को भगा ले जाने के क्रम में

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषय में लेख है कि, मेरी लड़की मधु अपनी बड़ी बहीन के पास दौसा रहकर विवेकानन्द स्कूल दौसा में परीक्षा दे रही थी। कल दिनांक 30-4-98 को दोपहर के लगभग दो बजे बाद दो बजकर पैंतालिस मिनट पर वह परिक्षा देने गई थी रास्ते में उसे जितेन्द्र सिंह पुत्र सुरज्ञान सिंह व अनिल कुमार पारिक पुत्र हरिनारायण पारिक मिल गये वे उसे बहला फुसलाकर भगा ले गये। अतः आपसे निवेदन है कि, शीघ्रातिशीघ्र उचित व आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी

मेवाराम कोली बास गुठलिया

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीर बखत हिन्दी श्री मेवाराम पुत्र खेडराम जाति कोली उम्मर 56 साल निवासी बास गुठलिया थाना कोल्वा ने हाजिर थाना होकर दर्ज कराई जिसकी नकल एफ. आई. आर. में अक्षरसः की जाकर पढ़कर सुनाई सही मानी व अपने हस्ताक्षर किये मजित दरियाफत पर बताया कि मेरी लड़की मधु की उम्र 16 साल है। जो दसवीं की परीक्षा देने विवेकानन्द स्कूल में आई थी व उसकी बड़ी बहन गुड्डी पत्नी कमलेश कोली पंचायत समिती दौसा के पास परीक्षा देने के लिए रह रही थीं। उपरोक्त मंजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 366 भा.दं.सं. व 3 (2) (5) एससी/एसटी. एक्ट के वकू में आना पाया जाता है। अतः मु.नं. 221/98 बदफा मजकूर बाला में कायम कर तफतीश श्रीमान सी. ओ. साहब दौसा के की जाकर एफ.आई.आर. कार्यालय में भिजवाई जा रही है। एस.आर. जारी की गई प्रतियां नियमानुसार जारी की गई।

एस.डी/मेवाराम कोली।

ह.

पुनमचन्द निरीक्षक पुलिस,

थानाधिकारी पुलिस थाना, दौसा

1-5-98, At 7.00 P.M.

जोधपुर शहर की विद्युत आपूर्ति में सुधार

443. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में विद्युत वितरण व्यवस्था सुधार के लिए पी. एफ. सी. दिल्ली द्वारा योजना एवं ऋण स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु शहर के परकोटे के अन्दर इस कार्य का आरम्भ नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं और यह कार्य अब कब तक प्रारम्भ हो जायेगा।

(2) क्या गणेशगढ़ न्यू चान्दपोल रोड, जोधपुर में 33 के.वी.ए. के नये ट्रांसफार्मर लगाने हेतु गणेशगढ़ आश्रम द्वारा मण्डल को निःशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव दिया गया है ? यदि हां, तो इस ट्रान्सफार्मर की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

(3) जोधपुर शहर परकोटे के अन्दर पुराने बिजली के तारों को बदलने एवं जमीन से कट चुके बिजली के खम्भों को ठीक करने की विद्युत मण्डल की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जोधपुर शहर में विद्युत वितरण व्यवस्था सुधार हेतु एक योजना पी. एफ. सी. द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसके लिए ऊर्जा वित्त निगम द्वारा 19.40 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत परकोटे के अन्दर कार्य प्रगति पर है और अब तक 1.90 कि.मी. 11 के.वी. नई लाइन खेंची जा चुकी है। 1.0 कि.मी. 11 के.वी. व 0.5 कि.मी. एल.टी. लाइन का तार बदल कर लाइन क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त 28 वितरण उपचौकियां (11/0.4 के.वी.) का निर्माण/क्षमता वर्धन/स्थान परिवर्तन किया जा चुका है।

(2) गणेशगढ़ आश्रम द्वारा पूर्व में 33 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि देने का प्रस्ताव भेजा गया था, परन्तु इस क्षेत्र की तकनीकी स्थिति को देखते हुए वर्तमान में यहां सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी, हां। शहर के परकोटे के अन्दर 1.0 कि.मी. 11 के.वी., 0.5 कि.मी. एल.टी. लाईन के तार तथा 15 पुराने क्षतिग्रस्त खम्भों को बदला गया है। इसके अलावा 114 क्षतिग्रस्त खम्भों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार मफिंग कराकर शीघ्र ठीक कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पंचायत समिति बाप (जोधपुर) के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

444. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर में नए राजस्व गांव मेहरामनगर, बजरंगनगर, नवनीतपुरा बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

उत्तर

पंचायत समिति बाप के ग्राम बजरंगनगर, नवनीतपुरा व मेहरामनगर में राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तहसील सुजानगढ़ के जोहड़/बांध निर्माण में अनियमिततायें

445. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1993 से जून, 1998 तक चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कब-कब कहां-कहां जोहड़/बांध/तालाब स्वीकृत किये गये हैं और इनमें से कौन-कौन से क्षेत्र में सिंचाई हो रही है ?

(2) ग्राम बिलंगा ग्राम पंचायत सारोठिया तहसील सुजानगढ़ (चूरू) में जोहड़ कौन से खसरा में कितनी भूमि पर स्वीकृत हुआ ? क्या इस जोहड़ को पूर्वि में स्वीकृत स्थल से अन्यत्र कम भूमि पर बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जोहड़ के स्थान एवं निर्माण कार्यों में अनियमितता हुई है ? क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से जून, 1998 तक सिंचाई विभाग के सात कार्य (प्रपत्र-क) स्वीकृत किये गये तथा डी. आर. डी. ए. के डी. डी. पी. में 20 जोहड़ तथा सुनिश्चित रोजगार योजना में सात जोहड़ स्वीकृत किए गये (प्रपत्र-क-1 एवं क-2) इन कार्यों से किसी भी क्षेत्र में सीधे सिंचाई नहीं हो रही है।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा कोई जोहड़ स्वीकृत नहीं हुआ, अपितु डी. आर. डी. ए. द्वारा ग्राम बिलंगा में एक जोहड़ स्वीकृत हुआ है। इस स्वीकृति में किसी स्थल विशेष का नाम नहीं होकर ग्राम बिलिंगा का नाम ही अंकित है।

(3) जिला कलेक्टर, चूरू ने बताया कि उनके यहां ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच ए.डी.एम. (प्रशासन) कर रहे हैं।

परिशिष्ट-क

सिंचाई विभाग के स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत क्रमांक डी.आर.डी.ए.	कार्य की स्थिति प्रसंग द्वारा	सिंचाई क्षमता
1.	पक्का जोहड़ लोहल वाटर हार्वे. स्ट्रक्चर	लोहल	सु.रो.जो. वर्ष 96-97/ 1384-93 दि. 30-11-96	पूर्ण	अप्रत्यक्ष लाभ पेटा काश्त (भू-संरक्षण)
2.	पक्का जोहड़ टाडा वाटर हार्वे. स्ट्रक्चर	टाडा	"	"	"
3.	पक्का जोहड़ा बडावर वाटर हार्वे. स्ट्रक्चर	बडावर	"	"	"
4.	पक्का ढाणी डी.एस.पुरा	डी.एस.पुरा ढाणी	"	चालू	"
5.	बालेरा परकोलेशन टेंक	बालेरा	सु.रो.यो. वर्ष 96-97/ 24795-800 दि. 14-3-97	चालू	"
6.	गोपालपुरा परकोलेशन टेंक	गोपालपुरा	"	"	"
7.	रूपेली परकोलेशन टेंक	रूपेली	"	"	"

प्रपत्र-क-1

डी.डी.पी. योजना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत जोहड़ का विवरण

(पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा सम्पादित)

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम मय ग्राम		स्वीकृति आदेश
1.	1993	पक्का जोडा निर्माण, मेडाप		18805-12 दि. 26-11-93
2.	"	"	लुहारा	"
3.	"	"	सारंगसर	"
4.	1994	"	खरताणां	310-19 दि. 31-12-94
5.	"	"	धौलपालिया (पार्वतीसर)	"
6.	"	"	मोडेला	"
7.	1995	"	देवाणी	8630-50 दि. 29-9-95
8.	"	"	मालकसर	"
9.	"	"	ईयारा	"
10.	"	"	सारंगसर	"
11.	"	"	मेडाप	"
12.	"	"	सालासर	"
13.	"	"	ढढेरू गोदारा	8513-34 दि. 21-3-95
14.	"	"	लोला	"
15.	"	"	बाधतरा आपूर्णा	11435-42 दि. 21-11-95
16.	"	"	माफडेला	"
17.	"	"	कलाई-तलाई	"
18.	"	"	पार्वतसर	"
19.	"	"	डूगरास	8638-50 दि. 29-9-95
20.	1994	"	खेतोलाई-तला	310-19 दि. 31-12-94

229

प्रपत्र-क-2

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत जोहड़ का विवरण

(पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा सम्पादित)

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम मय ग्राम		ग्राम पंचायत	स्वीकृत आदेश
1.	पक्का जोहड़ निर्माण	लोला	भानीतरियां	13084-93 दि. 30-11-98
2.	”	ढांडा	”	”
3.	”	बडावर	बडाधर	”
4.	”	खारा	जीली	26982य2700 दि. 29-3-97
5.		नौहडिया	बाढसर	”
6.	”	कान्धनसर	अमरसर	”
7.	”	चिलंगा	तारोडिया	”

230

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-543 का विवरण)

परिशिष्ट-क

प्राधिकरण को विभिन्न स्रोतों से हुई आय का विवरण (राशि रु. लाखों में)

क्रमांक	मद	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1.	भूमि विक्रय से प्राप्त आय	1580.77	1123.80	1635.04	4848.50	3201.89
2.	निर्मित भवनों के विक्रय से आय	80.47	54.14	33.40	167.05	119.13
3.	सहकारी समितियों की योजना से प्राप्त आय	110.93	1330.10	510.18	115.26	100.79
4.	शहरी जमा बन्दी	97.98	151.48	115.96	206.50	229.97
5.	भूमि एवं भवन कर से प्राप्त आय	70.00	86.00	772.61	296.35	615.03
6.	ब्याज	84.21	58.53	34.49	29.29	29.54
7.	विविध प्राप्तियां	223.18	315.87	355.09	696.36	429.15
	योग	2247.54	3119.92	3456.77	6359.31	4725.50

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-552 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र अलवर के शहर अलवर में 1-4-94 से अब तक लगे हैण्ड पम्प/नलकूप/जलाशयों का विवरण

क्रमांक 1	हैण्डपम्प का स्थान 2	वर्ष 3
1.	खुदनपुरी टीटोर्ड	94-95
2.	स्कीम नं. 2	"
3.	नेहरू नगर	"
4.	स्कीम नं. 10	"
5.	धोबीधट्टा	"
6.	पंसारीं बाजार	"
7.	बुद्ध बिहार	"
8.	दाउदपुर	"
9.	कटीधाटी हनुमान मंदिर	95-96
10.	गर्ल्स स्कूल स्कीम नं. 2	"
11.	जी. डी. कॉलेज	"
12.	धोबी धट्टा कालालाका	"
13.	नई सड़क राजाजी का बास	96-97
14.	काली मोरी रेलवे फाटक	"
15.	अखैपुरा रामलीला ग्राउण्ड	"
16.	कटी धाटी हनुमान मंदिर	"
17.	वार्ड नं. 14 देवखेड़ा स्कूल के पास	"

1	2	3
18.	वार्ड नं. 15 दुर्गा कोलानी	96-97
19.	वार्ड नं. 13 चोरी डूंगरी	"
20.	वार्ड नं. 16 फौजी कालोनी	"
21.	फ्रेन्ड्स कालोनी	"
22.	एनई.बी. सैक्टर नं. 1	"
23.	एनई.बी. सैक्टर नं. 2	"
24.	एनई.बी. सैक्टर नं. 3	"
25.	दीवानी जी का बाग	"
26.	फुटी खेल	"
27.	बनिया का बाग	"
28.	दाउदपुर गुरु नानग कालोनी	"
29.	स्कीम नं. 3	97-98
30.	शिवाजी पार्क प्रा.शाला	"
31.	शिवाजी पार्क प्रा. शाला	"
32.	स्कीम नं. 2 प्रा. शाला	"
33.	प्रतापबास प्रा. शाला	"
34.	प्रा. शाला	"
35.	धाबाई जी का बास	"
36.	चमेली बाग	"
37.	डी. ई. ओ. ऑफिस प्रताप बास	"
38.	नारायण विलास फोरेस्ट नर्सरी	"
39.	तिवाड़ी क्लीनिंग नया बास	"
40.	लादिया बाग शिव मंदिर	"
41.	अखैपुरा सामुदायिक भवन	"

1	2	3
42.	अखैपुरा सामुदायिक भवन	"
43.	चावड पाडी स्कूल के पास	"
44.	ए. आर. डी. 32 जंज निवास	"
45.	आई. टी. आई., अलवर	"
46.	नजर बगीची स्काऊट सेन्टर	"
47.	कबीर कालोनी	"
48.	काला कुआ बोस्ट ऑफिस के पास	"
49.	बुद्ध बिहार की ब्लॉक	98-99
50.	बुद्ध बिहार गाडिया लुहारों के पास	"
51.	गायत्री मंदिर कालोनी	"
52.	शिवाजी पार्क 6 क सेक्टर	"
53.	मोती नगर आई.टी.आई. के पास	"
54.	मुगरूका जोइड के पास	"
55.	गुरुद्वारे के पास	"
56.	खदानेश्वर रोड नं. 2	"
57.	प्रताप बास शिव मंदिर	"
58.	लिसोडा शिव मंदिर	"
59.	पुराना जनाना अस्पताल	"
60.	80 कापटर	"
61.	स्कीम नं. 1 प्लाट नं. 44 के पास	"
62.	मेहताबसिंह का नौहर रीता आईस के पास	"
63.	गणेश मंदिर होप सर्कस	"
64.	न्यू फ्रेण्ड्स कालोनी बनिया का पास	"

(234)

विधान सभा क्षेत्र अलवर में 1-4-94 से अब तक लगे हैण्डपम्पों/नलकूप/जलाशयों का विवरण

क्र.सं.	नलकूप का स्थान	वर्ष
1.	बापू बाजार	94-95
2.	मन्नी का बड	
3.	तुलेड़ा	नलकूप नं. 26
4.	लादिया ग्राऊण्ड	
5.	सूचना केन्द्र	
6.	विजय मंदिर	
7.	विजय मंदिर	
8.	तुलेड़ा नलकूप नं. 18	
9.	विजय नगर	
10.	एन. ई. बी. सैक्टर-4	
11.	मनु मार्ग नलकूप नं. 10	95-96
12.	मनु मार्ग नलकूप नं. 11	
13.	मालवीय नगर नलकूप नं. 6	96-97
14.	कालाकुआ झण्डूसिंह के पास	
15.	कालाकुआ वाटर वर्क्स के पास	
16.	जयपुर रोड	
17.	नेमीचन्द मार्केट	97-98
18.	एन. ई. बी. एक्स. सैक्टर नं. 4	
19.	एन. ई. बी. एक्स. पार्क सैक्टर नं. 4	
20.	करोली कुण्ड	98-99
21.	मेहंदी बाग	
22.	सिविल लाइन	
23.	स्कीम नं. 1	
24.	वीर सावरकर नगर	
25.	हिन्दू पाडा	
26.	जयपुर रोड	96-97
		कुल 26 नलकूप

टंकी

1.	मनुमार्ग एस. आर.	1	94-95
2.	जनाना अस्पताल	1	94-95
3.	एन. ई. बी. एक्सटेन्शन	1	94-95
		3 नम्बर	

पाइप लाइन

1.	स्कीम नं. 2 से जनाना एस. आर.	250 एम.एम.	1.50 किमी.	94-95
2.	मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड से बड वाला	200 एम.एम.	1.00 किमी.	95-96
3.	मनुमार्ग मंदिर से नया बास	200 एम.एम.	1.25 किमी.	95-96
4.	बैंक कालोनी से मनुमार्ग	200 एम.एम.	1.50 किमी.	95-96
5.	नलकूप नं. 9 से कालाकुआ पंप हाऊस	150 एम.एम.	0.5 किमी.	96-97
6.	नेमीचन्द नलकूप से एनईबी .प. हाऊस	150 एम.एम.	1.3 किमी.	96-97
7.	मालवीय नगर नलकूप नं. 6 से सी.डब्ल्यू.आर.	100 एम.एम.	0.4 किमी.	96-97
			7.45 किमी.	

जयसमन्द

3800 मी. / 300 एम.एम. ए. सी.		
2000 मी. / 350 एम.एम. डी. आई.	7.250	97-98
1450 मी. / 300 एम.एम. डी. आई.		
	14.60 किमी.	

तुलेड़ा क्षेत्र में डाली गई पाइप लाइन

2600 मी. - 400 एम.एम. ए.सी.	
1200 मी. - 350 एम.एम. ए.सी.	
3000 मी. - 250 एम.एम. ए.सी.	
700 मी. - 200 एम.एम. ए. सी.	
800 मी. - 150 एम.एम. ए. सी.	
900 मी. - 100 एम.एम. ए. सी.	9.60 किमी. 97-98
400 मी. - 150 एम.एम. ए. सी.	
9600	24.20 किमी.

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र अलवर में पेयजल हेतु व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

(प्रस्ताव)

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(1) निर्माण कार्यों हेतु व्यय की गई राशि का विवरण					
(अ) नगरीय जलप्रदाय योजना अलवर	39.97	24.15	224.22	81.11	30.00
(ब) ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं	0.40	4.52	29.78	11.60	
(2) मरम्मत हेतु व्यय की गई राशि का विवरण					
(अ) शहरी जलप्रदाय योजना अलवर	391.18	496.58	564.84	633.23	646.72
(ब) ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं	1.10	1.22	1.42	1.60	1.65

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-567 की सूची)

क्र.सं.	सड़क का नाम	मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)	कृषि उपज मंडी द्वारा जमा राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	लिंक रोड जाहोता मोड से रायथल	7.00	7.00
2.	लिंक रोड मोडी से राधाकिशनपुरा	5.00	5.00
3.	लिंक रोड बिहारीपुरा से भीलपुरा	2.70	2.70
4.	लिंक रोड ठाकुरों की ढाणी से टन बिहारीपुरा	2.20	2.20
5.	लिंक रोड चोमू चन्दवाजी रोड से गठवाडी	0.50	0.50
6.	लिंक रोड चोमू चन्दवाजी रोड से सिरोही	2.50	2.50
7.	लिंक रोड एन.एच. 8 से खोरी मीणा	1.00	1.00
8.	लिंक रोड ताला मोड से कांट	8.00	8.00
9.	लिंक रोड खोरा बीसल से जयरामपुरा	0.50	0.50
10.	लिंक रोड एन. एच. 8 से देव का हरमाडा	2.50	2.50
11.	लिंक रोड जयसिंहपुरा से प्रतापपुरा	0.80	0.80
12.	लिंक रोड महेशवास से राधाकिशनपुरा	15.00	15.00
13.	लिंक रोड बैनाड से दौलतपुरा	4.00	4.00
14.	लिंक रोड नांगल लाडी से राधाकिशनपुरा	3.00	3.00
15.	लिंक रोड चोंप से बिलोची	5.50	5.50
16.	लिंक रोड रोड नम्बर 17 से अखैपुरा	3.00	3.00
17.	चीतावाला से बदनपुरा	0.30	0.30
18.	गुढा मोड से गुड्डा सर्जन	1.00	1.00
19.	लिंक रोड कोतवाली से कूकस	0.40	0.40

(238)

1	2	3	4
20.	लिंक रोड नांगल से भाभरू खोरा	0.30	0.30
21.	लिंक रोड कुडा गुड्स स्टेशन से नांगल सुसावतान	0.20	0.20
22.	लिंक रोड एन. एच. 8 से लखेर	0.20	0.20
23.	लिंक रोड सीकर से महेशवास बांडी नदी	0.25	0.25
24.	लिंक रोड नींदड से जयरामपुरा	—	—
25.	लिंक रोड जयरामपुरा से जाहोता	—	—
26.	लिंक रोड घिनोई से जाहोता	—	—
27.	लिंक रोड भीलपुरा से अनूपपूरा	—	—
28.	लिंक रोड सिरसली रोड से भीलपुरा	—	—
29.	लिंक रोड बदनपुरा से चीतवाडी वाया रिसानी	—	—
30.	लिंक रोड एन. एच. 8 से चितलू	—	—
31.	लिंक रोड राडों की ढाणी से दौलपुरा	—	—
32.	लिंक रोड दौलतपुरा से भीमपुरा बगवाडा	—	—
33.	लिंक रोड कालवाड से मण्डा भोपावास	4.50	4.50
34.	लिंक रोड बिन्दायका से मुकुन्दपुरा	5.00	5.00
35.	लिंक रोड बेगस से बगरू	18.00	18.00
36.	लिंक रोड गोविन्दपुरा से सिरसी	7.00	7.00
37.	लिंक रोड मीनावाला	3.00	3.00
38.	लिंकरोड नीमेडा से मुकुन्दपुरा	1.50	1.50
39.	लिंक रोड सिरसी से कालवाड़ा वाया गोकुलपुरा	6.00	6.00
40.	लिंक रोड धर्मपुरा से जलोई महेशवास सड़क	1.00	1.00

1	2	3	4
41.	लिंक रोड सरना डूंगरी से बावडी सड़क	0.50	0.50
42.	लिंक रोड धर्मपुरा से धान्कया रेलवे स्टेशन	0.50	0.50
43.	लिंक रोड मुकुन्दपुरा से भांकरोटा सड़क	2.00	2.00
44.	लिंक रोड कलवाडा सड़क से माचवा	1.00	1.00
45.	लिंक रोड बिन्दायका से बैगस सड़क	3.25	3.25
46.	लिंक रोड भम्भोरी से सारंग का वास	—	—
47.	लिंक रोड सिरसी से कुंडा	—	—
48.	लिंक रोड सिरसी से हाथोद	—	—
49.	लिंक रोड बैनाड रेलवे स्टेशन से कदम डूंगरी	—	—
50.	लिंक रोड पकोडियावाडा	—	—
51.	लिंक रोड निवारू से लालचन्द पुरा	—	—
52.	लिंक रोड बेगस से पपार	—	—
53.	लिंक रोड एन. एच. 8 अजमेर रोड से बड़ी का खेडा	0.30	

240

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-568 की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Sub : Administrative and financial nanction for Construction of New Road Work under N.N.P. during the year 1995-96.

Sir,

I Continuation to this department letter No. F. 2 (17) PW/M/ dated 7-6-95. I am directed to convey Administrative and financial sanction of the Governor for construction of following New Road works at an estimated Cost of Rs. 10.00 Lach as under–

S. No.	Name of Work	Rs. (in lack)
1.	Construction of road from coluwalon to Kumabarion-ki-Dhani (PHQ) (Uttam Singh Walan) 4 Km. (Hanumangarh Distt.)	Rs. 12.00
2.	Construction of Couneway on Halena to Deeg (Bharatpur Distt.)	Rs. 14.00
3.	Consturction of Couneway on Halena to Deeg Distt. Bharatpur)	Rs. 10.00
4.	Construction of R.C.C. Slab Culvert at Village Khajur Tehesil Hanva, Disst. Bundi (A/R to village Khajuri)	Rs. 4.00
	Total	Rs. 40.00 Lack.

The Expenditure will be charged to the Budget Head "5054-Capital Outlay on Roads and Bridge-04-Distt. & Other Roads-800-800-(1)-Distt. Roads (Plan Expenditure) and expenditure shall be restricted within over all plan celling of roads sootor during the year 1995-96 and subsequent, year.

This issue with the concarrence of Finance (.III) Deptt. wide their I.D. No. 2151/dated 1-12-95 respectively.

Yours Faithfully,

Dy. Secretary (Works), P.W.D

Rajasthan, Jaipur